निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक मंडल की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित पत्र i

भारत सरकार को प्रेषित पत्र ii

निदेशक मंडल iii

संगठन की संरचना iv

निगम की संपर्क सूचना v

निगम के प्रमुख अधिकारी vi

संक्षेपाक्षर ..... vii-viii

2024-25 एक नज़र में viii

विशेषताएं ..... x-xiv

1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन 1-7

परिचय 1

इतिहास 1

संस्थागत कवरेज 2

बैंकों का पंजीकरण 2

बीमा कवरेज 2

सुरक्षा प्रदत्त जमा राशियों के प्रकार 3

बीमा प्रीमियम 3

पंजीकरण रद्द करना 3

बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण 3

दावों का निपटान 4

निपटाए गए दावों की वसूली 5

निधि, लेखे और कराधान 5

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण 8-23

परिचय 8

वर्ष के दौरान बोर्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियां 9

बैंकों का पंजीकरण/विपंजीकरण 10

कवरेज 11

निधि के स्रोत और उपयोग 15

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

दावा भुगतान 16
वसूली 17
जन जागरूकता अभियान को मजबूत करना 17
जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 18
व्यवसाय प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग: कार्य प्रक्रिया का स्वचालन 21
आईएडीआई और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव 21
निष्कर्ष और आगे की राह 22

3. जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां 24-30
परिचय 24
अधिदेश 24
जमा बीमा का कवरेज 24
निधि के स्रोत 26
निधियों का उपयोग 26
प्रतिपूर्ति 27
चुनिंदा जमा बीमाकर्ताओं द्वारा वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व - तुलना 27
जमा बीमा: उभरते रुझान 28
निष्कर्ष और आगे की राह 30

4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट 31-40
भाग I: परिचालन और कार्यपद्धति 31
निक्षेप बीमा योजना 31
निक्षेप बीमा निधि 32
निक्षेप बीमा दावों का निपटान 33
दावे और पुनर्भुगतान 33
कोर्ट मामले 34
ऋण गारंटी योजनाएं 34
भाग II: अन्य महत्वपूर्ण पहलें/प्रगति 34
वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय 34
जन जागरूकता / संचार नीति और कार्यनीति 35

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

भाग III: लेखा विवरण..... 35

बीमा देयताएं..... 35

वर्ष के दौरान राजस्व..... 35

संचित अधिशेष..... 36

निवेश..... 36

कराधान..... 36

भाग IV: ट्रेजरी परिचालन..... 36

भाग V: संगठनात्मक मामले 37

निदेशक मंडल..... 37

निदेशकों का नामांकन / सेवानिवृत्ति..... 38

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति..... 38

आंतरिक नियंत्रण 38

प्रशिक्षण और कौशल विकास 38

स्टाफ संख्या 39

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 39

हिंदी का प्रयोग..... 39

निगम में शिकायत निवारण कक्ष..... 39

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 39

लेखापरीक्षक..... 40

बॉक्स

बॉक्स 2.1: पूर्वदत्त लिखतों के लिए जमा बीमा..... 12

बॉक्स 2.2: जोखिम निगरानी ढांचा..... 18

बॉक्स 2.3: जमा बीमा के लिए परिचालन जोखिम रिज़र्व..... 19

बॉक्स 2.4: जयपुर, भारत में आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 12-14 अगस्त, 2024..... 21

बॉक्स 3.1: वित्तीय विवरणों का प्रतिनिधित्व..... 28

बॉक्स 3.2: जमाराशि डेटा निगरानी और जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी और एआई का लाभ उठाना..... 29

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट सारणियाँ

1	निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक - स्थापना के बाद से प्रगति	41
2ए	बीमाकृत बैंक - बैंक समूहवार	43
2बी	बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार	44
3	वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक	45
4	जमाराशि की सुरक्षा की सीमा: स्थापना के बाद से	46
5	बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ	47
6	2024-25 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)	50
6ए	2024-25 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक)	51
7	आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान	52
7ए	आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान - एआईडी के तहत बैंक	52
8	निपटाए गए बीमा दावे और प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2025 तक परिसमाप्त/समामेलित/पुनर्निर्मित सभी बैंक	53
8ए	बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2025 तक	73
8बी	त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे - 31 मार्च 2025 तक	75

5. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 76

6. तुलन पत्र और लेखे 80

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S428/01.01.016/2025-26 20 जून 2025

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001

महोदय,

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूं:

i. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और

ii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

2. उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां यथासमय आपको भेजी जाएंगी।

भवदीय,

(डॉ. मंगेश वाई. सोरते)
महाप्रबंधक

अनु.: यथोक्त

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S427/01.01.016/2025-26 20 जून 2025

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूं:

i. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और

ii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

इसकी पांच प्रतियां संलग्न हैं।

2. उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित सामग्री की प्रतियां (अर्थात, तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. हमें कृपया यह सूचित किया जाए कि उपरोक्त दस्तावेज *पूर्वोक्त* अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (*अर्थात* लोक सभा और राज्य सभा) के समक्ष किस तिथि/तिथियों को रखे गए हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

(डॉ. मंगेश वाई. सोरते)
महाप्रबंधक

अनु.: यथोक्त

निदेशक मंडल*

अध्यक्ष	
डॉ. एम. डी. पात्र **उप गवर्नर** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31 मार्च 2020 से 14 जनवरी 2025 तक)
श्री स्वामीनाथन जे **उप गवर्नर** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (15 जनवरी 2025 से)
निदेशक	
श्री आर. लक्ष्मीकांत राव **कार्यपालक निदेशक** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (10 मई 2024 से 30 जून 2024 तक)
श्री अर्णब कुमार चौधरी **कार्यपालक निदेशक** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (1 जुलाई 2024 से)
श्री पंकज शर्मा **संयुक्त सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (1 अप्रैल 2022 से)
श्री शाजी के. वी. **अध्यक्ष** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (15 फरवरी 2023 से)
डॉ. तरुण अग्रवाल	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)
प्रो. पार्थ रे **निदेशक** **राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)

* 30 जून 2025

संगठन की संरचना*

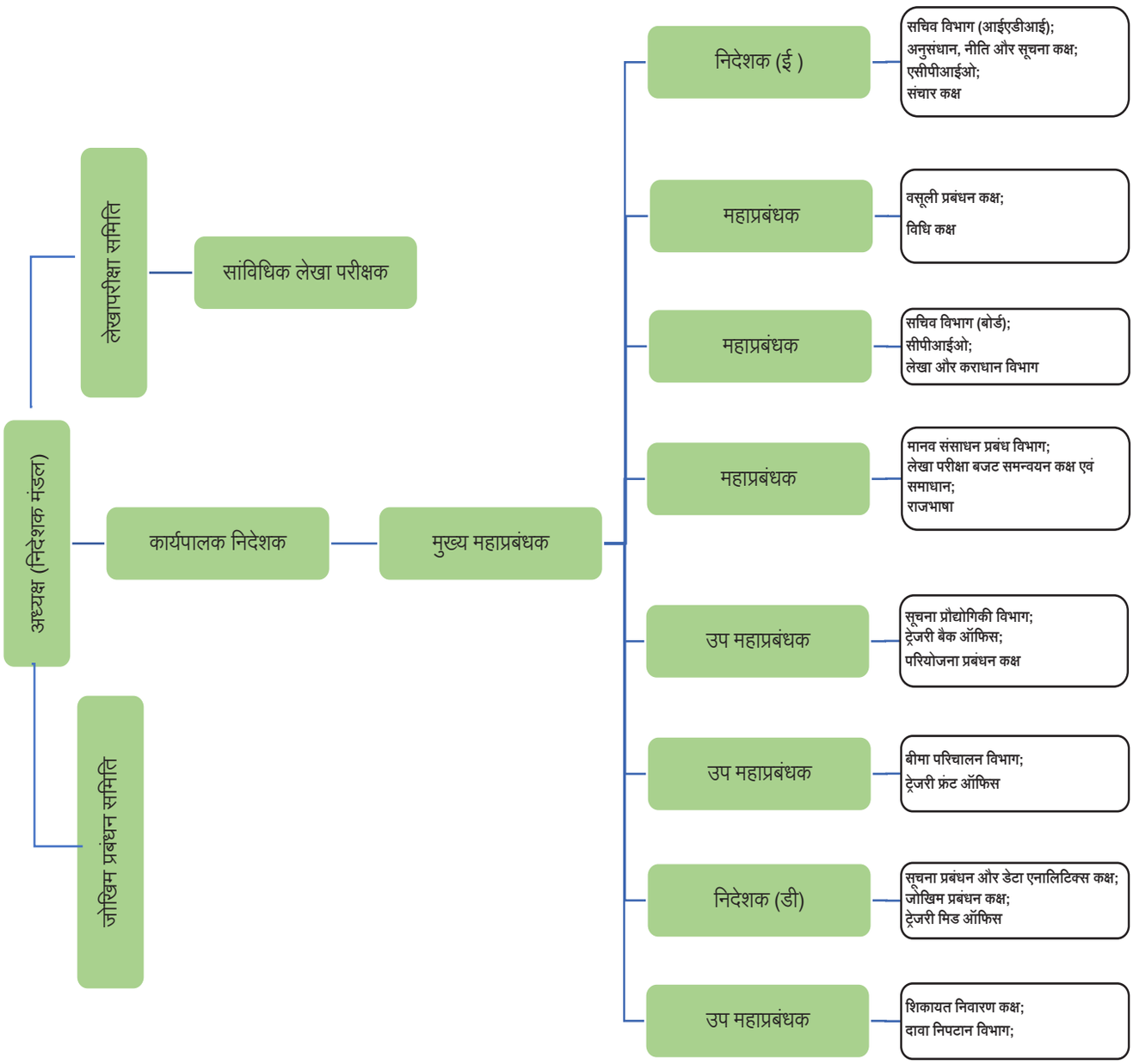
अध्यक्ष (निदेशक मंडल)
लेखापरीक्षा समिति
सांविधिक लेखा परीक्षक
जोखिम प्रबंधन समिति
कार्यपालक निदेशक
मुख्य महाप्रबंधक
निदेशक (ई)
सचिव विभाग (आईएडीआई);
अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष;
एसीपीआईओ;
संचार कक्ष
महाप्रबंधक
वसूली प्रबंधन कक्ष;
विधि कक्ष
महाप्रबंधक
सचिव विभाग (बोर्ड);
सीपीआईओ;
लेखा और कराधान विभाग
महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग;
लेखा परीक्षा बजट समन्वयन कक्ष एवं
समाधान;
राजभाषा
उप महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग;
ट्रेजरी बैक ऑफिस;
परियोजना प्रबंधन कक्ष
उप महाप्रबंधक
बीमा परिचालन विभाग;
ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
निदेशक (डी)
सूचना प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स कक्ष;
जोखिम प्रबंधन कक्ष;
ट्रेजरी मिड ऑफिस
उप महाप्रबंधक
शिकायत निवारण कक्ष;
दावा निपटान विभाग;

निगम की संपर्क सूचना *

टेलीफोन नंबर

+91-22-2302-8237 बीमा परिचालन विभाग
+91-22-2302-8236 दावा निपटान विभाग
+91-22-2302-8244 वसूली प्रबंधन कक्ष
+91-22-2302-8260 सचिव विभाग और आरटीआई कक्ष

प्रधान कार्यालय **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम**

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, 2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई – 400 008, भारत

मुख्य महाप्रबंधक	cgmdicgc@rbi.org.in	+91-22-2302-8000
निदेशक (ई)	arunvishnukumar@rbi.org.in	+91-22-2302-8207
महाप्रबंधक	rkrajkumar@rbi.org.in	+91-22-2302-8209
महाप्रबंधक	mysorte@rbi.org.in	+91-22-2302-8201
महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	+91-22-2302-8206
उप महाप्रबंधक	sangita@rbi.org.in	+91-22-2302-8205
उप महाप्रबंधक	sunurajan@rbi.org.in	+91-22-2302-8226
निदेशक (डी)	msadki@rbi.org.in	+91-22-2302-8280
उप महाप्रबंधक	amitkumargupta@rbi.org.in	+91-22-2302-8219

ईमेल : dicgc@rbi.org.in

वेबसाइट : www.dicgc.org.in

*30 जून 2025 के अनुसार

निगम के प्रमुख अधिकारी *

कार्यपालक निदेशक

श्री अर्णब कुमार चौधरी

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनूप कुमार

अन्य वरिष्ठ अधिकारी

श्री एन. अरुण विष्णु कुमार	*निदेशक 'ई', सचिव (आईएडीआई)*
श्री राज कुमार	*महाप्रबंधक*
श्री मंगेश वाई. सोरते	*महाप्रबंधक, सचिव (बोर्ड), सीपीआईओ*
श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि	*महाप्रबंधक*
श्रीमती संगीता ई.	*उप महाप्रबंधक*
श्री सुनु राजन	*उप महाप्रबंधक*
श्री मधुसूदन एस. अडकी	*निदेशक 'डी'*
श्री अमित कुमार गुप्ता	*उप महाप्रबंधक*

बैंकर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
104, मॉडल रेजीडेंसी,
बी. जे. मार्ग, जैकब सर्कल, महालक्ष्मी
मुंबई-400 011, भारत

* 30 जून 2025 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एसीबी	:	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
एआई	:	कृत्रिम बुद्धिमता / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआईडी	:	सर्व समावेशी निदेश
एआईटी	:	अग्रिम आयकर
एपीआरसी	:	एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति
एएस	:	लेखांकन मानक
बीए	:	व्यवसायिक क्षेत्र
सीए	:	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीईएसटीएटी	:	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीओ	:	केंद्रीय कार्यालय
सीपीजीआरएएमएस	:	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपीवाई	:	पिछले वर्ष भुगतान किए गए दावे
सीआरसी	:	शिकायत निवारण कक्ष
सीआरसीएस	:	सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
सीएसएए	:	नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीसीसीबी	:	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीएफएस	:	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीआई	:	जमा बीमा
डीआईसी	:	जमा बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईसीजे	:	डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ जापान
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
डीआईएफआर	:	निक्षेप बीमा निधि अनुपात
डीओआर	:	विनियमन विभाग
डीओएस	:	पर्यवेक्षण विभाग
ईडी	:	कार्यपालक निदेशक
ईआरएम	:	उद्यम जोखिम प्रबंधन
ईडब्ल्यूआरएम	:	उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
एफबी	:	विदेशी बैंक
एफआईएमएमडीए	:	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एफपीएआर	:	पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात
एफवाई	:	वित्तीय वर्ष
जीएएपी	:	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
जीडीपी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीएसटी	:	माल एवं सेवा कर
आईएडीआई	:	इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स
आईसीएआई	:	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
आईसीडीएस	:	आय की गणना और प्रकटीकरण मानक
आईडीएल	:	अंतर्दिवसीय चलनिधि
आईडीआर	:	बीमाकृत जमा अनुपात
आईएफआर	:	निवेश उच्चावचन रिज़र्व
आईआरएमसी	:	निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति
केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानो
एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एमडी-पीपीआई	:	पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश
एनएसीएच	:	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
पीबी	:	भुगतान बैंक
पीपीआई	:	पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीपीआई-एमटीएस	:	मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई

पीएसबी	:	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीवीबी	:	निजी क्षेत्र के बैंक
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	:	जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
रेपो	:	पुनःखरीद विकल्प
आरएमसी	:	जोखिम प्रबंधन कक्ष
आरएमसीबी	:	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
आरएमडी	:	जोखिम निगरानी विभाग
आरआर	:	आरक्षित निधि अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
एससीबी	:	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीवी	:	सिंगल कस्टमर व्यू
एसएफबी	:	लघु वित्त बैंक
एसटीसीबी	:	राज्य सहकारी बैंक
टैफकब	:	सहकारी शहरी बैंकों पर टास्क फोर्स
टीएचबी	:	अस्थायी उच्च शेष
टीएमओ	:	ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑफिस
टीआरईपी	:	त्रि-पक्षीय रेपो
यूसीबी	:	शहरी सहकारी बैंक
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र

2024-25 एक नज़र में

63 सेवा के वर्ष

1,982
बीमाकृत बैंकों की संख्या
(मार्च 2025 के अंत तक)

₹ 2,28,933 करोड़
निक्षेप बीमा निधि
(मार्च 2025 के अंत तक)

97.6 %
पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात

2.29 %
आरक्षित निधि अनुपात
(मार्च 2025 के अंत तक)

41.5 %
बीमाकृत जमा अनुपात

₹ 26,764 करोड़
प्राप्त प्रीमियम (2024-25)

₹ 476 करोड़
निपटाए गए दावे (2024-25)

₹ 16,941 करोड़
स्थापना से लेकर 31 मार्च 2025 तक
निपटाए गए दावे

₹ 5,690 करोड़

31 मार्च 2025 तक सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंकों के 4,04,148 जमाकर्ताओं को किया गया अन्तरिम भुगतान

₹ 1,309 करोड़

2024-25 में निपटाए गए दावों से वसूली

विशेषताएं - I: निक्षेप बीमा एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1 पूंजी *	50	50	50	50	50
2 निक्षेप बीमा					
(i) निक्षेप बीमा निधि	1,29,904	1,46,842	1,69,602	1,98,753	2,28,933
	(17.68)	(13.04)	(15.50)	(17.19)	(15.18)
(ii) बीमाकृत बैंक (संख्या)	2,058	2,040	2,026	1,997	1,982
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ	1,49,67,770	1,65,49,630	1,94,58,915	2,18,52,160	(पी) 2,40,95,727
	(10.96)	(10.57)	(17.60)	(12.30)	(10.27)
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ@	76,21,251	81,10,431	86,31,259	94,12,705	(पी) 1,00,04,919
	(10.91)	(6.42)	(6.42)	(9.05)	(6.29)
(v) बीमित खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	252.63	262.19	276.3	289.7	(पी) 293.7
	(7.50)	(3.78)	(5.38)	(4.85)	(1.38)
(vi) पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (करोड़ में)	247.80	256.67	270.5	283.3	(पी) 286.5
	(7.27)	(3.58)	(5.38)	(4.73)	(1.13)
(vii) वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे^	564	8,515	753	1,434	476
(viii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे^	5,763	14,278	15,031	16,465	16,941

अ – अनंतिम

* निगम की सामान्य निधि के अंतर्गत।

@ 4 फरवरी 2020 से जमा बीमा कवर ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया।

^ रिज़र्व बैंक द्वारा "सर्व समावेशी निदेशों" के तहत रखे गए बैंकों के दावों में 2021-22 से आगे परिसमाप्त बैंकों के दावे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:

1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।
2) 2 (iii) से 2 (vi) तक की मदों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक के आकड़ें 30 सितंबर (पिछले छमाही) के अनुसार हैं, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए यही आकड़ें मार्च 31 के अनुसार हैं।

परिचालनात्मक विशेषताएं - II: निक्षेप बीमा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व विवरण					
प्रीमियम आय	17,517 (32.36)	19,491 (11.27)	21,381 (9.70)	23,879 (11.68)	26,764 (12.08)
निवेश आय	9,650 (13.10)	10,496 (8.77)	11,908 (13.45)	13,947 (17.12)	15,802 (13.30)
निवल दावे	993	8,121	730	1,586	1,988
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	26,555	20,566	33,391	34,278	41,302
कर के बाद राजस्व अधिशेष	19,872	15,390	24,987	26,094	30,907
तुलन पत्र					
निधि शेष (बीमांकिक)	12,275	13,974	12,174	16,887	17,567
निधि अधिशेष	1,17,629	1,32,868	1,57,427	1,81,866	2,11,366
कुल आस्तियां	1,60,846	1,69,508	1,88,058	2,15,575	2,51,686
निष्पादन मैट्रिक्स					
1ए. परिसमाप्त बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की औसत संख्या@	7	3	-	14	7
1बी. एआईडी के तहत बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की संख्या		45	45	45	45
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावा निपटान (प्रथम दावा) के बीच दिनों की औसत संख्या@	500	184	-	466	560
3. कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत (इसमें से: कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी लागत)	0.20 0.10	0.14 0.06	0.16 0.08	0.18 0.09	0.20 0.09

@ निगम द्वारा दावों का निपटान परिसमापक (सहकारी समितियों के संबंधित राज्य रजिस्ट्रार और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त) से जमाकर्ता सूची प्राप्त होने पर निर्भर करता है। निगम ने परिसमापक से जमाकर्ता सूची प्राप्त होने के 7 दिनों (औसत) के भीतर दावों का निपटान कर दिया है।

डीआईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान परिसमापन के तहत बैंकों के लिए मुख्य दावे का निपटान नहीं किया है। तथापि, सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंकों के संबंध में, विभाग ने डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान के लिए उत्तरदायी होने और भुगतान की वास्तविक तारीख के बीच की, अर्थात 90 दिनों से अधिक न होने की सांविधिक समय-सीमा का पालन किया है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।

विशेषताएं- III

बीमाकृत और पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या

(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

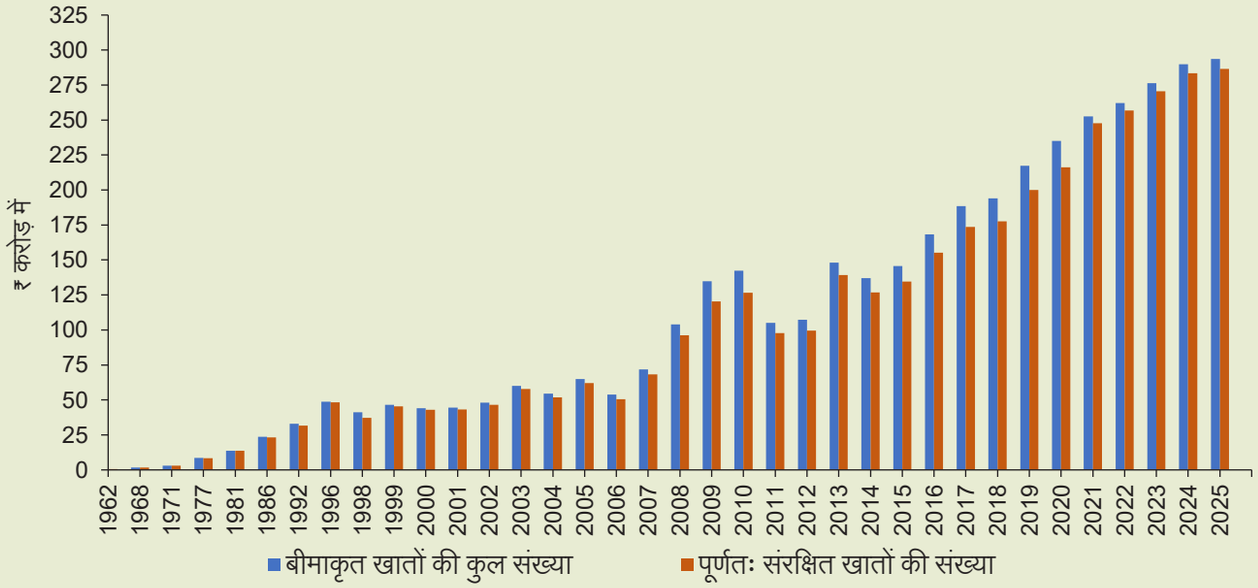

टिप्पणी: 2010-11 के लिए आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएं- IV

निर्धारणीय/बीमाकृत जमाराशियाँ

(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

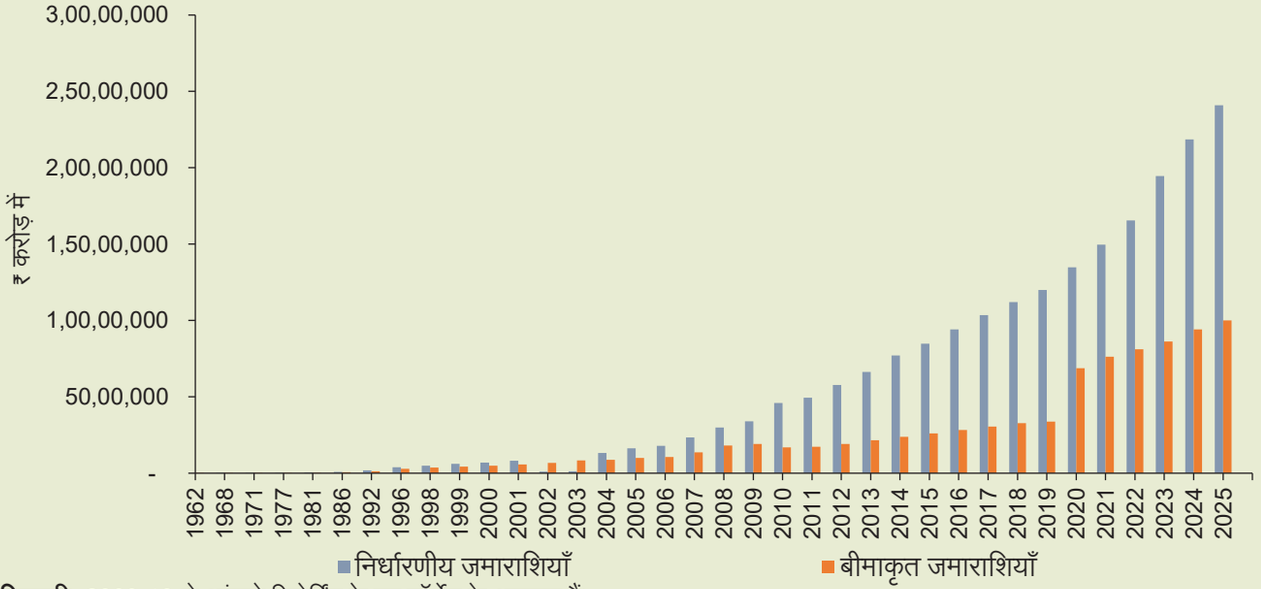

टिप्पणी: 2009-10 से आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएं- V

बीमाकृत बैंकों की जमाराशि की तुलना में बीमा कवरेज का विस्तार

(31 मार्च 2025)

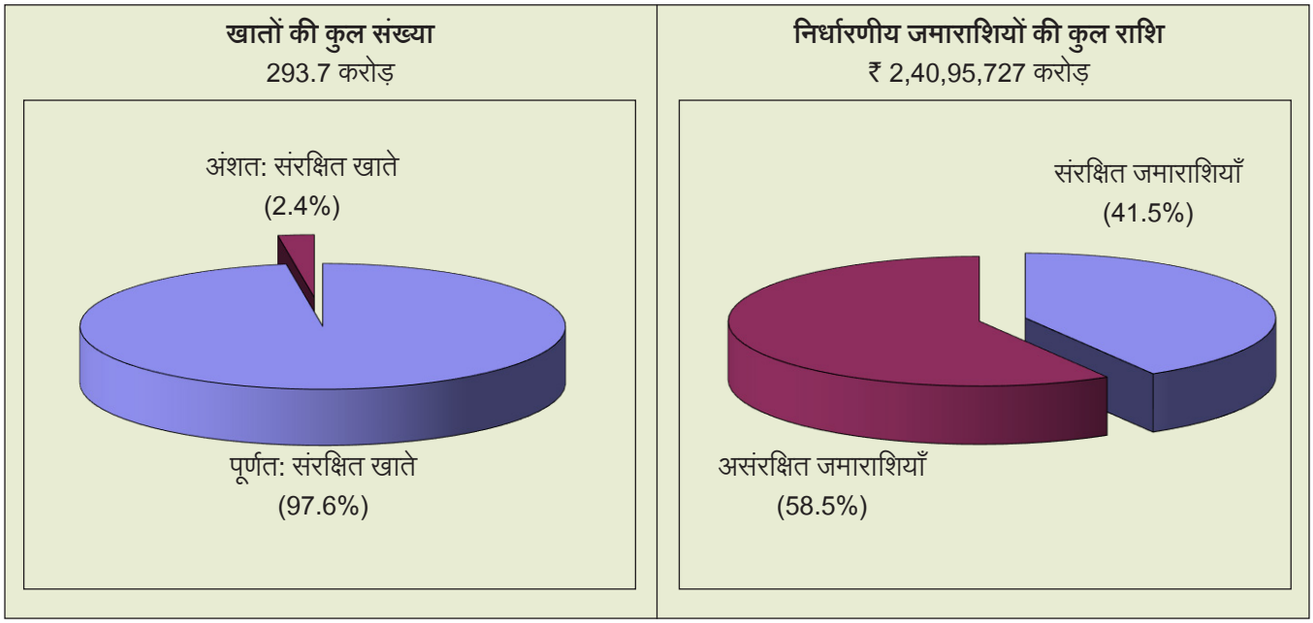

टिप्पणी:

1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।
2. ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आकड़े ₹ 1,00,04,919 करोड़ हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएं-VI

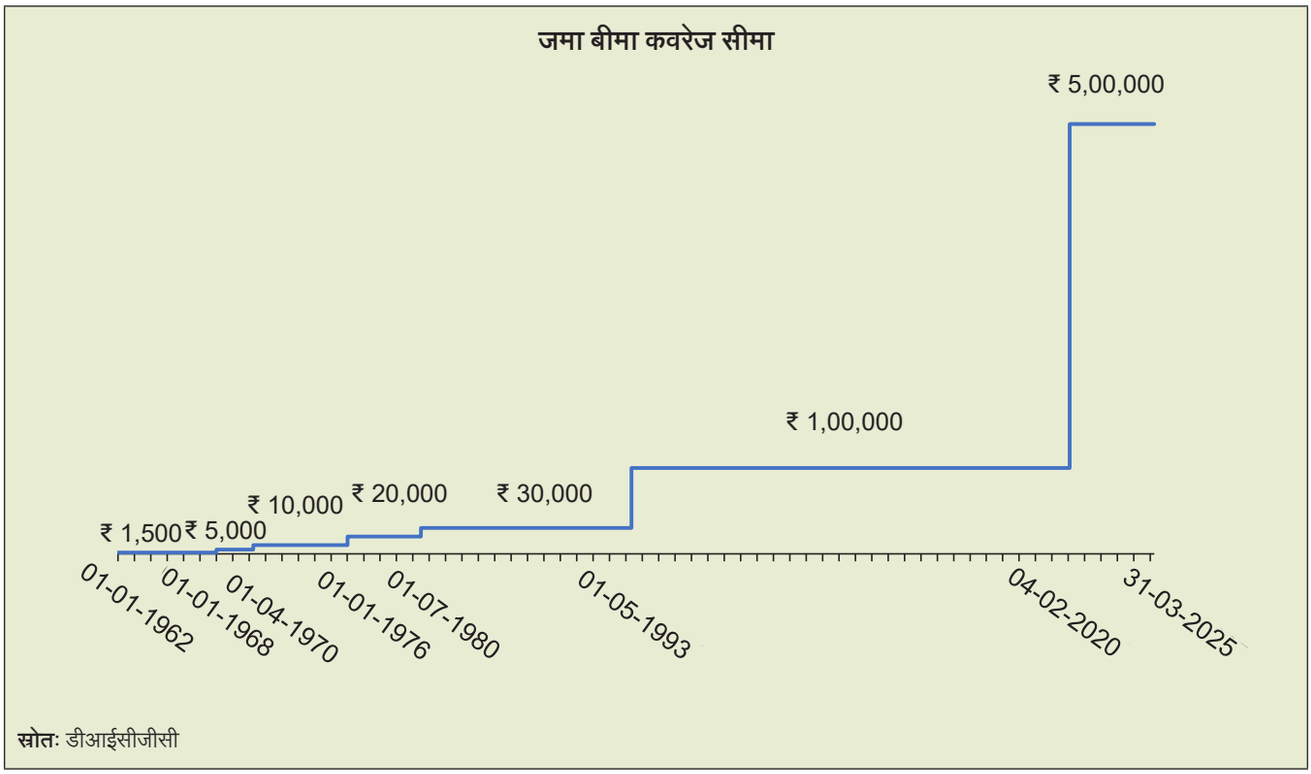

स्रोतः डीआईसीजीसी

विशेषताएं-VII

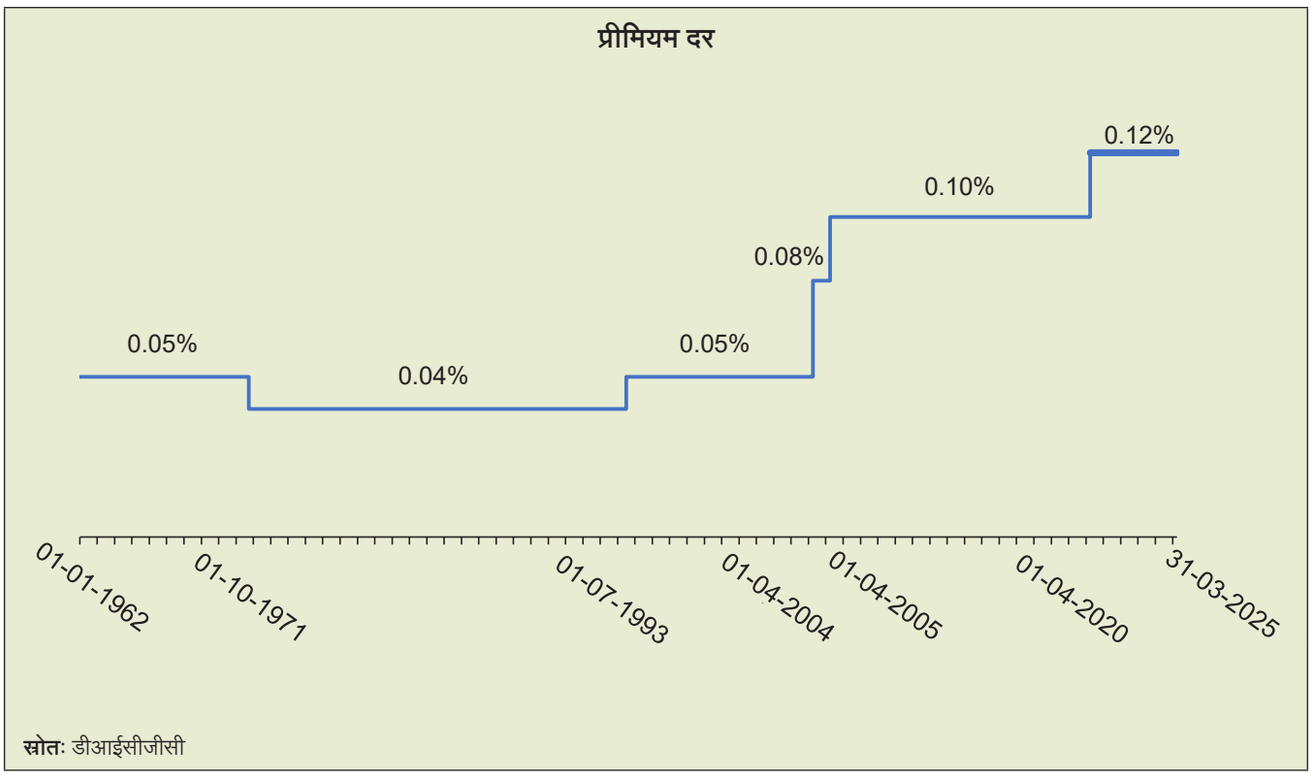

स्रोतः डीआईसीजीसी

1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन

1. परिचय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के कार्य, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और उक्त अधिनियम की धारा 50(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तैयार की गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों के जरिए शासित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी, अत: अप्रैल 2003 में इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया और निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य है।

2. इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार बैंकों में रखी गई जमा राशियों का बीमा करने का विचार सामने आया। इसके बाद वर्ष 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को स्थगित रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिमि. तथा लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल होने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में नए सिरे से ध्यान दिया गया। तद्नुसार, निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 दिनांक 1 जनवरी 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं, अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं। निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया। तद्नुसार, निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत "पात्र सहकारी बैंकों" [पैरा 3 (ii) देखें] का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(11ए) (ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को अब तक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा पारिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं अर्थात निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को डीआईसीजीसी अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद, 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए गारंटीकृत सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया। तदनुसार, ऋण गारंटी योजना को अप्रैल 2003 से बंद कर दिया गया।

3. संस्थागत कवरेज

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इसके अलावा, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2(जीजी) के तहत परिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंक जमा बीमा योजना के तहत कवर किए गए हैं। इनमें भारत में कार्यरत सभी राज्य, जिला केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति को भंग करने का अधिकार देता है और यह अपेक्षा करता है कि सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए कोई भी कार्रवाई केवल आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ की जा सकती है। वर्तमान में, सभी सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। दो संघ राज्य क्षेत्रों *अर्थात लक्षद्वीप और लद्दाख* में कोई भी बीमाकृत/पंजीकृत सहकारी बैंक नहीं है।

4. बैंकों का पंजीकरण

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

सभी पात्र सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से तीन माह के भीतर निगम उसका पंजीकरण करेगा।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करने वाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं *अर्थात्,* निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का ब्यौरा दिया जाता है।

5. बीमा कवरेज

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता, उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर "समान क्षमता और समान अधिकार" में मूलतः ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है (तालिका 1)।

तालिका 1: जमा बीमा कवरेज

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
01 जनवरी 1962	₹1,500/-
01 जनवरी 1968	₹5,000/-
01 अप्रैल 1970	₹10,000/-
01 जनवरी 1976	₹20,000/-
01 जुलाई 1980	₹30,000/-
01 मई 1993	₹1,00,000/-
04 फरवरी 2020	₹5,00,000/-

स्रोतः डीआईसीजीसी

6. सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निगम (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियों; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियों; (iii) अंतर-बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों तथा (v) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमा राशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

7. बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है (तालिका 2)। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन उनकी निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें।

तालिका 2: जमा बीमा प्रीमियम दरें (₹100 की निर्धारणीय जमाराशि के प्रतिशत के अनुसार)

तारीख से	प्रीमियम दर (₹ में)
01 जनवरी 1962	0.05
01 अक्तूबर 1971	0.04
01 जुलाई 1993	0.05
01 अप्रैल 2004	0.08
01 अप्रैल 2005	0.10
01 अप्रैल 2020	0.12

स्रोतः डीआईसीजीसी

प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (1) में संशोधन के अनुसार, डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश में समग्र बैंकिंग क्षेत्र के हितों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से बीमा प्रीमियम पर प्रति ₹100 की जमा राशि पर 15 पैसे की सीमा बढ़ा सकता है।

8. पंजीकरण रद्द करना

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से बहाल किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- (i) नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; (iii) स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; और (iv) इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द हो जाता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

9. बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

10. दावों का निपटान

किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन आदेश की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी 'समान क्षमता और समान अधिकार' में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(3) के साथ पठित धारा 16(1)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है तो विलयन योजना के नियमों और शर्तों के अनुरूप निगम जमाकर्ताओं को इस समय तक लागू जमा बीमा योजना तक भुगतान करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में 'समान क्षमता और समान अधिकार' में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(2) और (3)] किया जाता है।

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा, निगम द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में, प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निगम को प्रस्तुत की जानी है। (अनुबंध; चार्ट 1)

ऐसे बैंक/बैंकों के संबंध में जिसके/जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निमाण आदि, जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है। [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18(1)]

निगम से अपेक्षित है कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) फर्म से करवाता है।

सामान्यतः निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र दावा राशि का भुगतान परिसमाप्त बैंक के परिसमापक/अंतरिती/बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम पर एजेंसी बैंक में खोले गए खाते में क्रेडिट करता है। तथापि, अनट्रेसेबल जमाकर्ताओं को देय राशि की मंजूरी तब तक नहीं दी जाती जब तक इसके संबंध में परिसमापक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत न किए जाएँ।

इसके अलावा, अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधित धारा 18ए के अनुसार, निगम आरबीआई द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (अनुबंध चार्ट 2)। भुगतान आरबीआई द्वारा एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। बीमाकृत बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करनी होती है और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का सत्यापन करना होता है और अगले 15 दिनों के भीतर सम्मति प्रस्तुत करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करना होता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना उचित लगता है, तो निगम की देयता अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एआईडी के तहत दावों के भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 21ए के अनुसार है।

11. निपटाए गए दावों की वसूली

डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि और हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से किए गए व्यय की राशि निकालने के उपरांत डीआईसीजीसी को चुकौती करें। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार, डीआईसीजीसी अपने बोर्ड के अनुमोदन से, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए बीमित बैंक के लिए चुकौती अवधि को स्थगित या बदल सकता है। वर्तमान में एआईडी के तहत बैंक, जिन्हें डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के तहत भुगतान किया गया है, के लिए अपेक्षित है कि वे 5 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान करें। इसी अधिनियम की धारा 21 (4) के अनुसार, डीआईसीजीसी निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान में देरी के मामले में रेपो दर पर 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल कर सकता है।

12. निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : *अर्थात्* (i) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ), तथा (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के तहत निधियों के बीच अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

निगम प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है जबकि निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान के मामले में प्राप्ति आधार होता है। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 मे यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के रूप में किया जाता है। 1 अक्तूबर 2011 से निगम प्रीमियम आय पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के तीन महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भी भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है।

अनुबंध

क. भारत में सहकारी बैंकों के लिए दावों के निपटान की प्रक्रिया

भारत में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है (चार्ट 1):

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)/सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और डीआईसीजीसी को इसकी सूचना देता है। डीआईसीजीसी भी संबंधित आरसीएस/सीआरसीएस को परिसमापक की शीघ्र नियुक्ति के लिए लिखता है।
2. आरसीएस/सीआरसीएस परिसमाप्त बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा डीआईसीजीसी को सूचित करता है।
3. डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और नियुक्ति के 3 महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

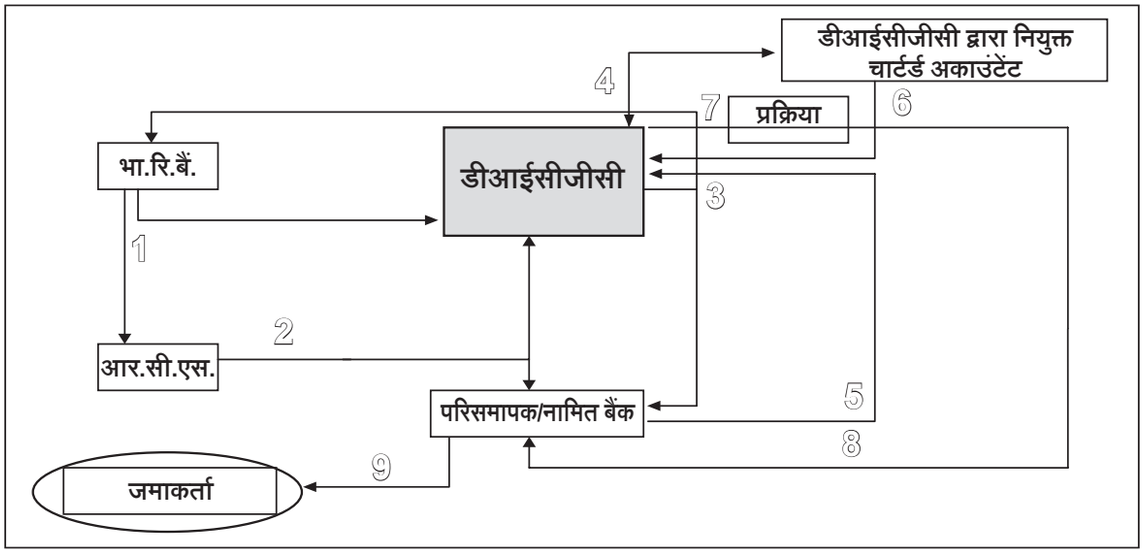

4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खाता बहियों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी दावा सूची और बैंक के रिकॉर्ड की पुस्तकों के ऑन साइट सत्यापन के लिए सीए के लिए एक परिचय सत्र आयोजित करता है।
5. परिसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग – क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित और भाग-ख अनट्रेसेबल/केवाईसी अनुपालित नहीं) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सॉफ्ट फॉर्म में डीआईसीजीसी को सूची प्रस्तुत करता है।
6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंकों के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग- ख सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन किया जाता है परिसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
8. नामित बैंक से लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए परिसमापक के खाते के नाम पर जारी की जाती है।
9. नामित बैंक संबंधित परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किए गए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खाते के विवरण के आधार पर एनईएफ़टी/डीडी/एनएसीएच के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

ख. दावा निपटान प्रक्रिया - सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक

भारत में सर्व समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है (चार्ट 2):

1. भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लगाता है और डीआईसीजीसी, जहां बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है, को एक पृष्ठांकन के साथ जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में एआईडी के तहत संबंधित बैंक को सूचित करता है।
2. डीआईसीजीसी, एआईडी के तहत रखे गए संबंधित बैंक को दिशा-निर्देश जारी करता है कि निर्देश लगाए जाने की तारीख को प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशि (सभी ऋणों/अग्रिमों को सेट ऑफ करने के बाद समान क्षमता और समान अधिकार में) को दर्शाने वाली विस्तृत सूची तैयार करे।

चार्ट 2: दावा निपटान प्रक्रिया – सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक
(बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत)

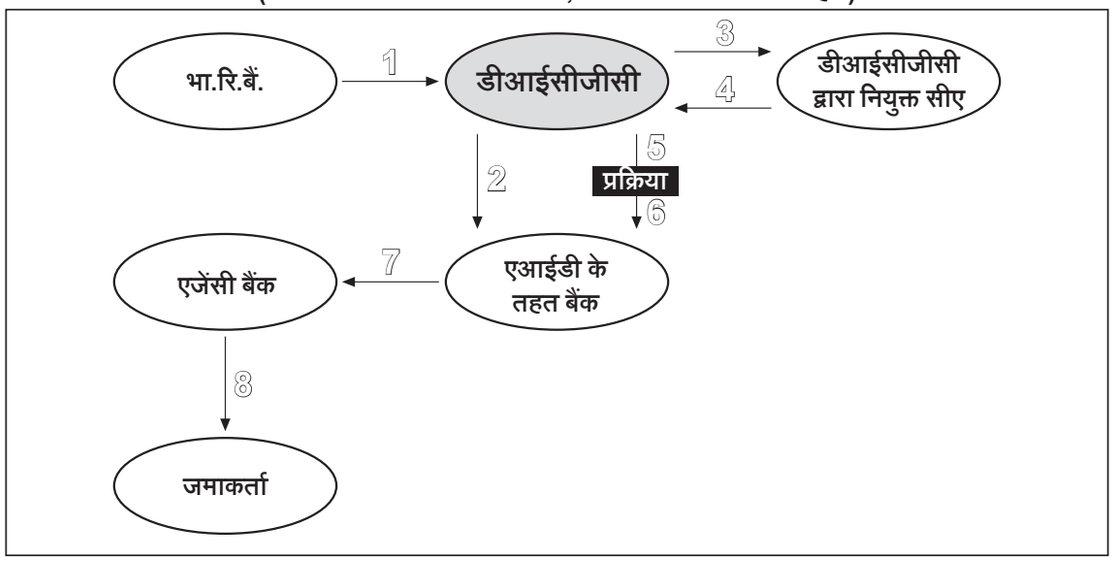

3. डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के अनुसार, एआईडी के तहत रखे गए बैंकों को बैंक पर एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर निगम को संपूर्ण जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करनी होती है। सूची में भाग ए सूची शामिल होनी चाहिए अर्थात, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45वें दिन तक प्राप्त हुए हैं और भाग बी सूची, *अर्थात*, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45वें दिन तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन जमाकर्ताओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दावा सम्मति फार्म प्राप्त हो जाते हैं उन्हें 90वें दिन भुगतान के लिए विचार किया जाता है।
4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खातों की पुस्तकों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। सीए फर्म को डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दावे का ऑन-साइट सत्यापन करना आवश्यक है।
5. सीए दावा सूची और जमा बीमा दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक बैंक के ऐसे किसी भी रिकॉर्ड पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।
6. सीए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीआईसीजीसी द्वारा दावा संसाधित किया जाता है और अपनी सम्मति व्यक्त करने वाले जमाकर्ताओं को पात्र दावों के भुगतान के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है।
7. तब डीआईसीजीसी एजेंसी बैंक के माध्यम से दावे के संवितरण के लिए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश सहित एआईडी के तहत बैंक के साथ भुगतान की जाने वाली सूची साझा करता है।
8. एआईडी के तहत बैंक तब विधिवत भरी हुई सूची को डीआईसीजीसी को सूचित करते हुए एजेंसी बैंक से साझा करता है।
9. तब एजेंसी बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली सूची और एआईडी के तहत बैंक द्वारा दिए गए मेंडेट के अनुसार दावों का संवितरण किया जाता है।

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

1. परिचय

डीआईसीजीसी भारत में जमा बीमा (डीआई) योजना का संचालन डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों के अनुसार करता है। इसका मिशन 'लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के प्रावधान के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना' है, जो जमा बीमा के दो प्रमुख सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य हैं।

भारत में कार्यरत सभी बैंकों, वाणिज्यिक और सहकारी बैंक दोनों, के लिए डीआई योजना अनिवार्य है। वाणिज्यिक बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), विदेशी बैंकों की शाखाएँ/सहायक संस्थाएं (एफबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी), और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल हैं। सहकारी बैंकों में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं।

निगम का अधिदेश किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन [डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(1)] के मामले में या किसी बीमाकृत बैंक के संबंध में समझौता/व्यवस्था/पुनर्निर्माण/समामेलन की योजना की मंजूरी और यदि योजना की मांग की गई हो [धारा 16(2)] के मामले में जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करना है। अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में धारा 18ए को सम्मिलित करने के साथ निगम के अधिदेश का विस्तार किया गया। इस संशोधन ने बैंकिंग पर्यवेक्षक अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा व्यापारिक प्रतिबंधों (जमा राशि लेने) वाले सर्व-समावेशी निदेश (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान का प्रावधान किया। निगम के अधिदेश को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के प्रभावी जमा बीमा प्रणाली, 2014 के मूल सिद्धांतों[1] के अनुसार 'पेबॉक्स प्लस' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वर्तमान में कवरेज सीमा एक बैंक में प्रति जमाकर्ता ₹5,00,000 (लगभग यूएस $ 5,842[2]) है जो 4 फरवरी 2020 से प्रभावी है। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक के लाइसेंस के परिसमापन/रद्द होने की तिथि या समामेलन/विलय/पुनर्निर्माण योजना या एआईडी के लागू होने की तिथि के अनुसार 'समान अधिकार और समान क्षमता' में रखे गए खातों में मूलधन और ब्याज दोनों राशियों के लिए कवरेज सीमा तक बीमा किया जाता है।

स्थापना के समय से ही निगम ने जमा बीमा योजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों पर एक समान दर पर प्रीमियम लगाया है। मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली की स्थिति और जमा बीमा निधि (डीआईएफ) की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दर को समय-समय पर संशोधित किया गया है। बैंकों पर लगाए जाने वाले प्रीमियम की मौजूदा दर 1 अप्रैल 2020 से प्रति वर्ष

1 आईएडीआई के मूल सिद्धांतों के अनुसार, जमा बीमाकर्ता का "अधिदेश" उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करने वाले आधिकारिक अनुदेशों के समूह को संदर्भित करता है। इन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स" अधिदेश, जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमाकृत जमा की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है; (ii) "पे बॉक्स प्लस" अधिदेश, जहाँ जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इसमें वह मामला शामिल है जहाँ जमा बीमाकर्ता (एकमात्र) *रेज़ोल्यूशन* प्राधिकरण नहीं है, परंतु जब वह *रेज़ोल्यूशन* निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है, *रेज़ोल्यूशन* प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है, या *रेज़ोल्यूशन* उपायों के समर्थन के लिए अपनी निधियों के उपयोग को प्राधिकृत करता है; (iii) "लॉस मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहां बीमाकर्ता बीमित जमाकर्ताओं के लाभ के लिए और लागत या हानि को न्यूनतम करने वाले तरीके से *रेज़ोल्यूशन* कार्यनीतियों की एक श्रृंखला के चयन और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है; और (iv) " रिस्क मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहाँ बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम आकलन/प्रबंधन, शीघ्र हस्तक्षेप और *रेज़ोल्यूशन* शक्तियों का एक पूर्ण समूह, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी संबंधी ज़िम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। स्रोत: प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई मूल सिद्धांत, 2014 ।

2 रूपांतरण के लिए एफबीआईएल वेबसाइट पर प्रकाशित 28 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर 85.5814 का उपयोग किया गया है।

निर्धारणीय जमा राशि का 0.12 प्रतिशत है (अर्थात, प्रति वर्ष निर्धारणीय जमा राशि के ₹100 रुपये पर 12 पैसे)।

निगम डीआईएफ का रखरखाव करता है जिसका वित्तपोषण मुख्यतः बैंकों पर लगाए गए प्रीमियम से होता है। डीआईएफ एक प्रत्याशित निधि है जिसका उपयोग परिसमापन/समामेलन या एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। डीआईएफ का निर्माण प्रत्येक वर्ष इसके अधिशेष के अंतरण के माध्यम से किया गया है। अधिशेष से तात्पर्य राजस्व की अधिकता से है, अर्थात बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से प्राप्त ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली, व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित व्यय) के बाद, करों को घटाकर।

बैंक की विफलता की स्थिति में बीमाकृत जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति जमा बीमाकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी है और यह तीन परिस्थितियों में की जाती है: (i) सर्व समावेशी निदेश (एआईडी): जब भी किसी बैंक को बैंकिंग पर्यवेक्षक (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निदेश दिया जाता है और ऐसे निदेश संबंधित बैंक के जमाकर्ताओं की जमा राशि तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं; या (ii) परिसमापन: जब भी किसी बैंक के समापन/परिसमापन का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकाला जाता है, या (iii) विलय/समामेलन: जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन की योजना तैयार की जाती है और ऐसी योजना के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान की आवश्यकता होती है।

अधिदेश के निर्वहन में, डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंकों या बीमाकृत बैंकों के परिसमापकों द्वारा प्रस्तुत दावों को सत्यापित करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सेवाएं लेता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अपने स्वयं के आंतरिक सत्यापन के आधार पर, डीआईसीजीसी प्रत्येक पात्र जमाकर्ता को भुगतान करता है। परिसमाप्त बैंकों और निदेशाधीन बैंकों, दोनों के जमाकर्ताओं को परिसमापक/बैंक से दावा प्राप्त होने और दावे का भुगतान जारी होने पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से सूचित किया जाता है। दावा भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी डीआईसीजीसी वेबसाइट पर होस्ट किए गए दावा स्थिति ट्रैकर ऐप (दावा सूचक) पर भी उपलब्ध है। यह सेवा वर्तमान में निदेशों के तहत बैंक तथा परिसमाप्त बैंकों, दोनों के लिए उपलब्ध है।

इस अध्याय का शेष भाग निम्नानुसार तैयार किया गया है। खंड 2 वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान बोर्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 से 11 में वर्ष के दौरान निगम के कार्यों और गतिविधियों पर चर्चा की गई है। खंड 12 में आगे की राह बताई गई है।

2. वर्ष के दौरान बोर्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियां

निगम के कार्यों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है, जो निगम द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। वर्ष के दौरान अपनाए गए कुछ नीतिगत उपायों पर नीचे चर्चा की गई है।

बोर्ड संवर्धित क्षमता

2001 में डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 संशोधन के बाद निगम के बढ़े हुए अधिदेश के अनुरूप, उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 6 (1) (डी) और (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा डीआईसीजीसी के बोर्ड में 10 जुलाई 2024 से प्रभावी दो अतिरिक्त सदस्यों अर्थात डॉ. तरुण अग्रवाल और प्रो. पार्थ रे, निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे को नामित किया गया।

निदेशकों और समितियों के सदस्यों के पारिश्रमिक में वृद्धि

27 जनवरी 2025 को भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 17 (निदेशकों और समितियों के सदस्यों का पारिश्रमिक) में संशोधन के साथ निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियों के सदस्यों अर्थात बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के पारिश्रमिक को बढ़ा दिया गया है और यह 01 फरवरी 2025 से प्रभावी है।

शहरी सहकारी बैंकों के परिसमापकों के लिए संशोधित दिशानिर्देश

निगम ने शहरी सहकारी बैंकों के परिसमापकों के लिए अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्टता में सुधार लाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार बैंकों के परिसमापकों के बीच वसूली आवश्यकताओं की बेहतर समझ को सुगम बनाना है।

2024-25 के दौरान निगम की परिचालन संबंधी मुख्य विशेषताएं

3. बैंकों का पंजीकरण/विपंजीकरण

वर्ष 2024-25 के दौरान, जमा बीमा योजना के लिए 2 बैंक (1 विदेशी बैंक और 1 राज्य सहकारी बैंक) डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत हुए और 17 बैंकों (1 विदेशी बैंक, 1 एसएफबी और 15 यूसीबी) का पंजीकरण रद्द कर दिया गया (तालिका 1)।

चार्ट 1: पंजीकृत बैंकों की संख्या

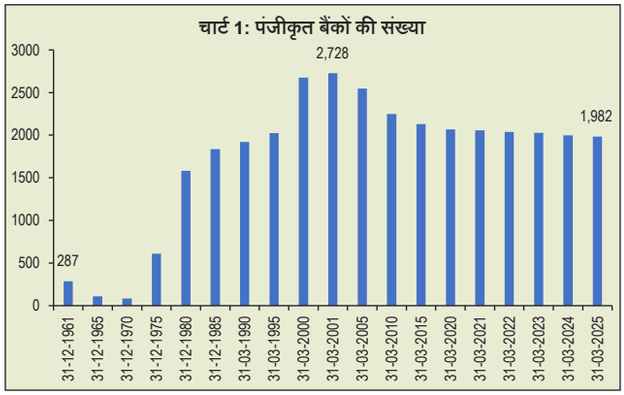

परिणामस्वरूप, जमा बीमा के लिए डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के 1,997 से घटकर 31 मार्च 2025 तक 1,982 रह गई (चार्ट 1)। 2001 से, जब यह संख्या 2,728 के उच्चतम स्तर पर थी, पंजीकृत बैंकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है।

बैंक समूहवार पंजीकृत बैंकों की संख्या मुख्य रूप से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की संख्या में गिरावट दर्शाती है (तालिका 2)।

तालिका 1: वर्ष के दौरान पंजीकरण/विपंजीकरण

	पंजीकृत बैंक	विपंजीकृत बैंक
वाणिज्यिक बैंक	यूबीएस एजी	• फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक • क्रेडिट सुइस एजी
सहकारी बैंक	**दमन और दीव:** दमन और दीव राज्य सहकारी बैंक	• **आंध्र प्रदेश:** (i) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, (ii) दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड • **असम:** महाभैरब को-ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड • **बिहार**: द वैशाली शहरी विकास को-ऑप बैंक लिमिटेड • **गोवा:** सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमिटेड • **कर्नाटक:** नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंगलोर • **महाराष्ट्र:** (i) सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (ii) राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, (iii) अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, (iv) पुणे कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, (v) जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड • **तमिलनाडु:** कुड्डालोर और विल्लिपुरम डी. सी. को-ऑप. बैंक • **तेलंगाना:** यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड • **उत्तर प्रदेश:** (i) पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक, (ii) बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक

स्रोत: डीआईसीजीसी

तालिका 2: बीमाकृत बैंकों की संख्या (मार्च के अंत तक)

	2023	2024	2025
पंजीकृत बैंकों की संख्या (1+2)	**2026**	**1997**	**1982**
1. वाणिज्यिक बैंक	**139**	**140**	**139**
1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	12	12	12
1.2 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	21	21	21
1.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	43	43	43
1.4 लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	12	12	11
1.5 विदेशी बैंक (एफबी)	43	44	44
1.6 भुगतान बैंक (पीबी)	6	6	6
1.7 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी)	2	2	2
2. सहकारी बैंक	**1887**	**1857**	**1843**
2.1 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1502	1472	1457
2.2 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	352	352	352
2.3 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	33	33	34

स्रोत: डीआईसीजीसी

4. कवरेज

विश्व भर में बढ़ाए जा रहे जमा बीमा कवरेज का दायरा

जमा बीमा का दायरा, संरक्षण के लिए पात्र संस्थाओं और जमा उत्पादों के प्रकारों को संदर्भित करता है। भारत में, डीआईसीजीसी वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) में रखी गई जमाराशियों का बीमा करता है। निगम (i) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियों; (ii) विदेशी सरकारों की जमाराशियों; (iii) अंतर-बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों, तथा (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

वैश्विक साक्ष्य वित्तीय नवाचार और उभरते जोखिमों की प्रतिक्रिया में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कवरेज के दायरे का विस्तार करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत देते हैं (आईएडीआई, 2021)। प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं: (i) चीनी ताइपे और नाइजीरिया जैसे क्षेत्राधिकारों में ई-मनी और डिजिटल पेमेंट वॉलेट का समावेशन; (ii) टेम्पररी हाई बैलेंस (टीएचबी) के लिए संरक्षण की शुरुआत, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में; और (iii) इस्लामी जमा और विदेशी मुद्रा खातों के लिए विभेदित प्रबंध।

जबकि वैश्विक स्तर पर 92 प्रतिशत क्षेत्राधिकार कुछ श्रेणियों जैसे अंतरबैंक, सरकारी या संपार्श्विक जमा को छोड़ देते हैं, लगभग 21 प्रतिशत क्षेत्राधिकार कवरेज के दायरे में शीघ्र ही परिवर्तन की आशा करते हैं, जिसमें पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) सहित नए वित्तीय उत्पादों और भुगतान लिखतों को शामिल करने की ओर रुझान बढ़ रहा है। डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड सहित पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) हाल के वर्षों में उल्लेखनीय गति से बढ़ रहे हैं। निगम ने इस पहलू की जाँच करने और अपनी सिफ़ारिशें देने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया था। वर्तमान में इसकी जांच चल रही है (बॉक्स 2.1)।

बॉक्स 2.1: पूर्वदत्त लिखतों के लिए जमा बीमा

डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड सहित पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने लाखों लोगों के लिए डिजिटल भुगतान तक एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाकर भारत के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पीपीआई द्वारा ₹2.2 लाख करोड़ (₹2.2 ट्रिलियन) मूल्य के लगभग 702.54 करोड़ (7.02 बिलियन) लेन-देन को सुगम बनाया गया, जो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ऐतिहासिक रूप से वंचित आबादी तक औपचारिक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाकर, पीपीआई पारंपरिक बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के बीच की खाई को पाट रहे हैं, जिससे भारत एक अधिक समावेशी और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है।

भारतीय परिदृश्य

इस तीव्र विस्तार के बीच, पीपीआई खातों में संग्रहीत धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है। भारत में, इन प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) के तहत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस संविधि के तहत विभिन्न भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। इस उद्देश्य से, आरबीआई ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश (एमडी-पीपीआई) जारी किया है, जिसमें पीपीआई जारीकर्ताओं के प्राधिकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक रूपरेखा स्थापित की गई है।

पीपीआई को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्री-लोडेड मूल्य का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं, धन प्रेषणों और वित्तीय सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। पीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में विविध लिखत शामिल हैं, एमडी-पीपीआई के तहत भारत में चार प्राथमिक श्रेणियों की अनुमति है: छोटे पीपीआई (न्यूनतम-विवरण पीपीआई), पूर्ण-केवाईसी पीपीआई, उपहार लिखत, और मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए पीपीआई। मास्टर निदेश जारीकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिनमें एस्क्रो खाता आवश्यकताएं, पीएसएस अधिनियम की धारा 23ए की प्रयोज्यता, इन एस्क्रो व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वीकार्य क्रेडिट और डेबिट लेन-देन, तथा वैधता और मोचन के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पीपीआई के लिए ग्राहक सुरक्षा दो प्रमुख स्तंभों द्वारा सुदृढ़ की जाती है: (क) केंद्रीय बैंकों द्वारा कड़े विवेकपूर्ण विनियमन और (ख) जमा बीमा योजनाओं द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा कवच । केंद्रीय बैंक के नियम अक्सर प्रथम बचाव के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें जोखिम प्रबंधन ढाँचे, पारदर्शिता मानक, लाइसेंसिंग मानदंड (जैसे न्यूनतम पूँजी सीमा और प्रमुख कार्मिकों के लिए उपयुक्त मानक), और क्रेडिट/डेबिट लेन-देन पर प्रतिबंध शामिल होते हैं। इन ढाँचों की आधारशिला मज़बूत निधि-सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन है:

(क) पृथक्करण आवश्यकताएं, जो यह अनिवार्य करती हैं कि एकत्रित ग्राहक निधियों को अलग-अलग फ्लोट खातों में रखा जाए, जो जारीकर्ता की परिचालन निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों से अलग हों; और

(ख) रिंग-फेंसिंग आवश्यकताएं, जो निर्धारित करती हैं कि पृथक फ्लोट खातों को विशेष प्रयोजन साधनों (जैसे, ट्रस्ट या कस्टोडियल खाते) के रूप में संरचित किया जाना चाहिए ताकि जारीकर्ता के लेनदारों के दावों से पूल की गई निधि को कानूनी रूप से अलग किया जा सके और अन्य प्रबंधित आस्तियों के साथ मिश्रण को रोका जा सके।

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए ये नियामक सुरक्षा उपाय, पीपीआई जारीकर्ताओं की विफलता के विरुद्ध प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों का धन सुरक्षित और सुलभ बना रहे। हालाँकि, इन पृथक फ्लोट खातों को रखने वाले बैंकों की संभावित विफलताओं के कारण अवशिष्ट जोखिम बने रहते हैं, जिससे ग्राहकों के धन की और अधिक सुरक्षा के लिए जमा बीमा तंत्र पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

पीपीआई के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाई गई जमा बीमा संरचना

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पीपीआई के लिए जमा बीमा के दो प्राथमिक दृष्टिकोण[2] सामने आए हैं:

(क) प्रत्यक्ष दृष्टिकोण: इसमें, जमा बीमा कवरेज पीपीआई प्रदाता द्वारा जारी किए गए पीपीआई खातों तक सीधे विस्तारित होता है। इस मॉडल के तहत, जमा बीमाकर्ता पीपीआई खातों में रखी गई धनराशि की स्पष्ट गारंटी देता है, और उन्हें पारंपरिक बैंक जमाराशियों के समान ही मानता है। कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को निर्दिष्ट कवरेज सीमा तक प्रत्यक्ष सुरक्षा प्राप्त हो।

(ख) पास-थ्रू दृष्टिकोण: इसके विपरीत, पास-थ्रू मॉडल में पीपीआई जारीकर्ताओं को जमा बीमा प्रणाली का प्रत्यक्ष सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्लोट खाते - जिसे बीमाकृत बैंक में जमा देयता के रूप में रखा जाता है (जो पहले से ही जमा बीमा योजना का हिस्सा है)- पर निर्भर करता है। जमा बीमाकर्ता फ्लोट खाते के भीतर प्रत्येक पीपीआई ग्राहक की पात्रता की पहचान करता है, तथा सम्पूर्ण फ्लोट खाते को एकल जमा के

(जारी...)

रूप में मानने के बजाय प्रत्येक लाभार्थी के बैलेंस पर कवरेज सीमा लागू करता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या और नाइजीरिया में किया जाता है, जो पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए परिचालन सरलता बनाए रखते हुए अप्रत्यक्ष बीमा कवरेज को सक्षम बनाता है।

दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य जारीकर्ता की विफलता या बैंक दिवालियापन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना है, हालांकि उनका कार्यान्वयन प्रत्येक क्षेत्राधिकार में नियामक ढांचे, बीमाकर्ता क्षमताओं और पीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर निर्भर करता है।

चूंकि भारत का डिजिटल भुगतान परिदृश्य लगातार बढ़ रहा है, तथा प्रतिदिन लाखों लेन-देन पीपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं के धन की सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। परंतु, कवरेज के संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है।

संदर्भ:

1. आरबीआई (2025), वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)।
2. सीजीएपी (2019)। तकनीकी नोट: जुआन कार्लोस इज़ागुइरे, डेनिस डायस, मेहमत केर्से द्वारा ई-मनी का जमा बीमा प्रतिपादन।

निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशि

कुल पात्र/निर्धारणीय जमा राशि (वर्ष-दर-वर्ष) 10.3 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक ₹240.96 ट्रिलियन हो गई। बैंक में प्रति जमाकर्ता ₹500,000 (लगभग यूएस $ 5,842) की वर्तमान कवरेज सीमा पर, जो 4 फरवरी 2020 से प्रभावी है, कुल बीमाकृत जमा राशि में वर्ष-दर-वर्ष 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो मार्च 2025 के अंत तक ₹100.05 ट्रिलियन हो गई (चार्ट 2)

कवरेज अनुपात

मौजूदा कवरेज सीमा पर, पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) (अर्थात, खातों की संख्या के संदर्भ में कवरेज अनुपात), मार्च 2025 के अंत तक 97.6 प्रतिशत (मार्च 2024 के अंत में 97.8 प्रतिशत) है (चार्ट 3)। यह दर्शाता है कि कुल पात्र/ निर्धारणीय खातों में से 97.6 प्रतिशत खातों में बैलेंस राशि ₹500,000 से कम थी। शेष 2.5 प्रतिशत खाते आंशिक रूप से ₹500,000 की कवरेज सीमा तक कवर किए गए थे; इन खातों के 'संपन्न वर्ग की ओर अधिक उन्मुख होने की आशा है। यह अनुपात 2020 से लगातार 98 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर, बाय-अकाउंट/बाय-डिपॉज़िटर्स आधार पर कवरेज अनुपात पिछले दशक में लगभग 98 प्रतिशत पर लगातार बहुत अधिक रहा है।[3]

बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर), अर्थात कुल निर्धारणीय जमाराशि के लिए बीमाकृत जमाराशि का अनुपात (जमाराशियों के मूल्य के संदर्भ में कवरेज अनुपात भी कहा जाता है), मार्च 2025 के अंत में 41.5 प्रतिशत (मार्च 2024 के अंत में 43.1 प्रतिशत) था (चार्ट 3)। यह अनुपात 2020 में लगभग 50.9 प्रतिशत से कम हो गया था, जो यह दर्शाता है कि निर्धारणीय

चार्ट 2: निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशि

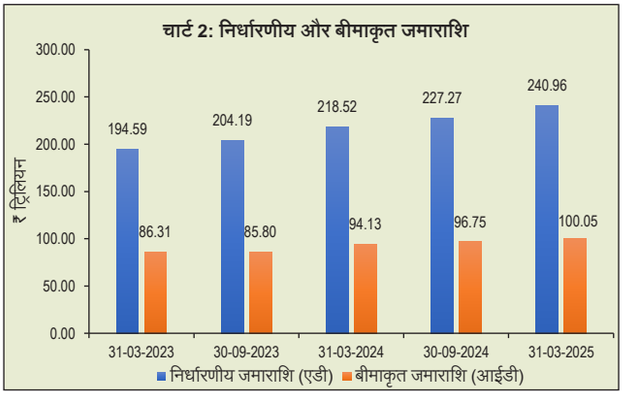

चार्ट 3: पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) और बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर)

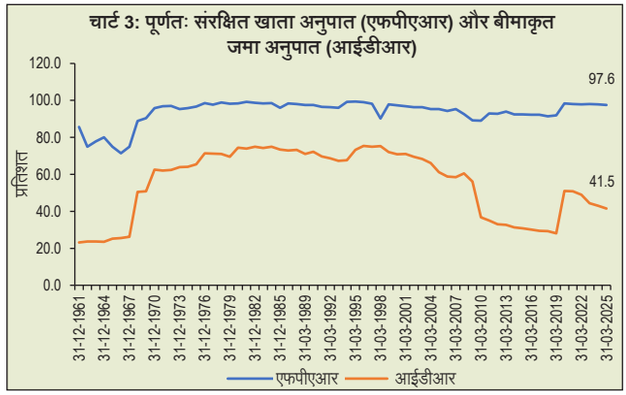

3 आईएडीआई (2025). 2025 में जमा बीमा: वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे, पृष्ठ 17.

जमा राशि बीमाकृत जमा की तुलना में तेज गति से बढ़ रही हैं। वैश्विक स्तर पर, पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद, हालिया रुझान से पता चलता है कि मूल्य के आधार पर वैश्विक जमा बीमा कवरेज अनुपात 2024 में लगभग 48 प्रतिशत (2014 में 52 प्रतिशत) पर स्थिर हो गया है, जो संभवतः जमाकर्ता व्यवहार से प्रभावित है क्योंकि 5 प्रतिशत से भी कम क्षेत्राधिकारों ने वर्ष के दौरान अपने नाममात्र कवरेज स्तर में वृद्धि की है।[4]

बैंक समूहवार कवरेज अनुपात

सहकारी बैंकों में पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात 98.1 प्रतिशत था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 97.5 प्रतिशत था (चार्ट 4)।

चार्ट 4: बैंक समूहवार पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात

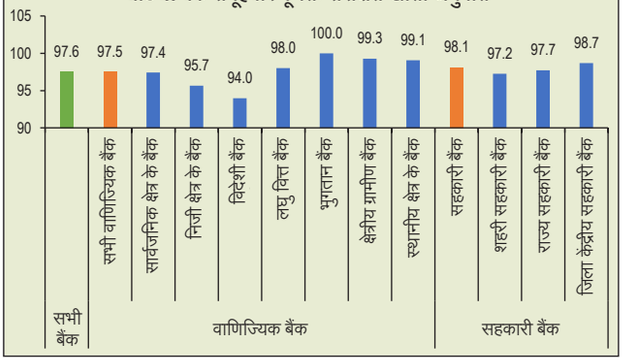

चार्ट 5: बैंक समूहवार बीमाकृत जमा अनुपात

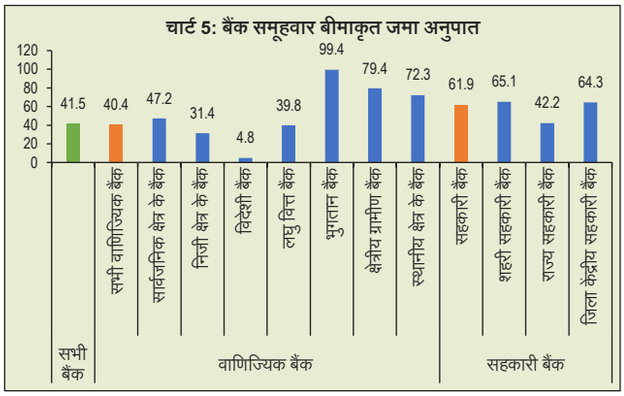

सहकारी बैंकों का बीमाकृत जमा अनुपात 61.9 प्रतिशत था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का बीमाकृत जमा अनुपात 40.4 प्रतिशत था (चार्ट 5)।

कुल बीमाकृत जमाराशियों में बैंक समूहवार हिस्सेदारी

बैंकिंग प्रणाली में कुल बीमाकृत जमाराशियों के बैंक-समूहवार वितरण की जांच से पता चला कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 92.3 प्रतिशत है । पिछले दो वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी मुख्यतः निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण धीरे-धीरे बढ़ रही है (तालिका 3)।

तालिका 3: सिस्टम-वार बीमाकृत जमाराशियों में हिस्सेदारी (प्रतिशत) (मार्च के अंत तक)

	2023	2024	2025
1. वाणिज्यिक बैंक	**91.8**	**92.1**	**92.3**
1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	60.5	60.0	59.5
1.2 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	24.6	25.1	25.7
1.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	5.2	5.3	5.2
1.4 लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	0.8	1.0	1.1
1.5 विदेशी बैंक	0.6	0.5	0.5
1.6 भुगतान बैंक	0.1	0.2	0.3
1.7 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी)	0.01	0.01	0.01
2. सहकारी बैंक	**8.2**	**7.9**	**7.7**
2.1 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	4.2	4.0	3.8
2.2 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	3.3	3.3	0.7
2.3 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	0.7	0.7	3.3
सभी बैंक (1+2)	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: बैंकों के जमा बीमा (डीआई) रिटर्न और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन

4 *पूर्वोक्त*, पृ. 18.

5. निधियों के स्रोत और उपयोग

निगम के पास निक्षेप बीमा निधि के अंतर्गत राजस्व के तीन प्राथमिक स्रोत हैं, अर्थात् बैंकों से प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से आय तथा निपटाए गए जमा बीमा दावों/भुगतान किए गए गारंटी दावों के संबंध में वसूली। वर्ष 2024-25 के दौरान इन तीनों स्रोतों से राजस्व 13.3 प्रतिशत बढ़कर ₹43,892 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38,727 करोड़) हो गया। पिछले तीन वर्षों में निवेश आय की तुलना में डीआई प्रीमियम में वृद्धि कम होने के कारण, कुल राजस्व में इसकी हिस्सेदारी 2024-25 में घटकर 61 प्रतिशत रह गई (चार्ट 6)।

चार्ट 6: निधियों के स्रोत

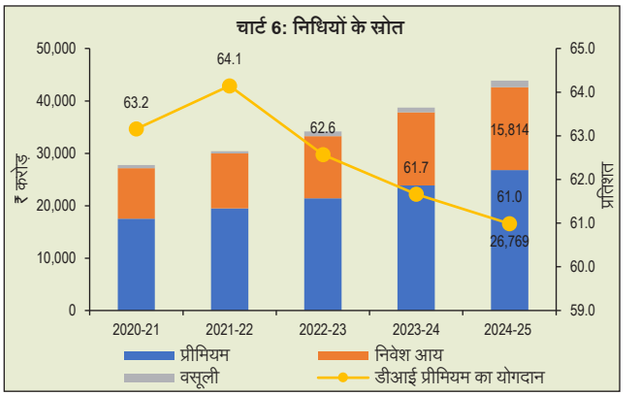

प्रीमियम राजस्व

वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम 12.1 प्रतिशत बढ़कर ₹26,769 करोड़ हो गया। वाणिज्यिक बैंकों ने प्रीमियम प्राप्ति में 94.7 प्रतिशत और सहकारी बैंकों ने शेष 5.3 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 7)। प्रीमियम प्राप्ति में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो उनकी निर्धारणीय जमाराशियों में उच्च वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 7: प्रीमियम आय

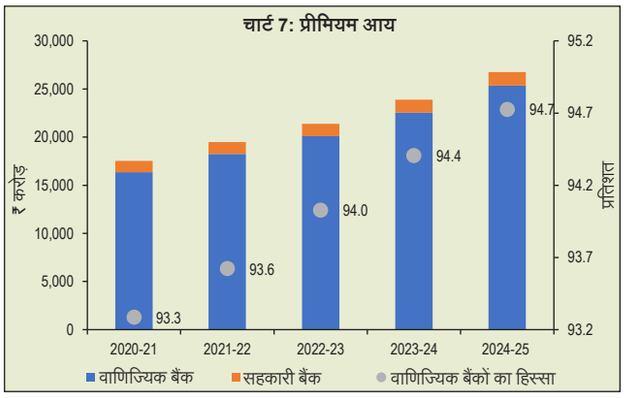

निवेश से आय

निगम प्रीमियम और ब्याज आय को भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जीसेक) में निवेश करता है और रेपो/ट्रेप बाजार में उधार देता है। परिणामस्वरूप, निवेश से आय मुख्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होती है: 'निवेश पर ब्याज' (अर्थात, जीसेक पोर्टफोलियो से कूपन भुगतान), 'रिवर्स रेपो ब्याज आय' (अर्थात, रेपो/ट्रेप बाज़ार में उधार से ब्याज प्राप्तियाँ), और 'प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर शुद्ध लाभ (हानि)। वर्ष के दौरान निवेश आय 13.3 प्रतिशत बढ़कर ₹15,922 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से डीआईएफ (99.3 प्रतिशत) में इन्फ्लो को दर्शाती है (चार्ट 8)।

चार्ट 8: निधि-वार निवेश आय

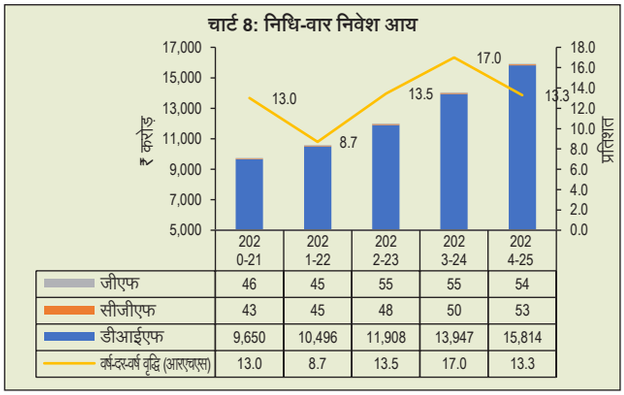

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
जीएफ	46	45	55	55	54
सीजीएफ	43	45	48	50	53
डीआईएफ	9,650	10,496	11,908	13,947	15,814
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (आरएचएस)	13.0	8.7	13.5	17.0	13.3

जमा बीमा निधि और आरक्षित निधि अनुपात

निगम का डीआई फंड 31 मार्च 2025 तक 15.2 प्रतिशत बढ़कर ₹2,28,933 करोड़ रुपये हो गया (31 मार्च 2024 तक ₹1,98,753 करोड़) (चार्ट 9)।

चार्ट 9: निक्षेप बीमा निधि

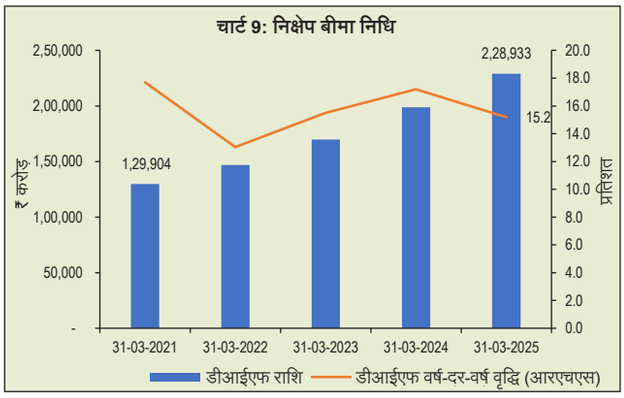

31 मार्च 2025 तक डीआईएफ से बीमाकृत जमा अनुपात (अर्थात आरक्षित निधि अनुपात) 2.29 प्रतिशत था (30 सितंबर 2024 को 2.21 प्रतिशत और 31 मार्च 2024 को 2.11 प्रतिशत)। फरवरी 2020 से कवरेज सीमा ₹100,000 से बढ़ाकर ₹500,000 करने के कारण मार्च 2020 में आई गिरावट के बाद, आरक्षित निधि अनुपात में सुधार हुआ है (चार्ट 10)। पिछले एक दशक में दुनिया भर में औसत निधि आकार कवर किए गए जमा का लगभग 2 प्रतिशत रहा है और मार्च 2024 के अंत तक 2.16 प्रतिशत दर्ज किया गया।[5]

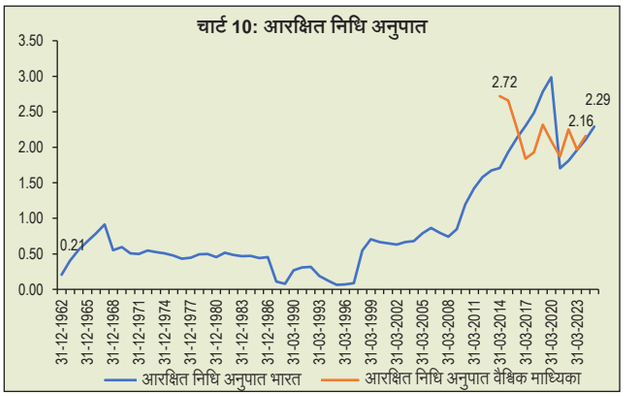

6. दावा भुगतान

वर्ष के दौरान, निगम ने बीमाकृत जमाकर्ताओं के ₹476 करोड़ के दावों का निपटान किया। पूरा दावा सहकारी बैंकों से था: ₹331 करोड़ एआईडी के तहत आने वाले बैंकों से संबंधित थे और ₹145 करोड़ परिसमाप्त और विलयित बैंकों के दावों से संबंधित थे (चार्ट 11)।

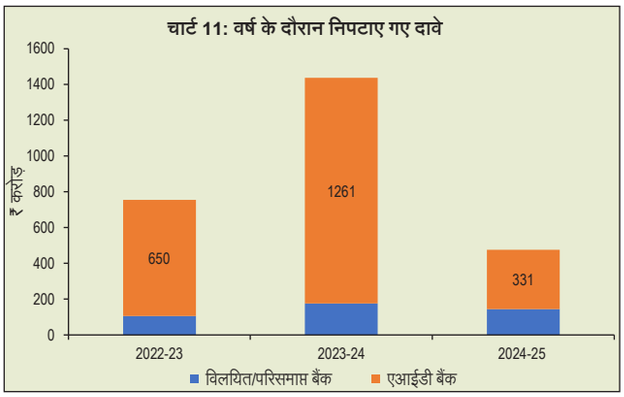

स्थापना के बाद से डीआईसीजीसी द्वारा निपटाए गए कुल दावे ₹16,940.7 करोड़ थे। मार्च के अंत तक, डीआईएफ की तुलना में स्थापना के बाद से निपटाए गए कुल संचयी दावों का अनुपात पिछले 3 वर्षों में घटकर मार्च 2025 के अंत तक 7.4 प्रतिशत तक हो गया और यह फंड के आकार की तर्कसंगतता को दर्शाता है (चार्ट 12)।

चार्ट 12: स्थापना के बाद से निपटाए गए दावे

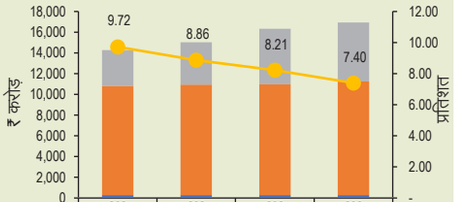

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
एआईडी बैंक	3,457	4,103	5,359	5,690
विलयित/परिसमाप्त - सहकारी बैंक	10,524	10,632	10,670	10,955
विलयित/परिसमाप्त - वाणिज्यिक बैंक	296	296	296	296
स्थापना के बाद से अब तक के दावे और डीआईएफ अनुपात (आरएचएस)	9.72	8.86	8.21	7.40

दावा भुगतान के लिए दिनों की औसत संख्या

जहां तक डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत दावों के निपटान का संबंध है, निगम ने परिसमापक से दावे की प्राप्ति की तारीख से मंजूरी के लिए 2024-25 में औसतन 7 दिन (पिछले वर्ष 14 दिन) का समय लिया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक एआईडी के अंतर्गत बैंकों का संबंध है, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से निक्षेप बीमा दावों के निपटान के लिए 90 दिनों की वैधानिक समय-सीमा का पालन किया है। आमतौर पर तेजी से अदायगी में बाधा डालने वाले कारकों में डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, बीमित जमाकर्ताओं की पहचान, जमाकर्ताओं के पास वैकल्पिक बैंक खाता न होना और कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा परिसमापकों की नियुक्ति में देरी शामिल हैं।

सिंगल कस्टमर व्यू एप्लीकेशन - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग

प्रौद्योगिकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की अपनी कार्यनीति के एक भाग के रूप में, डीआईसीजीसी ने दावा निपटान हेतु दावा डेटा की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लिकेशन विकसित किया है।

5 स्रोत: आईएडीआई 2024 वार्षिक सर्वेक्षण डेटा।

यह एप्लिकेशन बैंकों को जमाकर्ता स्तर तक खाता स्तर की जानकारी एकत्र करने और जमाकर्ता सूची तैयार करने में सक्षम बनाएगा। यह एप्लिकेशन 'समान अधिकार और समान क्षमता' वाले खातों को एकत्रित करेगा और यदि कोई ऋण राशि हो तो उसे समायोजित कर बीमाकृत राशि निर्धारित करेगा। एससीवी एप्लीकेशन से प्राप्त डेटा से जमाकर्ताओं को शीघ्र भुगतान संभव हो सकेगा। कार्यान्वयन के लिए यह एप्लिकेशन बैंकों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। देश भर के कई केंद्रों में एससीवी एप्लिकेशन पर परिचयात्मक सत्र आयोजित किए गए।

7. वसूली

जमाकर्ताओं को किए गए दावों के भुगतान की वसूली करने के लिए जमा बीमाकर्ताओं को कानून द्वारा आदेश दिया गया है। यह प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांत, 2014 का भी हिस्सा है। वसूली संबंधी मूल सिद्धांत 16 में कहा गया है कि 'जमा बीमाकर्ता को, विधि अनुसार, सांविधिक ऋणदाता पदानुक्रम के अनुसार अपने दावों की वसूली का अधिकार होना चाहिए।' इस मूल सिद्धांत के अंतर्गत दो आवश्यक मानदंड हैं कि 'वसूली प्रक्रिया में जमा बीमाकर्ता की भूमिका कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है और डीआई को प्रत्यायोजन द्वारा विफल बैंक के ऋणदाता के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है और 'डीआई का असफल बैंक की संपत्ति के कानूनी उपचार में जमाकर्ता के समान कम से कम समान ऋणदाता अधिकार या दर्जा है।

वर्ष के दौरान, निगम को परिसमाप्त/अंतरिती और एआईडी सहकारी बैंकों से ₹1,309.08 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹900.73 करोड़) का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ (चार्ट 13)। इसमें (i) परिसमाप्त सहकारी बैंकों/परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों से ₹1,069.73 करोड़, (ii) एआईडी बैंकों से ₹236.18 करोड़ और (iii) एक परिसमाप्त वाणिज्यिक बैंक से ₹3.17 करोड़ प्राप्त पुनर्भुगतान शामिल हैं।

चार्ट 13: वसूली

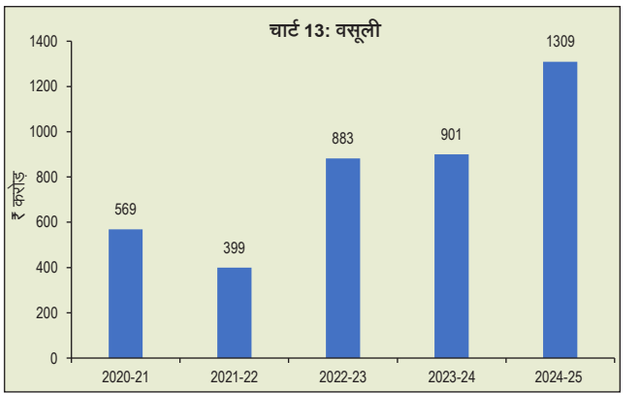

8. जन जागरूकता अभियान को मजबूत करना

निगम के जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य हितधारकों, विशेष रूप से जमाकर्ताओं के साथ निरंतर और वास्तविक समय में जुड़ाव स्थापित करना है। इस संबंध में सभी बीमाकृत बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 1 सितंबर 2023 से अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर डीआईसीजीसी वेबसाइट से जुड़े डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रदर्शित करें। इस पहल का उद्देश्य जमाकर्ताओं को यह पता लगाने में सक्षम बनाना है कि क्या उनकी जमा राशि डीआईसीजीसी द्वारा सुरक्षित है या नहीं और जमा बीमा से संबंधित गतिविधियों की अन्य वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना भी है। आज की स्थिति के अनुसार, 1,119 बैंक जिनकी अपनी वेबसाइट है, में से 1008 बैंकों ने डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड प्रदर्शित किया है। इसके परिणामस्वरूप डीआईसीजीसी वेब पेज पर नए आगंतुकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव सहित रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों में द्विभाषी जन जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की गई।

नई वेबसाइट और मैस्कॉट

नई आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन 05 नवंबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर और डीआईसीजीसी के अध्यक्ष डॉ. माइकल डी. पात्र द्वारा किया गया। यह उपलब्धि जनता तक संचार और पहुंच को बेहतर बनाने के निगम के प्रयासों में एक उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। वेबसाइट को जीवंत डिजाइन और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है। वेबसाइट सरल नेविगेशन, एआई आधारित वर्चुअल सहायक द्वारा संचालित बेहतर सर्च और डीआईसीजीसी तथा इसकी गतिविधियों पर सूचनात्मक वीडियो के साथ एक सहज इंटरफ़ेस प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंकड़े अमेरिकी डॉलर में भी उपलब्ध हैं। यह साइट मोबाइल अनुकूल है और इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक्सेस योग्यता

सुविधाएं शामिल हैं। बीमित बैंकों की वेबसाइट पर डीआईसीजीसी के क्यूआर कोड और लोगो के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर आवागमन कई गुना बढ़ गया है। वेबसाइट लॉन्च के साथ ही, डीआईसीजीसी ने अपने नए मैस्कॉट, डीआईए, बुद्धिमान उल्लू का अनावरण किया। डीआईए में 'डीआई' का अर्थ डीआईसीजीसी है, जबकि 'ए' का अर्थ असिस्टेंट है, जो अपने हितधारकों का मार्गदर्शन करने की डीआईए की प्राथमिक भूमिका को उजागर करता है।

दावा स्थिति ट्रैकर

जमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार हेतु डीआईसीजीसी की निरंतर प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, एक उपयोगकर्ता-अनुकूल दावा स्थिति ट्रैकर (दावा सूचक) लॉन्च किया गया है। 01 अप्रैल 2024 के बाद 'सर्व समावेशी निदेशों' (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों और परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ता अब डीआईसीजीसी वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर (अपने बैंक में पंजीकृत) दर्ज करके अपने दावों की स्थिति पता लगा सकते हैं।

न्यूज़लेटर- सुरक्षा कवच

डीआईसीजीसी न्यूज़लेटर- सेफ्टी नेट के दो अंक, जिनमें निगम की गतिविधियों का अवलोकन, आईएडीआई शोध पत्रों से प्राप्त इनपुट आदि शामिल हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पाठकों दोनों के लिए जारी किए गए।

सोशल मीडिया उपस्थिति

डीआईसीजीसी ने 'dicgc.india' यूज़रनेम के अंतर्गत एक इंस्टाग्राम अकाउंट और @dicgcindia हैंडल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी डिजिटल उपस्थिति का विस्तार किया है। इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और यूट्यूब चैनल पर द्विभाषी जन जागरूकता वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।

9. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

किसी भी अन्य संगठन की तरह, जमा बीमाकर्ता को भी अपने अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के दौरान विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर, एक जमा बीमाकर्ता को बाजार जोखिम (ब्याज दर जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम और विदेशी मुद्रा/मुद्रा जोखिम), चलनिधि जोखिम (आस्ति-देयता प्रबंधन जोखिम और वित्तपोषण जोखिम), परिचालन जोखिम (आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम, कानूनी जोखिम आदि सहित) और प्रतिष्ठा जोखिम जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जमा बीमाकर्ताओं को आमतौर पर ऋण जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे ज्यादातर सॉवरेन बॉण्ड में निवेश करते हैं। बैंक विफलता का जोखिम जमा बीमाकर्ताओं द्वारा सामना किया जाने वाला एक बाहरी जोखिम है।

जोखिम निगरानी ढाँचा

अमेरिका और यूरोप में 2023 की बैंकिंग विफलताओं ने जमा बीमाकर्ताओं में जोखिम निगरानी संरचना की पुनः जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया (बॉक्स 2.2)।

बॉक्स 2.2: जोखिम निगरानी ढांचा

वैश्विक बैंकिंग उथल-पुथल

मार्च 2023 में, सिलिकॉन वैली बैंक एक ही दिन में 42 बिलियन डॉलर के जमा बहिर्वाह के बाद ध्वस्त हो गया, जो मुख्य रूप से इसके तकनीक-केंद्रित जमाकर्ता आधार और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों पर महत्वपूर्ण अवास्तविक घाटे के कारण हुआ। इसके तुरंत बाद, सिग्नेचर बैंक भी इसी तरह के दबाव में विफल हो गया। इसके जवाब में, फेडेरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) ने जनता का विश्वास बनाए रखने और संक्रमण को रोकने के लिए सभी जमाराशियों की गारंटी दी, जिनमें $250,000 की मानक बीमा सीमा से अधिक की जमाराशि भी शामिल थीं। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के सभी जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एफडीआईसी की त्वरित कार्रवाई ने प्रणालीगत जोखिमों से निपटने के लिए जमा बीमा प्रणालियों में लचीलेपन के महत्व को उजागर किया।

विश्वास के संकट का सामना कर रहे क्रेडिट सुइस को व्यापक वित्तीय संकट से बचने के लिए सरकारी मध्यस्थता वाले सौदे में यूबीएस द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। स्विस प्राधिकारियों ने पूर्ण रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया शुरू किए बिना ही इस विलय को सुगम बना दिया, जिससे मौजूदा रेज़ोल्यूशन ढाँचों की प्रभावशीलता और तैयारी के बारे में चर्चा हुई। यूरोप में, भविष्य में बैंक विफलताओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जमा बीमा सीमा बढ़ाने और रेज़ोल्यूशन योजना को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

वैश्विक बैंकिंग उथल-पुथल इस बात पर प्रकाश डालती है कि विश्व के एक हिस्से में अचानक आने वाले वित्तीय झटके कैसे पूरे बाज़ार में हलचल मचा सकते हैं। ये घटनाएँ समय रहते पता लगाने और तैयारी करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। दुनिया भर के डीआई के लिए, ये घटनाएँ अपनी आंतरिक निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए एक समयोचित अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं।

डीआईसीजीसी का जोखिम निगरानी ढांचा

किसी भी अन्य जमा बीमाकर्ता की तरह, डीआईसीजीसी भी बाह्य और अंतर्जात दोनों प्रकार के जोखिमों के संपर्क में है। इन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए, डीआईसीजीसी को रिज़र्व बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईडब्ल्यूआरएम) ढांचे द्वारा निर्देशित किया जाता है। डीआईसीजीसी, रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। ईडब्ल्यूआरएम फ्रेमवर्क का उद्देश्य निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए, स्पष्ट जोखिम सहनशीलता सीमाओं के भीतर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करना है। अपने जोखिम प्रबंधन कार्य को सुदृढ़ करने के लिए, डीआईसीजीसी ने 2023-24 में अपना स्वयं का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अपनाया। इस ढांचे के तहत, जोखिम शासन संरचना में डीआईसीजीसी का निदेशक मंडल, 2023-24 में स्थापित बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), कार्यकारी स्तर की निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी) और जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरआईएमसी) शामिल हैं।

आईआरएमसी की स्थापना निदेशक मंडल के निर्देशानुसार 21 मार्च 2003 को की गई थी, जिसका एक अधिदेश सामान्यतः जोखिम प्रबंधन कार्यों की देखरेख करना और निगम के बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन करना है। समिति के कार्यों में निगम के सामने आने वाले जोखिमों की समय-समय पर निगरानी करना; प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए विभागों को निदेश जारी करना; डीआईसीजीसी के पोर्टफोलियो के लिए चलनिधि पर्याप्तता अनुपात (पूर्व में एलसीआर) की सीमा निर्धारित करना और उसकी समीक्षा करना; दबाव परीक्षण के मानदंड और आवृत्ति निर्धारित करना; और बैक टेस्टिंग और दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करना शामिल है।

जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की स्थापना 2023-24 में आरएमसीबी को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के अधिदेश के साथ की गई थी। इस कक्ष का कार्य निगरानी, मापन, शमन और ईडब्ल्यूआरएम के अंतर्गत आरबीआई के जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) और आरएमसीबी को रिपोर्ट करना है।

डीआईसीजीसी के जोखिम निगरानी ढाँचे में मानक बचाव पंक्तियां शामिल हैं। फ्रंटलाइन या व्यावसायिक क्षेत्र (बीए), जो अपने कार्यात्मक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है, पहली बचाव पंक्ति है। अनुपालन दूसरी बचाव पंक्ति और आंतरिक लेखा परीक्षा तीसरी बचाव पंक्ति है।

परिचालनगत जोखिम रिज़र्व

परिचालन जोखिम से तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों, प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के जोखिम से है। किसी संगठन का परिचालन जोखिम उसके परिचालन और व्यक्तियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर उसके भरोसे पर निर्भर करता है। किसी भी अन्य संगठन की तरह, डीआई भी परिचालन जोखिम से ग्रस्त है। प्रमुख क्षेत्राधिकारों में जमा बीमाकर्ताओं के परिचालन जोखिम ढाँचों के एक अध्ययन से पता चला है कि परिचालन जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए उपाय तो किए गए हैं, लेकिन कोई विशिष्ट परिचालन जोखिम रिज़र्व नहीं रखा गया है (बॉक्स 2.3)।

बॉक्स 2.3: जमा बीमा के लिए परिचालन जोखिम रिज़र्व

परिचालन जोखिम के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं: (क) आंतरिक प्रक्रियाएँ: कार्यप्रवाह में अक्षमताएँ, जैसे दावा प्रसंस्करण, निधि संवितरण, या जोखिम निर्धारण । नियंत्रण संरचनाओं या नीतियों और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन में कमियाँ; (ख) मानवीय त्रुटियाँ: अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण डेटा प्रविष्टि, रिपोर्टिंग, या निर्णय लेने में गलतियाँ, कौशल की कमी, गलत निर्णय, अनधिकृत कार्य, या धोखाधड़ीपूर्ण आचरण; (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम: सिस्टम में रुकावटें, साइबर हमले, या आईटी अवसंरचना में कमज़ोरियाँ, अपर्याप्त डेटा सुरक्षा उपाय जिसके कारण संवेदनशील जानकारी का उल्लंघन या हानि होती है, जमा गारंटी गणना या निधि प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली स्वचालित प्रणालियों में खराबी; और (घ) बाह्य व्यवधान: प्राकृतिक आपदाएं, महामारी या भू-राजनीतिक घटनाएं जो परिचालन को प्रभावित करती हैं, तीसरे पक्ष की विफलताएं, जैसे विक्रेता व्यवधान या सेवा प्रदाता समस्याएँ, कानूनी परिवर्तन जिनके लिए प्रणालियों या प्रक्रियाओं में तेजी से समायोजन की आवश्यकता होती है।

(जारी...)

रिज़र्व की आवश्यकता

- **परिचालन लचीलापन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना:** परिचालन जोखिम अप्रत्याशित होते हैं और इनसे भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। समर्पित रिज़र्व, संगठन के मुख्य कार्यों को बाधित किए बिना इन झटकों को झेलने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिससे परिचालन लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **सामान्य जन के विश्वास की रक्षा:**: भुगतान में देरी करने वाली परिचालन विफलताएँ जमा बीमा प्रणाली में सामान्य जन के विश्वास को कमज़ोर कर सकती हैं। समर्पित आरक्षित निधियाँ जमाकर्ता संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है, तथा वित्तीय सुरक्षा कवच में विश्वास को मजबूत करती है।
- **विनियामक और जोखिम प्रबंधन मानकों के साथ संरेखण:** बेसल III दिशानिर्देश जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढाँचे, परिचालन जोखिमों को कवर करने के लिए बफर्स की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। समर्पित रिज़र्व, जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ डीआई को संरेखित करते हैं।
- **कारोबार निरंतरता योजना का समर्थन:** समर्पित रिज़र्व, जमा बीमाकर्ताओं को सुदृढ़ कारोबार निरंतरता और आपदा बहाली योजनाओं को लागू करने में सक्षम बना सकते हैं।

परिचालन जोखिम रिज़र्व का परिमाण निर्धारण

बैंकों के लिए परिचालन जोखिम रिज़र्व (ओआरआर) आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध एक पद्धति, जिस पर आगे चलकर डीआई के लिए विचार किया जा सकता है, बेसल III मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) है। एसए कार्यप्रणाली निम्नलिखित घटकों पर आधारित है: (i) व्यवसाय संकेतक (बीआई) परिचालन जोखिम के लिए एक वित्तीय विवरण-आधारित प्रॉक्सी है, जिसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात् ब्याज, पट्टे और लाभांश घटक (आईएलडीसी), सेवा घटक (एससी), और वित्तीय घटक (एफसी);(ii) व्यवसाय संकेतक घटक (बीआईसी) बीआई को सीमांत गुणांकों से गुणा करके प्राप्त किया जाता है जो बीआई के आकार के साथ बढ़ता है, जिससे आय का एक प्रगतिशील माप बनता है; और (iii) आंतरिक हानि गुणक (आईएलएम) पिछले 10 वर्षों में बैंक की औसत ऐतिहासिक हानि और बीआईसी के आधार पर आधारभूत पूंजी आवश्यकता को समायोजित करता है। जब तक व्यापक, उच्च-गुणवत्ता वाले परिचालन जोखिम हानि डेटा एकत्र नहीं किए जाते, तब तक ओआरआर का अनुमान व्यवसाय संकेतक घटक (बीआईसी) के आधार पर लगाया जाता है। एक बार जब पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले हानि डेटा उपलब्ध हो जाते हैं, तो रिज़र्व अनुमान में आंतरिक हानि गुणक (आईएलएम) मॉडल पर विचार किया जा सकता है। डीआई के लिए ओआर रिज़र्व का परिमाण निर्धारण अभी जमा बीमाकर्ता का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया है, परंतु भविष्य में यह विचारणीय क्षेत्र है।

संदर्भ:

1. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस). (2017). *संकटोत्तर सुधारों को अंतिम रूप देना* (https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf)
2. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) (2014)। *प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के मूल सिद्धांत* (https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf)
3. --- (2021), "डीआई का जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली", आईएडीआई का मार्गदर्शन पत्र, नवंबर 2020।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई). (2023). *परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश* (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12520&Mode=0)
5. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई). (2024). *मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली* (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/08MC01042024_A.pdf)

डीआईसीजीसी में परिचालन जोखिम निगरानी

वर्तमान में, डीआईसीजीसी अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के मार्गदर्शन में अपने परिचालन जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करता है। ईआरएम ढांचे के तहत, प्रत्येक परिचालन वर्टिकल के अंतर्गत परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जाती है (वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है) और परिचालन जोखिम स्कोर तक पहुंचने के लिए नियंत्रण प्रभावशीलता को मान्य किया जाता है। जोखिम डैशबोर्ड को सूचना और मार्गदर्शन के लिए बोर्ड की जोखिम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बाजार जोखिम के विपरीत, डीआईसीजीसी वर्तमान में परिचालन जोखिम रिज़र्व को विशेष रूप से निर्धारित नहीं करता है। मानकीकृत अवधि विधि रिज़र्व द्वारा गणना किए गए बाजार जोखिम को तुलन-पत्र में निवेश उच्चावचन रिज़र्व के रूप में दर्शाया जाता है।

10. व्यावसायिक प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग- कार्य प्रक्रिया का स्वचालन

निगम के सभी परिचालनों की प्रक्रिया स्वचालन का कार्य प्रगति पर है, जिसमें डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया अनुकूलन, व्यापार विश्लेषण और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ ही बाजार की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे प्रसंस्करण और विभिन्न मॉड्यूलों (बैंक पंजीकरण, प्रीमियम संग्रह, दावा निपटान, वसूली प्रबंधन, विधि और लेखा परीक्षा आदि) का निर्बाध एकीकरण कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। बैंक पंजीकरण और प्रीमियम संग्रह मॉड्यूल को लागू किया जा चुका है। भुगतान गेटवे के माध्यम से वास्तविक समय प्रीमियम संग्रह को सक्षम करने से डीआईसीजीसी में मिलान संबंधी मुद्दों का निवारण होने की आशा है। निगम अपनी गतिविधियों में डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी लाभ उठाएगा। एआईडी/परिसमाप्त बैंकों से भुगतानों को ट्रैक करने के लिए एक इन-हाउस रिकवरी डैशबोर्ड विकसित किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से बैंक सर्वर पर स्थित एक स्टैंडअलोन सिंगल कस्टमर व्यू एप्लिकेशन, दावा प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। बोर्ड बैठक प्रबंधन सोल्यूशन एप्लीकेशन को पेपरलेस बैठक के लिए सक्षम किया गया है।

11. आईएडीआई और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव

निगम 2005 से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) का सदस्य है। आईएडीआई की स्थापना 2002 में जमा बीमा से संबंधित प्रथाओं और तकनीकों पर सूचना और विभिन्न देशों के अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में हुई थी। यह जमा बीमा प्रणालियों के लिए एक वैश्विक मानक-निर्धारक रहा है। 2024 में, निगम ने आईएडीआई द्वारा आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य जमा बीमाकर्ताओं और आईएडीआई के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की और साथ ही आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2024 सहित विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया।

निगम ने 12-14 अगस्त 2024 को जयपुर, भारत में आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका विषय था "विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियाँ और संकट की तैयारी का महत्व" (बॉक्स 2.4)।

बॉक्स 2.4: जयपुर, भारत में आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 12-14 अगस्त, 2024
"विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियाँ और संकट की तैयारी का महत्व"

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), भारत ने 12-14 अगस्त 2024 को जयपुर, भारत में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) - एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। "विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियाँ और संकट की तैयारी का महत्व" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उभरते वित्तीय परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के संदर्भ में जमा बीमा और वित्तीय सुरक्षा कवच ढांचे के लिए चुनौतियों, निहितार्थों और दृष्टिकोण तथा संकट की तैयारी और प्रबंधन नीति के व्यापक महत्व पर विचार-विमर्श करना था।

इस सम्मेलन में आईएडीआई और एपीआरसी सचिवालय के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, जमा बीमा एजेंसियों/12 देशों के केंद्रीय बैंकों में जमा बीमा विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और पदाधिकारियों, भारत और विदेशी प्रख्यात वक्ताओं, पैनलिस्ट और पैनल मॉडरेटर, भारत के चुनिंदा प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ आमंत्रितगणों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और डीआईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर और डीआईसीजीसी के अध्यक्ष, डॉ. माइकल डी. पात्र ने 'जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान और संकटकालीन तैयारी की मजबूती" विषय पर अपना मुख्य भाषण दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे ने 'उभरते वित्तीय प्रौद्योगिकी

(जारी...)

परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता' विषय पर पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उप गवर्नर, श्री एम राजेश्वर राव ने 'जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल' विषय पर समापन भाषण दिया। आईएडीआई, कार्यकारी परिषद के सभापति और अध्यक्ष, श्री अलेजांद्रो लोपेज़, आईएडीआई एपीआरसी के अध्यक्ष और डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जापान के गवर्नर, श्री हिडनोरी मित्सुई और आईएडीआई की महासचिव, सुश्री ईवा हुपकेस ने 'डिजिटल परिवर्तन - टोकनयुक्त विश्व में जमा का भविष्य' विषय पर प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

सम्मेलन में चार पैनल चर्चाएं हुईं। 'डिजिटल करेंसी युग में जमा बीमा' पर पहले पैनल ने जमा बीमा और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में डिजिटल नवाचार, विशेष रूप से सीबीडीसी के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण किया। 'टोकनयुक्त जमाराशि' पर दूसरे पैनल ने इस बात की जांच की कि टोकनयुक्त जमाराशियों की अनूठी विशेषताओं के लिए मौजूदा जमा बीमा ढांचों में अनुकूलन की आवश्यकता कैसे हो सकती है। 'जमा बीमाकर्ता और जलवायु परिवर्तन-संबंधित वित्तीय जोखिम' पर तीसरे पैनल ने वित्तीय स्थिरता और जमा बीमा पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रभाव को समझने के लिए जारी प्रयासों पर विचार-विमर्श किया। 'जमा बीमा के लिए संकटकालीन तैयारी और प्रबंधन नीतियों में सुधार: जमा बीमाकर्ताओं से केस स्टडीज़' पर पैनल 4 ने जमा बीमाकर्ताओं और आरबीआई के केस स्टडीज़ प्रस्तुत कीं। दो प्रख्यात वक्ताओं ने 'फिनटेक में भविष्य के विकास और जमा बीमा पर इसका प्रभाव' और 'भविष्य की वित्तीय प्रणाली के रूप में 'फिनटरनेट' - कई परस्पर जुड़े वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक व्यवस्था' विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के दौरान कार्यनीतिक प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं संबंधी एपीआरसी संयुक्त टास्कफोर्स (जेटीएफ) की 21वीं बैठक भी आयोजित की गई।

12. निष्कर्ष और आगे की राह

डीआईसीजीसी ने वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा योजना का प्रभावी ढंग से संचालन किया। मार्च 2025 के अंत तक, मौजूदा कवरेज सीमा के अंतर्गत बीमाकृत जमा अनुपात और पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात मामूली रूप से घटकर क्रमशः 41.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष 43.1 प्रतिशत) और 97.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 97.8 प्रतिशत) रह गया। बीमाकृत जमा के अनुपात के रूप में निक्षेप बीमा निधि का आकार (अर्थात आरक्षित निधि अनुपात) बढ़कर 2.29 प्रतिशत (2.11 प्रतिशत) हो गया। ये अनुपात दिसंबर 2024 के अंत तक क्रमशः 48 प्रतिशत, 98 प्रतिशत और 2.38 प्रतिशत के वैश्विक माध्य से कम थे। हालाँकि, ये एशिया प्रशांत औसत अनुपात से ऊपर हैं। कवरेज में देखी गई गिरावट एशियाई और लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई गिरावट के अनुरूप है। हालाँकि, यह उच्च मध्यम-आय वाले क्षेत्राधिकारों के बराबर और निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं से ऊपर है।

भविष्य में, उभरते वित्तीय परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, डीआईसीजीसी विभिन्न पहलों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। डीआईसीजीसी दावा निपटान (सिंगल कस्टमर व्यू

एप्लिकेशन का उपयोग), रियल टाइम प्रीमियम संग्रहण और बिज़नेस एनालिटिक्स के माध्यम से जमा डेटा निगरानी जैसे क्षेत्रों में परिचालन दक्षता में सुधार हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का निरंतर पता लगा रहा है। इसके अतिरिक्त, निगम लक्षित संचार अभियानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति बनाए रखने, सूचनात्मक वीडियो के प्रदर्शन और ग्राहक-अनुकूल वेबसाइट के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ा रहा है। डीआईसीजीसी घरेलू स्तर पर सभी हितधारकों के साथ जुड़ा रहेगा और समझौता ज्ञापनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से आपसी हितों के महत्वपूर्ण विषयों/ गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमा बीमाकर्ताओं के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में नवाचार को अपनाकर, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करके, जन जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करके और वैश्विक रुझानों के अनुरूप रहकर, डीआईसीजीसी जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने और भारत की बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

3. जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां

परिचय

जमा बीमा वित्तीय स्थिरता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करता है तथा बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है, जिससे जमा बीमा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, दुनिया भर में जमा बीमा प्रणालियां जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुकूलित हो रही हैं। यह अध्याय वैश्विक जमा बीमा में नवीनतम रुझानों और उभरती चुनौतियों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, तथा जमा बीमाकर्ताओं के विकसित हो रहे अधिदेशों, प्रौद्योगिक उन्नति और कार्यनीतिक विकल्पों पर प्रकाश डालता है।[1]

अधिदेश

पिछले एक दशक में, जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो पारंपरिक "पेबॉक्स" अधिदेशों[2], जो कि पूरी तरह से बैंक विफलताओं के मामले में जमाराशि की प्रतिपूर्ति पर केंद्रित था, से आगे बढ़कर बैंक *रेज़ोल्यूशन* और वित्तीय स्थिरता उपायों को शामिल करने वाली अतिरिक्त भूमिकाओं की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले दशक में जमा बीमाकर्ताओं का अधिदेश लगातार विकसित हो रहा है तथा जमा बीमाकर्ताओं की *रेज़ोल्यूशन* कार्यों में भागीदारी बढ़ रही है। प्रतिपूर्ति से परे *रेज़ोल्यूशन* में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले जमा बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 2014 के 75 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 89 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण पेबॉक्स प्लस अधिदेश में 36 प्रतिशत से 51 प्रतिशत और रिस्क मिनिमाइज़र में 14 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की वृद्धि है। पेबॉक्स अधिदेश वाले जमा बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत हो गई है, जो अपने निम्नतम स्तर पर है (आईएडीआई, 2025)।

विभिन्न क्षेत्रों और आर्थिक विकास की स्थिति के अनुसार, जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेशों में काफी भिन्नता पाई जाती हैं। एशिया और अफ्रीका में शुद्ध पेबॉक्स अधिदेश वाले जमा बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी क्रमशः 24 प्रतिशत और 33 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका और यूरोप में यह क्रमशः 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत है। आंकड़े दर्शाते हैं कि जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश सामान्यतः उनके क्षेत्राधिकार में आर्थिक विकास की स्थिति से संबंधित हैं; उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने जमा बीमाकर्ताओं को व्यापक अधिदेश प्रदान किया है।[3] उच्च आय वाले क्षेत्राधिकारों (45 प्रतिशत) में लॉस और रिस्क न्यूनीकरण अधिदेश वाले जमा बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी निम्न मध्यम आय वाले क्षेत्राधिकारों (22 प्रतिशत) की हिस्सेदारी से दोगुनी से भी अधिक है। डीआईसीजीसी के पास पेबॉक्स प्लस अधिदेश है।

जमा बीमा का कवरेज

जमा बीमा कवरेज की पर्याप्तता, स्तर और कार्य क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से, जमाकर्ता के विश्वास की रक्षा करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि अत्यधिक कवरेज से नैतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है, अपर्याप्त संरक्षण से जमाकर्ता में घबराहट पैदा हो सकती है, विशेष रूप से तनाव की अवधि में।

वैश्विक स्तर पर, बाय-अकाउंट या बाय-डिपॉज़िटर आधार पर कवरेज अनुपात पिछले दशक में लगभग 98 प्रतिशत के साथ लगातार बहुत अधिक रहा है। दूसरी ओर, मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के

1 यह विहंगावलोकन आईएडीआई के वार्षिक सर्वेक्षण, 2024 के आंकड़ों और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) की रिपोर्ट "2025 में जमा बीमा: वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे" से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर तैयार किया गया है।"

2 जमा बीमाकर्ता का "अधिदेश" उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करने वाले आधिकारिक अनुदेशों के समूह को संदर्भित करता है। इन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स" अधिदेश, जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमाकृत जमा की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है; (ii) "पे बॉक्स प्लस" अधिदेश, जहाँ जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इसमें वह मामला शामिल है जहाँ जमा बीमाकर्ता (एकमात्र) *रेज़ोल्यूशन* प्राधिकरण नहीं है, परंतु जब वह *रेज़ोल्यूशन* निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है, *रेज़ोल्यूशन* प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है, या *रेज़ोल्यूशन* उपायों के समर्थन के लिए अपनी निधियों के उपयोग को प्राधिकृत करता है; (iii) "लॉस मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहां बीमाकर्ता बीमित जमाकर्ताओं के लाभ के लिए और लागत या हानि को न्यूनतम करने वाले तरीके से *रेज़ोल्यूशन* कार्यनीतियों की एक श्रृंखला के चयन और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है; और (iv) " रिस्क मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहाँ बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम आकलन/प्रबंधन, शीघ्र हस्तक्षेप और *रेज़ोल्यूशन* शक्तियों का एक पूर्ण समूह, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी संबंधी ज़िम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। स्रोत: प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई मूल सिद्धांत, 2014 ।

3 विश्व बैंक के अनुसार आय के आधार पर देशीय वर्गीकरण।

बाद हाल के वर्षों में स्थिरता आई है, जो 2024 में लगभग 48 प्रतिशत है, जो संभवतः नाममात्र कवरेज स्तरों में परिवर्तन (2014 में 52 प्रतिशत) के बजाय जमाकर्ता के व्यवहार से प्रभावित है। आय श्रेणी के अनुसार उच्च आय वाले क्षेत्राधिकार 56 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक कवरेज प्रदान करते हैं, इसके बाद उच्च मध्यम आय वाले क्षेत्राधिकार 42.3 प्रतिशत और निम्न मध्यम आय वाले क्षेत्राधिकार 30.4 प्रतिशत पर हैं। हाल ही में प्रवृत्ति प्रत्यावर्तन सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है। जबकि एशिया और लैटिन अमेरिका में मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात में गिरावट जारी है (क्रमशः 43 प्रतिशत और 41 प्रतिशत), उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थिर या मामूली रूप से वृद्धि अनुपात (क्रमशः 56 प्रतिशत और 59 प्रतिशत) देखा गया है।

जमा बीमा कवरेज स्तर का आकलन आमतौर पर तीन मुख्य संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है, अर्थात्: (i) बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर) - कुल जमा में बीमाकृत जमा का अनुपात; (ii) पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) - कवरेज सीमा के तहत पूर्णतः संरक्षित जमाकर्ता खातों का अनुपात; और (iii) आरक्षित निधि अनुपात (आरआर) - बीमित जमा के लिए निक्षेप बीमा निधि का अनुपात । इन संकेतकों के संबंध में तुलनात्मक स्थिति का सार तालिका 1 में प्रस्तुत है।

भारत के लिए आईडीआर 41.5 प्रतिशत है, जो वैश्विक माध्यिका के नज़दीक है और अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और कैरिबियाई क्षेत्रों के माध्यिका से अधिक है (तालिका 2)। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय एपीआरसी सदस्यों की तुलना में भारत में कुल जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा डीआईसीजीसी योजना के अंतर्गत आता है।

पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) के संदर्भ में, भारत वैश्विक समकक्षों के बराबर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के जमा बीमाकर्ताओं से अपेक्षाकृत बेहतर है। भारत का 97.5 प्रतिशत का एफपीएआर वैश्विक औसत 97.9 प्रतिशत के

तालिका 1: जमा बीमा कवरेज के तुलनात्मक संकेतक (दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार)

संकेतक	भारत (मार्च 2025)	एशिया-प्रशांत क्षेत्र (माध्यिका)	वैश्विक (माध्यिका)
बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर)	41.5%	28.8%	43.1%
पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर)	97.6%	95.3%	97.9%
आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)	2.29%	1.64%	2.38%

स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2024 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन ।

तालिका 2: आईएडीआई क्षेत्रवार बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर)

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम आईडीआर	आईडीआर माध्यिका	आईडीआर की अधिकतम सीमा
अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एआरसी)	6.4	8.9	100.0
एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी)	7.5	28.8	68.2
कैरिबियन क्षेत्रीय समिति (सीआरसी)	14.0	30.1	31.3
यूरेशिया क्षेत्रीय समिति (ईएआरसी)	16.3	53.1	100.0
यूरोप क्षेत्रीय समिति (ईआरसी)	0.5	58.9	100.0
लैटिन अमेरिका क्षेत्रीय समिति (एलएआरसी)	16.4	35.7	55.2
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एमईएनए)	10.8	20.4	100.0
उत्तरी अमेरिका की क्षेत्रीय समिति (आरसीएनए)	36.0	100.0	100.0
वैश्विक मूल्य	**0.5**	**43.1**	**100.0**
भारत		**41.5** (43.1)	

स्रोत: 2024 आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन ।

टिप्पणी:

1) आईएडीआई डेटा 31 दिसंबर 2023 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 (कोष्ठक में) तक के हैं ।

2) आईडीआर - बीमाकृत जमा अनुपात ।

तालिका 3: आईएडीआई क्षेत्रवार पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर)

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम एफपीडीआर	एफपीडीआर माध्यिका	एफपीडीआर की अधिकतम सीमा
अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एआरसी)	6.6	90.7	99.7
एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी)	88.7	95.3	99.9
कैरिबियन क्षेत्रीय समिति (सीआरसी)	23.2	87.0	96.8
यूरेशिया क्षेत्रीय समिति (ईएआरसी)	98.4	99.0	100.0
यूरोप क्षेत्रीय समिति (ईआरसी)	0.0	92.8	100.0
लैटिन अमेरिका क्षेत्रीय समिति (एलएआरसी)	70.0	98.5	99.9
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एमईएनए)	90.0	95.2	100.0
उत्तरी अमेरिका की क्षेत्रीय समिति (आरसीएनए)	95.9	100.0	100.0
वैश्विक मूल्य	**0.0**	**97.9**	**100.0**
भारत		**97.6** (97.8)	

स्रोत: 2024 आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) आईएडीआई डेटा 31 दिसंबर 2023 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 (कोष्ठक में) तक के हैं।

लगभग समान है, जो दर्शाता है कि अधिकांश जमा खाते पूरी तरह से ₹5 लाख की निर्धारित कवरेज सीमा के अंतर्गत आते हैं (तालिका 3)। सुरक्षा का यह स्तर आईएडीआई के मूल सिद्धांत 8 के अनुरूप है, जो सीमित परंतु विश्वसनीय कवरेज की अनुशंसा करता है जो कि अधिकांश जमाकर्ताओं की सुरक्षा करता है और शेष को बाजार अनुशासन पर छोड़ देता है।

निधियों के स्रोत

प्रीमियम

वैश्विक स्तर पर, जमा बीमाकर्ताओं का वित्तपोषण मुख्यतः प्रत्याशित (जमा बीमाकर्ताओं का 98 प्रतिशत) होता है। डीआईसीजीसी के पास एक प्रत्याशित निक्षेप बीमा निधि है जो मुख्यतः एक समान दर प्रीमियम प्रणाली द्वारा वित्तपोषित है।

सार्वजनिक बैकस्टॉप फंडिंग

जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के बैकअप फंडिंग स्रोत विविध हैं। आईएडीआई मूल सिद्धांत 9 सरकार, केंद्रीय बैंक, सदस्य बैंकों और/या बाजार से बैकस्टॉप चलनिधि सहायता का समर्थन करता है। आईएडीआई के 2024 के वार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2024 में जमा बीमाकर्ताओं की बैकअप फंडिंग व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, दोनों तरह के बैकअप फंडिंग विकल्प शामिल रहेंगे। लगभग 76 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता सदस्य संस्थानों से बैकअप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 75 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता सरकार या केंद्रीय बैंक से सार्वजनिक बैकअप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, 33 प्रतिशत की निजी बाजारों (जैसे, उधार के माध्यम से) तक पहुँच है, और 27 प्रतिशत की डेवल्पमेंट बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुँच है।

निधियों का उपयोग

निक्षेप बीमा निधि

बीमाकृत जमा के अनुपात के रूप में निक्षेप बीमा निधि का आकार, जिसे कुछ क्षेत्राधिकारों में आरक्षित निधि अनुपात (आरआर) भी कहा जाता है, जमा बीमाकर्ताओं की तुलना करने के लिए एक अन्य मानक है। वैश्विक स्तर पर, औसत निधि का आकार कवर की गई जमाराशि का लगभग 2 प्रतिशत बना हुआ है, जो 2024 आईएडीआई सर्वेक्षण डेटा के अनुसार 2.38 प्रतिशत है। हालाँकि, इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं: अफ्रीका (10 प्रतिशत से अधिक), एशियाई फंड (लगभग 2.5 प्रतिशत) और यूरोप (0.8 प्रतिशत)। वैश्विक औसत के रूप में, जमा बीमाकर्ता अपने लक्षित निधि स्तर के लगभग 80 प्रतिशत के बराबर निधियाँ रखते हैं।

मार्च 2025 के अंत तक भारत का आरक्षित निधि अनुपात 2.29 प्रतिशत है, जो एशिया-प्रशांत के औसत 1.64 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है, यद्यपि यह वैश्विक औसत 2.38 प्रतिशत से थोड़ा कम है (तालिका 4)।

तालिका 4: आईएडीआई क्षेत्रवार आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम आरआर	आरआर माध्यिका	अधिकतम आरआर
अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एआरसी)	0.34	18.50	100.00
एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी)	0.23	1.64	14.91
कैरिबियन क्षेत्रीय समिति (सीआरसी)	3.30	6.40	16.04
यूरेशिया क्षेत्रीय समिति (ईएआरसी)	2.80	4.86	8.30
यूरोप क्षेत्रीय समिति (ईआरसी)	0.00	1.00	8.08
लैटिन अमेरिका क्षेत्रीय समिति (एलएआरसी)	1.61	12.87	32.08
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रीय समिति (एमईएनए)	1.21	9.73	27.71
उत्तरी अमेरिका की क्षेत्रीय समिति (आरसीएनए)	0.86	1.26	75.00
वैश्विक मूल्य	**0.00**	**2.38**	**100.00**
भारत		**2.29** (2.11)	

स्रोत: 2024 आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) आईएडीआई डेटा 31 दिसंबर 2023 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 (कोष्ठक में) तक के हैं।

प्रतिपूर्ति

बैंक की विफलता के बाद जमाकर्ताओं को शीघ्र धनराशि की प्रतिपूर्ति करना बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिपूर्ति शुरू करने में लगने वाले समय को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रौद्योगिक उन्नति ने जमा बीमाकर्ताओं को अधिक तेजी से भुगतान शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिससे जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ा है और वित्तीय स्थिरता में योगदान मिला है।

प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांतों में निर्धारित 7 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के मानक को पूरा करने की निरंतर चुनौती के बावजूद, पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर प्रतिपूर्ति में जमा बीमाकर्ताओं की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की वैश्विक औसत अवधि 27 दिनों से घटाकर 12 दिन कर दी गई है तथा सात दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति शुरू करने वाले जमा बीमाकर्ताओं का अनुपात दोगुना से भी अधिक बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गया है (2013 में यह 30 प्रतिशत से कुछ अधिक था)। हालाँकि, यह दक्षता क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है, जहाँ 82 प्रतिशत अमेरिकी जमा बीमाकर्ता सात दिनों के भीतर भुगतान शुरू कर देते हैं, वहीं एशियाई जमा बीमाकर्ताओं में यह दर 46 प्रतिशत है।

जमा बीमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति की गति कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिनमें डेटा की गुणवत्ता/पहुँच, प्रतिपूर्ति कार्यों का नियमित परीक्षण, परिसमापकों की नियुक्ति और प्रौद्योगिक उन्नति का लाभ उठाना शामिल है। 32 वास्तविक मामलों (2016-2021) पर किए गए 2023 आईएडीआई अध्ययन से आशाजनक प्रतिपूर्ति समय-सीमाएँ सामने आईं: 41 प्रतिशत मामलों में, 75 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत जमाकर्ताओं को 7 कार्यदिवसों के भीतर प्रतिपूर्ति की गई, और 51 प्रतिशत मामलों में, 75 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत जमा राशि उसी समय-सीमा के भीतर उपलब्ध थी। भारत में प्रतिपूर्ति वैधानिक समय-सीमाओं द्वारा निर्देशित होती है। हालाँकि, सिंगल कस्टमर व्यू एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने की वर्तमान पहल से, यह आशा की जाती है कि दावा प्रसंस्करण समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आएगी।

चुनिंदा जमा बीमाकर्ताओं द्वारा वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व - तुलना

निगम ने कुछ प्रमुख जमा बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरणों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति, अनुमत उधार, प्रकटीकरण मानक आदि की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया। कुछ प्रमुख निष्कर्ष बॉक्स 3.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

बॉक्स 3.1: वित्तीय विवरणों का प्रतिनिधित्व

निगम ने चयनित जमा बीमाकर्ताओं (डीआई), अर्थात् कनाडा डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (सीडीआईसी), पेरबदानन इंश्योरेंस डिपॉज़िट मलेशिया (पीडीआईएम), नाइजीरिया डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एनडीआईसी) और संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन किया, ताकि उनके द्वारा अपनाए गए लेखांकन और प्रकटीकरण मानकों को समझा जा सके तथा यह भी समझा जा सके कि यह उनके वित्तीय विवरणों में किस प्रकार परिलक्षित होता है।

भारत, मलेशिया, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जमा बीमा प्रणाली सरकारी कानून द्वारा संचालित और प्रशासित है, जबकि कनाडा में यह सरकारी कानून द्वारा संचालित और निजी रूप से प्रशासित है। हालाँकि, ये एजेंसियाँ स्वतंत्र कानूनी संस्थाएँ हैं। जमा बीमाकर्ताओं का अधिदेश कनाडा में लॉस मिनिमाइज़र, भारत में पेबॉक्स प्लस, तथा मलेशिया, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिस्क मिनिमाइज़र है। भारत को छोड़कर, अन्य जमा बीमाकर्ताओं के पास *रेज़ोल्यूशन* प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त प्रमुख अधिकार है।

भारत एक समान दर वाला प्रीमियम लगाता है, जबकि अन्य देश जोखिम आधारित प्रीमियम लगाते हैं। प्रणालीगत जोखिम निर्धारण के परिणामस्वरूप डीआईएफ को होने वाले नुकसान की वसूली के लिए एफडीआईसी को किसी भी विशेष मूल्यांकन का विवेकाधिकार प्राप्त है। सभी पाँचों जमा बीमाकर्ताओं ने प्रत्याशित जमा बीमा निधि बनाने के लिए अग्रिम प्रीमियम लगाया। इसके अतिरिक्त, एफडीआईसी ने एक फेडरल रिज़र्व फंड और एनडीआईसी ने एक जनरल रिज़र्व फंड (वित्तीय क्षेत्र में प्रतिधारित आय) बनाए रखा। जहाँ सभी पाँचों जमा बीमाकर्ताओं के डीआईएफ में मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल थीं, वहीं अन्य आस्तियों में नकदी, कॉर्पोरेट ऋण और केंद्रीय बैंक में जमा राशि शामिल थीं। सभी जमा बीमाकर्ताओं के पास दावा भुगतान की वसूली का अधिकार था। सभी पाँचों जमा बीमाकर्ताओं के पास किसी न किसी रूप में बैकस्टॉप फंडिंग सुविधा हैं।

चयनित जमा बीमाकर्ताओं ने अपने वित्तीय विवरण संबंधित प्रचलित कानून के अनुसार तैयार किए। भारत और अमेरिका ने अपने देशीय आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) को अपनाया, जबकि अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस लेखांकन मानक) को अपनाया। भारत और कनाडा में लेखांकन अवधि अप्रैल से मार्च थी, जबकि अन्य में जनवरी से दिसंबर थी। सभी जमा बीमाकर्ताओं ने अपने वित्तीय विवरण अपनी देशी मुद्रा में तैयार किए। अंत में, कराधान के संबंध में, सीडीआईसी - प्रीमियम कर योग्य नहीं है। निगम व्यय के बाद ब्याज आय पर संघीय आयकर के अधीन है; डीआईसीजीसी - सभी कर लागू; पीडीआईएम - आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 127(3ए) के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है; एनडीआईसी - एनडीआईसी अधिनियम 2023 की धारा 86 के अनुसार निगम आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं है; और एफडीआईसी - मूल्यानुसार संपत्ति कर को छोड़कर, राज्य और स्थानीय करों से छूट प्राप्त।

निष्कर्ष

चयनित देशों का सर्वेक्षण ज्यादातर विश्व भर में देखे गए रुझानों को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर, जमा बीमा संस्थान (डीआई) विशिष्ट अधिनियमों के तहत कार्य करते हैं और बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन (जैसे उधार या आपातकालीन निधि) सुनिश्चित करने के लिए जमा बीमा के लिए अलग-अलग निधि या योजनाएं बनाए रखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के 2024 के सर्वेक्षण के अनुसार: (i) दुनिया भर में 98 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता एक प्रत्याशित निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) बनाए रखते हैं, अर्थात, डीआईएफ को सदस्य संस्थानों पर प्रीमियम लगाकर वित्त पोषित किया जाता है; (ii) लगभग 54 प्रतिशत जोखिम आधारित प्रीमियम लगाते हैं; (iii) लगभग 65 प्रतिशत जमा बीमाकर्ताओं के पास सार्वजनिक बैकअप फंडिंग स्रोतों, सरकार और/या केंद्रीय बैंक तक पहुंच है; (iv) कुछ जमा बीमाकर्ताओं को अपने दावों के भुगतान की वसूली का अधिकार है, जिसमें जमा बीमाकर्ताओं को प्रत्यायोजन द्वारा विफल बैंक के ऋणदाता के रूप में मान्यता दी जाती है। जमा बीमाकर्ता सुरक्षा और चलनिधि को ध्यान में रखते हुए, डीआई फंड को ज़्यादातर ट्रेजरी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। लेखांकन मानकों के संबंध में, जमा बीमाकर्ता या तो आईएफआरएस या घरेलू जीएएपी को अपनाते हैं। कराधान की दृष्टि से, भारत में डीआईसीजीसी के विपरीत, दुनिया भर में कुछ जमा बीमाकर्ताओं को कर छूट का लाभ मिलता है, जबकि अन्य पर केवल प्रीमियम को छोड़कर आय पर कर लगाया जाता है। निष्कर्षतः, अलग-अलग विनियामक परिवेशों और वित्तीय प्रणालियों के बावजूद, सभी जमा बीमाकर्ता, जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के समान लक्ष्य को साझा करते हैं।

जमा बीमा: उभरते रुझान

जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, जमा बीमाकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए सक्रिय और कार्यनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। आईएडीआई के उभरते रुझान सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, जमा बीमा को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझानों में प्रौद्योगिकी (44 प्रतिशत) और *रेज़ोल्यूशन* (28 प्रतिशत) प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में उभरे हैं (आईएडीआई, 2025)। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, नवाचार (जैसे, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और सोशल मीडिया से जमा बीमा (85 प्रतिशत) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। एआई को जन जागरूकता बढ़ाने,

जोखिम मूल्यांकन और *रेज़ोल्यूशन* दक्षता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि सोशल मीडिया को जमाकर्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली सूचना के स्रोत और सामान्य जन के विश्वास की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 75 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता महत्वपूर्ण *रेज़ोल्यूशन* प्रवृत्तियों की आशा करते हैं, जिसमें वित्तीय सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों के साथ बेहतर समन्वय, कम प्रतिपूर्ति अवधि, तथा गैर-भुगतान *रेज़ोल्यूशन* परिदृश्यों का विकास शामिल है।

जमाराशि डेटा निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी/एआई का उपयोग

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से आगे विकसित होती जा रही है, दुनिया भर के वित्तीय संस्थान और विनियामक अपने कार्यों में दक्षता और सटीकता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर रुख कर रहे हैं। जमा बीमाकर्ता (डीआई), जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा, जनता का विश्वास बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें भी इन उपकरणों से काफी लाभ होगा। जमा बीमाकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है - जमाराशि डेटा की बारीकी से निगरानी करना, जोखिम का आकलन करना और दावों का शीघ्र और निष्पक्ष निपटान सुनिश्चित करना।

किस प्रकार एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियां जमा बीमाकर्ताओं द्वारा जमाराशि डेटा की निगरानी के तरीके को बदल सकती हैं, तथा किस प्रकार कोई भी जमा बीमाकर्ता ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सकता है, इसका विवरण बॉक्स 3.2 में दिया गया है।

बॉक्स 3.2: जमाराशि डेटा निगरानी और जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी और एआई का लाभ उठाना

तीन प्रमुख प्रौद्योगिक उन्नति - *एआई-संचालित उपकरण, ब्लॉकचेन और क्लाउड-आधारित सोल्यूशन* - जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) द्वारा बैंक जमाराशि डेटा की निगरानी और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं।

एआई-संचालित समाधान

एआई में यह क्षमता है कि वह जमा बीमाकर्ताओं द्वारा जमाराशि डेटा निगरानी ढांचे के प्रबंधन के तरीके को बदल सकता है। एआई-संचालित उपकरणों का उपयोग करके, जमा बीमाकर्ता विभिन्न बैंकों से जमा जानकारी के संग्रह और सत्यापन को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे मैनुअल कार्य कम हो सकता है और त्रुटियाँ न्यूनतम हो सकती हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा में असामान्य पैटर्न का पता लगा सकते हैं जो किसी बैंक में धोखाधड़ी, गलत रिपोर्टिंग या वित्तीय संकट के शुरुआती संकेतों का इशारा दे सकते हैं। ये प्रणालियाँ पिछले वित्तीय रुझानों, आर्थिक स्थितियों और चलनिधि संकेतकों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकती हैं कि भविष्य में कौन सी संस्थाएं जोखिम में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, एआई का उपयोग गैर-अनुपालन के संकेतों के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने और जमा प्रवृत्तियों, जोखिम एक्सपोजर और बैंक स्थिति का वास्तविक रूप प्रदान करने वाले डैशबोर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है। ये डैशबोर्ड बैंकों के जोखिम स्कोर प्रदर्शित कर सकते हैं और कुछ असामान्य दिखने पर स्वचालित अलर्ट भेज सकते हैं - जिससे बैंक विनियामक/पर्यवेक्षक और जमा बीमाकर्ताओं को समस्या बढ़ने से पहले कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

ब्लॉकचेन जमाराशि डेटा निगरानी और दावा निपटान को बेहतर बनाने का एक सरल परंतु प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यह डेटा को एक सुरक्षित, अपरिवर्तनीय प्रारूप में संग्रहीत करता है, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गलत रिपोर्टिंग को रोकने में मदद मिलती है। चूँकि यह सिस्टम विकेंद्रीकृत है, इसलिए सभी प्राधिकृत पक्ष, जैसे बैंक, विनियामक/पर्यवेक्षक और जमा बीमाकर्ता, वास्तविक समय में समान डेटा तक पहुँच सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और विश्वास में सुधार होता है। इससे मैन्युअल जाँच और मिलान की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन संबंधी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जमा बीमा दावों के स्वचालित सत्यापन और निपटान के लिए पूर्व-संग्रहीत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, कागजी कार्रवाई कम हो सकती है, और यह सुनिश्चित हो सकता है कि जमाकर्ताओं को बिना किसी देरी के समय पर भुगतान प्राप्त हो।

क्लाउड-आधारित समाधान

क्लाउड-आधारित सिस्टम, कार्य-निष्पादन को धीमा किए बिना, विभिन्न बैंकों से बड़ी मात्रा में जमाराशि डेटा को प्रबंधित करने का एक लचीला और मापनीय तरीका प्रदान करते हैं। विभिन्न बैंकिंग प्लेटफार्मों से डेटा को एक केंद्रीकृत प्रणाली में लाने से रिपोर्टिंग तीव्र और अधिक सटीक हो जाती है, तथा बैंकों के बीच समन्वय बेहतर होता है। ये प्रणालियाँ एआई-एज़-ए-सर्विस (AIaaS) का भी समर्थन करती हैं, जो संस्थानों को क्लाउड के माध्यम से उन्नत एआई उपकरणों तक आसान पहुँच प्रदान करती है। इसका अर्थ यह है कि बैंक और बीमाकर्ता महंगे हार्डवेयर या आंतरिक एआई अवसंरचना में निवेश किए बिना, डेटा की निरंतर निगरानी कर सकते हैं और समस्याओं का शीघ्र पता लगा सकते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

आईएडीआई के सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, पिछले दशक में जमा बीमाकर्ताओं का अधिदेश विकसित हो रहा है और जमा बीमाकर्ता तेजी से *रेज़ोल्यूशन* में शामिल हो रहे हैं। मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद हाल के वर्षों में स्थिरता आई है, जो 2024 में लगभग 48 प्रतिशत है, जो कि संभवतः नाममात्र कवरेज स्तरों में परिवर्तन के बजाय जमाकर्ताओं के व्यवहार से प्रभावित है। डीआईसीजीसी जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने और भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य में, डीआईसीजीसी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर नज़र रखना, घरेलू जमाकर्ता संरक्षण मैट्रिक्स का आकलन करना तथा हितधारकों से परामर्श करना जारी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कवरेज स्तर और कार्य क्षेत्र उचित और विश्वसनीय बना रहे। डीआईसीजीसी वर्तमान समीक्षा के बाद आईएडीआई के मूल सिद्धांतों में परिकल्पित परिवर्तनों की सक्रिय निगरानी जारी रखेगा। डीआईसीजीसी नियमित रूप से भारत की जमा बीमा प्रणालियों का मूल्यांकन करेगा और आईएडीआई के मूल सिद्धांतों के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ेगा।

4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

31 मार्च 2025 तक निगम के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या (31 मार्च 2024 तक 1,997 बैंकों की तुलना में) 1,982 थी, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक [छह भुगतान बैंक (पीबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) सहित] और 1,843 सहकारी बैंक *(परिशिष्ट सारिणी 2ए)* शामिल थे। वर्ष के दौरान 17 बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया, जिनमें से 15 सहकारी बैंक थे और 2 (क्रेडिट सुइस एजी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक) वाणिज्यिक बैंक थे। *(परिशिष्ट सारिणी 3 बी)*। वर्ष के दौरान, 2 नए बैंकों, दमन और दीव राज्य सहकारी बैंक और यूबीएस एजी को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किया गया *(परिशिष्ट सारिणी 3ए)*।

I.1 निक्षेप बीमा योजना

वर्तमान में, जमा बीमा देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों को कवर करता है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ

मार्च 2025 के अंत तक पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 286.5 करोड़ थी (अर्थात ₹ 5 लाख तक जमा शेष राशि वाले खाते) और यह बैंकिंग प्रणाली में खातों की कुल संख्या (अर्थात 293.7 करोड़) का 97.6 प्रतिशत थी। बीमित जमाराशि ₹1,00,04,919 करोड़ थी जो कि ₹2,40,95,727 करोड़ की निर्धारणीय जमाराशियों का 41.5 प्रतिशत थी (सारिणी 1, चार्ट 1 और परिशिष्ट सारिणी 4)। जमा बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों में भुगतान बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 99.4 प्रतिशत है, जिसके बाद आरआरबी 79.4 प्रतिशत, एलएबी 72.3 प्रतिशत, सहकारी बैंक 61.9 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 47.2 प्रतिशत, एसएफबी 39.8 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंक 31.4 प्रतिशत और विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 4.8 प्रतिशत है। *(परिशिष्ट सारिणी* 5)। नीचे दी गई सारिणी 31 मार्च 2024 की तुलना में तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करती है:

सारिणी 1: **बीमाकृत जमाराशियाँ**

	विवरण	निम्न तिथियों के अनुसार स्थिति	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2025 (पी)
1	पंजीकृत बैंकों की संख्या	1,997	1,982
2	खातों की कुल सं. (करोड़)	289.7	293.7
3	पूर्णतया संरक्षित खाते (करोड़)	283.3	286.5
4	कुल खातों की संख्या में पूर्णतः संरक्षित खातों का हिस्सा	97.8	97.6
5	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़)	2,18,52,160	2,40,95,727
6	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़)	94,12,705	1,00,04,919
7	निर्धारणीय जमाराशियों में बीमित जमाराशियों का हिस्सा	43.1	41.5

चार्ट 1: जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा का विस्तार
(मार्च के अंत के अनुसार)

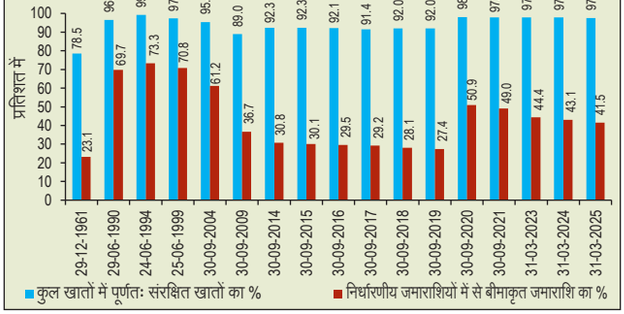

I.1.2 जमा बीमा प्रीमियम

2024-25 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹26,764 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹23,879 करोड़) था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 94.72 प्रतिशत और शेष 5.28 प्रतिशत का योगदान सहकारी बैंकों का था (सारणी 2)।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ करोड़)

वर्ष	आरआरबी और एलएबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2024-25	25,352	1,412	26,764
2023-24	22,543	1,336	23,879
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517

I.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त आठ प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को

सारिणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

से	तक	बैंक दर %	दंड स्वरूप ब्याज दर %	चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर %
01.04.2024	06.02.2025	6.75	8	14.75
07.02.2025	31.03.2025	6.50	8	14.50

ब्याज देना होगा (सारिणी 3)। 2024-25 के लिए, निगम ने बैंकों से जुर्माने के रूप में ₹ 2.47 करोड़ की वसूली की है।

1.2 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) बीमित बैंकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों[1] में निवेश पर प्राप्त कूपन आय से बनाया गया है। डीआईएफ को परिसमापकों / प्रशासकों / अंतरिती बैंकों से की गई वसूली से भी अंतर्वाह प्राप्त होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च 2025 तक यह निधि ₹2,28,933 करोड़ थी, जिसका आरक्षित निधि अनुपात 2.29 था, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह ₹1,98,753 करोड़ थी, जिसका आरक्षित निधि अनुपात 2.11 था। (चार्ट 2)

चार्ट 2: मार्च के अंत के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)

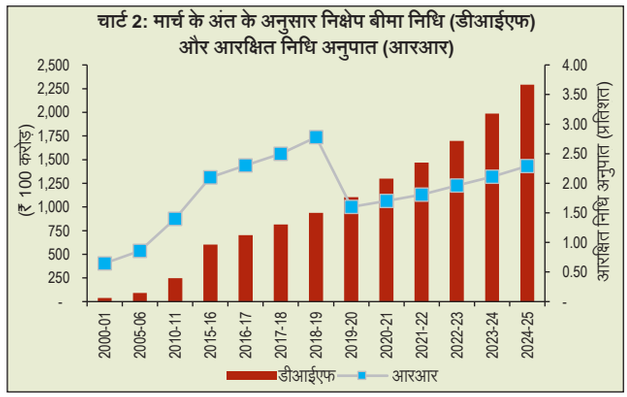

[1] निगम ने 1 अप्रैल 2020 से निर्धारणीय जमा राशि पर प्रीमियम दर को 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे प्रति ₹100 कर दिया है।

I.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

2024-25 के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों और विलय किए गए बैंकों (₹145.09 करोड़) और एआईडी के तहत बैंकों (₹330.82 करोड़) के बीमित जमाकर्ताओं को ₹475.91 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,436.92 करोड़ की तुलना में) की राशि के दावों का निपटान किया (परिशिष्ट सारिणी 6 और चार्ट 3) (परिशिष्ट सारिणी 6ए और चार्ट 3ए)। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया।

चार्ट 3: 2024-25 के दौरान राज्यवार निपटाए गए दावे और विफल/विलय किए गए बैंकों की संख्या

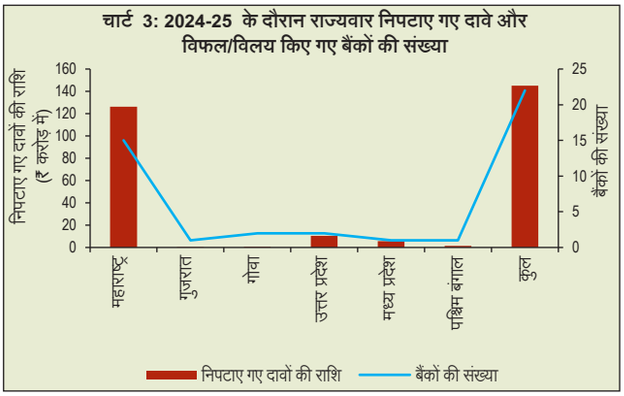

चार्ट 3ए: 2024-25 के दौरान राज्यवार भुगतान किए गए दावे और एआईडी के तहत बैंकों की संख्या

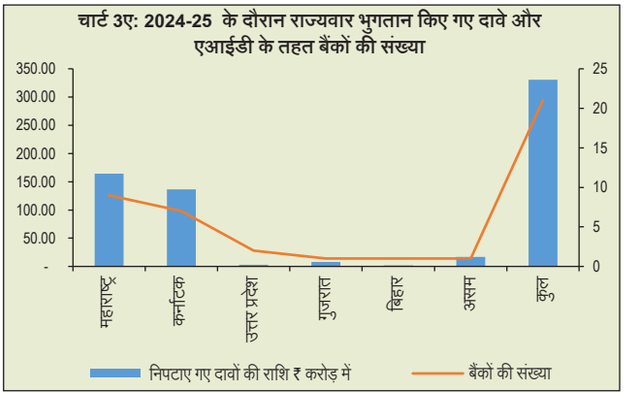

निगम के पास (एआईडी और परिसमापन के तहत बैंकों के लिए) ₹45.44 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्राप्य जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत, लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के कारण परिसमापकों द्वारा वापस की गई राशि को दर्शाता है और भविष्य के दावों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹ 663.99 करोड़ का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सात शहरी सहकारी बैंकों और एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द किए गए। 10 बैंकों के लिए ₹174.05 करोड़ की आकस्मिक देयता सृजित की गई। (परिशिष्ट सारिणी 7 और परिशिष्ट सारिणी 7ए)।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत दावों के निपटान के संबंध में, निगम ने परिसमापक से दावे की प्राप्ति की तारीख से मंजूरी के लिए औसतन 7 दिन का समय लिया है। इसके अतिरिक्त, एआईडी के तहत बैंकों के संबंध में, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से जमा बीमा दावे के निपटान के लिए 90 दिनों की वैधानिक समयसीमा का पालन किया है।

I.4 दावे और पुनर्भुगतान

I.4.1 निपटाए गए दावे

जमा बीमा की शुरुआत के बाद से 31 मार्च 2025 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के दावों के लिए ₹ 295.85 करोड़, 389 परिसमाप्त सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹10,954.75 करोड़[2] (वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹145.09 करोड़ सहित) (*चार्ट 4, परिशिष्ट सारिणी 8 और 8बी*) और एआईडी के तहत रखे गए 64 सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹5,690.09 करोड़ (4,04,148 जमाकर्ताओं के संबंध में) (*परिशिष्ट* सारिणी 8ए) की संचयी राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, शुरुआत से अब तक कुल ₹16,940.70 करोड़ के दावों का निपटान किया जा चुका है।

चार्ट 4: भुगतान किए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि- 2024-25

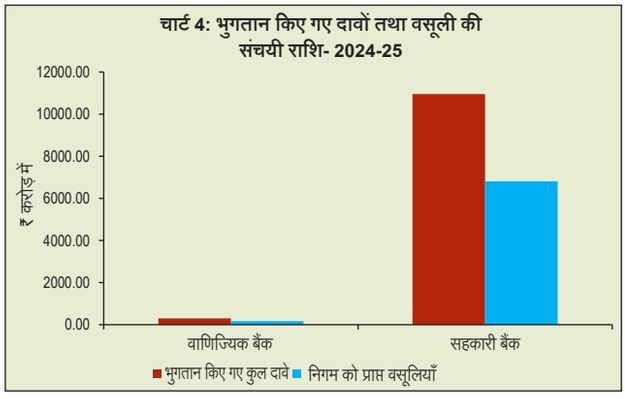

[2] इसमें त्वरित नीति के तहत 11 शहरी सहकारी बैंकों के लिए ₹128.27 करोड़ का निपटान शामिल है।

I.4.2 प्राप्त चुकौतियाँ

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल चुकौतियां ₹1,309.08 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹900.73 करोड़ की तुलना में) थी। इनमें से परिसमाप्त सहकारी बैंकों/परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों से वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त चुकौतियां ₹1,069.73 करोड़ थी। एआईडी बैंकों के मामले में, वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त कुल पुनर्भुगतान ₹236.18 करोड़ रहा। एक परिसमाप्त वाणिज्यिक बैंक (बनारस स्टेट को-ऑप. बैंक लिमिटेड) से, संबंधित बैंक के परिसमापक द्वारा आस्तियों की प्राप्ति के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹3.17 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई।

बैंकों के परिसमापकों/अंतरिती से, प्राप्त संचयी पुनर्भुगतान, शुरुआत से 31 मार्च 2025 तक ₹6,970.15 करोड़ है। इनमें से, परिसमापकों/ अंतरिती वाणिज्यिक बैंकों से संचयी पुनर्भुगतान, शुरुआत से अब तक, कुल मिलाकर ₹160.70 करोड़ है। सहकारी बैंकों के मामले में, जिसमें परिसमाप्त, विलयित और एआईडी बैंक भी शामिल हैं, परिसमापकों/ अंतरिती बैंकों से संचयी पुनर्भुगतान शुरुआत से 31 मार्च 2025 तक कुल मिलाकर ₹6,809.45 करोड़ है।

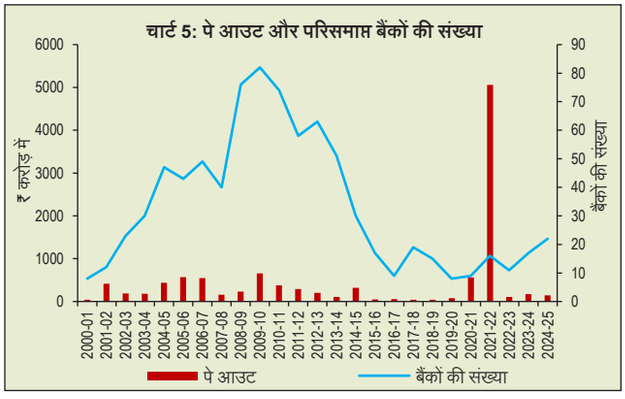

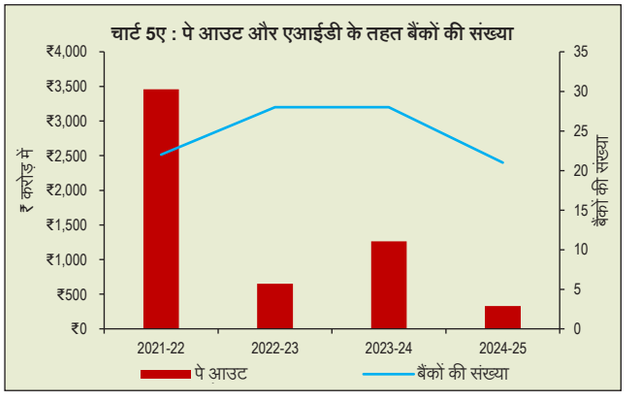

I.5 कोर्ट – मामले

31 मार्च 2025 तक जमा बीमा गतिविधि से संबंधित लंबित अदालती मामलों की संख्या 31 मार्च 2024 को 61 की तुलना में 58 थी। वर्ष के दौरान 16 मामले बंद कर दिए गए, जबकि 13 नए मामले दर्ज किए गए। निगम सभी 13 नए दायर मामलों में प्रत्यर्थी/विपरीत पक्ष/प्रतिवादी है।

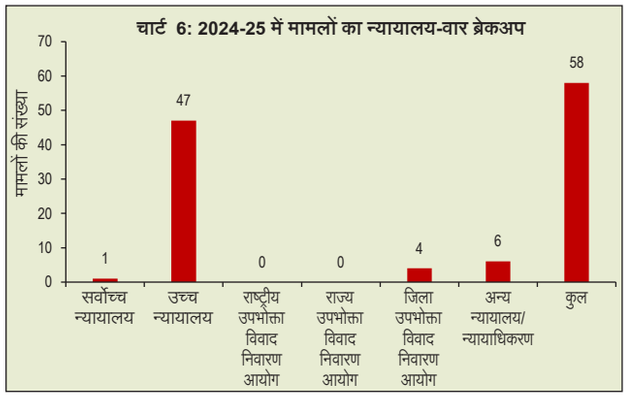

I.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में, निगम द्वारा कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उसका भुगतान किया गया है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर, वर्ष 2024-25 के दौरान कोई वसूली और पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण पहलें / प्रगति

II.1 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय:

परिसमाप्त बैंकों से पुनर्भुगतान, आस्तियों की वसूली (परिसमापन) के बाद प्राप्त होता है, जिसमें इन वसूलियों के लिए देय व्ययों की कटौती की जाती है। निगम आस्ति वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने और समय पर पुनर्भुगतान को सुगम बनाने के लिए परिसमापकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निगम टैफकब उप-समिति बैठकों, स्थायी सलाहकार समिति बैठकों, समन्वय समिति और

आरसीएस सम्मेलन, विभिन्न राज्यों के परिसमापकों और आरसीएस के साथ आमने-सामने बैठकों, वर्चुअल मोड और व्यक्तिगत रूप से लखनऊ और नागपुर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार संवाद करता है। कक्ष ने पूर्ववर्ती बैंकों के परिसमापन और समाधान की प्रगति की निगरानी करने, रियल टाइम जानकारी प्रदान करने, आउटलायर्स की पहचान करने और डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक्सेल वीबीए-आधारित डैशबोर्ड भी विकसित किया है। सीआरसीएस/आरसीएस को किए गए सभी अनुरोधों, प्रासंगिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं को एक ही दस्तावेज में समेकित करने के लिए, निगम ने शहरी सहकारी बैंकों के परिसमापकों के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसमापकों के बीच स्पष्टता में सुधार लाना, अनुपालन को बढ़ाना तथा वसूली आवश्यकताओं की बेहतर समझ को सुगम बनाना है।

II.2 जन जागरूकता / संचार नीति और कार्यनीति

नई डीआईसीजीसी वेबसाइट 05 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई। डीआईसीजीसी न्यूज़लेटर- सेफ्टी नेट के दो अंक जारी किए गए, जिनमें निगम की गतिविधियों का विहंगावलोकन, आईएडीआई शोध पत्रों से प्राप्त इनपुट आदि शामिल हैं। डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन और इसके कार्यों तथा वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों से युक्त लीफलेट वर्ष के दौरान वेबसाइट पर होस्ट किया गया। इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और यूट्यूब चैनल पर द्विभाषी जन जागरूकता वीडियो अपलोड किए गए।

दावा सूचक - जमाकर्ताओं के लिए दावा स्थिति ट्रैकर: जमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए डीआईसीजीसी की निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, एक उपयोगकर्ता-अनुकूल दावा स्थिति ट्रैकर लॉन्च किया गया। 01 अप्रैल 2024 के बाद 'सर्व समावेशी निदेश' (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों और परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ता अब डीआईसीजीसी वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर (अपने बैंक के साथ पंजीकृत) दर्ज करके अपने दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

भाग III: लेखा-विवरण

निगम के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण शामिल हैं, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित प्रपत्र में, तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार निगम के मामलों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई है तथा उन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु अलग से संलग्न किया गया है।

III.1 बीमा देयताएं

(क) निगम ने 2024-25 के दौरान ₹1,987.90 करोड़ के दावों को संसाधित किया है। 2024-25 के दौरान बीमा दावों के लिए ₹475.43 करोड़ (₹1,431.54 करोड़)[3] की राशि का भुगतान किया गया, जबकि पिछले वर्ष में क्रिस्टलीकृत देयता से 2024-25 के दौरान ₹18.90 करोड़ का भुगतान किया गया था।

(ख) बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹17,566.72 करोड़ (₹16,887.42 करोड़) थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) में अधिशेष ₹41,301.84 करोड़ (सीपीपीवाई ₹34,278.30 करोड़) था, जो ₹7,023.54 करोड़ (20.49 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। इसका मुख्य कारण प्रीमियम आय में (₹2,884.42 करोड़) वृद्धि, निवेश से आय में (₹1,867.18 करोड़) वृद्धि, भुगतान किए गए दावों की वसूली में (₹408.35 करोड़) वृद्धि, अवधि के दौरान आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज

[3] वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के पास, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी स्थिति को दर्शाते हैं।

(₹82 करोड़) है। निवल दावों में ₹401.60 करोड़ की वृद्धि से आय में वृद्धि की आंशिक भरपाई हुई है।

(ख) समीक्षाधीन अवधि में ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹53.39 करोड़ था, जबकि सीपीपीवाई में यह ₹50.47 करोड़ था। अधिशेष में वृद्धि मुख्य रूप से निवेश से आय में वृद्धि (₹2.58 करोड़) के कारण हुई।

(ग) समीक्षाधीन अवधि के लिए सामान्य निधि (जीएफ) में घाटा (₹0.19 करोड़ की आस्थगित कर देयता को समायोजित करने से पहले) ₹0.32 करोड़ रहा, जबकि सीपीपीवाई में ₹11.53 करोड़ का अधिशेष था। यह घाटा निवेश पर आय (₹0.53) और स्टाफ लागत में वृद्धि (₹2.66 करोड़); सेवा संविदा/अनुरक्षण में वृद्धि (₹5.92 करोड़); अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं से संबंधित व्यय में वृद्धि (₹2.15 करोड़) आदि के कारण है; और निवेश रिज़र्व के मूल्य में मूल्यह्रास के प्रावधान में कमी और लेखा परीक्षक की फीस (₹0.93 करोड़) से इसकी आंशिक भरपाई हुई है। आय की तुलना में व्यय अधिक होने के कारण, ₹0.51 करोड़ (आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान के रूप में ₹0.19 करोड़ समायोजित करने के बाद, जो सीपीपीवाई से ₹0.15 करोड़ बढ़ गया) वर्ष के लिए घाटे के रूप में दर्ज किया गया।

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च 2025 तक डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ में संचित अधिशेष/भंडार (कर के बाद) क्रमशः ₹2,11,366 करोड़ (₹1,81,866 करोड़), ₹690 करोड़ (₹650 करोड़) और ₹727 करोड़ (₹728 करोड़) था।

III.4 निवेश

2024-25 के अंत में तीन फंडों अर्थात डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के निवेश का बुक (लागत पर) मूल्य क्रमशः ₹2,35,063 करोड़ (₹2,03,171 करोड़), ₹716 करोड़ (₹678 करोड़) और ₹783 करोड़ (₹774 करोड़) था। सभी फंडों में वृद्धि दर्ज की गई और इन तीनों फंडों में निवेश का बाजार मूल्य ₹2,41,859 करोड़ (डीआईएफ), ₹740 करोड़ (सीजीएफ) और ₹803 करोड़ (जीएफ) रहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च 2025 तक, डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के संबंध में अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष राशि (बकाया) क्रमशः ₹10,495 करोड़ (₹8,215 करोड़), ₹12 करोड़ (₹10 करोड़) और ₹3 करोड़ (₹10 करोड़) थी। कराधान के लिए प्रावधान में संचित शेष राशि क्रमशः ₹10,395 करोड़ (₹8,184 करोड़), ₹14 करोड़ (₹13 करोड़) और शून्य (₹3 करोड़) थी।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया है और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹4,817.69 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग IV : ट्रेजरी परिचालन

IV.I डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार 31 मार्च, 2025 को ₹2,36,561 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2024 को ₹2,04,623 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2024 को ₹2,05,523 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2025 को ₹2,43,402 करोड़ था, जो 18.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है और 31 मार्च, 2024 को बुक वैल्यू का 1.00 गुना की तुलना में 1.03 गुना है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न[4] 2023-24 में 9.00 की तुलना में 12.74 प्रतिशत था क्योंकि वर्ष के दौरान प्रतिफल में वृद्धि से पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ा। वर्ष के दौरान मौजूदा और नए निवेशों का बाजार मूल्य बढ़ा क्योंकि वर्ष के दौरान प्रतिफल में गिरावट आई।

[4] कुल भारित रिटर्न की गणना डाइट्ज़ विधि का उपयोग करके की जाती है, अर्थात् टीडब्ल्यूआर = [एमवीई-एमवीबी + आई -सी] / [एमवीबी + (0.5X सी)], जहां एमवीई / बी = अंत / शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = ताजा प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) द्वारा प्रकाशित मॉडल कीमतों पर किया जाता है। निवेश संबंधी लेखा नीति के संदर्भ में निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाती है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 31 मार्च 2025 तक, सामान्य निधि, निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि ने शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के विरूद्ध एक सहारे के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) रखता है। 31 मार्च 2025 को आईएफआर 31 मार्च 2024 के ₹8157.08 करोड़ *की तुलना* में ₹9,586.88 करोड़ का था, जिसकी गणना मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा की गई थी।

IV.3 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी हुई (31 मार्च 2025[5] को 10-वर्षीय बेंच मार्क प्रतिभूति पर यील्ड 6.58 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2024 को 7.06 प्रतिशत था)। कई कारकों के कारण प्रतिफल में कमी आई, जैसे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव में कमी के कारण मौद्रिक नीति में ढील, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगातार चलनिधि प्रदान करने के उपाय, केंद्रीय बजट में राजकोषीय समेकन तथा वैश्विक सूचकांकों में भारतीय सरकारी बांडों के शामिल होने के कारण एफपीआई की ओर से मजबूत मांग। वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम होने के कारण, मौद्रिक नीति समिति ने अपनी अक्तूबर 2024 की बैठक में अपना रुख बदलकर तटस्थ कर लिया और फरवरी 2025 की बैठक में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। आरबीआई ने खुले बाजार खरीद परिचालन, खरीद/बिक्री स्वैप, आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती, तथा दैनिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सिस्टम में चलनिधि इन्फ्यूज़ की। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत पर आंककर अपने राजकोषीय समेकन पथ पर जारी रखा, जो पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से कम है, जिससे बाजार धारणाओं को बढ़ावा मिला। जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के बांड सूचकांकों में शामिल किए जाने के कारण भारतीय सरकारी बांड बाजार में निरंतर विदेशी निवेश हुआ। वैश्विक विकास में मंदी की चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी प्रतिफल में नरमी आई। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में अस्थिरता के साथ दोतरफा उतार-चढ़ाव देखा गया। नवंबर 2024 से, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों और ट्रम्प प्रशासन की नीतियों पर बाजार सहभागियों की गहरी नज़र है। यूएस फेडरल रिज़र्व ने सितंबर से दिसंबर 2024 के दौरान नीति दर में 100 बीपीएस की कटौती की, और जनवरी और मार्च 2025 की बैठकों में दरों को अपरिवर्तित रखा। बढ़ते व्यापार युद्ध से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई तथा विकास में मंदी और मुद्रास्फीति के बिगड़ने की आशंकाएं बढ़ गईं। नीतिगत ढील को देखते हुए, निगम ने दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश करके पोर्टफोलियो अवधि बढ़ाने की मांग की। आने वाले प्रीमियम और कूपन/मूलधन प्रवाह का निवेश मुख्य रूप से 10 और 15 वर्षों के लिए, लिक्विड प्रतिभूतियों में किया गया, जिससे ऑन द रन लिक्विड प्रतिभूतियों की होल्डिंग बनाने में भी मदद मिली। वर्ष के दौरान दावों का भुगतान समय पर नकदी प्रवाह का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया गया। निगम ने नीलामी में भी चुनिंदा रूप से भाग लिया, जबकि टी-बिल सहित नकदी प्रवाह का उपयोग वर्ष के दौरान आयकर और जीएसटी जैसे कर भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था।

भाग V : संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम के मामलों और कारोबार का सामान्य, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है, जो निगम द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार, निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान चार तिमाहियों को कवर करने वाली बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

[5] 31 मार्च 2024 को 7.18 प्रतिशत जीएस 2033 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति थी और 31 मार्च 2025 को 6.79 प्रतिशत जीएस 2034 बेंचमार्क प्रतिभूति थी।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के तहत नियुक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, डॉ. एम.डी. पात्र, सेवानिवृत्ति के कारण 14 जनवरी 2025 से निगम के बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे। परिणामस्वरूप, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री स्वामीनाथन जे को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड समिति द्वारा 15 जनवरी 2025 से डीआईसीजीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

श्री अर्णब कुमार चौधरी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत 1 जुलाई 2024 से निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया था। डॉ. तरुण अग्रवाल और श्री पार्थ रे, निदेशक राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान को भारत सरकार द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) और (ई) के तहत 10 जुलाई 2024 से निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च 2025 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1. श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष
2. श्री पंकज शर्मा	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3. डॉ. अर्णब कुमार चौधरी	निदेशक
4. डॉ. तरुण अग्रवाल	निदेशक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की चार तिमाहियों की बैठकें आयोजित की गईं।

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने तिमाही आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए परिसमापन लागत, आईटी विक्रेता की प्रोजेक्ट अनुरक्षण लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बजट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

मैसर्स एम एस के ए एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2024-25 के लिए निगम के समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

डीआईसीजीसी की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा 20 से 29 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। अनुपालन हेतु चिह्नित 75 पैरा में से अब तक 34 का अनुपालन किया जा चुका है तथा शेष 41 पैरा का अनुपालन प्रगति पर है।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

निगम अपने कर्मचारियों को कौशल उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में नियुक्त करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ-साथ विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और अन्य विदेशी जमा बीमा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2024-25 के दौरान, 19 अधिकारियों (वित्त वर्ष 2023-24 में 25 अधिकारी) और 10 सहायकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए नामित किया गया, जिनमें ऑनलाइन मोड में 2 अधिकारी और 3 सहायक (वित्त वर्ष 2023-24 में 5 अधिकारी और 3 तृतीय श्रेणी स्टाफ) शामिल हैं। इसके अलावा, आईएडीआई द्वारा आयोजित

विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 12 अधिकारियों (वित्त वर्ष 2023-24 में 15 अधिकारी) को नामित किया गया, जिनमें ऑनलाइन मोड में 3 अधिकारी (वित्त वर्ष 2023-24 में 4 अधिकारी) शामिल हैं।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च 2025 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या 68 थी। 31 मार्च 2024 की तुलना में 31 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है (तालिका 4)।

सारिणी 4 : 31 मार्च 2025 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	*जिसमें*		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	*40	8	3	20	7.50
श्रेणी III	24	2	2	8.33	8.33
श्रेणी IV	4	0	1	0	25
कुल	**68	10	6	14.71	8.82

अजा -अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

* कार्यपालक निदेशक शामिल नहीं

** इसमें आरबीआई के माध्यम से संविदा के आधार पर डीआईसीजीसी द्वारा लगाए गए 3 सलाहकार शामिल हैं।

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, निगम सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 78 आरटीआई अनुरोध (वित्त वर्ष 2023-24 में 55 आरटीआई) और तीन अपीलें (वित्त वर्ष 2023-24 में पांच अपीलें) प्राप्त हुईं और निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण आदेश जारी किया गया। आरटीआई प्रश्न मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की सुरक्षा में आरबीआई और डीआईसीजीसी की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर को बढ़ाने के बारे में प्रश्न, विफल बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों के बारे में जानकारी और वितरित राशि से संबंधित थे।

V.7 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने हिंदी के प्रयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की। निगम के दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही आधार पर बैठक होती है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार हिंदी पत्राचार 98.68 प्रतिशत रहा, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 98.03 प्रतिशत था। निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' भी आयोजित करता है। 9 अक्टूबर 2024 को हिंदी दिवस मनाया गया।

V.8 निगम में शिकायत निवारण कक्ष

निगम ने जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष (सीआरसी) का गठन किया। 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान 36 सीपीग्राम्स शिकायतों (वित्त वर्ष 2023-24 में 52 सीपीग्राम्स शिकायतें) सहित कुल 1,417 शिकायतों (वित्त वर्ष 2023-24 में 1,410 शिकायतें) पर ध्यान दिया गया। शिकायतें मुख्य रूप से दावा निपटान, बीमा राशि न मिलने, संबंधित बैंक द्वारा दावा सम्मति फॉर्म को स्वीकार न करने, अधिकतम जमा बीमा कवरेज सीमा से अधिक राशि के लिए अनुरोध आदि से संबंधित थीं। शिकायतों का निपटान परिसमापक/ एआईडी बैंकों के नोडल अधिकारियों, आरबीआई के नियामक और पर्यवेक्षी विभागों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शिकायतों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को निपटान के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर कार्यबल (टीएएफसीयूबी) की उप-समिति के साथ भी उठाया जाता है।

V.9 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आईएडीआई बैठकें, सर्वे और अन्य मामले

निगम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और इसकी विभिन्न समितियों का सदस्य है। आईएडीआई की स्थापना मार्गदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर जमा बीमा प्रणालियों को बढ़ाने में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। सदस्य के रूप में, निगम के अधिकारियों ने आईएडीआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं और प्रतिभागियों के रूप में योगदान देते हुए सक्रिय रूप से भाग लिया। इन कार्यक्रमों में आठ व्यक्तिगत बैठकों (वित्त वर्ष 2023-24 में सात व्यक्तिगत बैठकें) के साथ-साथ कई वर्चुअल बैठकें, सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र शामिल थे, जिससे डीआईसीजीसी के अधिकारियों को जमा बीमा में उभरते वैश्विक रुझानों और चुनौतियों से अवगत रहने में मदद

मिली और साथ ही दुनिया भर के साथी जमा बीमाकर्ताओं के साथ निगम की विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

इन बैठकों के साथ-साथ अन्य सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के लिए भी इनपुट उपलब्ध कराए गए। डीआईसीजीसी ने वित्तीय सहकारिता, संचार, उभरते रुझान, फिनटेक, प्रतिपूर्ति, रेज़ोल्यूशन, क्षमता निर्माण और मुख्य सिद्धांत समीक्षाओं से संबंधित आईएडीआई की विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में अपने अधिकारियों को नामित करके अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझाकरण को और मजबूत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

निगम ने 12-14 अगस्त 2024 को जयपुर में आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन और मेज़बानी की, जिसका विषय था "विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियाँ और संकट की तैयारी का महत्व।" इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उभरते वित्तीय परिदृश्य और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के संदर्भ में जमा बीमा और वित्तीय सुरक्षा कवच ढांचे के लिए चुनौतियों, निहितार्थों और दृष्टिकोण तथा संकट की तैयारी और प्रबंधन नीति के व्यापक महत्व पर विचार-विमर्श करना था। इस कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन/वरिष्ठ अधिकारी, आईएडीआई के अध्यक्ष, महासचिव, केंद्रीय बैंकों, जमा बीमाकर्ताओं, वित्त मंत्रालय (डीएफएस), भारत सरकार और सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान आईएडीआई की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति के संयुक्त कार्यबल की बैठक भी आयोजित की गई तथा निगम के अधिकारियों और फिलीपीन डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई।

डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जापान द्वारा दौरा

डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जापान (डीआईसीजे) के वरिष्ठ अधिकारियों ने 16 अगस्त 2024 को एक संरचित द्विपक्षीय बैठक के लिए कॉरपोरेशन का दौरा किया। इस सहभागिता का प्राथमिक उद्देश्य दोनों संगठनों के परिचालन ढांचे, शासन संरचनाओं और कार्यनीतिक पहलों में अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि के व्यापक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना था।

V.10 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार, मैसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट), को वर्ष 2024-25 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मुंबई
15 मई 2025

(स्वामीनाथन जे)
अध्यक्ष

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक– स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2025	1,997	2	8	9	17	1,982
31-03-2024	2,026	1	24	6	30	1,997
31-03-2023	2,040	0	9	5	14	2,026
31-03-2022	2,058	3	11	10	21	2,040
31-03-2021	2,067	2	6	5	11	2,058
31-03-2020	2,098	6	0	37	37	2,067
31-03-2019	2,109	8	4	15	19	2,098
31-03-2018	2,125	8	7	17	24	2,109
31-03-2017	2,127	13	5	10	15	2,125
31-03-2016	2,129	6	3	5	8	2,127
31-03-2015	2,145	5	14	7	21	2,129
31-03-2014	2,167	7	16	13	29	2,145
31-03-2013	2,199	12	12	32	44	2,167
31-03-2012	2,217	7	11	14	25	2,199
31-03-2011	2,249	3	22	13	35	2,217
31-03-2010	2,307	10	26	42	68	2,249
31-03-2009	2,356	13	33	29	62	2,307
31-03-2008	2,392	10	18	28	46	2,356
31-03-2007	2,531	46	24	161	185	2,392
31-03-2006	2,547	3	17	2	19	2,531
31-03-2005	2,595	3	47	4	51	2,547
31-03-2004	2,629	9	39	4	43	2,595
31-03-2003	2,715	10	29	7	36	*2,629
31-03-2002	2,728	15	18	10	28	2,715
31-03-2001	2,676	62	9	1	10	2,728
31-03-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
31-03-1999	2,438	149	4	0	4	2,583
31-03-1998	2,296	145	1	2	3	2,438
31-03-1997	2,122	176	1	1	2	2,296
31-03-1996	2,025	99	1	1	2	2,122
31-03-1995	1,990	36	0	1	1	2,025
31-03-1994	1,931	63	1	3	4	1,990
31-03-1993	1,931	3	2	1	3	1,931
31-03-1992	1,922	14	2	3	5	1,931

परिशिष्ट सारिणी 1: *(जारी)*

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-1991	1,921	8	5	2	7	1,922
31-03-1990	1,903	19	1	0	1	1,921
31-03-1989	1,898	14	2	7	9	1,903
31-12-1987	1,859	42	3	0	3	1,898
31-12-1986	1,837	27	2	3	5	1,859
31-12-1985	1,805	41	5	4	9	1,837
31-12-1984	1,736	71	1	1	2	1,805
31-12-1983	1,683	55	0	2	2	1,736
31-12-1982	1,647	44	1	7	8	1,683
31-12-1981	1,582	69	1	3	4	1,647
31-12-1980	1,392	191	0	1	1	1,582
31-12-1979	1,021	375	0	4	4	1,392
31-12-1978	975	51	4	1	5	1,021
31-12-1977	757	223	2	3	5	975
31-12-1976	611	155	3	6	9	757
31-12-1975	526	88	0	3	3	611
31-12-1974	492	37	0	3	3	526
31-12-1973	476	18	0	2	2	492
31-12-1972	465	16	0	5	5	476
31-12-1971	83	385	0	3	3	465
31-12-1970	85	0	1	1	2	83
31-12-1969	88	0	2	1	3	85
31-12-1968	91	0	0	3	3	88
31-12-1967	100	0	0	9	9	91
31-12-1966	109	1	2	8	10	100
31-12-1965	157	0	0	48	48	109
31-12-1964	250	1	6	88	94	157
31-12-1963	276	0	1	25	26	250
31-12-1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

परिशिष्ट सारिणी 2-ए: बीमाकृत बैंक - बैंक समूहवार

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
31-03-2025	94	43	2	1,843	1,982
31-03-2024	95	43	2	1,857	1,997
31-03-2023	94	43	2	1,887	2,026
31-03-2022	96	43	2	1,899	2,040
31-03-2021	94	43	2	1,919	2,058

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी: बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार
(मार्च 2025 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	44	67
2.	असम	1	-	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	1
4.	बिहार	1	23	3	27
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	-	3	4
7.	गुजरात	1	18	210	229
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	250	272
12.	केरल	1	1	58	60
13.	मध्य प्रदेश	1	38	47	86
14.	महाराष्ट्र	1	31	459	491
15.	मणिपुर	1	-	3	4
16.	मेघालय	1	-	3	4
17.	मिजोरम	1	-	1	2
18.	नागालैंड	1	-	-	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	34	64
22.	सिक्किम	1	-	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	127	152
24.	तेलंगाना	1	-	48	49
25.	त्रिपुरा	1	-	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	54	105
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	42	60
सभी राज्य		**28**	**349**	**1,438**	**1,815**
	संघशासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-	1
2.	चंडीगढ़	1	-	-	1
3.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	-	-	1
4.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	1	-	14	15
5.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
6.	लद्दाख	-	-	-	-
7.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
8.	पुडुचेरी	1	-	1	2
सभी संघशासित क्षेत्र		**6**	**3**	**19**	**8**
अखिल भारत		**34**	**352**	**1,457**	**1,843**

परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत (2)

बैंक प्रकार	श्रेणी/राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (1)	विदेशी बैंक (1)	1	यूबीएस एजी
सहकारी बैंक (1)	राज्य सहकारी बैंक (1)	1	दमन और दीव राज्य सहकारी बैंक

ख. विपंजीकृत (17)

बैंक प्रकार	राज्य/श्रेणी	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (2)	कर्नाटक (1)	1	फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (विलयित)
	महाराष्ट्र (1)	2	क्रेडिट सुइस एजी (विलयित)
सहकारी बैंक (15)	आंध्र प्रदेश (2)	1	उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
		2	दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
	असम (1)	3	महाभैरब को-ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड
	बिहार (1)	4	द वैशाली शहरी विकास को-ऑप बैंक लिमिटेड
	गोवा (1)	5	सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमिटेड (विलयित)
	कर्नाटक (1)	6	नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंगलोर (विलयित)
	महाराष्ट्र (5)	7	सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		8	राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड (विलयित)
		9	अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड (विलयित)
		10	पुणे कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड (विलयित)
		11	जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड (विलयित)
	तमिलनाडु (1)	12	कुड्डालोर और विल्लुपुरम डी.सी. को-ऑप. बैंक
	तेलंगाना (1)	13	यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (विलयित)
	उत्तर प्रदेश (2)	14	पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक
		15	बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक

परिशिष्ट सारिणी 4: जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

दिनांक की स्थिति	पूर्णतः संरक्षित खाते (लाख में)*	कुल खाते (लाख में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खाते (%)	बीमित जमाराशियाँ* (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशि (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(पी) 31-03-2025	28,650	29,366	97.6	1,00,04,919	2,40,95,727	41.5
30-09-2024	28,690	29,370	97.7	96,74,623	2,27,26,914	42.6
31-03-2024	28,331	28,975	97.8	94,12,705	2,18,52,160	43.1
30-09-2023	28,179	28,794	97.9	90,32,340	2,04,18,707	44.2
31-03-2023	27,050	27,630	97.9	86,31,259	1,94,58,915	44.4
30-09-2022	26,746	27,311	97.9	83,89,470	1,81,14,550	46.3
30-09-2021	25,667	26,219	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
30-09-2020	24,780	25,260	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
30-09-2019	21,610	23,500	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
30-09-2018	20,000	21,740	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
30-09-2017	17,750	19,410	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
30-09-2016	17,370	18,850	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
30-09-2015	15,530	16,810	92.4	28,26,400	94,05,300	30.1
30-09-2014	13,450	14,560	92.4	26,06,794	84,75,154	30.8
30-09-2013	12,670	13,700	92.5	23,79,152	76,16,640	31.2
30-09-2012	13,930	14,820	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
30-09-2011	9,960	10,730	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
30-09-2010	9,769	10,516	92.9	17,35,800	49,52,427	35.0
30-09-2009	12,669	14,239	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
30-09-2008	12,040	13,489	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
30-09-2007	9,617	10,389	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
30-09-2006	6,829	7,169	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
30-09-2005	5,055	5,374	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
30-09-2004	6,195	6,495	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
27-06-2003	5,189	5,440	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
28-06-2002	5,782	6,002	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
29-06-2001	4,645	4,817	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
30-06-2000	4,324	4,462	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
25-06-1999	4,302	4,417	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
26-06-1998	4,544	4,642	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
27-06-1997	3,713	4,109	90.4	3,70,531	4,92,380	75.3
28-06-1996	4,273	4,351	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
30-06-1995	4,819	4,868	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
24-06-1994	4,956	4,993	99.3	2,66,747	3,64,058	73.3
25-06-1993	3,497	3,529	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
26-06-1992	3,395	3,543	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3

परिशिष्ट सारिणी 4: *(जारी)*

दिनांक की स्थिति	पूर्णतः संरक्षित खाते (लाख में)*	कुल खाते (लाख में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णतः संरक्षित खाते (%)	बीमित जमाराशियाँ* (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशि (%)
28-06-1991	3,169	3,287	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
29-06-1990	2,983	3,089	96.6	1,09,316	1,56,892	69.7
30-06-1989	3,059	3,142	97.4	1,01,682	1,40,746	72.2
24-06-1988	2,705	2,781	97.3	90,192	1,26,864	71.1
26-06-1987	2,518	2,569	98.0	75,511	1,03,044	73.3
27-06-1986	2,320	2,360	98.3	62,878	86,214	72.9
28-06-1985	2,145	2,238	95.8	56,211	76,517	73.5
29-06-1984	2,001	2,026	98.8	46,340	61,880	74.9
24-06-1983	1,785	1,816	98.3	37,746	50,797	74.3
25-06-1982	1,581	1,598	98.9	31,774	42,360	75.0
26-06-1981	1,365	1,377	99.1	25,859	35,004	73.9
01-07-1980	1,274	1,285	99.1	24,234	32,570	74.4
29-06-1979	1,067	1,085	98.3	18,582	26,743	69.5
22-09-1978	915	931	98.3	15,369	21,659	71.0
23-09-1977	840	855	98.2	14,155	19,892	71.2
24-09-1976	718	730	98.4	11,827	16,588	71.3
26-09-1975	576	603	95.5	8,832	13,494	65.5
27-09-1974	457	476	96.0	6,801	10,624	64.0
28-09-1973	399	415	96.1	5,852	9,152	63.9
22-09-1972	328	340	96.5	4,655	7,458	62.4
24-09-1971	299	310	96.5	4,224	6,801	62.1
25-09-1970	230	240	95.8	3,411	5,448	62.6
26-09-1969	186	205	90.7	2,374	4,670	50.8
27-09-1968	160	175	91.4	2,023	4,012	50.4
22-09-1967	119	155	76.8	943	3,603	26.2
23-09-1966	103	136	75.7	824	3,236	25.5
24-09-1965	89	116	76.7	691	2,744	25.2
25-09-1964	76	98	77.6	574	2,437	23.6
27-09-1963	66	86	76.7	500	2,107	23.7
28-09-1962	60	77	77.9	448	1,895	23.6
29-12-1961	55	71	77.5	392	1,694	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500, 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000, 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000, 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000, 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹ 30,000, 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5 से अधिक नहीं थीं।

टिप्पणी: 1. 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ *(जारी)*
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशि (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 मार्च 2025 के अनुसार (पी)				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**139**	**92,32,113**	**2,28,46,847**	**40.4**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	59,53,830	1,26,11,152	47.2
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	25,70,617	81,89,779	31.4
iii) विदेशी बैंक	44	52,084	10,91,743	4.8
iv) लघु वित्त बैंक	11	1,07,719	2,70,601	39.8
v) भुगतान बैंक	6	26,142	26,294	99.4
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	5,20,703	6,55,870	79.4
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	1,018	1,409	72.3
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,843**	**7,72,806**	**12,48,879**	**61.9**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,457	3,80,261	5,84,539	65.1
ii) राज्य सहकारी बैंक	34	66,285	1,57,076	42.2
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,26,260	5,07,264	64.3
कुल (I+II)	**1,982**	**1,00,04,919**	**2,40,95,727**	**41.5**
30 सितंबर 2024 के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**139**	**89,34,151**	**2,15,53,399**	**41.5**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	57,93,657	1,19,84,450	48.3
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	24,76,339	75,95,372	32.6
iii) विदेशी बैंक	44	49,158	10,86,877	4.5
iv) लघु वित्त बैंक	11	98,498	2,41,745	40.7
v) भुगतान बैंक	6	18,375	18,470	99.5
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,97,161	6,25,151	79.5
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	962	1,334	72.1
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,850**	**7,40,472**	**11,73,515**	**63.1**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,465	3,73,715	5,56,862	67.1
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	63,262	1,47,586	42.9
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,03,496	4,69,067	64.7
कुल (I+II)	**1,989**	**96,74,623**	**2,27,26,914**	**42.6**

टिप्पणी: बीमित जमा राशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान राउंड ऑफ के कारण नहीं हो सकता।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ *(समाप्त)*
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशि (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 मार्च 2024 के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**140**	**86,66,416**	**2,06,73,077**	**41.9**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) विदेशी बैंक	44	50,568	10,08,506	5.0
iv) लघु वित्त बैंक	12	89,532	2,15,426	41.6
v) भुगतान बैंक	6	16,794	16,937	99.2
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	937.0539	1,295	72.4
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,857**	**7,46,290**	**11,79,084**	**63.3**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	64,202	1,48,080	43.4
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,10,242	4,74,041	65.4
कुल (I+II)	**1,997**	**94,12,705**	**2,18,52,160**	**43.1**
30 सितंबर 2023 के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**140**	**83,18,604**	**1,93,02,931**	**43.1**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	54,50,402	1,09,87,647	49.6
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	22,59,204	66,08,656	34.2
iii) विदेशी बैंक	44	51,562	9,31,135	5.5
iv) लघु वित्त बैंक	12	77,667	1,84,714	42.0
v) भुगतान बैंक	6	14,252	14,321	99.5
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,64,626	5,75,228	80.8
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	891	1,229	72.4
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,869**	**7,13,736**	**11,15,776**	**64.0**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,484	3,64,679	5,33,396	68.4
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	65,375	1,49,476	43.7
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,83,682	4,32,905	65.5
कुल (I+II)	**2,009**	**90,32,340**	**2,04,18,707**	**44.2**

टिप्पणी: बीमित जमा राशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान राउंड ऑफ के कारण नहीं हो सकता।

परिशिष्ट सारिणी 6: 2024-25 के दौरान निपटाए गए परिसमाप्त/ विलय किए गए बैंकों के जमा बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र दावे (15)			
1	लक्ष्मी सीबीएल	मुख्य	16,259	4.43
2	नगर यूसीबीएल	मुख्य	86,249	85.80
3	हरिहरेश्वर एसबीएल	मुख्य	11,756	2.65
4	शंकरराव पुजारी नूतन एनएसबीएल	मुख्य	1,912	8.59
5	फैज मर्केंटाइल सीबीएल	मुख्य	7,059	1.72
6	नाशिक जिला गिरना एसबीएल	मुख्य	2,761	1.19
7	सेवा विकास सीबीएल	अनुपूरक	555	1.85
8	सरजेरोदादा नाइक शिराला एसबीएल	अनुपूरक	1,101	1.00
9	नवोदय यूसीबीएल	अनुपूरक	2	0.02
10	मंथा यूसीबीएल	अनुपूरक	1,655	2.68
11	पीएमसीबीएल	अनुपूरक	126	0.75
12	रूपी सीबीएल	अनुपूरक	1,102	10.19
13	सीकेपी सीबीएल	अनुपूरक	682	4.91
14	करनाला एनएसबीएल	अनुपूरक	20	0.44
15	शिवम एसबीएल	अनुपूरक	87	0.13
ए. कुल (महाराष्ट्र –15 दावे)			**1,31,326**	**126.34**
	गुजरात (1)			
1	गुजरात इंडस्ट्रियल सीबीएल	अनुपूरक	359	0.40
बी. कुल (गुजरात 1 दावे)			**359**	**0.40**
	गोवा(2)			
1	मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	42	0.30
2	मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	78	0.36
सी. कुल (गोवा- 2 दावे)			**120**	**0.66**
	उत्तर प्रदेश (2)			
1	लखनऊ यूसीबीएल	मुख्य	3,169	9.48
2	लखनऊ यूसीबीएल	अनुपूरक	80	1.04
डी. कुल (उत्तर प्रदेश - 2 दावे)			**3,249**	**10.52**
	मध्य प्रदेश (1)			
	गढ़ा सीबीएल	मुख्य	2,243	5.74
ई. कुल (मध्य प्रदेश- 1 दावा)			**2,243**	**5.74**
	पश्चिम बंगाल (1)			
1	यूनाइटेड सीबीएल, बगनान	मुख्य	632	1.43
एफ. कुल (पश्चिम बंगाल- 1 दावा)			**632**	**1.43**
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)- 22 दावे			**1,37,929**	**145.09**

परिशिष्ट सारिणी 6ए: 2024-25 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (एआईडी के तहत बैंक)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र			
1	राजापुर एसबीएल	अनुपूरक	143	1.69
2	सावंतवाड़ी यूसीबीएल	अनुपूरक	1,041	1.04
3	द शिरपुर एमसीबीएल	मुख्य	3,807	43.36
4	सर्वोदय सीबीएल	मुख्य	1,500	23.27
5	द कोणार्क यूबीसीएल	मुख्य	1,167	8.46
6	द कोणार्क यूबीसीएल	अनुपूरक	771	4.18
7	पुणे एसबीएल	अनुपूरक	2	0.05
8	शंकरराव मोहिते पाटिल एसबीएल	अनुपूरक	236	1.63
9	अजंता यूसीबीएल	अनुपूरक	3,622	80.68
कुल (महाराष्ट्र - 09 दावे)			**12,289**	**164.35**
	कर्नाटक			
1	नैशनल सीबीएल बैंगलोर	अनुपूरक	288	6.08
2	श्री गुरुराघवेंद्र एसबीएन	अनुपूरक	5	0.22
3	द अमानाथ सीबीएल	मुख्य	324	5.22
4	कारवार यूसीबीएल	मुख्य	1,588	37.79
5	द अमानाथ सीबीएल	अनुपूरक	48	0.70
6	श्री महालक्ष्मी यूसीसीबीएल गोकक	मुख्य	8,983	86.22
7	श्री महालक्ष्मी यूसीसीबीएल गोकक	अनुपूरक	552	0.48
कुल (कर्नाटक - 7 दावे)			**11,788**	**136.72**
	उत्तर प्रदेश			
1	नैशनल यूसीबीएल, प्रतापगढ़	मुख्य	144	2.47
2	नैशनल एमसीबीएल, लखनऊ	अनुपूरक	44	0.62
कुल (उत्तर प्रदेश - 2 दावे)			**188**	**3.08**
	गुजरात			
1	कलर मर्चेंट्स सीबीएल	अनुपूरक	406	7.68
कुल (गुजरात - 1 दावा)			**406**	**7.68**
	बिहार			
1	वैशाली शहरी विकास सीबीएल	अनुपूरक	877	2.04
कुल (बिहार - 1 दावा)			**877**	**2.04**
	असम			
1	महाभैरब सीबीएल	अनुपूरक	1,939	16.94
कुल (असम - 1 दावा)			**1,939**	**16.94**
कुल सभी राज्य (21 दावे)			**27,487**	**330.82**

टिप्पणी: निगम को ₹ 0.50 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ है, जो डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया गया था और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बैंकों के पंजीकरण रद्द किए जाने के समय यह राशि अवितरित पड़ी थी।

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान
(31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
क	**10 वर्ष और उससे अधिक**		
	-	-	-
	कुल (क)	**-**	**-**
ख	**5 से 10 वर्ष के मध्य के पुराने**		
	-	-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**		
	1 24 दिसंबर 2020	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (यू/एल)#	7.75
	2 3 फरवरी 2022	इंडिपेंडेंस सीबीएल (यू/एल)	2.70
	3 8 जून 2022	मुधोल सीबीएल	5.20
	4 18 जून 2022	मिलथ सीबीएल	3.54
	5 7 जुलाई 2022	श्री आनंद सीबीएल	5.45
	6 18 अगस्त 2022	डेक्कन यूसीबीएल	3.13
	7 04 अक्तूबर 2023	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.	96.71
	कुल (ग)	**(6 बैंक)**	**124.48**
घ	**1 वर्ष से कम**		
	1 12 जनवरी 2024	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल सीबीएल	18.58
	2 19 जून 2024	द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.	24.95
	3 19 जुलाई 2024	उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमि.	6.04
	कुल (घ)	**(4 बैंक)**	**49.57**
कुल योग (क+ख+ग+घ)		**(10 बैंक)**	**174.05**

#परिसमापक से दावा सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है। मामला न्यायाधीन है।

टिप्पणी: उपर्युक्त बैंकों के अलावा, 18 ऐसे बैंक हैं जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तथापि कट-ऑफ तिथि तक जमा वापसी के अभाव में आकस्मिक देयता दर्ज नहीं की गई है।

परिशिष्ट सारिणी 7ए: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान – एआईडी के तहत बैंक
(31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	शून्य	-
कुल		**-**

यह प्रावधान उन बैंकों के मामले में लागू किया गया है जिनकी दावा सूची प्राप्त हो चुकी है, अतः कोई बकाया आकस्मिक देयता उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट सारिणी 8: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2025 तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	**वाणिज्यिक बैंक**					
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)					
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)			925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*			704.06	704.06	-
	3 लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*			208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*			11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*			4,631.66	4,631.66	-
	6 नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लि, दिल्ली (1970)*			968.92	968.92	-
	7 बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)*			1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
	8 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*			14,659.08	14,659.08	-
	9 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)			3,70,000.00	3,70,000.00	-
	कुल 'क'			**5,08,386.80**	**5,08,387.18**	**(0.38)**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ख)					
	10 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई (1963)*			253.35	137.79 (115.56)	-
	11 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*			27.60	18.07 (9.53)	-
	12 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*			108.08	31.32 (76.76)	-
	13 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*			880.08	441.55 (438.53)	-
	14 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*			734.28	372.93 (361.35)	-
	15 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*			1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	16 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*			99.26	88.12 (11.13)	-
	17 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*			18.28	14.55 (3.74)	-
	18 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985)*			3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
	19 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*			26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	20 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*			3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
	21 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*			30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
	22 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*			72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	कुल 'ख'			**8,17,291.74**	**1,91,403.91 (6,25,887.83)**	-
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)					
	23 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*			2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
	24 बैंक ऑफ तंजावुर लि.,तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*			1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
	25 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*			76,449.75	75,897.32	552.43
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*			1,72,956.25	-	1,72,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*			10,56,442.08	6,22,212.71	4,65,884.94
	कुल 'ग'			**16,32,851.19**	**9,07,240.97**	**7,57,265.80**
	कुल (क+ख+ग)			**29,58,529.73**	**16,07,032.06 (6,25,887.83)**	**7,57,265.42**
II	**को-ऑपरेटिव बैंक**					
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)					
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)			573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)			184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)			1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)			218.99	244.99	(26.00)
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)			1,837.46	1,837.46	-
	6 कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*			484.89	484.89	-
	7 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)			12,500.00	12,500.00	-
	8 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)			121.97	121.97	-
	9 बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली , कर्नाटक (1996)			2,413.42	2,413.43	(0.00)
	10 धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^			915.79	915.79	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	11 त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि.,पुणे, महाराष्ट्र (1999)			28,556.47	28,556.47	-
	12 इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)			5,068.09	5,068.09	-
	13 माधवपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#)	3,160	02-05-2013	40,15,185.54	40,15,185.54	-
	14 श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक , (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)			7,821.24	7,821.24	-
	15 दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			26,553.64	26,553.64	-
	16 निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			11,289.66	11,289.66	-
	17 कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			47,432.57	47,432.57	-
	18 श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			34,033.48	34,033.48	-
	19 अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			33,329.35	33,331.32	(1.97)
	20 थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)			33,177.94	33,177.94	-
	21 अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			37,343.88	37,343.88	-
	22 दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद, गुजरात (2003)			41,281.62	41,281.62	-
	23 पीथापुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			7,697.97	7,697.97	-
	24 पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			22,952.19	22,952.19	-
	25 चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)			20,65,143.58	20,65,143.58	-
	26 सोलापुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			30,697.47	30,697.47	-
	27 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)			629.80	629.80	-
	28 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^			4,787.55	4,787.55	(0.00)
	29 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,725.86	5,725.86	-
	30 मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			30,892.41	30,901.60	(9.20)

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
31	डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^			6,06,403.31	6,06,403.31	-
32	प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			1,30,437.03	1,30,437.03	-
33	उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			15,706.37	15,706.37	-
34	दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)			18,999.84	18,999.84	-
35	पेटलाड नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			24,741.48	24,741.48	-
36	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2006)		20-06-2006	3,04,703.46	3,04,703.46	-
37	मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		01-08-2006	2,57,956.99	2,57,956.99	-
38	कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		23-10-2006	4,846.70	4,846.70	-
39	बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		06-11-2006	12,825.48	12,825.48	-
40	धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		18-12-2006	58,798.44	58,811.81	(13.36)
41	प्रूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		22-01-2007	7,55,959.06	7,55,959.06	-
42	श्रीराम सहकारी बैंक लि. नासिक, महाराष्ट्र (2007)		24-04-2007	3,23,215.02	3,23,215.02	-
43	यशवंत सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2007)		11-05-2007	5,938.96	5,938.96	-
44	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)			11,238.00	11,238.00	-
45	आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	22-01-2008	1,84,558.65	1,84,558.65	-
46	चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	17-04-2008	7,442.90	7,442.90	-
47	मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	01-09-2008	1,85,521.69	1,85,521.69	-
48	इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	27-10-2008	24,167.12	24,167.12	-
49	जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि.,दिल्ली (2008)	16,467		1,242.00	1,242.00	-
50	श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	09-03-2009	79,008.26	79,008.26	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	51 श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर , गुजरात (2009)	13,521	02-07-2009	51,821.99	51,821.99	-
	52 श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	24-09-2009	20,818.79	20,818.79	-
	53 चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	03-11-2009	3,00,915.66	3,00,915.66	-
	54 दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	10-12-2009	43,375.25	43,375.25	-
	55 फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	17-12-2009	33,463.64	33,463.64	-
	56 प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	09-04-2010	70,182.85	70,182.85	-
	57 सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर , मध्य प्रदेश (2010)	27,123		2,32,261.93	2,32,261.93	-
	58 कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	12,948	24-11-2010	1,14,105.43	1,14,105.43	-
	59 राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	13,833	09-12-2010	1,67,648.97	1,67,648.97	-
	60 श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	14-03-2011	179.27	179.27	-
	61 चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	10-02-2012	71,269.83	71,269.83	-
	62 श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)^	927	08-06-2012	9,476.72	9,476.72	-
	63 मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)*	85,990		2,37,520.12	2,37,520.12	-
	64 भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	12,203	23-11-2012	1,01,677.83	1,01,677.83	-
	65 कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	04-02-2013	16,993.25	16,993.25	-
	66 अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	16-09-2013	25,343.98	25,343.98	-
	67 वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373		7,27,615.26	7,27,615.26	-
	68 श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	20,401	28-10-2014	1,57,616.06	1,57,616.06	-
	69 दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2015)&	28,759	12-02-2015	3,01,759.34	3,01,759.34	-
	70 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	25-05-2015	1,19,188.84	1,19,188.84	-
	71 म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, गुजरात (2015)&	29,343	25-05-2015	1,56,382.66	1,56,382.66	-
	72 वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , राजस्थान (2015)	3,191	12-10-2015	41,382.47	41,382.47	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	73 द मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र (एमएच 121) (2016)	11,822	26-12-2016	55,921.12	55,921.12	-
	74 श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	6,592	08-08-2017	21,888.06	21,888.60	(0.54)
	75 विट्ठुल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर, महाराष्ट्र (2017)	10,912	04-09-2017	39,755.90	39,774.48	(18.59)
	76 जामखेड़ मर्चेंट्स सीबीएल, महाराष्ट्र (2020)	6,119	24-08-2018	52,055.23	52,572.52	(517.29)
	77 मिर्जापुर यूसीबीएल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश (2018)&	15,188	23-05-2018	71,639.96	71,639.96	-
	78 दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) &	6,446	15-04-2018	1,51,659.37	1,51,659.37	-
	कुल 'घ '			**1,29,17,552.73**	**1,29,18,139.67**	**(586.95)**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ड.)					
	79 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)			276.50	- (276.50)	-
	80 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (1978)			60.31	- (60.31)	-
	81 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*			4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	82 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)			26.10	- (26.10)	-
	83 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र (2000)			5,398.65	1,100.00 (4,298.65)	-
	84 सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)			27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	
	85 अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी, कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)			1,696.09	0.24 (1,695.85)	-
	86 लातूर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)			3,048.95	302.00 (2,746.95)	-
	87 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			708.44	527.64 (180.80)	-
	88 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	89 सेवालाल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड, मंडरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	27-02-2008	666.32	- (666.32)	-
	कुल 'ड.'			**46,133.20**	**21,336.01 (24,797.18)**	**-**

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)					
	90 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			1,156.70	604.14	552.56
	91 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			701.51	412.14	289.37
	92 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			1,317.25	335.53	981.72
	93 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*			9,130.83	1,294.66	7,836.17
	94 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)			1,395.93	707.86	688.08
	95 आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)			274.30	65.50	208.80
	96 गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)			2,285.04	1,341.05	943.99
	97 मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)			961.85	948.37	13.49
	98 हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)			1,095.23	-	1,095.23
	99 येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)			436.10	51.62	384.48
	100 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)			388.82	48.56	340.26
	101 कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)			1,736.62	963.02	773.59
	102 मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)			1,744.13	1,139.44	604.69
	103 सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)			7,485.62	1,944.01	5,541.60
	104 बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*			3,710.54	273.78	3,436.76
	105 भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)			1,983.68	103.04	1,880.64
	106 सिटिज़ेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)			22,020.57	2,227.77	19,792.80
	107 चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1995)			87,548.52	758.00	86,790.52
	108 पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)			36,545.52	29,279.79	7,265.73

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	109 स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1998)			22,662.97	7,300.00	15,362.97
	110 कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)			80,117.45	-	80,117.45
	111 दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)			51,803.37	49,313.08	2,490.29
	112 विंकार सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)			18,067.90	14,148.71	3,919.19
	113 आवामी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			46,239.88	5,500.00	40,739.88
	114 रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			62,293.89	260.58	62,033.31
	115 गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			6,736.99	964.46	5,772.53
	116 अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			2,447.07	137.15	2,309.92
	117 इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
	118 नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)			2,242.01	-	2,242.01
	119 दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)			2,017.30	-	2,017.30
	120 नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)			7,013.59	1,000.00	6,013.59
	121 इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)			21,862.77	465.72	21,397.05
	122 नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)			26,135.83	15,704.50	10,431.33
	123 परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)			3,946.61	3,939.70	6.91
	124 कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)			2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
	125 सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			30,168.26	12,765.43	17,402.83
	126 जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत),मध्य प्रदेश (2002)			19,486.49	15,071.90	4,414.59
	127 श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			1,40,667.57	67,046.41	73,621.16

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	128 मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)			37,959.73	0.01	37,959.73
	129 फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)			48,456.66	147.03	48,309.63
	130 भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)			9,697.12	9,363.83	333.30
	131 अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)			7,032.61	3.32	7,029.29
	132 श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			25,866.18	8,400.00	17,466.18
	133 श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)			74,426.82	2,421.29	72,005.53
	134 मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			14,779.44	427.30	14,352.14
	135 मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)			22,448.41	4.16	22,444.25
	136 श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2003)			47,507.25	342.72	47,164.53
	137 खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			46,368.34	1,028.84	45,339.50
	138 जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)			71,741.71	68,141.14	3,600.57
	139 दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,197.58	14,678.15	1,519.43
	140 यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)			30,046.64	3,099.50	26,947.14
	141 प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			9,254.48	8,614.31	640.17
	142 चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#			14,32,344.30	9,56,695.05	4,75,649.26
	143 राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,345.12	7,910.00	8,435.12
	144 आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			46,781.03	43,649.54	3,131.50
	145 दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			12,873.23	11,243.66	1,629.57
	146 कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			48,880.14	47.91	48,832.23
	147 दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2003)			1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
	148 मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)			57,245.59	9,702.80	47,542.79

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	149 धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			23,855.34	-	23,855.34
	150 दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			2,626.79	-	2,626.79
	151 मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			21,677.67	17,300.00	4,377.67
	152 भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			35,508.21	19,426.44	16,081.77
	153 नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)			22,272.99	3,038.47	19,234.52
	154 श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			42,971.17	40,768.78	2,202.39
	155 संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
	156 नायक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			25,531.20	-	25,531.20
	157 जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			7,15,200.69	5,05,756.90	2,09,443.79
	158 वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2004)			44,086.21	82.94	44,003.27
	159 प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)			34,192.33	28,248.87	5,943.46
	160 विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,गुजरात (2004)			38,46,162.46	33,70,419.04	4,75,743.42
	161 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			1,794.45	164.60	1,629.85
	162 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)			9,799.51	-	9,799.51
	163 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			10,170.18	9,470.18	700.00
	164 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			13,509.83	4,423.72	9,086.10
	165 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			19,306.12	6,600.08	12,706.04
	166 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)			25,441.21	3,343.11	22,098.10
	167 विजया कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			12,224.74	11,904.01	320.73
	168 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,387.17	2,007.17	5,380.00
	169 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)			3,741.01	4.74	3,736.27
	170 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)			41,999.65	394.91	41,604.74
	171 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)			13,351.57	4,512.55	8,839.02

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	172 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			15,836.61	519.61	15,317.00
	173 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक , महाराष्ट्र (2005)			1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
	174 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,84,048.60	4,45,291.88	1,38,756.72
	175 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)			49,437.88	34,002.75	15,435.13
	176 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			86,530.52	84,206.52	2,324.00
	177 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
	178 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			74,035.72	66,870.29	7,165.43
	179 नाड़ियाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			2,99,340.86	76,849.32	2,22,491.54
	180 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			2,23,150.28	82,682.52	1,40,467.76
	181 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			53,755.25	51,542.09	2,213.16
	182 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			17,573.42	729.55	16,843.88
	183 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)			3,031.51	0.24	3,031.27
	184 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)			8,501.09	3.72	8,497.37
	185 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,503.14	1,022.80	6,480.34
	186 श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			80,214.81	21,649.74	58,565.07
	187 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
	188 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			10,898.73	190.09	10,708.63
	188 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2005)			1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
	190 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			29,932.80	14,588.49	15,344.31
	191 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.तेहरी, उत्तरांचल (2005)			16,479.04	3,414.34	13,064.69
	192 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			40,828.18	10,038.93	30,789.25

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
193	दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		08-05-2006	67,739.63	26,933.48	40,806.15
194	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		15-05-2006	1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
195	मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		16-05-2006	65,053.51	0.38	65,053.14
196	नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		16-05-2006	3,01,592.15	2,14,352.62	87,239.53
197	सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		08-06-2006	2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.28
198	मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		20-06-2006	1,45,661.51	1,38,913.27	6,748.24
199	छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		21-07-2006	82,529.98	3.29	82,526.70
200	श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17-08-2006	92,989.37	1,791.86	91,197.50
201	श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा , गुजरात (2006)		17-08-2006	4,34,251.94	3,52,993.29	81,258.66
202	जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		17-08-2006	3,23,292.67	2,34,629.70	88,662.97
203	नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		17-08-2006	5,52,716.70	2,50,866.92	3,01,849.78
204	मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17-08-2006	1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
205	दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत,गुजरात (2006)		31-08-2006	91,577.38	1,216.11	90,361.26
206	जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2006)		02-08-2006	1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
207	कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टर्स सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		21-09-2006	29,757.64	6,157.56	23,600.09
208	आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		11-09-2006	3,71,586.77	2,36,086.25	1,35,500.52
209	कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,तमिलनाडु (2006)		11-09-2006	25,021.00	12,796.46	12,224.54
210	दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		16-10-2006	11,614.90	4,767.09	6,847.81
211	दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		26-09-2006	1,65,896.38	1,34,183.34	31,713.04
212	समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		27-12-2006	1,16,051.52	26,444.24	89,607.27

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	213 लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		25-01-2007	6,606.11	1,702.99	4,903.12
	214 नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)		12-02-2007	20,393.50	21.68	20,371.83
	215 सिंध मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		23-04-2007	1,03,903.73	61,949.78	41,953.95
	216 परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		27-04-2007	3,67,807.52	2,27,893.79	1,39,913.73
	217 पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		09-05-2007	47,576.03	17,844.29	29,731.74
	218 दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		21-05-2007	29,749.48	3,086.43	26,663.05
	219 महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)		25-05-2007	4,305.77	447.10	3,858.67
	220 करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		28-05-2007	1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
	221 भारत मर्केंटाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2007)		06-06-2007	31,232.28	4,165.30	27,066.99
	222 लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		13-06-2007	27,287.76	579.65	26,708.11
	223 वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		23-07-2007	2,304.21	5.61	2,298.60
	224 बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2007)		24-07-2007	5,937.89	2.88	5,935.01
	225 दतिया नागरिक सहकारी बैंक .,मध्य प्रदेश (2007)		13-08-2007	1,486.00	0.67	1,485.33
	226 आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		23-08-2007	12,974.81	6,446.71	6,528.11
	227 उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		04-09-2007	22,078.93	3,562.98	18,515.95
	228 सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		11-09-2007	1,60,286.13	75,518.98	84,767.15
	229 श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		25-09-2007	2,476.52	78.08	2,398.43
	230 ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		19-10-2007	54,847.11	4,189.25	50,657.86
	231 दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		27-12-2007	10,262.36	7,842.79	2,419.57

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
232	राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	05-02-2008	68,218.16	28,525.83	39,692.33
233	नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	03-04-2008	6,130.96	2.24	6,128.72
234	सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	09-04-2008	8,391.32	1,413.55	6,977.77
235	बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	29-04-2008	2,673.13	182.42	2,490.71
236	इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	09-05-2008	38,553.70	330.02	38,223.67
237	तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	29-05-2008	24,522.91	2,559.37	21,963.53
238	चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	16-06-2008	32,641.34	355.91	32,285.43
239	डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	09-07-2008	6,375.13	3,672.75	2,702.38
240	जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	25-08-2008	4,54,367.84	86,303.66	3,68,064.18
241	श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	01-09-2008	47,517.84	15,770.87	31,746.97
242	परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2008)	11,350	01-09-2008	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
243	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर , छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	09-09-2008	1,64,573.59	44,173.51	1,20,400.08
244	कित्तूर रानी चेन्नमा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	10-11-2008	22,849.90	10,946.41	11,903.49
245	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	12-11-2008	99,668.73	70,922.95	28,745.78
246	रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	04-02-2009	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
247	श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र	16,723	22-09-2008	2,68,254.02	2,37,271.10	30,982.92
248	हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	13-01-2009	36,446.49	4,441.56	32,004.93
249	वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी ,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	28-01-2009	25,242.02	13,395.14	11,846.88
250	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	24-02-2009	1,12,933.28	56,563.28	56,370.00

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	251 श्री कलमेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	23-03-2009	25,288.48	18,367.44	6,921.04
	252 दी लक्ष्मेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	23-03-2009	67,660.45	66,092.12	1,568.33
	253 प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	23-03-2009	65,792.83	36,584.83	29,208.00
	254 श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	25-03-2009	3,625.81	1,401.20	2,224.61
	255 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	31-03-2009	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	256 फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उत्तर प्रदेश (2009)	514	31-03-2009	4,015.07	7.16	4,007.91
	257 सिद्धपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	27-05-2009	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	258 नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	08-06-2009	1,28,916.02	69,076.93	59,839.09
	259 भावनगर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	24-06-2009	3,74,582.84	3,23,503.72	51,079.12
	260 संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	26-06-2009	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
	261 श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	26-06-2009	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
	262 ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	09-07-2009	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	263 अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	22-07-2009	53,127.98	32,959.23	20,168.75
	264 रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	14-08-2009	3,70,674.45	74,541.14	2,96,133.31
	265 साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*	56,817	21-08-2009	3,59,787.81	82,713.99	2,77,073.82
	266 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	25-08-2009	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
	267 अजीत सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	22-10-2009	2,92,978.03	1,42,336.14	1,50,641.88
	268 हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	22-10-2009	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33
	269 श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार , महाराष्ट्र (2009)	67,791	26-10-2009	5,66,073.61	36,015.99	5,30,057.62

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
270	दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	12-11-2009	97,541.55	37,096.16	60,445.39
271	सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	24-11-2009	19,584.61	14,598.15	4,986.46
272	वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	1,41,317	25-11-2009	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
273	मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	16-09-2009	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
274	डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	07-01-2010	93,927.24	102.33	93,824.91
275	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	28-01-2010	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
276	दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	03-02-2010	1,44,067.26	1,07,944.96	36,122.30
277	गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2010)	43,934	19-02-2010	4,36,184.64	1,11,422.59	3,24,762.05
278	अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण , कर्नाटक (2010)	10,590	24-02-2010	8,748.57	16.32	8,732.25
279	यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	19-03-2010	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
280	सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	13-04-2010	4,87,115.50	2,89,932.12	1,97,183.38
281	बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	56	23-04-2010	58.72	0.74	57.98
282	श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	5,289	19-05-2010	51,243.07	15,784.83	35,458.24
283	साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,386	17-06-2010	15,629.02	7,315.61	8,313.41
284	प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	3,710	25-06-2010	64,921.83	7,781.14	57,140.69
285	श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर , गुजरात, (2010)	14,263	05-07-2010	54,165.54	174.81	53,990.73
286	यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज , महाराष्ट्र , (2010)	21,235	11-05-2007	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
287	अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	22-07-2010	4,314.54	10.00	4,304.54

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
288	अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	09-08-2010	4,48,117.96	3,45,556.71	1,02,561.25
289	सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	13-08-2010	2,60,370.86	1,14,147.10	1,46,223.76
290	काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	39,912	30-08-2010	1,46,202.60	69,528.48	76,674.12
291	श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	35,219	09-09-2010	4,03,741.10	3,68,859.76	34,881.34
292	नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	54,036	15-09-2010	4,76,606.19	3,10,031.48	1,66,574.71
293	राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,424	27-09-2010	25,845.79	20,063.13	5,782.66
294	बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	08-10-2010	49,312.44	36,252.04	13,060.39
295	श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , कर्नाटक , (2010)	3,479	15-10-2010	49,352.46	769.25	48,583.21
296	विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	22-10-2010	71,482.68	63,759.22	7,723.46
297	अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	16-11-2010	23,839.86	4,377.14	19,462.72
298	अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	22-11-2010	27,996.78	11,425.28	16,571.50
299	रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	4,501	27-12-2010	14,769.68	-	14,769.68
300	चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2011)	14,811	18-02-2011	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
301	श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित , महाराष्ट्र , (2011)	9,208	07-03-2011	84,041.98	69,438.22	14,603.76
302	रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2011)	26,422	11-03-2011	1,33,960.02	1,22,786.45	11,173.57
303	अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	71,262	15-06-2011	5,91,664.24	3,19,188.50	2,72,475.74
304	केमबे हिन्दू मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	29-09-2011	86,764.47	9,683.40	77,081.07
305	रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	11-05-2011	67,393.38	50,469.42	16,923.96
306	श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	29-07-2011	2,569.75	17.08	2,552.67

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	307 श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	15-07-2011	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	308 दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	15-12-2011	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
	309 समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	17-06-2011	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
	310 हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	07-10-2011	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
	311 श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	19-07-2011	35,973.20	32,567.23	3,405.97
	312 दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	12-10-2011	1,99,311.58	60,533.76	1,38,777.83
	313 विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	23-05-2011	1,60,023.77	87,271.28	72,752.49
	314 इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	06-04-2011	5,57,696.70	4,72,870.71	84,825.99
	315 सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	03-11-2011	12,287.99	11,775.25	512.74
	316 आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	23-08-2011	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	317 श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	17-01-2012	22,002.44	3,545.78	18,456.66
	318 रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	01-02-2012	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	319 दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	27-03-2012	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	320 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2012)	18,516	08-07-2012	2,43,635.93	7,140.89	2,36,495.04
	321 बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	20-07-2012	45,494.11	42,836.70	2,657.41
	322 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	13-09-2012	4,317.79	766.79	3,551.00
	323 भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	26-09-2012	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
	324 भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	5,696	26-09-2012	20,904.79	7,614.16	13,290.63
	325 इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	27-09-2012	32,042.29	24,042.29	8,000.00
	326 श्री भद्रण मर्केंटाइल बैंक लि.,गुजरात (2012)	6,599	05-10-2012	45,780.63	43,405.89	2,374.74

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
327	ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा (2012)	14,925	29-10-2012	77,806.72	23,359.16	54,447.56
328	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	02-11-2012	4,102.06	1,464.14	2,637.92
329	सोलापुर नागरिक औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	23-11-2012	4,59,890.08	4,59,890.08	-
330	वासो कोऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)*	34,672		72,219.38	23,096.86	49,122.52
331	अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)*	19,631	27-12-2013	52,967.42	7,208.00	45,759.42
332	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	11,501	02-01-2014	92,475.42	92,472.06	3.36
333	अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	3,530		61,654.61	44,719.27	16,935.34
334	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2014)	6,134		42,156.92	14,924.01	27,232.91
335	सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2014)	2,707	30-04-2014	6,999.75	-	6,999.75
336	गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2014)	1,30,997	30-04-2014	29,37,759.86	28,88,931.17	48,828.69
337	दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2014)	7,078	04-08-2014	10,495.79	7,935.53	2,560.26
338	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2016)	14,190	12-02-2016	77,816.31	39,211.72	38,604.59
339	बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकता, पश्चिम बंगाल (2016)	19,137	20-05-2016	1,52,079.54	59,789.24	92,290.30
340	तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश (2016)	1,769	15-12-2016	4,308.27	1,581.57	2,726.70
341	धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	3,639	29-05-2017	20,783.40	18,450.09	2,333.31
342	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	4,009	09-08-2017	12,879.52	9,711.11	3,168.41
343	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	7,398	12-12-2017	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
344	कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (2017)	21,045	03-10-2017	2,46,373.71	1,67,801.58	78,572.13
345	लमका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (2017)	317	24-10-2017	261.65	0.00	261.65
346	छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (2017)	2,025	27-10-2017	10,385.18	8,537.44	1,847.74
347	गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, असम (2017)	1,075	06-11-2017	4,591.16	877.53	3,713.63
348	पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	05-03-2019	68,559.47	65,277.18	3,282.29

परिशिष्ट सारिणी 8: *(समाप्त)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान तिथि	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	349 यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	26-12-2019	2,47,534.55	1,66,659.06	80,875.49
	350 मर्केंटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2019)	19,087	16-01-2020	27,434.83	11,956.74	15,478.09
	351 अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2020)	4,556	14-02-2020	1,08,351.46	34,757.83	73,593.63
	352 महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2020)	33,004	27-03-2020	3,01,398.79	20,865.84	2,80,532.95
	353 सी के पी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	55,145	30-12-2020	33,35,991.77	26,60,734.15	6,75,257.63
	354 नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,920	06-01-2021	1,90,777.95	10,163.98	1,80,613.97
	355 श्री साई यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	27-12-2020	9,372.57	1,692.52	7,680.05
	356 भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	13,278	07-07-2020	2,99,987.52	2,36,756.72	63,230.80
	357 मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	67,754	01-02-2021	25,82,562.01	25,41,601.01	40,961.00
	358 कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	48,868	07-04-2021	37,26,815.72	13,16,867.13	24,09,948.59
	359 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	3,736	30-09-2021	31,399.78	-	31,399.78
	360 शिवाजीराव भोसले एसबीएल, महाराष्ट्र (2021)	61,117	12-10-2021	29,02,721.64	5,15,863.01	23,86,858.62
	361 करनाला एनएसबीएल, महाराष्ट्र (2022)	39,293	04-02-2022	37,97,227.38	-	37,97,227.38
	362 मडगाम यूसीबीएल, गोवा (2022)	32,686	11-03-2022	13,91,918.59	13,91,918.59	-
	363 पीएमसी सीबीएल, महाराष्ट्र (2022) *	8,68,855	31-03-2022	3,85,48,782.45	-	3,85,48,782.45
	364 लखनऊ यूसीबीएल (2025) &	3,249	14-05-2024	1,05,206.83	10,900.00	94,306.83
	365 यूनाइटेड सीबीएल, बगनान (2025)	632	08-01-2025	14,332.15		
	कुल 'च'			**9,26,50,537.43**	**3,07,14,192.77**	**6,19,22,012.51**
कुल (घ +ङ.+च)				**10,56,14,223.35**	**4,36,53,668.46 (24,797.18)**	**6,19,21,425.56**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ.+च)				**10,85,72,753.08**	**4,52,60,700.51 (6,50,685.01)**	**6,26,78,690.99**

* समामेलन/विलय की योजना

पुनर्निर्माण की योजना।

@ बैंक के परिसमापन पर निपटाए गए दावे।

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए दावे।

टिप्पणी : 1. मूल दावों के निपटान का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च तक बट्टे खाते डाले गई राशि हैं।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है।

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

परिशिष्ट सारिणी 8ए: बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	परिसमापन के तहत मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1	मुधोल सीबीएल $	08-04-2019	1,155	23-11-2021	1,66,937.15				1,66,937.21	-0.06
2	गढ़ा सीबीएल $	23-02-2021	643	23-11-2021	1,23,488.73	2,243	10-10-2024	57,365.27	62,725.52	1,18,128.48
3	मंथा यूसीबीएल $	17-11-2020	28,946	25-11-2021	4,48,883.72	4,775	13-06-2023	1,27,763.51	6,682.15	5,69,965.09
4	इंडिपेंडेंस सीबीएल $	09-02-2021	269	25-11-2021	23,570.22				1,317.02	22,253.20
5	डेक्कन यूसीबीएल $	19-02-2021	1,759	24-11-2021	1,29,816.98				1,29,816.98	-
6	सीकर यूसीबीएल	09-11-2018	1,186	24-11-2021	1,82,361.28				1,09,416.77	72,944.51
7	पीपुल्स सीबीएल $	11-06-2020	872	26-11-2021	71,998.85	90	27-03-2024	2,412.16	2,473.72	71,937.29
8	श्री आनंद सीबीएल $	25-06-2019	10,971	25-11-2021	90,568.55				98,960.52	-8,391.97
9	मराठा एसबीएल &	31-08-2016	8,925	25-11-2021	13,99,208.06				8,40,686.03	5,58,522.03
10	सिटी सीबीएल $	17-04-2018	12,563	24-11-2021	23,09,917.07				10,39,000.00	12,70,917.07
11	मिलथ सीबीएल $	08-05-2019	2,460	26-11-2021	1,08,929.25				25,580.72	83,348.53
12	सरजेरोदादा नाइक शिराला एसबीएल $	03-02-2021	10,888	25-11-2021	6,81,071.31	21,258	03-04-2023	1,13,617.07	3,83,597.58	4,11,090.80
13	पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	19-05-2018	290	25-11-2021	42,799.01				25,679.80	17,119.21
14	कपोल सीबीएल $	30-03-2017	21,573	26-11-2021	23,01,186.44				12,60,316.15	10,40,870.29
15	श्री गुरुराघवेंद्र एसबीएन	10-01-2020	22,324	27-11-2021	71,56,982.07				-	71,56,982.07
16	अदूर सीबीएल #	09-11-2018	252	26-11-2021	62,934.00				62,934.00	-
17	सेवा विकास सीबीएल $	12-10-2021	13,344	06-01-2022	15,12,751.64	3,819	21-09-2023	1,59,878.83	16,72,630.49	-0.02
18	बाबाजी दाते महिला एसबीएल $	08-11-2021	18,595	04-02-2022	29,44,731.02	1,381	07-02-2024	77,081.67	15,71,812.68	14,50,000.00
19	लक्ष्मी सीबीएल $	12-11-2021	20,565	08-02-2022	19,36,111.38	16,259	29-08-2024	44,262.80	10,70,385.63	9,09,988.55
20	मलकापुर यूसीबीएल $	24-11-2021	24,397	20-02-2022	49,66,878.97				29,81,867.30	19,85,011.67
21	नगर यूसीबीएल $	06-12-2021	17,269	28-02-2022	29,33,268.59	86,249	26-09-2024	8,58,018.12	37,91,286.71	0.00
22	रूपी सीबीएल $	22-02-2013	64,024	24-02-2022	69,98,052.69	16,439	19-01-2024	10,68,705.59	60,64,528.48	20,02,229.80
23	द इंडियन मर्कैंटाइल यूसीबीएल	28-01-2022	136	26-04-2022	29,049.44				11,634.53	17,414.91
24	द्वारकादास मंत्री एनएसबीएल ^	09-03-2022	2,834	03-06-2022	4,26,037.84				1,73,895.92	2,52,141.92
25	सुश्रुति सौहार्द एसबीएन, बेंगलुरु $	07-04-2022	1,821	01-07-2022	5,36,773.78				-	5,36,773.78
26	शंकर राव पुजारी नूतन एसबीएल $	13-05-2022	4,121	08-08-2022	4,16,052.71	1,912	30-12-2024	85,899.83	-	5,01,952.54
27	हरिहरेश्वर एसबीएल $	31-05-2022	4,208	20-08-2022	5,72,373.06	11,756	27-11-2024	26,546.22	29.38	5,98,889.90
28	श्री शारदा महिला सीबीएल $	08-07-2022	679	23-09-2022	1,50,555.47				30,000.00	1,20,555.47
29	सांगली एसबीएल ^	08-07-2022	4,097	26-09-2022	6,17,881.69				2,47,152.68	3,70,729.01
30	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना सहकारी बैंक नियामिता $	18-07-2022	510	13-10-2022	53,812.92				-	53,812.92
31	नासिक जिला गिरना एसबीएल $	09-09-2015	1,560	11-10-2022	1,69,977.27	2761	21-03-2025	11,900.61	-	1,81,877.88
32	साईबाबा जनता एसबीएल ^	22-07-2022	1,019	18-10-2022	1,88,282.97				75,313.19	1,12,969.78
33	दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा $	29-07-2022	290	20-10-2022	98,423.21				39,369.28	59,053.93

परिशिष्ट सारिणी 8ए: *(जारी)*

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	परिसमापन के तहत मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
34	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल, बसमतनगर $	29-07-2022	1,331	20-10-2022	2,38,898.99				47,792.76	1,91,106.23
35	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल, केरल ^	23-08-2022	4,141	18-11-2022	9,39,382.21				3,75,752.88	5,63,629.33
36	सुमेरपुर मर्कैंटाइल यूसीबीएल, सुमेरपुर, पाली $	06-12-2022	3,787	03-03-2023	4,64,586.57				-	4,64,586.57
37	आदर्श महिला नागरी एसबीएल $	23-02-2023	9,177	19-05-2023	18,63,712.60				63,900.00	17,99,812.60
38	शिमशा सहकर बैंक नियामिता	24-02-2023	2,563	15-05-2023	1,18,489.50				23,697.90	94,791.60
39	शंकरराव मोहिते पाटिल एसबीएल	24-02-2023	2,613	23-05-2023	4,78,881.75				92,521.51	3,86,360.24
40	एचसीबीएल सीबीएल	24-02-2023	3,728	24-05-2023	2,12,473.36				42,494.67	1,69,978.69
41	श्री महालक्ष्मी मर्कैंटाइल यूसीबीएल $	03-03-2023	1,928	30-05-2023	2,40,723.24				82,358.54	1,58,364.70
42	बनारस मर्कैंटाइल सीबीएल $	03-03-2023	538	30-05-2023	42,464.52				-	42,464.52
43	नेशनल मर्कैंटाइल सीबीएल	10-03-2023	126	06-06-2023	20,818.67				2,924.74	17,893.93
44	मुसिरी यूसीबीएल $	02-03-2023	125	30-05-2023	13,441.98				7,500.00	5,941.98
45	पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड	10-03-2023	25	06-06-2023	4,486.71				797.34	3,689.37
46	डिफेंस अकांउट्स सीबीएल ^	10-03-2023	756	08-06-2023	98,504.85				20,210.21	78,294.64
47	इम्पीरियल सीबीएल	10-03-2023	330	06-06-2023	54,256.76				10,851.35	43,405.41
48	हिरियूर यूसीबीएल $	10-03-2023	379	06-06-2023	21,815.40				-	21,815.40
49	फैज़ मर्कैंटाइल सीबीएल $	02-03-2023	1,143	29-05-2023	79,892.73	7,059	09-01-2025	17,205.90	17,205.90	79,892.73
50	राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड &	14-06-2023	1,180	07-09-2023	1,77,800.86				35,560.17	1,42,240.69
51	सावंतवाड़ी यूसीबीएल	14-06-2023	4,912	07-09-2023	2,56,073.86				50,117.18	2,05,956.68
52	वैशाली शहरी विकास सीबीएल $	14-06-2023	6,196	07-09-2023	5,83,280.05				-	5,83,280.05
53	नैशनल सीबीएल, बैंगलोर &	15-04-2024	19,355	22-10-2023	57,22,721.07				11,44,544.22	45,78,176.85
54	अजंता यूसीबीएम	29-08-2023	12,003	24-11-2023	27,52,211.38				1,10,000.00	26,42,211.38
55	पूर्वांचल सीबीएल $	29-08-2023	944	24-11-2023	1,26,338.73				-	1,26,338.73
56	कलर मर्चेंट्स सीबीएल	25-09-2023	1,064	20-12-2023	2,16,220.42				43,244.08	1,72,976.34
57	महाभैरब सीबीएल $	12-10-2023	2,375	09-01-2023	2,00,260.88				-	2,00,260.88
58	द शिरपुर एमसीबीएल	08-04-2024	3,807	04-07-2024	4,33,551.58					
59	नैशनल यूसीबीएल, प्रतापगढ़	15-04-2024	144	11-07-2024	24,650.03					
60	सर्वोदय सीबीएल	15-04-2024	1,500	10-07-2024	2,32,746.79					
61	द कोणार्क यूबीसीएल	23-04-2024	1,938	18-07-2024	1,26,403.35					
62	द अमानाथ सीबीएल	12-06-2024	372	06-09-2024	59,205.20					
63	कारवार यूसीबीएल	12-06-2024	1,588	06-09-2024	3,77,907.66					
64	श्री महालक्ष्मी यूसीसीबीएल गोकक	27-09-2024	9,535	20-12-2024	8,67,038.80					
कुल			**4,04,148**		**5,69,00,907.82**	**1,76,001**		**26,50,657.58**	**2,41,17,503.89**	**3,33,12,558.11**

$ डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद परिसमाप्त बैंक।

& बैंक जिनका दूसरे बैंक में विलय हो गया है।

^ बैंक पर लगाए गए एआईडी हटा दिए गए हैं।

बैंक को क्रेडिट सोसायटी में परिवर्तित कर दिया गया है।

परिशिष्ट सारिणी 8बी: त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे - 31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ हज़ार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	स्वीकृति तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 5 - स्तंभ 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2016)	24-10-2016		3,18,602.37	3,18,602.37	0.00
2	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2018)	12-12-2018		2,946.90	-	2,946.90
3	श्री छत्रपति यूसीबीएल, महाराष्ट्र (2018)	14-12-2018		27,601.00	-	27,601.00
4	गोकुल यूसीबीएल आंध्र प्रदेश/तेलंगाना (2019)	25-06-2019		13,579.00	-	13,579.00
5	भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2019)	25-06-2019		84,394.67	-	84,394.67
6	ब्रह्मावर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी (2021)	05-10-2021	26,425	2,51,000.00	-	2,51,000.00
7	गाजियाबाद यूसीबीएल, यूपी (2021)	01-02-2021		1,16,856.00	-	1,16,856.00
8	हरदोई यूसीबीएल, यूपी (2021)	31-03-2021	11,918	42,022.68	-	42,022.68
9	वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद (2021)	06-05-2021		3,28,300.00	-	3,28,300.00
10	भाग्योदय फ्रेंड्स यूसीबीएल (2021)	25-08-2021		80,463.93	-	80,463.93
11	डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल (2021)	16-12-2021		16,885.96	-	16,885.96
कुल				**12,82,652.51**	**3,18,602.37**	**9,64,050.14**

5. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मण्डल

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

1. **अभिमत**

हमने **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम")** के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") द्वारा यथासंशोधित द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, निम्नलिखित की स्थिति-

I. 31 मार्च 2025 तक निक्षेप बीमा निधि और उसका **अधिशेष**

II. 31 मार्च 2025 तक ऋण गारंटी निधि और उसका **अधिशेष**

III. 31 मार्च 2025 तक सामान्य निधि और उसका **घाटा**

और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके संबंधित नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

2. **अभिमत का आधार**

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक

आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. **मामले का प्रभाव:**

क. *हम आपका ध्यान निगम के वित्तीय विवरणों के **नोट-9** की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च 2025 को सामान्य निधि के 'राजस्व खाते' में 291.62 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया है। पहले इस राशि को दिसंबर 2024 तक पूंजीगत व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया था। इस पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, सामान्य निधि (जीएफ) का राजस्व खाता वर्ष के लिए 'घाटा' दर्शाता है।*

4. **वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी**

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तव में वित्तीय विवरणों के या लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तव में गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

5. **प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व**

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, की

तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व, निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना है जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख निदेशक मण्डल का दायित्व है।

6. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि, इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकते हैं।

- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।

- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई

ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7. **हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

क. मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

ख. हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

ग. रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर नं.: 113267W

सिद्धार्थ जैन
भागीदार
एम. नं. 104709
यूडीआईएन : 25104709BMIUIK5530

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई 2025

5. तुलन पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		देयताएं	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
16,88,742.00	**0.00**	**1. निधि : (वर्ष के अंत में शेष)**	**17,56,672.00**	**0.00**
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:		
1,57,42,723.02	61,195.92	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,81,86,556.10	64,969.30
24,43,833.08	3,773.38	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	29,50,041.04	3,986.14
1,81,86,556.10	**64,969.30**	वर्ष के अंत में शेष	**2,11,36,597.14**	**68,955.44**
		3. (क) निवेश रिज़र्व		
1,85,046.39	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	0.00
(1,85,046.39)	0.00	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	0.00	0.00
0.00	**0.00**	वर्ष के अंत में शेष	**0.00**	**0.00**
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
6,89,204.41	3,462.16	वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,08,215.44	3,462.16
1,19,011.03	0.00	राजस्व खाते से अंतरित	1,42,979.96	0.00
8,08,215.44	**3,462.16**	वर्ष के अंत में शेष	**9,51,195.40**	**3,462.16**
35,999.35	**0.00**	**4. सूचित और स्वीकृत परंतु अदा न किए गए दावे**	**66,398.99**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**	**1,21,160.42**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**7. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**8. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
2,089.32	**0.00**	**9. दावा न की गई बीमित जमाराशियां**	**4,544.32**	**0.00**
0.00	**0.00**	**10. विपंजीकृत बैंकों (जिन बैंकों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है) से संबंधित बीमित जमाराशियां**	**0.00**	**0.00**
		11. अन्य देयताएं		
106.58	0.00	(i) फुटकर लेनदार	121.30	0.00
8,18,438.91	1,273.86	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	10,39,458.09	1,353.05
17,299.31	0.00	(iii) देय रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	92,444.90	0.00
99.17	0.00	(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	0.00	0.00
0.34	0.00	(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	0.03	0.00
0.00	0.00	(vi) जीएफ से देय/प्राप्ति योग्य अंतर-निधि	0.00	0.00
8,35,944.31	**1,273.86**		**11,32,024.32**	**1,353.05**
2,15,57,546.52	**69,705.32**	**कुल**	**2,51,68,592.59**	**73,770.65**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

JAIN CHOUDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फॉर्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		आस्तियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
17,350.14	**16.38**	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**	**706.05**	**0.13**
0.00	**0.00**	**2. मार्गस्थ नकदी**	**0.00**	**0.00**
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	0.00	ट्रेजरी बिल	0.00	0.00
2,03,17,148.53	67,789.49	दिनांकित प्रतिभूतियां	2,35,06,287.93	71,580.07
2,03,17,148.53	**67,789.49**		**2,35,06,287.93**	**71,580.07**
1,99,35,522.24	*66,720.22*	***अंकित मूल्य***	*2,30,89,532.79*	*70,535.08*
2,04,05,767.03	*69,222.14*	***बाज़ार मूल्य***	*2,41,85,858.04*	*74,026.01*
3,47,915.97	**949.32**	**4. निवेश पर उपचित ब्याज**	**4,25,061.53**	**1,010.16**
0.00	**0.00**	**5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25 ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
		7. अन्य आस्तियां		
0.00	0.00	(i) फुटकर देनदार	0.00	0.00
8,21,529.47	950.13	(ii) अग्रिम आयकर	10,49,506.43	1,180.29
17,313.05	0.00	(iii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	92,520.29	0.00
17,299.31	0.00	(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	92,444.90	0.00
149.29	0.00	(v) प्राप्य सेवा कर/सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	135.79	0.00
18,840.76	0.00	(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	1,929.67	0.00
8,75,131.88	**950.13**		**12,36,537.08**	**1,180.29**
2,15,57,546.52	**69,705.32**	**कुल**	**2,51,68,592.59**	**73,770.65**

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(फॉर्म
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

2023-24		व्यय	2024-25	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
		1. दावे:		
1,40,308.22	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त	45,653.27	0.00
20,760.04	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए	32,289.76	0.00
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	1,21,160.42	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियां	0.00	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
(2438.52)	0.00	(ड.) घटाएं: पता न लगाए जाने योग्य जमाकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन	(313.65)	0.00
1,58,629.74	**0.00**	**निवल दावे**	**1,98,789.80**	**0.00**
0.00	**0.00**	**2. निवेश रिज़र्व में क्रेडिट किए गए निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**3. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**4. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
16,88,742.00	**0.00**	**6. अवधि के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**	**17,56,672.00**	**0.00**
34,27,829.71	**5,047.24**	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**	**41,30,183.52**	**5,339.19**
52,75,201.45	**5,047.24**	**कुल**	**60,85,645.32**	**5,339.19**
		कराधान के लिए प्रावधान		
8,18,438.91	1,273.86	चालू वर्ष	10,39,458.09	1,353.05
46546.69	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	(2,295.57)	0.00
0.00	0.00	आस्थगित कर	0.00	0.00
1,19,011.03	0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	1,42,979.96	0.00
24,43,833.08	3,773.38	**तुलन पत्र में ले जाया गया शेष**	29,50,041.04	3,986.14
34,27,829.71	**5,047.24**		**41,30,183.52**	**5,339.19**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

JAIN CHOUDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
के लिए राजस्व खाता
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

2023-24		आय	2024-25	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
12,17,447.00	**0.00**	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	**16,88,742.00**	**0.00**
23,87,914.26	**0.00**	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	**26,76,355.63**	**0.00**
90,073.20	**0.20**	**3. भुगतान (निपटान) किए गए निक्षेप बीमा दावों / भुगतान किए गए गारंटी दावों के संबंध में वसूली द्वारा**	**1,30,908.36**	**0.00**
		4. निवेशों से आय द्वारा		
13,74,629.86	5,080.88	(क) निवेशों पर ब्याज	15,80,193.31	5,339.19
8,329.53	(33.84)	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	(11,602.62)	0.00
11,761.21	0.00	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता द्वारा	12,848.65	0.00
13,94,720.60	**5,047.04**		**15,81,439.34**	**5,339.19**
		5. अन्य आय		
1,85,046.39	0.00	(क) प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के प्रावधान द्वारा	0.00	0.00
0.00	0.00	(ख) कर वापसी पर प्राप्त ब्याज	8,199.99	0.00
52,75,201.45	**5,047.24**	**कुल**	**60,85,645.32**	**5,339.19**
34,27,829.71	5,047.24	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	41,30,183.52	5,339.19
34,27,829.71	**5,047.24**		**41,30,183.52**	**5,339.19**

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(विनियम 18 -
31 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	देयताएं	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
5,000.00	**1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)**	**5,000.00**
	2. रिज़र्व	
	क) सामान्य रिज़र्व	
71,936.79	वर्ष के प्रारंभ में शेष	72,798.77
861.98	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	(50.82)
72,798.77		**72,747.95**
	ख) निवेश रिज़र्व	
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	39.19
39.19	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	(39.19)
39.19		**0.00**
	(ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व	
4,030.06	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. चालू देयताएं और प्रावधान	
577.43	बकाया व्यय	1,109.18
0.66	फुटकर लेनदार	62.27
325.12	आयकर के लिए प्रावधान	8.07
3.76	आस्थगित कर	22.51
0.03	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	2.17
907.00		**1,204.20**
82,775.02	**कुल**	**82,982.21**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

JAIN CHOUDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
फॉर्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	आस्तियां	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
	1. नकद	
0.00	(i) हाथ में	0.00
14.84	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	15.41
14.84		**15.41**
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
0.00	ट्रेज़री बिल	0.00
59,207.59	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	60,098.32
18,179.04	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य ₹18,900)	18,179.04
77,386.63		**78,277.36**
78,435.14	***अंकित मूल्य***	*79,235.51*
77,347.43	***बाजार मूल्य***	*80,280.93*
1,967.71	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**	**2,169.61**
	4. अन्य आस्तियां	
13.34	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	0.00
44.83	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	36.53
0.00	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.00
6.36	स्टाफ अग्रिम	0.00
2,025.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	2,035.00
1,020.40	अग्रिम आयकर / टीडीएस	313.28
257.99	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	110.99
0.00	फुटकर देनदार	7.48
37.92	परियोजना लागत	16.55
3,405.84		**2,519.83**
82,775.02	**कुल**	**82,982.21**

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

2023-24	व्यय	2024-25	2023-24	आय	2024-25
2,166.60	**स्टाफ को भुगतान / प्रतिपूर्ति की लागत**	**2,433.09**		**निवेशों से आय**	
0.00	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**	**1.50**	5,490.74	(क) निवेशों पर ब्याज	5,399.33
0.84	**निदेशकों/समिति के सदस्यों का यात्रा और अन्य व्यय**	**0.00**	3.58	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	42.34
358.05	**किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि**	**366.50**	**5,494.32**		**5,441.67**
667.30	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**	**725.74**	**0.00**	**निक्षेप बीमा निधि / ऋण गारंटी निधि को अग्रिम राशि पर ब्याज**	**0.00**
27.80	**मुद्रण, लेखन सामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**	**44.60**	**0.00**	**प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास द्वारा**	**39.19**
104.60	**डाक, तार और टेलीफोन**	**136.65**			
107.66	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**	**54.05**		**विविध प्राप्तियाँ**	
85.51	**विधि प्रभार**	**65.30**	0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
20.91	**विज्ञापन**	**3.00**	0.60	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	(0.25)
39.19	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**0.00**	0.00	आयकर धनवापसी पर ब्याज	0.00
	विविध व्यय		23.13	अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.00
26.33	व्यावसायिक प्रभार	24.55	**23.73**		**(0.25)**
495.11	सेवा संविदा / अनुरक्षण	1,087.35			
10.00	पुस्तकें, समाचार पत्र, आवधिक पत्रिकाएँ	25.41			
4.91	पुस्तक अनुदान	0.00			
10.26	कार्यालय परिसंपत्ति-जड़वस्तु की मरम्मत	0.26			
111.29	लेन-देन प्रभार-सीसीआईएल	134.78			
75.56	अन्य	369.92			
733.46		**1,642.27**			
37.09	मूल्यह्रास	**26.64**			
16.07	आईएएसएस पर मूल्यह्रास	**13.34**			
1,152.97	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया**	**0.00**	**0.00**	**आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया**	**32.07**
5,518.05	**कुल**	**5,512.68**	**5,518.05**	**कुल**	**5,512.68**
0.00	**आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया**	32.07	**1,152.97**	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया**	**0.00**
	आयकर के लिए प्रावधान				
287.23	चालू वर्ष	0.00			
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00			
3.76	आस्थगित कर	18.75			
0.00	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**	0.00			
861.98	**सामान्य रिज़र्व खाता**			**सामान्य रिज़र्व खाता**	**50.82**
1,152.97	**कुल**	**50.82**	**1,152.97**	**कुल**	**50.82**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

** महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।*

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

स्वामीनाथन जे अध्यक्ष	**अर्णब कुमार चौधरी** कार्यपालक निदेशक	**पंकज शर्मा** निदेशक	**शाजी के.वी.** निदेशक	
डॉ. तरुण अग्रवाल निदेशक	**प्रो. पार्थ रे** निदेशक	**अनूप कुमार** मुख्य महाप्रबंधक	**मंगेश यादवराव सोरते** महाप्रबंधक	

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

2023-24		विवरण		2024-25	
डीआईएफ	सीजीएफ			डीआईएफ	सीजीएफ
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
34,27,829.71	**5,047.24**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**41,30,183.52**	**5,339.19**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :			
(13,86,391.07)	(5,080.88)	निवेशों पर ब्याज		(15,93,041.96)	(5,339.19)
(8,329.53)	33.84	प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/ (हानि)		11,602.62	0.00
0.00	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		0.00	0.00
(1,85,046.39)	0.00	निवेश रिज़र्व में अंतरण		0.00	0.00
0.00	0.00	प्राप्त धनवापसी पर ब्याज		0.00	0.00
0.00	0.00	कर		0.00	0.00
4,71,295.00	0.00	निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		67,930.00	0.00
(11,08,471.99)	**(5,047.04)**		**(ख)**	**(15,13,509.34)**	**(5,339.19)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियां :			
		कमी/(वृद्धि)			
(8,23,126.11)	(931.62)	अग्रिम आयकर/टीडीएस में वृद्धि		(10,44,120.31)	(1504.02)
0.00	0.00	फुटकर देनदार		0.00	0.00
18.31	0.00	प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी		(31.78)	0.00
1,81,852.21	0.00	अन्य आस्तियां		(1,33,396.46)	0.00
0.00	0.00	विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता		0.00	0.00
(6,41,255.59)	**(931.62)**		**(ग)**	**(11,77,548.55)**	**(1504.02)**
		देयताएं:			
		(कमी)/वृद्धि			
17,914.43	0.00	सूचित परंतु भुगतान न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		1,51,560.07	0.00
(2380.23)	0.00	दावा न की गई जमाराशियां		2,455.00	0.00
(24.98)	0.00	फुटकर लेनदार		14.72	0.00
0.00	0.00	फुटकर जमा खाता		0.00	0.00
0.00	0.00	सेवाकर देय खाता		(99.17)	0.00
(90922.44)	0.00	रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		75,145.59	0.00
0.00	0.00	भुगतान योग्य स्वच्छ भारत		0.00	0.00
(4.48)	0.00	भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(0.31)	0.00
(75,417.70)	**0.00**		**(घ)**	**2,29,075.90**	**0.00**
16,02,684.43	**(931.42)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह: (क+ख+ग+घ)**	**(ए)**	**16,68,201.53**	**(1504.02)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
13,48,044.65	5,041.97	प्राप्त निवेश पर ब्याज		15,15,896.40	5,278.35
8,329.53	(33.84)	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		(11602.62)	0.00
0.00	0.00	सामान्य निधि में अंतरित		0.00	0.00
		कमी/(वृद्धि)			
(29,43,364.98)	(4,076.17)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(31,89,139.40)	(3,790.58)
(15,86,990.80)	**931.96**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**(16,84,845.62)**	**1487.77**
0.00	**0.00**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(सी)**	**0.00**	**0.00**
15693.63	**0.54**	**नकदी में निवल वृद्धि/कमी**	**(ए+बी+सी)**	**(16,644.09)**	**(16.25)**
1,656.51	15.84	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		17,350.14	16.38
17350.14	**16.38**	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**706.05**	**0.13**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि (जीएफ)
31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

2023-24			2024-25
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
1,152.97	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**(32.07)**
	परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :		
37.09	मूल्यह्रास		26.64
16.07	आईएएसएस पर मूल्यह्रास		13.34
(5,490.74)	निवेशों पर ब्याज		(5,399.33)
(3.58)	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		(42.34)
39.19	निवेश रिज़र्व में अंतरण		(39.19)
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		0.00
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
(0.60)	जड़ वस्तु की बिक्री से लाभ/(हानि)		0.25
23.13	अन्य -विविध प्राप्तियाँ		0.00
0.00	आयकर		0.00
(5,379.44)		**(ख)**	**(5,440.63)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
0.00	लेखन सामग्री /अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		0.00
(200.76)	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		147.00
(0.99)	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय/भत्ते हेतु अग्रिम		6.36
(1,104.11)	अग्रिम आयकर		419.90
(200.00)	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा		(10.00)
0.00	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		0.00
0.45	फुटकर देनदार		(7.48)
(40.86)	परियोजना लागत		34.71
(1,546.27)		**(ग)**	**590.49**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
0.00	भारतीय रिज़र्व बैंक में		0.00
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
259.39	बकाया व्यय		531.75
(22.34)	फुटकर लेनदार		61.61
35.11	अन्य जमा/टीडीएस		(29.82)
(1.25)	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		2.13
270.91		**(घ)**	**565.67**
(5,501.83)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ए)**	**(4,316.54)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
5,483.42	निवेशों से प्राप्त ब्याज		5,197.43
3.58	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		42.34
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.00	डीआईएफ से प्राप्त निधि		0.00
(23.13)	अन्य		0.00
	कमी (वृद्धि)		
(46.18)	अचल आस्तियाँ		(31.93)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश :		
0.00	ट्रेजरी बिल		0.00
1,843.69	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(890.73)
(1817.34)	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		0.00
5,444.04	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**4,317.11**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(सी)**	**0.00**
(57.79)	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(ए+बी+सी)**	**0.57**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी शेष		
0.00	हाथ में		0.00
72.63	भारिबैं के पास		14.84
14.84	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**15.41**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार
(एम सं. 104709)

मुंबई
15 मई 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. परिचय:

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की स्थापना डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत की गई है, जो संसद का एक अधिनियम है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। यह कंपनी अधिनियम के तहत कोई कंपनी नहीं है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार सम्पूर्ण पूंजी आरबीआई द्वारा पूर्णतः अभिदत्त की जाती है। डीआईसीजीसी के कार्य "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" (डीआईसीजीसी अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961" के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

2. लेखांकन का आधार:

वार्षिक लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार एवं निर्धारित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. 31 मार्च को कारोबार समाप्ति पर तुलन पत्र -

ए.1. निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और

ए.2. सामान्य निधि

बी. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता -

बी.1. निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि

बी.2. सामान्य निधि

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) और देश में सामान्यतः प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है। वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर सुसंगत रूप से लागू किया जाता है।

3. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है, जो आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय की रिपोर्ट की गई राशि को और उस तारीख के वित्तीय विवरणों के, विशेष रूप से निक्षेप बीमा के तहत दावों से संबंधित, आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित हैं। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

4. राजस्व एवं दावों का निर्धारण:

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए, आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देरी के लिए दण्डात्मक ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बैंक के विपंजीकरण पर बीमाकृत जमाराशि की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बनती है। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश/निषेध के तहत रखे गए बीमाकृत बैंकों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा।

(ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में, जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अनुसार दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा 3.(ii)(ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को रिवर्स कर दिया जाता है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जमा देयता के अनुसार क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।

(घ) डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत बीमाकृत बैंक को किए गए अंतरिम भुगतान निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर वसूल किए जा सकते हैं। बैंक द्वारा 45वें दिन तक प्रस्तुत जमाकर्ताओं की सूची के अनुसार देयता का प्रावधान तब तक रखा जाएगा जब तक कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के संदर्भ में निगम द्वारा वास्तविक दावे का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता है अथवा निदेश / विलय / समामेलन के अंत तक, जो भी पहले हो।

(ड.) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अनुसार, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार, 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या – 1060100) खाताशीर्षों के तहत प्रावधान को रिवर्स किया गया है और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) राईट बैक की गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया है। यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए और अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को उसी वर्ष हिसाब में लिया जाता है जिसमें वह प्राप्त हुई है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है। डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में पुनर्भुगतान की प्राप्ति बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बीमाकृत बैंकों की क्षमता पर विचार करते हुए तय की गई समय सीमा पर निर्भर करेगी और इसे स्थगित (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (3) के अनुसार) किया जा सकता है। पुनर्भुगतान में निर्धारित समयावधि से अधिक देरी के मामले में, निगम को चुकाई जाने वाली राशि के लिए प्रति वर्ष रेपो दर से अधिकतम दो प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज निगम द्वारा (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (4) के अनुसार) लिया जाएगा।

(iv) निवेश से आय

(क) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ख) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को लेन-देन के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

(v) अन्य आय

विविध जमा खाता और बयाना जमा खाता सहित कुछ पारगमन खातों में तीन से अधिक लगातार लेखा वर्षों के लिए अदावाकृत और बकाया शेष राशि की समीक्षा की जाती है और उसे आय में लिखा जाता है। इससे संबंधित

दावे, यदि कोई हो तो, भुगतान के वर्ष में उस पर विचार किया जाता है तथा उसे आय के विरुद्ध प्रभारित किया जाता है।

5. निवेश:

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन), यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

(iii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, बल्कि ऐसे प्रावधान को लेखा विवरण के निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप निवेश आरक्षित खाते (इन्वेस्टमेंट रिज़र्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) रखा जाता है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाता है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय के विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) में क्रेडिट किया जाता है।

(v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण, अंतरण की तारीख के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है।

(vi) रेपो और रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ संपार्श्विक उधार / उधार संचालन के रूप में माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय, जैसा भी मामला हो, में हिसाब में लाया जाता है।

6. अचल आस्तियाँ:

(i) अचल आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है। अमूर्त आस्तियों को लागत में से परिशोधन घटाकर दर्ज किया जाता है। लागत में ऐसी आस्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया भुगतान शामिल होता है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयर (₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर,माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33% **प्रति वर्ष** (3 वर्ष)
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20% **प्रति वर्ष** (5 वर्ष)

(ख) मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है तथा इसे अचल आस्तियों के तिमाही अंत शेष पर दर्ज किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन का माह भी शामिल होता है।

(iii) अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित को प्रभारित किया जाता है: क. लैपटॉप, आदि जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है। ख. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदें जिनकी कीमत ₹1 लाख से कम है। ग. अचल आस्तियाँ, जिनकी लागत ₹1 लाख से कम हो।

उपर्युक्त के अलावा, अन्य सभी पूंजीकृत हैं और मूल्यह्रास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

(iv) बाद के व्यय पर मूल्यह्रास:

(क) किसी विद्यमान अचल आस्ति पर किया गया अनुवर्ती व्यय, जिसका लेखा पुस्तकों में पूर्णतः मूल्यह्रास नहीं किया गया है, मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

(ख) किसी विद्यमान अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/ परिवर्धन /ओवरहॉलिंग पर किया गया अनुवर्ती व्यय, जिसका लेखा पुस्तकों में पहले ही पूर्ण मूल्यह्रास हो चुका है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है तथा उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें व्यय किया गया है।

7. पट्टेः

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागतः

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूरित अनुपस्थिति भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

9. आय पर कराधानः

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आकलन किया जाता है। आस्थगित कर कर-योग्य आय तथा लेखा आय/ व्यय के अंतर पर कर प्रभाव है जो एक समयावधि में शुरू होकर आगामी एक या आने वाले वर्षों में रिवर्सल में सक्षम हैं। आस्थगित कर को समय के अंतराल की दूरदर्शिता के आधार पर माना जाता है। तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

10. आस्तियों की दुर्बलताः

जब भी किसी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि किसी आस्ति की रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से अचल आस्तियों और अमूर्त आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रख रखाव राशि की उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान यह माप कर लगाया जाता है कि आस्ति की रखाव राशि आस्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग मूल्य की तुलना में कितनी अधिक है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(i) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29, प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप, पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

(ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

(iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

(iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

(v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

12. संबंधित पार्टी:

आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार "राज्य-नियंत्रित उद्यम" हैं, के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। राज्य-नियंत्रित उद्यम वह उद्यम है जो केन्द्र सरकार और/या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

क. सेवा कर:

स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ:

01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़) :

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की गतिविधियों को "सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने 01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए दिनांक 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में 20 सितंबर 2011 से पहले की अवधि के लिए ₹5,367.42 करोड़ की संपूर्ण मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है। तथापि सीईएसटीएटी ने यह भी माना कि निगम की गतिविधि "सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में आती है और निगम सेवाकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के 5,367.42 करोड़ रुपये की पूरी मांग को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निगम ने 20 जुलाई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है और मामले की सुनवाई अभी बाकी है। निगम ने 09 सितंबर 2015 को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष "सामान्य बीमा व्यवसाय" के तहत आने वाली गतिविधि के वर्गीकरण की पुष्टि के खिलाफ एक अपील भी दायर की है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। [धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

ख. दावे:

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता किससे संबंधित है	लेखा कोड	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क) पंजीकरण रद्द कएि गए बैंक *	1080002	18,723.81	6,981.69
ख) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	17,689.59	17,377.69
ग) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	10,147.13	9,156.51
घ) एआईडी के तहत बैंक	1080003	0.00	51,566.35

**बोटाड पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए तैयार किए गए सीएल (₹ 13.20 करोड़) पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसके लिए डीआईसीजीसी देयता लागू नहीं की गई है।*

(₹ लाख में)

किसके संबंध में प्रावधानों का रिवर्सल	लेखा कोड	वित्त वर्ष 2025 के दौरान	वित्त वर्ष 2024 के दौरान
क) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	313.65	2,438.52
ख) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	990.63	391.84

2. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 का संशोधन:

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन के विषय में 01 सितंबर 2021 से अधिनियम में एक नई धारा 18ए जोड़ी गई है, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसे बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है या बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के

किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध या आदेश या योजना बनाई गई है और इस तरह के निर्देश, निषेध, आदेश या योजना में ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तदनुसार, डीआईसीजीसी ने वर्ष 2024-25 के दौरान 18 बैंकों के संबंध में ₹33,082.22 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 28 बैंकों के संबंध में ₹1,26,121.23 लाख) का भुगतान किया है।

3. निवेश उच्चावचन रिज़र्व:

निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2025 को ₹9,58,687.62 लाख आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2024 को यह ₹8,15,707.66 लाख था)।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अंतर्दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई अंतर्दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

5. रेपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ लाख में)

प्रकटीकरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
I. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II. रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ	8,706.00	15,80,166.00	2,04,813.99	91,472.00
निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6. आयकर:

निगम, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्रासंगिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा 115बीएए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जारी रखेगा।

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं।

चालू कर:

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 और आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में भुगतान के लिए निर्धारित आयकर की राशि (वसूली योग्य) है।

आस्थगित कर:

वर्ष के लिए बहीखाते और कर लाभों के बीच समय अंतराल के लिए आस्थगित कर का हिसाब उन कर दरों और कानूनों का प्रयोग करके लगाया जाता है, जिन्हें तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूलभूत रूप से अधिनियमित किया गया है। समय अंतराल से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों की इस सीमा तक पहचान की जाती है कि भविष्य में इनके वसूल होने की उचित निश्चितता हो। आस्थगित कर आस्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे वह राशि दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है, जिसका वसूल होना उचित/वस्तुतः निश्चित हो।

प्रावधान:

करों के लिए प्रावधान - चालू कर - ₹10,40,811 लाख

आस्थगित कर - ₹ 18.75 लाख

समय अंतराल से उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

	मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए गतिविधि	मार्च 2024 तक
आस्थगित कर आस्ति			
निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	(9,86,246)	9,86,246
आस्थगित कर देयता			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(8,88,667)	4,73,495	(13,62,161)
निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (रिवर्सल)	(9,86,246)	9,86,246	
शुद्ध आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	(18,74,913)	4,73,495	(3,75,916)

7. बीमांकिक मूल्यांकन:

31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन की गणना के लिए जोखिम डिफ़ॉल्ट संभाव्यता और हानि अनुपात दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

8. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

<u>प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक</u>:

डॉ. दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2024 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। श्री आर. लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मई 2024 से 30 जून 2024 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। आज की तारीख में, श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक निगम के मामलों का प्रभार संभाल रहे हैं। उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से वेतन और अनुलाभ प्राप्त किए हैं।

9. चालू पूंजीगत कार्य:

निक्षेप बीमा की बढ़ती आवश्यकताओं और उभरते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी के लिए एक नई एकीकृत लेखा प्रणाली (सम्यक) की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अत्याधुनिक कार्यक्षमताएं हों, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए निगम के विज़न को पूरा किया जा सके। यह एप्लिकेशन, विभाग के नियमित परिचालन संबंधी प्रबंधन के अलावा, परिचालन कार्यों के आद्योपांत स्वाचालन, डेटा एनालिटिक्स आदि की व्यवस्था करेगा। यह प्रौद्योगिक छलांग हमारी प्रक्रियाओं को काफी हद तक सुव्यवस्थित करेगी और परिचालन की क्षमता में सुधार करेगी।

परियोजना की अनुमानित लागत ₹6.50 करोड़ थी। तथापि, डीआईटी, आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, पूंजीगत व्यय में कमी की गई है, तथा राजस्व व्यय में तदनुरूप वृद्धि की गई है। अब तक हुए ₹6.89 करोड़ व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

31-03-2025 तक कुल लागत

वित्तीय वर्ष	पूंजीगत व्यय (₹)	राजस्व व्यय (₹)	कुल
2023-24	37,92,114.70	-	37,92,114.70
2024-25	16,55,000.00	*6,72,48,359.51	6,89,03,359.51

** डीआईटी, आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज ₹2,91,62,292.48 की व्यय राशि को रिवर्स कर दिया गया है, और वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय के तहत दर्ज किया गया है। इसमें से ₹37,92,114.70 जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के लिए हैं और अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान किए गए और पूंजीकृत ₹2,53,70,177.78 की व्यय राशि को रिवर्स कर दिया गया है और मार्च 2025 में राजस्व व्यय के तहत दर्ज किया गया है।*

नई प्रणाली का डेवलप्मेंट और कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

10. पट्टेः

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले पट्टा किराए को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

11. मूल्यह्रास:

मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है तथा इसे अचल आस्तियों के तिमाही अंत शेष पर दर्ज किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन का माह भी शामिल होता है:

(राशि ₹ में)

आस्तियाँ	31 मार्च 2024 तक प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	विलोपन	मूल्यह्रास	31 मार्च 2025 तक अंत शेष
फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण	4,35,923	-	-	1,33,315	3,02,607
कंप्यूटर हार्डवेयर	40,47,366	19,09,150	74,720	25,31,169	33,50,627
अमूर्त आस्तियाँ	13,33,580	-	-	13,33,580	0.00
कुल	**58,16,869**	**19,09,150**	**74,720**	**39,98,064**	**36,53,234**

12. खण्ड वार रिपोर्टः

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार, प्रबंधन की राय में, व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न रिपोर्ट योग्य खण्ड नहीं है।

13. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए, पिछले वर्ष के आँकड़ों में, आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

63rd Annual Report of the Board of Directors
Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2025

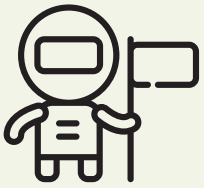

MISSION

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors

VISION

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders

CONTENTS

Page No.

Letter of Transmittal to the Reserve Bank of India i

Letter of Transmittal to the Government of India ii

Board of Directors..... iii

Organisation Structure..... iv

Contact information of the Corporation..... v

Principal Officers of the Corporation..... vi

Abbreviations..... vii-viii

2024-25 At a Glance..... viii

Highlights..... x-xiv

1. AN OVERVIEW OF DICGC..... 1-7

Introduction 1

History..... 1

Institutional Coverage 2

Registration of Banks..... 2

Insurance Coverage 2

Types of Deposits Covered..... 3

Insurance Premium..... 3

Cancellation of Registration..... 3

Supervision and Inspection of Insured Banks..... 3

Settlement of Claims..... 4

Recovery of Settled Claims 5

Funds, Accounts and Taxation..... 5

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS..... 8-23

Introduction 8

Major Board level developments during the year 9

Registration/Deregistration of Banks 10

Coverage 11

Sources and Uses of Funds 15

CONTENTS

Page No.

Reimbursement 16
Recoveries 17
Strengthening Public Awareness Campaign 17
Risk Management and Internal Control Systems 18
Business Process Reengineering: Automation of Work Process 21
Engagement with IADI and Other Deposit Insurers 21
Conclusion and Way Forward 22

3. GLOBAL DEVELOPMENTS IN DEPOSIT INSURANCE 24-30
Introduction 24
Mandate 24
Coverage of Deposit Insurance 24
Sources of Funds 26
Uses of Funds 26
Reimbursement 27
Representation of Financials by Select Deposit Insurers - Comparison 27
Deposit Insurance: Emerging Trends 28
Conclusion and Way Forward 30

4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 31-40
Part I: Operations and Working 31
Deposit Insurance Scheme 31
Deposit Insurance Fund 32
Settlement of Deposit Insurance Claims 33
Claims Settled and Repayments Received 33
Court Cases 34
Credit Guarantee Schemes 34
Part II: Other Important Initiatives/Developments 34
Measures Related to Recovery Management 34
Public Awareness / Communication Policy and Strategy 35

CONTENTS

Page No.

Part III: Statement of Accounts 35

Insurance Liabilities 35

Revenue during the Year 35

Accumulated Surplus 36

Investments 36

Taxation 36

Part IV: Treasury Operation 36

Part V: Organisational Matters 37

Board of Directors 37

Nomination / Retirement of Directors 38

Audit Committee of the Board 38

Internal Controls 38

Training and Skill Development 38

Staff Strength 39

The Right to Information Act, 2005 39

Use of Hindi 39

Complaint Redressal Cell in the Corporation 39

International Relations 39

Auditors 40

BOXES

Box 2.1: Deposit Insurance for Pre-Paid Instruments 12

Box 2.2: Risk Monitoring by Deposit Insurers 18

Box 2.3: Operational Risk Reserve for Deposit Insurance 19

Box 2.4: IADI-APRC International Conference in Jaipur, India, August 12-14, 2024 .. 21

Box 3.1: Representation of Financial Statements 28

Box 3.2: Leveraging Technology and AI for Deposit Data Monitoring and Risk Assessment 29

CONTENTS

Page No.

APPENDIX TABLES

1 Banks under the Deposit Insurance - Progress Since Inception 41

2A Insured Banks – Bank Group-wise 43

2B Insured Co-operative Banks - State-wise 44

3 Banks Registered / De-Registered during 2024-25 45

4 Deposit Protection Coverage: Since Inception 46

5 Bank Group-wise Insured Deposits 47

6 Deposit Insurance Claims Settled during 2024-25 (Liquidated/Merged Banks) 50

6A Deposit Insurance Claims Settled during 2024-25 (Banks under All Inclusive Directions) 51

7 Provision held under Contingent Liability 52

7A Provision held under Contingent Liability - Banks under AID 52

8 Insurance Claims Settled and Repayment Received - All Banks Liquidated / Amalgamated / Reconstructed up to March 31, 2025 53

8A Insurance Claims Settled and Repayment Received - Banks Placed under All-inclusive Directions (AID) up to March 31, 2025 73

8B Insurance Claims Settled under Expeditious Settlement Scheme - Up to March 31, 2025 75

5. AUDITORS' REPORT 76

6. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS 80

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S428/01.01.016/2025-26 June 20, 2025

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2025

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

i. the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2025, together with the Auditors' Report, and

ii. the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2025.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) above have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(Dr. Mangesh Y. Sorte)
General Manager

Encl: As above

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S427/01.01.016/2025-26 June 20, 2025

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2025

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

i. the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2025, together with the Auditors' Report, and

ii. the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2025.

Five copies thereof are sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz*., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.* The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(Dr. Mangesh Y. Sorte)
General Manager

Encl: As above

BOARD OF DIRECTORS*

CHAIRMAN	
Dr. M. D. Patra **Deputy Governor** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from March 31, 2020 to January 14, 2025)
Shri Swaminathan J **Deputy Governor** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from January 15, 2025)
DIRECTORS	
Shri R. Lakshmi Kanth Rao **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from May 10, 2024 to June 30, 2024)
Shri Arnab Kumar Chowdhury **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 1, 2024)
Shri Pankaj Sharma **Joint Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from April 1, 2022)
Shri Shaji K. V. **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from February 15, 2023)
Dr. Tarun Agarwal	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 10, 2024)
Prof. Partha Ray **Director** **National Institute of Bank Management**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 10, 2024)

* June 30, 2025

ORGANISATION STRUCTURE*

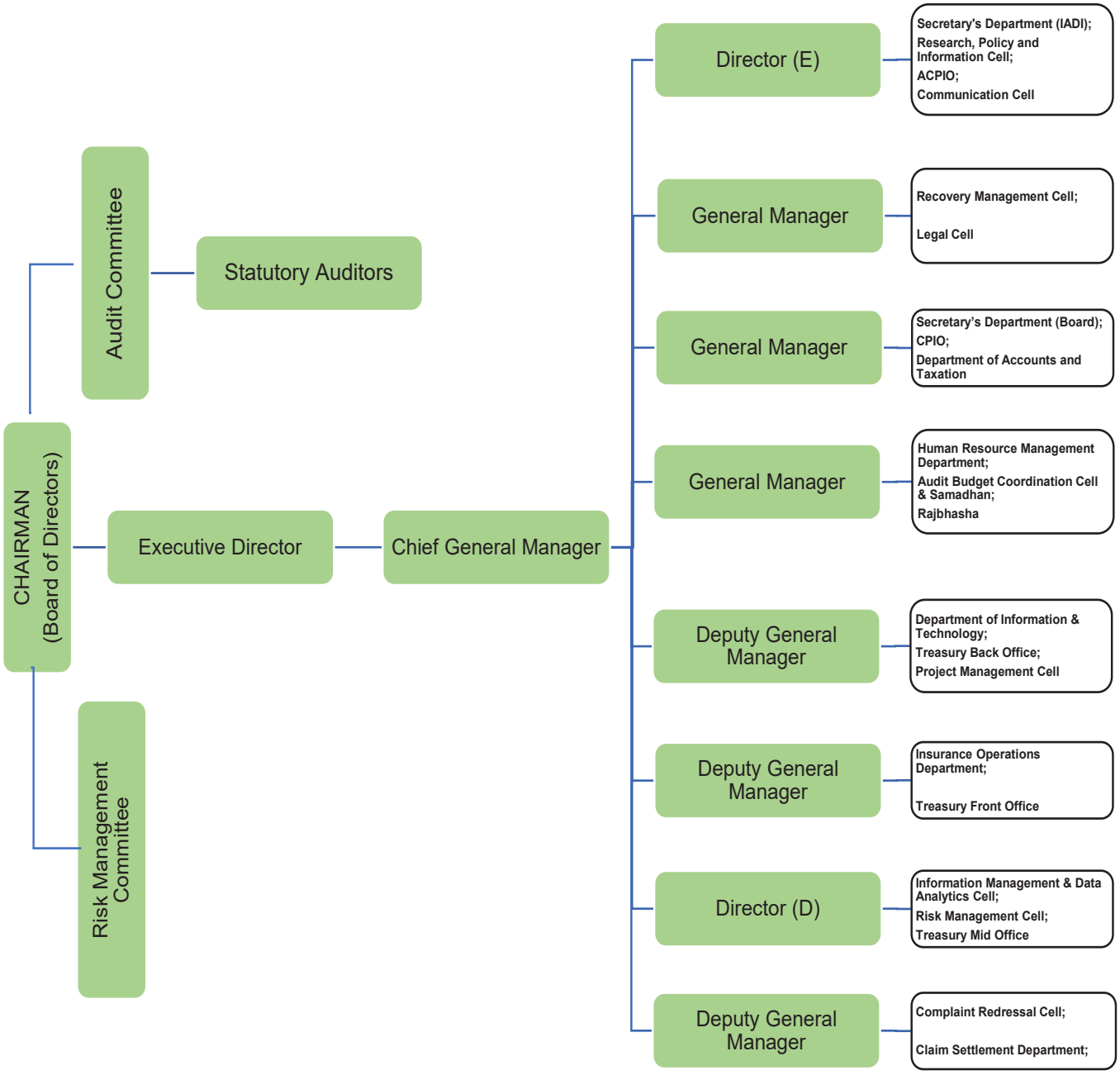

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION*

Telephone Numbers

+91-22-2302-8237 Insurance Operations Department
+91-22-2302-8236 Claim Settlement Department
+91-22-2302-8244 Recovery Management Cell
+91-22-2302-8260 Secretary's Department & RTI Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India Building, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008, INDIA

Chief General Manager	cgmdicgc@rbi.org.in	+91-22-2302-8000
Director (E)	arunvishnukumar@rbi.org.in	+91-22-2302-8207
General Manager	rkrajkumar@rbi.org.in	+91-22-2302-8209
General Manager	mysorte@rbi.org.in	+91-22-2302-8201
General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	+91-22-2302-8206
Deputy General Manager	sangita@rbi.org.in	+91-22-2302-8205
Deputy General Manager	sunurajan@rbi.org.in	+91-22-2302-8226
Director (D)	msadki@rbi.org.in	+91-22-2302-8280
Deputy General Manager	amitkumargupta@rbi.org.in	+91-22-2302-8219

Email : dicgc@rbi.org.in

Website : www.dicgc.org.in

*As on June 30, 2025

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Arnab Kumar Chowdhury

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Anup Kumar

OTHER SENIOR OFFICERS

Shri N. Arun Vishnu Kumar	*Director 'E', Secretary (IADI)*
Shri Raj Kumar	*General Manager*
Shri Mangesh Y. Sorte	*General Manager, Secretary (Board), CPIO*
Smt Pawanjeet Kaur Rishi	*General Manager*
Smt Sangita E.	*Deputy General Manager*
Shri Sunu Rajan	*Deputy General Manager*
Shri Madhusudan S. Adki	*Director 'D'*
Shri Amit Kumar Gupta	*Deputy General Manager*

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
104, Model Residency
B. J. Marg, Jacob Circle, Mahalaxmi
Mumbai 400 011, India

*As on June 30, 2025

ABBREVIATIONS

ACB	:	Audit Committee of the Board
AI	:	Artificial Intelligence
AID	:	All Inclusive Directions
AIT	:	Advance Income Tax
APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
BA	:	Business Area
CA	:	Chartered Accountant
CESTAT	:	Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CO	:	Central Office
CPGRAMS	:	Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System
CPPY	:	Claims Paid Previous Year
CRC	:	Complaint Redressal Cell
CRCS	:	Central Registrar of Co-operative Societies
CSAA	:	Control and Self-Assessment Audit
DCCBs	:	District Central Co-operative Banks
DFS	:	Department of Financial Services
DI	:	Deposit Insurance
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DICJ	:	Deposit Insurance Corporation of Japan
DIF	:	Deposit Insurance Fund
DIFR	:	Deposit Insurance Fund Ratio
DoR	:	Department of Regulation
DoS	:	Department of Supervision
ED	:	Executive Director
ERM	:	Enterprise Risk Management
EWRM	:	Enterprise-Wide Risk Management
FBs	:	Foreign Banks
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FPAR	:	Fully Protected Accounts Ratio
FY	:	Financial Year
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GDP	:	Gross Domestic Product
GF	:	General Fund
GST	:	Goods and Services Tax
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
ICDS	:	Income Computation and Disclosure Standards
IDL	:	Intra Day Liquidity
IDR	:	Insured Deposit Ratio
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IRMC	:	Investment and Risk Management Committee
KYC	:	Know Your Customer
LABs	:	Local Area Banks
MD-PPIs	:	Master Direction on Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments
NACH	:	National Automated Clearing House
PBs	:	Payments Banks
PPI	:	Prepaid Payment Instrument
PPI-MTS	:	PPIs for Mass Transit Systems

PSBs	:	Public Sector Banks
PVBs	:	Private Sector Banks
RBI	:	Reserve Bank of India
RBIA	:	Risk Based Internal Audit
RCS	:	Registrar of Co-operative Societies
REPO	:	Repurchasing Option
RMC	:	Risk Management Cell
RMCB	:	Risk Management Committee of the Board
RMD	:	Risk Monitoring Department
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTI	:	Right to Information Act
SCBs	:	Scheduled Commercial Banks
SCV	:	Single Customer View
SFBs	:	Small Finance Banks
StCBs	:	State Co-operative Banks
TAFCUB	:	Task Force on Urban Co-operative Banks
THB	:	Temporary High Balance
TMO	:	Treasury Management Office
TREP	:	Tri-Party Repo
UCBs	:	Urban Co-operative Banks
UT	:	Union Territory

2024-25 AT A GLANCE

63 Years of Service

1,982 Number of Insured Banks (end-March 2025)

₹ 2,28,933 Cr

Deposit Insurance Fund (end-March 2025)

2.29 %

Reserve Ratio (end-March 2025)

97.6 %

Fully Protected Accounts Ratio

41.5 %

Insured Deposit Ratio

₹ 26,764 Cr

Premium Received (2024-25)

₹ 476 Cr

Claim Settled (2024-25)

₹ 16,941 Cr

Claim Settled since inception till March 31, 2025

₹ 5,690 Cr

Interim payments made to 4,04,148 depositors of banks under All Inclusive Directions till March 31, 2025

₹ 1,309 Cr

Recoveries from settled claims in 2024-25

HIGHLIGHTS - I: DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(Amount in ₹ Crore)

At year-end	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1 CAPITAL*	50	50	50	50	50
2 DEPOSIT INSURANCE					
(i) Deposit Insurance Fund	1,29,904	1,46,842	1,69,602	1,98,753	2,28,933
	(17.68)	(13.04)	(15.50)	(17.19)	(15.18)
(ii) Insured Banks (Number)	2,058	2,040	2,026	1,997	1,982
(iii) Assessable Deposits	1,49,67,770	1,65,49,630	1,94,58,915	2,18,52,160	(P) 2,40,95,727
	(10.96)	(10.57)	(17.60)	(12.30)	(10.27)
(iv) Insured Deposits@	76,21,251	81,10,431	86,31,259	94,12,705	(P) 1,00,04,919
	(10.91)	(6.42)	(6.42)	(9.05)	(6.29)
(v) Total number of Insured Accounts (in crore)	252.63	262.19	276.3	289.7	(P) 293.7
	(7.50)	(3.78)	(5.38)	(4.85)	(1.38)
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in crore)	247.80	256.67	270.5	283.3	(P) 286.5
	(7.27)	(3.58)	(5.38)	(4.73)	(1.13)
(vii) Claims paid during the year^	564	8,515	753	1,434	476
(viii) Claims paid since inception^	5,763	14,278	15,031	16,465	16,941

P – Provisional.

* Under General Fund of the Corporation.

@ Deposit insurance cover increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh with effect from February 4, 2020.

^ Claims of the banks placed under “All Inclusive Directions” by the Reserve Bank also include claims of the liquidated banks from 2021-22 onwards.

Note:

1) Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

2) Data on the items from 2 (iii) to 2 (vi) for the financial years from 2020-21 to 2021-22 are as on September 30 (previous half-year), however, the same for the financial years 2022-23, 2023-24 and 2024-25 are as on March 31.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II : DEPOSIT INSURANCE

(Amount in ₹ crore)

PARTICULARS	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
REVENUE STATEMENTS					
Premium Income	17,517 (32.36)	19,491 (11.27)	21,381 (9.70)	23,879 (11.68)	26,764 (12.08)
Investment Income	9,650 (13.10)	10,496 (8.77)	11,908 (13.45)	13,947 (17.12)	15,802 (13.30)
Net Claims	993	8,121	730	1,586	1,988
Revenue Surplus Before Tax	26,555	20,566	33,391	34,278	41,302
Revenue Surplus After Tax	19,872	15,390	24,987	26,094	30,907
BALANCE SHEET					
Fund Balance (Actuarial)	12,275	13,974	12,174	16,887	17,567
Fund Surplus	1,17,629	1,32,868	1,57,427	1,81,866	2,11,366
Total Assets	1,60,846	1,69,508	1,88,058	2,15,575	2,51,686
PERFORMANCE METRICS					
1A. Average Number of days between receipt of a claim and claim settlement for liquidated banks@	7	3	-	14	7
1B. Number of days between receipt of a claim and claim settlement for AID banks		45	45	45	45
2. Average Number of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	500	184	-	466	560
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.20	0.14	0.16	0.18	0.20
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.10	0.06	0.08	0.09	0.09

@ Settlement of claims by the Corporation is contingent upon receipt of the depositor list from the liquidator (appointed by the respective state Registrar of Co-operative Societies and Central Registrar of Co-operative Societies). The Corporation has settled the claims within 7 days (average) post receipt of the depositor list from the liquidators.

DICGC has not settled main claim for banks under liquidation during 2022-23. However, with respect to banks under All-Inclusive Directions (AID), the department has adhered to the statutory timeline between the date on which DICGC becomes liable to pay and the date of actual payment, *i.e.*, not exceeding 90 days.

Note: Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

HIGHLIGHTS - III

Number of Insured and Fully Protected Accounts
(As on March 31, Each Year)

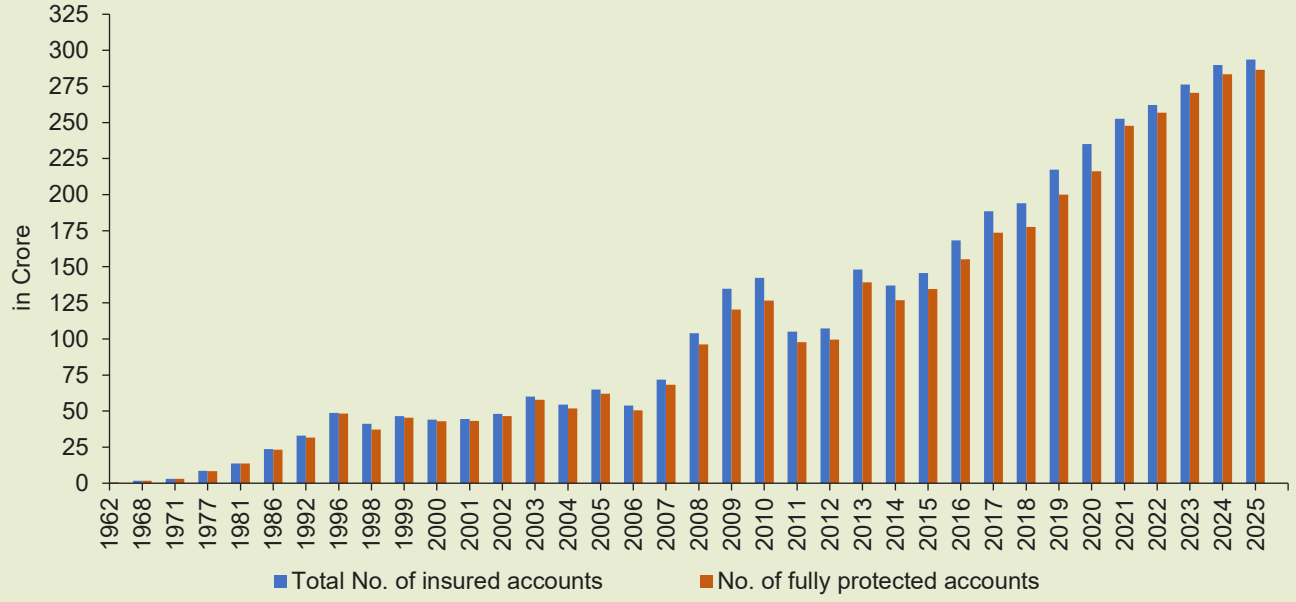

Note: Data for 2010-11 are as per new reporting format.
Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS - IV

Amount of Assessable/Insured Deposits
(As on March 31, Each Year)

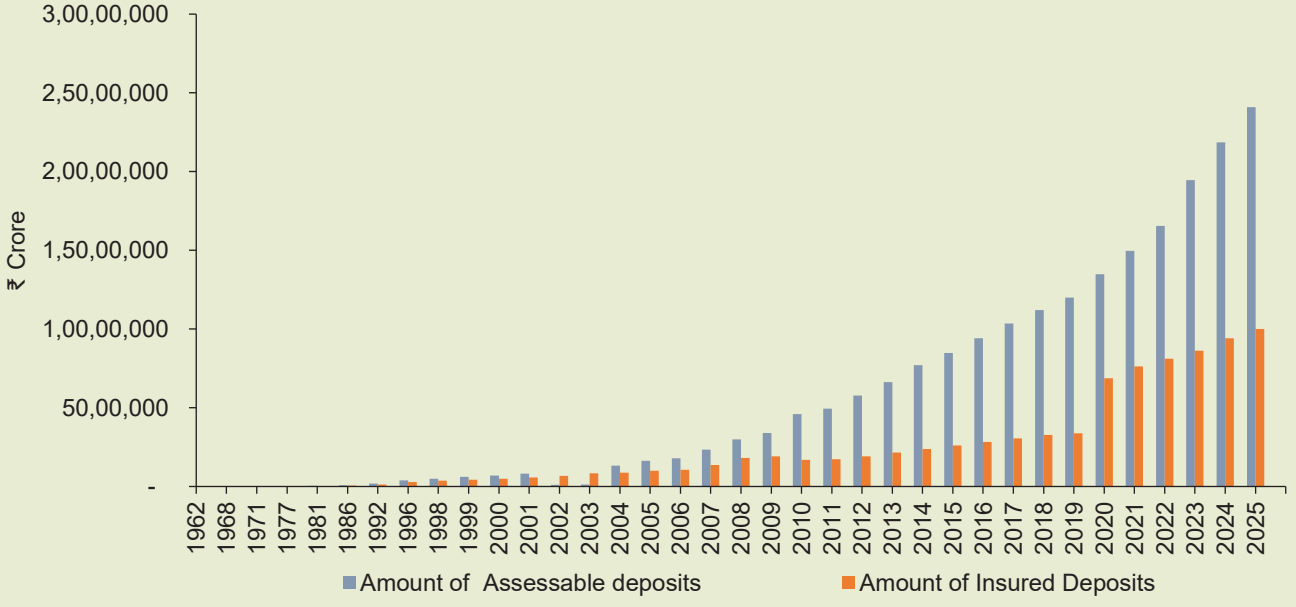

Note: Data since 2009-10 are as per new reporting format.
Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS - V

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSIT OF INSURED BANKS

(MARCH 31, 2025)

Total Number of Accounts
293.7 Crore

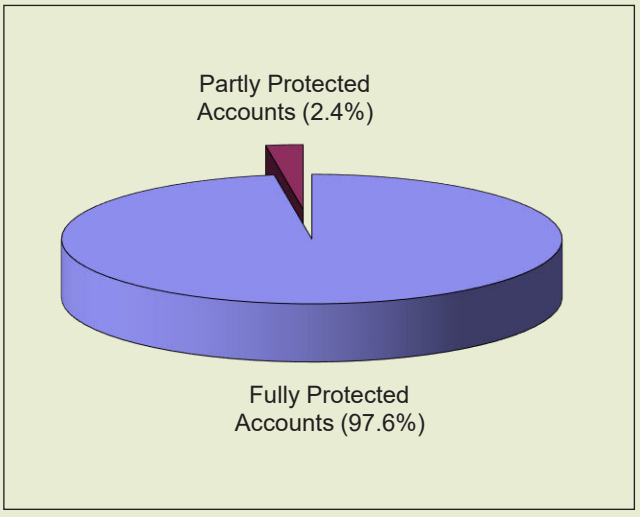

Total Amount of Assessable Deposits
₹2,40,95,727 Crore

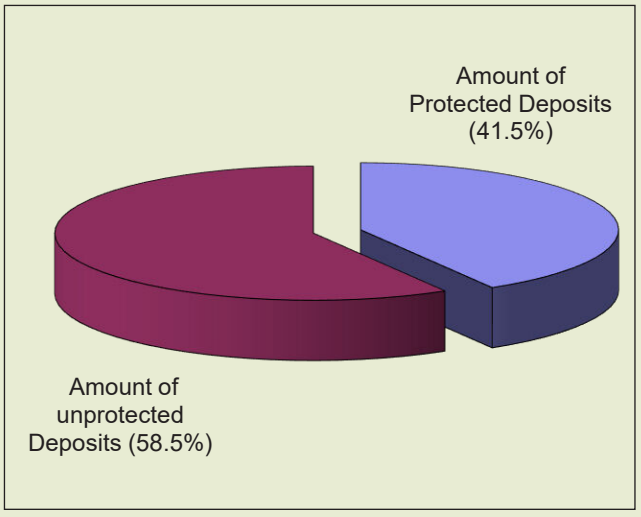

Note:

1. Data as per new reporting format.
2. Figures relate to ₹ 5 lakh deposit insurance cover at ₹ 1,00,04,919 Crore.

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS - VI

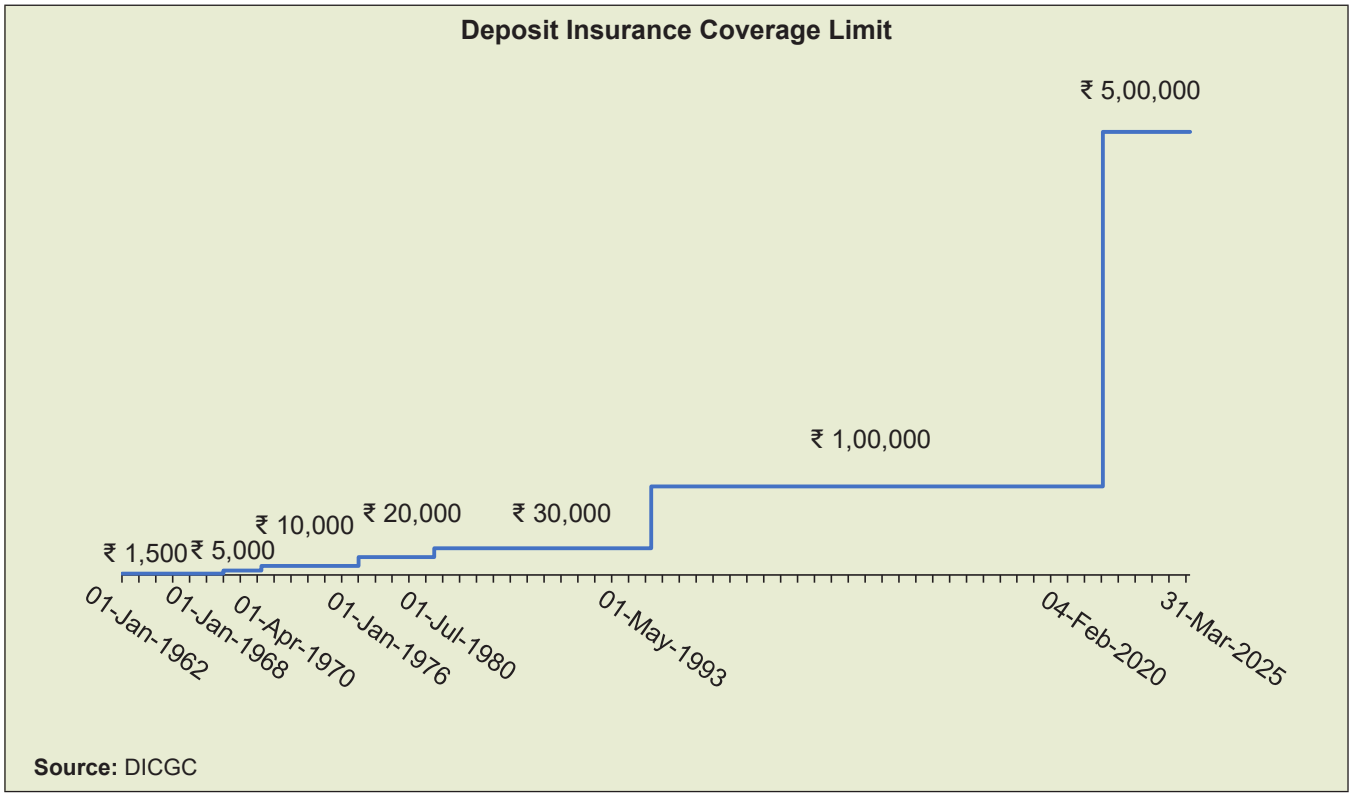

Source: DICGC

HIGHLIGHTS – VII

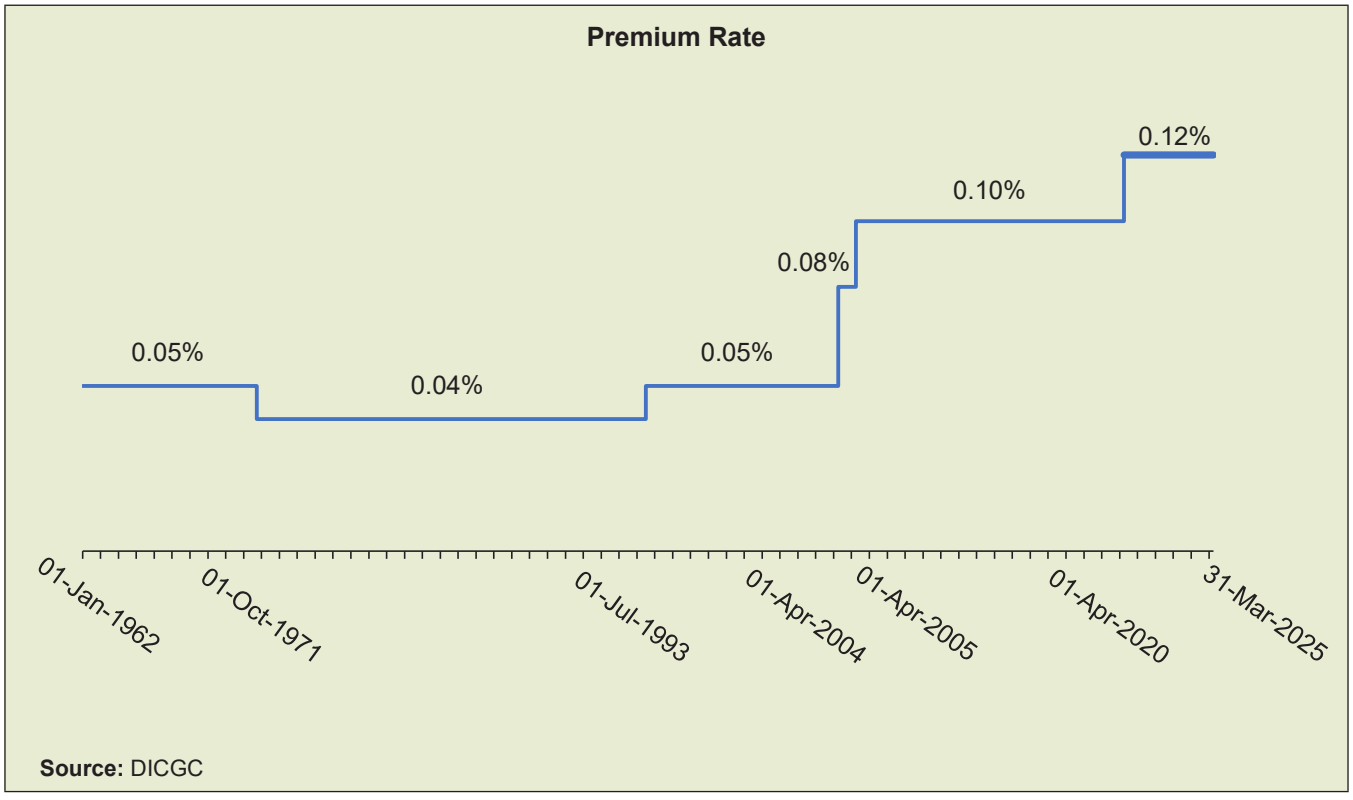

Source: DICGC

1. AN OVERVIEW OF DICGC

1. Introduction

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of the DICGC Act, 1961 and the DICGC General Regulations, 1961 framed by the Reserve Bank of India (RBI) in exercise of the powers conferred by Section 50(3) of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

2. History

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949 but was held in abeyance till RBI set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Renewed attention to the issue of deposit insurance was given by RBI and the Government of India after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. Accordingly, the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India. With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was further extended to co-operative banks. Accordingly, the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with RBI, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11A) (a) of RBI Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organization to guarantee the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank had promoted a public limited company on January 14, 1971, named as the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the CGCI aimed to encourage the commercial banks to cater to the credit needs of the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by RBI.

With a view to integrate the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organizations, *viz.,* the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was amended and renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guaranteed support to credit granted to small scale industries, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances. Accordingly, the credit guarantee scheme was discontinued with effect from April 2003.

3. Institutional Coverage

All commercial banks, including the branches of foreign banks in India, Small Finance Banks (SFBs), Payment Banks (PBs), Regional Rural Banks (RRBs), and Local Area Banks (LABs) are covered under the Deposit Insurance Scheme.

Furthermore, all eligible co-operative banks as defined under Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. These include all State, District Central and Primary Co-operative Banks functioning in India. The States/Union Territories (UTs) have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act. This amendment empowers RBI to supersede the committee of management of a co-operative bank and requires that any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank may be made only with the previous sanction in writing of RBI. At present, all co-operative banks are covered under the Scheme. The two UTs, *namely*, *Lakshadweep and Ladakh* do not have any insured/registered co-operative banks.

4. Registration of Banks

In terms of Section 11 of the DICGC Act all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by RBI under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. In terms of Section 11A of DICGC Act, all RRBs are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

All co-operative banks are required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by RBI. In terms of section 13A of the DICGC Act, the Corporation shall register a primary credit society on conversion into a primary co-operative bank within three months of its having made an application for a licence.

A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered if it has been informed by RBI that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.*, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, and the returns to be furnished to the Corporation.

5. Insurance Coverage

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time (Table 1).

Table 1: Deposit Insurance Coverage

Effective from	Insurance Cover (up to)
Jan 01, 1962	₹1,500/-
Jan 01, 1968	₹5,000/-
Apr 01, 1970	₹10,000/-
Jan 01, 1976	₹20,000/-
Jul 01, 1980	₹30,000/-
May 01, 1993	₹1,00,000/-
Feb 04, 2020	₹5,00,000/-

Source: DICGC

6. Types of Deposit Covered

The Corporation insures all the bank deposits except (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/State Governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of RBI.

7. Insurance Premium

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system (Table 2). The premia to be paid by the insured banks are computed based on their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the start of each financial half year, based on their deposits at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors.

Table 2: Deposit Insurance Premium Rates (As per cent of Assessable deposit of ₹100)

Date from	Premium Rate (in ₹)
Jan 01, 1962	0.05
Oct 01, 1971	0.04
Jul 01, 1993	0.05
Apr 01, 2004	0.08
Apr 01, 2005	0.10
Apr 01, 2020	0.12

Source: DICGC

For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment. As per the amendment to Section 15 (1) of the DICGC Act made in August 2021, the DICGC may raise the limit of 15 paise per ₹100 of deposits on insurance premium with the prior approval of RBI, considering its financial position and the interests of the banking sector in the country as a whole.

8. Cancellation of Registration

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration, if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled under any of the following circumstances: (i) if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; (ii) its licence is cancelled, or a licence is refused to it by RBI; (iii) it is wound up either voluntarily or compulsorily or it ceases to be a banking company or a co-operative bank as per Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; and (iv) it has transferred all its deposit liabilities to any other institution or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

9. Supervision and Inspection of Insured Banks

In terms of Section 35 of the DICGC Act, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. Further, in terms of Section 36 of the Act *ibid,* on the Corporation's request, RBI is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

10. Settlement of Claims

In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held at all the branches of that bank put together 'in the same capacity and in the same right', as on the date of cancellation of registration (*i.e.*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his/her dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, the Corporation pays to the depositors up to the deposit insurance limit in force at that time in consonance with the terms and conditions of the merger scheme. In such cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the 'same capacity and in the same right' at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Annex; Chart 1).

In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc., sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, *etc.* comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount by crediting the account opened with the Agency Bank, in the name of the Liquidator of the liquidated bank/Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are not sanctioned till such time as the Liquidator/ Chief Executive Officer is able to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

Furthermore, as per Section 18A of the amendment to the DICGC Act made in August 2021, the Corporation is liable to make payment to depositors up to the deposit insurance limit, of the banks placed under All Inclusive Direction (AID) by RBI (Annex Chart 2). The payment is to be completed within 90 days from the date of imposition of AID by RBI. The insured bank has to submit the depositor list within 45 days of imposition of AID, and the Corporation has to get genuineness and authenticity of the claims verified within 30 days and pay the depositors who have submitted willingness within the next 15 days. In case RBI finds it expedient to bring a scheme of amalgamation/ compromise or arrangement/reconstruction, the liability of the Corporation will get extended by a further period of 90 days. The procedure for claims payment under AID are as per Regulation 21A of the DICGC General Regulations.

11. Recovery of Settled Claims

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred. As per Section 21 (3) of the DICGC Act, the DICGC, with the approval of its Board, may defer or vary the repayment period for the insured bank to discharge its liability to the DICGC. Presently, banks under AID to whom pay-out has been made under Section 18A of the DICGC Act are required to repay in 5 yearly instalments. Under Section 21 (4) of the Act *ibid,* DICGC can charge a penal interest of 2 per cent over the repo rate in case of delay in repayment of settled claims.

12. Funds, Accounts and Taxation

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz*., (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees, respectively, and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹50 crore which is entirely subscribed to by RBI. The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter- Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The Corporation follows accrual system of accounting while it is on receipt basis in the case of repayment of settled claims. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of RBI. The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation is subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax with effect from July 1, 2017.

The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to RBI within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament.

Annex

A. Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

The detailed process for settling claims for depositors of co-operative banks in India is outlined below (Chart 1):

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS)/Central Registrar of Co-operative Societies (CRCS) with endorsement to the DICGC. DICGC also writes to the concerned RCS/CRCS for early appointment of liquidator.
2. RCS/CRCS appoints a liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

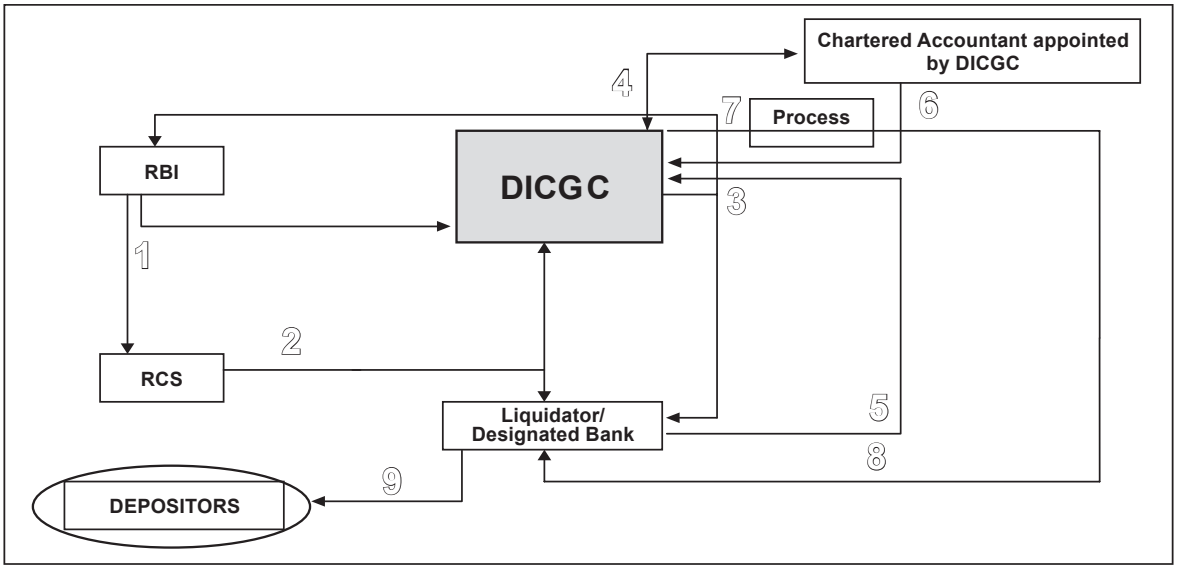

4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The DICGC conducts a familiarisation session for CAs for onsite verification of claim list and books of records of the bank.
5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/ KYC non-compliant) and submits the list to the DICGC in softcopy form for payment to the depositors.
6. CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental to the preparation of the claim list.
7. The Part-A of main claim is processed, and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with, the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
8. The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of the liquidator concerned, maintained with agency bank.
9. The designated bank releases the payment to the depositors through National Electronic Funds Transfer/ Demand Draft/NACH, based on alternate bank account details of depositors as furnished by the liquidator concerned.

B. Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions

The detailed process for settling claims of depositors from banks placed under All Inclusive Directions in India is outlined below (Chart 2):

1. The Reserve Bank imposes All Inclusive Directions (AID) under Section 35A of Banking Regulation Act, 1949 and advises bank placed under AID of the restrictions imposed on deposit/withdrawals with an endorsement to the DICGC, where the bank is registered for deposit insurance.
2. DICGC issues guidelines to the concerned bank placed under AID for preparation of comprehensive depositor list with the outstanding deposits of each depositor (in same capacity and in same right after setting off all loans/ advances) as on the date on which the direction was imposed.

Chart 2: Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions
(Under provisions of Banking Regulation Act, 1949)

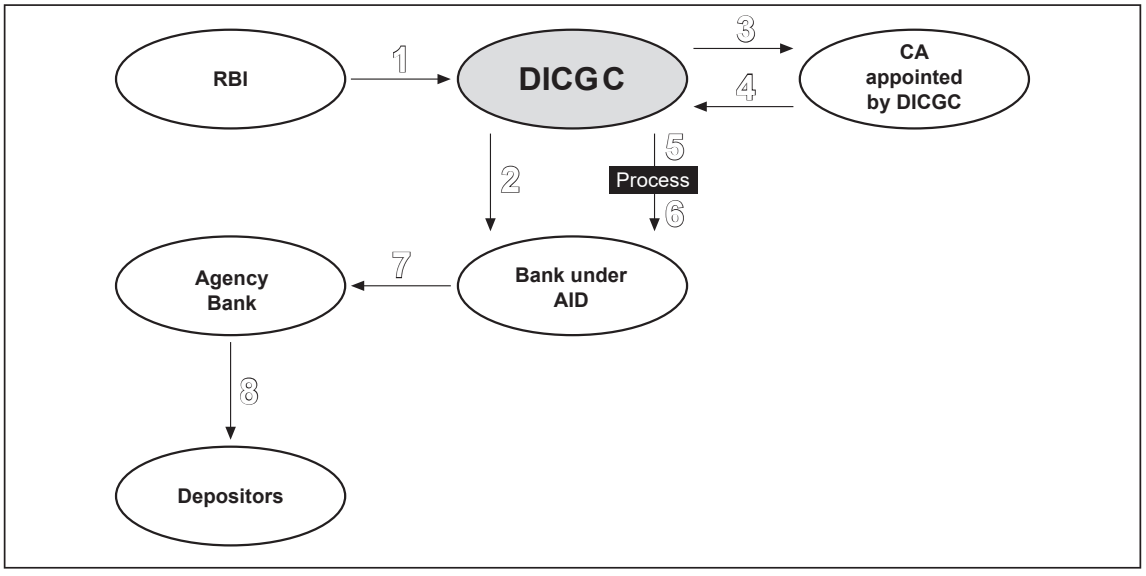

3. In terms of Section 18A of the DICGC Act, banks placed under AID are required to furnish to the Corporation, entire depositor list within 45 days of imposition of AID on the bank. The list should include Part A list *i.e.,* the list of depositors whose claim willingness forms have been received till the 45th day and Part B list, *i.e.*, the list of depositors whose claim willingness forms have not been received by the 45th day. The depositors for which willingness forms have been received within stipulated period are considered for payment on 90th day.
4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the bank placed under AID is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The CA firm is required to do on-site verification of claim as per the Guidelines issued by the DICGC and Act provisions.
5. The CAs furnish their observations and findings on the claim list and any such record of the bank incidental to settlement of deposit insurance claim.
6. On receipt of CA report, the claim is processed by the DICGC and a to-be-paid list is arrived at for payment of eligible claims to depositors who have expressed their willingness.
7. The DICGC then shares the to-be-paid list with the bank under AID with an advice to furnish details of alternate account of depositors for disbursement of claim through an Agency Bank.
8. The bank placed under AID then shares the duly filled-in list to the Agency Bank under advice to the DICGC.
9. The claims are then disbursed by the Agency Bank to the depositors as per the to-be-paid list and mandate furnished by the bank under AID.

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Introduction

The DICGC administers the deposit insurance (DI) scheme in India as per the provisions in DICGC Act, 1961 and DICGC General Regulations, 1961. The mission is to 'contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors', which are the two principal public policy objectives of deposit insurance.

The DI scheme is mandatory for all banks operating in India, both commercial and co-operative banks. The commercial banks include Scheduled Commercial Banks (SCBs), Regional Rural Banks (RRBs), branches/subsidiaries of foreign banks (FBs), Small Finance Banks (SFBs), Payment Banks (PBs), and Local Area Banks (LABs). The co-operative banks include Urban Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative Banks (StCBs), and District Central Co-operative Banks (DCCBs).

The mandate of the Corporation is to reimburse depositors in case of winding up or liquidation of an insured bank [Section 16(1) of DICGC Act, 1961] or sanction of scheme of compromise/arrangement/ reconstruction/amalgamation in respect of an insured bank and if the scheme so demanded [Section 16(2)]. The Corporation's mandate was expanded in August 2021 with the insertion of Section 18A to DICGC Act, 1961. This amendment provided for pay-out within stipulated timeline to depositors of banks placed under All-Inclusive Direction (AID) having business restrictions (deposit taking) by the banking supervisor, i.e., Reserve Bank of India (RBI). The mandate of the Corporation is classified as 'Paybox Plus' as per the Core Principles of Effective Deposit Insurance System, 2014 of the International Association of Deposit Insurers (IADI)[1].

The coverage limit currently is ₹5,00,000 (approx. US $ 5,842[2]) per depositor in a bank which is effective from February 4, 2020. Each depositor in a bank is insured up to the coverage limit for both principal and interest amounts in accounts held in 'the same right and same capacity' as on the date of liquidation/cancellation of the bank's license or the date of coming into force of amalgamation/merger/ reconstruction scheme or AID.

Since inception, the Corporation levied a flat rate premium on banks to fund the deposit insurance scheme. The rate of premium has been revised from time to time keeping in view inflation, health of the banking system and adequacy of the Deposit Insurance Fund (DIF). The extant rate of premium levied on banks is 0.12 per cent of assessable deposits per annum with effect from

1 As per the IADI Core Principles, the Mandate" of the deposit insurer refers to the set of official instructions describing its roles and responsibilities. These can be broadly classified into four categories: (i) A "pay box" mandate, where the deposit insurer is only responsible for the reimbursement of insured deposits; (ii) A "pay box plus" mandate, where the deposit insurer has additional responsibilities. This includes the case where the deposit insurer is not the (sole) resolution authority, but where it participates in the resolution decision-making process, supports the resolution authority in carrying out its functions, or authorises the use of its funds to support resolution measures; (iii) A "loss minimiser" mandate, where the insurer actively engages in the selection and implementation of a range of resolution strategies for the benefit of insured depositors and in a manner that minimises costs or losses; and (iv) A "risk minimiser" mandate, where the insurer has comprehensive risk minimisation functions that include risk assessment/management, a full suite of early intervention and resolution powers, and in some cases prudential oversight responsibilities. Source: IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014.

2 INR/USD exchange rate of 85.5814 as on March 28, 2025 published on FBIL website is used for conversion.

April 1, 2020 (i.e., 12 paise per ₹100 of assessable deposits, per annum).

The Corporation maintains DIF which is majorly funded by the premium levied on banks. The DIF is an *ex-ante* Fund which is used for the settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation/amalgamation or put under AID. The DIF has been built-up through transfer of its surplus each year. The surplus refers to excess of revenue, *viz.,* premium received from insured banks, interest income from investments and recovery out of assets of failed banks, over expenditure (payment of claims of depositors and related expenses), net of taxes.

Reimbursement of insured depositors in the event of a bank failure is the core responsibility of a deposit insurer and is made under three circumstances: (i) All Inclusive Directions (AID): Whenever a bank is placed under directions by the banking supervisor (Reserve Bank of India) and such directions restrict the access of deposits by the depositors of the bank concerned; or (ii) Liquidation: whenever an order of winding up/liquidation of a bank is drawn by the competent authority, or (iii) Merger/Amalgamation: when a scheme of amalgamation is drawn by the competent authority and such a scheme requires payment to depositors in terms of Section 16 of DICGC Act, 1961.

In discharge of the mandate, DICGC employs the services of a chartered accountant firm to verify the claims submitted by the insured banks or the liquidators of insured banks. Based on the report submitted by the chartered accountant firm and its own internal validation, DICGC pays each eligible depositor. Depositors of both liquidated banks and banks under directions are informed via electronic messages whenever the claim is received from the liquidator/bank and when the claim payment is released. Information about the status of claim payment is also available on claim status tracker App (Daava Soochak) hosted on DICGC website. Service is presently available for banks both under direction and liquidated banks.

The remainder of this Chapter is structured as follows. Section 2 presents the major Board level developments during the financial year 2024-25 (April-March). Sections 3 to 11 discusses the functions and developments in the Corporation during the year. Section 12 gives the way forward.

2. Major Board level developments during the year

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. Some of the policy measures undertaken during the year including are discussed below.

Strength of the Board Augmented

In line with the enhanced mandate of the Corporation post DICGC Act 1961 Amendment in 2001, two additional members were nominated to the Board of DICGC by Central Government viz., Dr Tarun Agarwal and Prof. Partha Ray, Director National Institute of Bank Management, Pune under Section 6 (1) (d) and (e) respectively of the Act ibid, w.e.f July 10, 2024.

Remuneration of Directors and Members of Committees increased

The remuneration of the Board of Directors and Members of Committees of the Board viz., Audit (ACB) and Risk Management Committee of the Board (RMCB) have been enhanced with the amendment of Regulation 17 (Remuneration of Directors and Members of the Committees) of DICGC General Regulations,1961 as per the Government of India gazette notification on January 27, 2025 and is effective from February 01, 2025.

Revised Guidelines for Liquidators of Urban Co-operative Banks

The Corporation has since revised its Guidelines for Liquidators of Urban Co-operative Banks. These guidelines, *inter alia*, aim to improve clarity, enhance compliance, and facilitate a better understanding of recovery requirements among the liquidators of the banks, in terms of the provisions of DICGC Act 1961.

Operational highlights of the Corporation during 2024-25

3. Registration/Deregistration of Banks

During the year 2024-25, 2 banks (1 foreign bank and 1 State Co-operative Bank) registered with DICGC for the deposit insurance scheme and 17 banks were deregistered (1 foreign bank, 1 SFB and 15 UCBs) (Table 1).

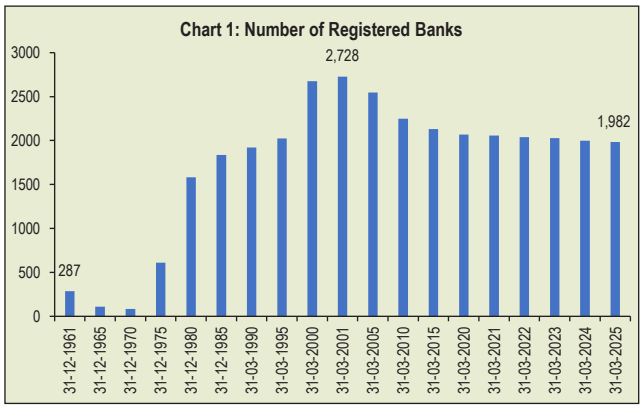

Consequently, the number of banks registered with DICGC for deposit insurance declined to 1,982 as on March 31, 2025 from 1,997 last year (Chart 1). There has been a continuous decline in the number of registered banks since 2001 when it was the highest at 2,728.

The bank group wise number of registered banks primarily shows a decline in the number of UCBs (Table 2).

Table 1: Registration/Deregistration during the year

	Banks Registered	Banks De-registered
Commercial Bank	UBS AG	• Fincare Small Finance Bank • Credit Suisse AG
Co-operative Bank	**Daman & Diu**: The Daman & Diu State Co-operative Bank	• **Andhra Pradesh**: (i) Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd, (ii) Durga Co-operative Urban Bank Ltd • **Assam**: Mahabhairab Co-op Urban Bank Ltd. • **Bihar**: The Vaishali Shahari Vikas Co-op Bank Ltd., • **Goa**: Citizen Co-op. Bank Ltd., • **Karnataka**: National Co-operative Bank Ltd Bangalore • **Maharashtra**: (i) City Co-operative Bank Ltd., (ii) Rajapur Sahakari Bank Ltd., (iii) Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd., (iv) Pune Commercial Co-op Bank Ltd, (v) Jawahar Sahakari Bank Ltd., • **Tamil Nadu**: Cuddalore & Villipuram D. C Co-op. Bank, • **Telangana**: Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Co-operative Urban Bank Ltd., • **Uttar Pradesh**: (i) Purvanchal Co-operative Bank, (ii) Banaras Mercantile Co-operative Bank.

Source: DICGC.

Table 2: Number of Insured Banks (as at end-March)

	2023	2024	2025
Number of Registered Banks (1+2)	**2026**	**1997**	**1982**
1. Commercial Banks	**139**	**140**	**139**
1.1 Public Sector Banks (PSBs)	12	12	12
1.2 Private Sector Banks (PVBs)	21	21	21
1.3 Regional Rural Banks (RRBs)	43	43	43
1.4 Small Finance Banks (SFBs)	12	12	11
1.5 Foreign Banks (FBs)	43	44	44
1.6 Payment Banks (PBs)	6	6	6
1.7 Local Area Banks (LABs)	2	2	2
2. Co-operative Banks	**1887**	**1857**	**1843**
2.1 Urban Co-operative Banks (UCBs)	1502	1472	1457
2.2 District Central Co-operative Banks (DCCBs)	352	352	352
2.3 State Co-operative Banks (StCBs)	33	33	34

Source: DICGC.

4. Coverage

Scope of deposit insurance coverage being enlarged worldwide.

The scope of deposit insurance refers to the types of institutions and deposit products eligible for protection. In India, DICGC currently insures deposits held in banks including commercial banks (including RRBs), SFBs, LABs, PBs, and co-operative banks (UCBs, StCBs, and DCCBs). The Corporation insures all bank deposits except (i) deposits of Union/State Governments; (ii) deposits of foreign governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of RBI.

Global evidence indicates a trend among jurisdictions to expand the scope of coverage in response to financial innovation and emerging risks (IADI, 2021). Key developments include: (i) inclusion of e-money and digital payment wallets in jurisdictions such as Chinese Taipei and Nigeria; (ii) introduction of protection for temporary high balance (THB), especially in European Union member states; and (iii) Differentiated treatment of Islamic deposits and foreign currency accounts.

While 92 per cent of jurisdictions globally exclude certain categories such as interbank, government, or collateralised deposits, about 21 per cent foresee changes in coverage scope soon, with trends leaning towards inclusion of new financial products and payment instruments including Prepaid Payment Instruments (PPIs). Prepaid Payment Instruments (PPIs), encompassing digital wallets and prepaid cards, have been growing at a significant pace in recent years. Globally, some deposit insurers extend deposit insurance coverage to these instruments, either directly or indirectly. The Corporation had set-up an internal Working Group to examine this aspect and give its recommendations. Currently same is under examination (Box 2.1).

Box 2.1: Deposit Insurance for Pre-Paid Instruments

Prepaid Payment Instruments (PPIs), encompassing digital wallets and prepaid cards, have revolutionized India's financial landscape by democratizing access to digital payments for millions. In fiscal year 2024-25, around 702.54 Crore (7.02 billion) transactions worth ₹2.2 Lakh Crore (₹2.2 trillion) were facilitated by PPIs, underscoring their pivotal role in advancing financial inclusion[1]. By extending formal financial services to historically underserved populations, PPIs are bridging the gap between traditional banking and digital payments, thereby propelling India's progress toward a more inclusive and cashless economy.

Indian Landscape

Amid this rapid expansion, ensuring the safety of funds stored in PPI accounts has become critical. In India, these systems are regulated and supervised under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act, 2007). The Reserve Bank of India (RBI) grants authorization under this statute for operating various payment systems. To this end, RBI has issued the Master Direction on Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments (MD-PPIs), establishing a framework for the authorization, regulation, and supervision of PPI issuers.

The PPIs are defined as instruments enabling purchases of goods and services, remittances, and financial services using preloaded value. The PPI ecosystem includes diverse instruments, with four primary categories permitted in India under the MD-PPIs: Small PPIs (minimum-detail PPIs), Full-KYC PPIs, Gift Instruments, and PPIs for Mass Transit Systems (PPI-MTS). The Master Directions outline guidelines for issuers, including escrow account requirements, applicability of Section 23A of the PSS Act, permissible credit and debit transactions within these escrow arrangements, and protocols for validity and redemption.

International Experience

Internationally, customer protection for PPIs is reinforced by two key pillars: (a) stringent prudential regulation by central banks and (b) safety net provided by deposit insurance schemes. Central bank regulations often serve as the first line of defence, encompassing risk management frameworks, transparency standards, licensing criteria (such as minimum capital thresholds and fit-and-proper standards for key personnel), and restrictions on credit/debit transactions. A cornerstone of these frameworks is the implementation of robust fund-safeguarding measures:

(a) *Segregation requirements*, which mandate that pooled customer funds be held in distinct float accounts, separate from the issuer's operational funds and other financial assets; and

(b) *Ring-fencing requirements*, which stipulate that segregated float accounts must be structured as special-purpose vehicles (e.g., trust or custodial accounts) to legally isolate pooled funds from claims by the issuer's creditors and prevent commingling with other managed assets.

These regulatory safeguards, adopted by central banks globally, serve as primary protections against the failure of PPI issuers, ensuring customer funds remain secure and accessible. However, residual risks persist due to potential failures of the banks holding these segregated float accounts, necessitating the consideration of deposit insurance mechanisms to further safeguard customer funds.

Deposit Insurance Architecture adopted globally for PPIs

Internationally, two primary approaches[2] to deposit insurance for PPIs have emerged:

(a) *Direct Approach:* Herein, deposit insurance coverage is directly extended to PPI accounts issued by the PPI provider. Under this model, the deposit insurer explicitly guarantees the funds held in PPI accounts, treating them similarly to traditional bank deposits. Countries such as Colombia and Mexico have adopted this approach, ensuring customers receive direct protection up to specified coverage limits.

(b) *Pass-Through Approach:* In contrast, the pass-through model does not require PPI issuers to become direct members of the deposit insurance system. Instead, it relies on the float account –held as a deposit liability at an insured bank (already part of the deposit insurance scheme) – to channel protection to individual customers. The deposit insurer identifies each PPI customer's entitlement

(Contd...)

within the float account, applying coverage limits to each beneficiary's balance rather than treating the entire float account as a single deposit. This approach is utilized in the United States, Kenya, and Nigeria, enabling indirect insurance coverage while maintaining operational simplicity for PPI issuers.

Both approaches aim to mitigate risks arising from issuer failure or bank insolvency, though their implementation depends on regulatory frameworks, insurer capabilities, and the structure of PPI ecosystems in each jurisdiction.

As India's digital payment landscape continues to surge, with millions of transactions flowing through PPIs every day, the importance of safeguarding users' funds has never been more pressing. However, a calibrated approach in terms of coverage may be necessary.

References:

1. RBI (2025), Annual Report 2024-25, Payment System Indicators - Annual Turnover (April-March).
2. CGAP (2019). Technical Note: Deposit Insurance Treatment of E-Money by Juan Carlos Izaguirre, Denise Dias, Mehmet Kerse.

Assessable and Insured Deposits

The total eligible/assessable deposit grew (y-o-y) by 10.3 per cent to ₹240.96 trillion as at end-March 2025. At the current coverage limit of ₹5,00,000 (approx. US $ 5,842) per depositor in a bank which is effective from February 4, 2020, total insured deposit recorded a y-o-y growth of 6.3 per cent to ₹100.05 trillion as at end-March 2025 (Chart 2)

Coverage Ratios

At the extant coverage limit, the fully protected accounts ratio (FPAR) (i.e., coverage ratio in terms of number of accounts), is 97.6 per cent as at end-March 2025 (97.8 per cent in end-March 2024) (Chart 3). This indicates that 97.6 per cent of the total number of eligible/assessable accounts had balances below ₹5,00,000 The remaining 2.5 per cent of the accounts were partially covered up to the coverage limit of ₹5,00,000; these accounts are expected to be more oriented towards the 'affluent' segment. This ratio has consistently remained around 98 per cent since 2020. Globally, coverage ratios on a by-account/by-depositor basis have been consistently very high in the past decade at around 98 per cent[3].

The insured deposit ratio (IDR), *i.e.,* the ratio of insured deposits to total assessable deposits (also termed coverage ratio in terms of value of deposits), was 41.5 per cent as at end-March 2025 (43.1 per cent at end-March 2024) (Chart 3). The ratio had declined from about 50.9 per cent in 2020,

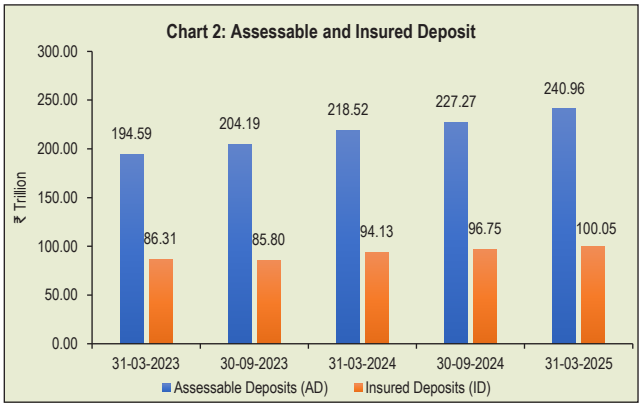

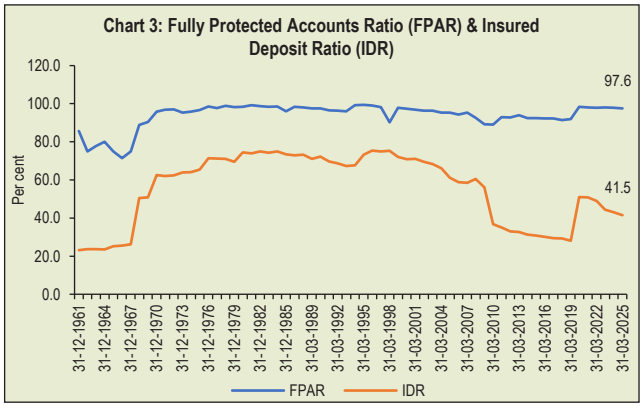

3 IADI (2025). Deposit Insurance in 2025: Global Trends and Key Issues, p 17.

reflecting that the assessable deposits have been growing at a faster pace vis-à-vis insured deposit. Globally, after declining over the years, recent trend shows that the global deposit insurance coverage ratio by value has stabilized, at around 48 per cent in 2024 (52 per cent in 2014), likely influenced by depositor behaviour as less than 5 per cent of jurisdictions have increased their nominal coverage levels during the year[4].

Bank Groupwise Coverage Ratios

Co-operative banks had a higher fully protected accounts ratio at 98.1 per cent, while commercial banks reported 97.5 per cent (Chart 4).

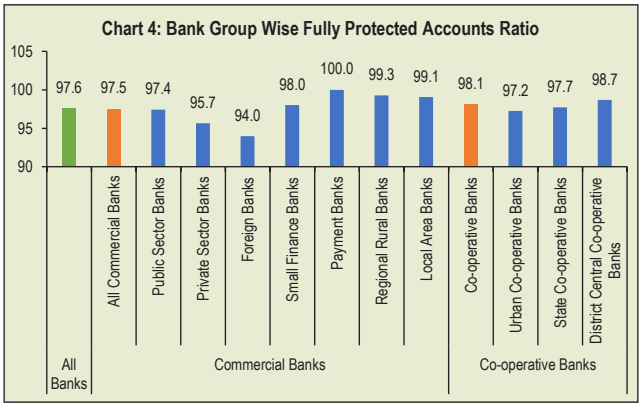

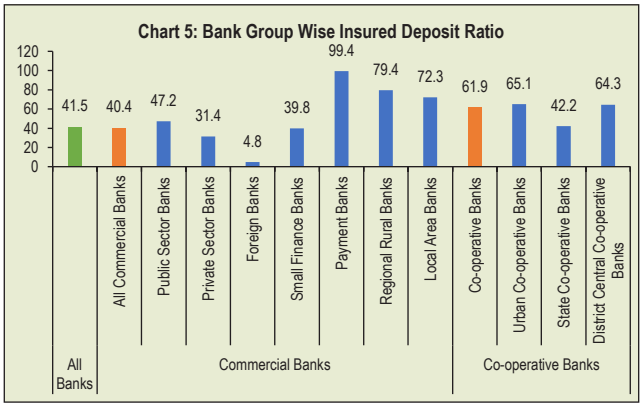

Co-operative banks had a higher insured deposit ratio at 61.9 per cent and commercial banks reported 40.4 per cent (Chart 5).

Bank Group-wise share in aggregate insured deposits

An examination of the bank-group wise distribution of total insured deposits in the banking system showed commercial banks having the highest share at 92.3 per cent. The share of commercial banks has been gradually increasing in the past two years mainly on account of private sector banks (Table 3).

Table 3: Share in System wide Insured Deposits (per cent) (as at end-March)

	2023	2024	2025
1. Commercial Banks	**91.8**	**92.1**	**92.3**
1.1 Public Sector Banks (PSB)	60.5	60.0	59.5
1.2 Private Sector Banks (PVB)	24.6	25.1	25.7
1.3 Regional Rural Banks (RRB)	5.2	5.3	5.2
1.4 Small Finance Banks (SFB)	0.8	1.0	1.1
1.5 Foreign Banks	0.6	0.5	0.5
1.6 Payment Banks	0.1	0.2	0.3
1.7 Local Area Banks (LAB)	0.01	0.01	0.01
2. Co-operative Banks	**8.2**	**7.9**	**7.7**
2.1 Urban Co-operative Banks (UCB)	4.2	4.0	3.8
2.2 District Central Co-operative Banks (DCCB)	3.3	3.3	0.7
2.3 State Co-operative Banks (StCB)	0.7	0.7	3.3
All Banks (1+2)	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Source: Banks' Deposit Insurance (DI) Returns and DICGC Staff Calculations

4 *Ibid.*, p 18.

5. Sources and uses of funds

The Corporation has three primary sources of revenue under the deposit insurance fund, namely the deposit insurance premium from banks, income from investments in government securities and recoveries in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid. During the year 2024-25, the revenue from these three sources grew by 13.3 per cent to ₹43,892 crore (₹38,727 crore last year). With the growth in DI premium lower than that of investment income in the past three years, its share in total revenue declined to 61 per cent in 2024-25 (Chart 6).

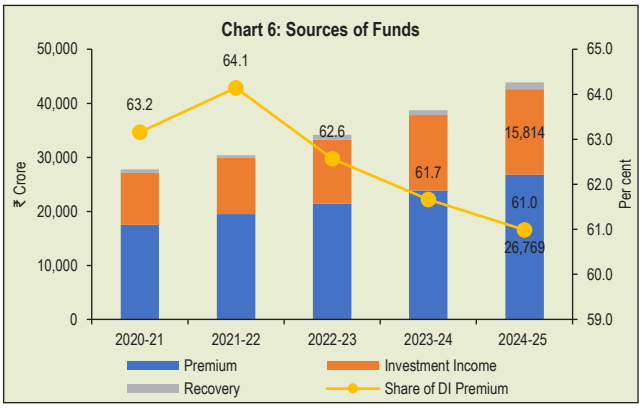

Premium Revenue

The total premium received by the Corporation during the year grew by 12.1 per cent to ₹26,769 crore. Commercial banks contributed 94.7 per cent of the premium receipt and co-operative banks accounting for the remaining 5.3 per cent (Chart 7). The share of commercial banks in the premium receipt has been gradually increasing reflecting higher growth in their assessable deposits.

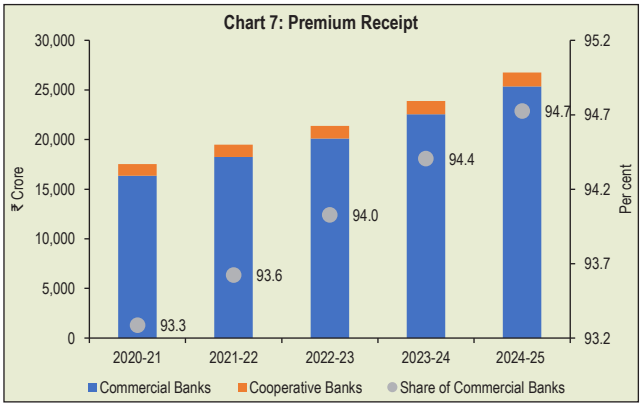

Income from Investments

The Corporation invests the premium and interest income in Government of India securities (GSec) and lends in the REPO/TREP market. Consequently, the income from investments is primarily from three streams, viz., 'Interest on Investments' (i.e., coupon payments from the GSec portfolio), 'Reverse Repo interest income' (i.e., interest receipts from lending in the REPO/TREP market, and 'Net Profit (Loss) on sale/redemption of securities'. The investment income grew by 13.3 per cent during the year to reach ₹15,922 crore, primarily reflecting inflow into the DIF (99.3 per cent) (Chart 8).

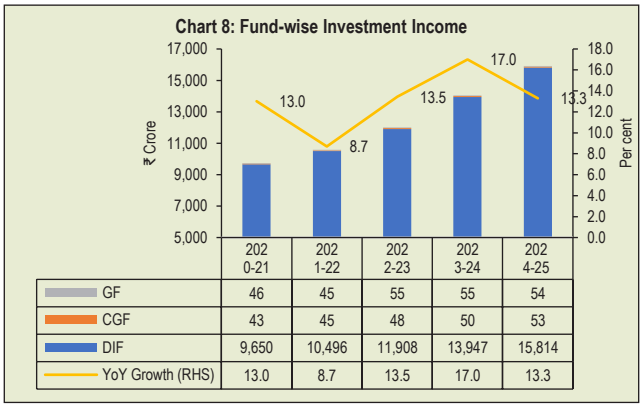

Deposit Insurance Fund and Reserve Ratio

The DI Fund of the Corporation grew by 15.2 per cent to ₹2,28,933 crore as on March 31, 2025 (₹1,98,753 crore as on March 31, 2024) (Chart 9).

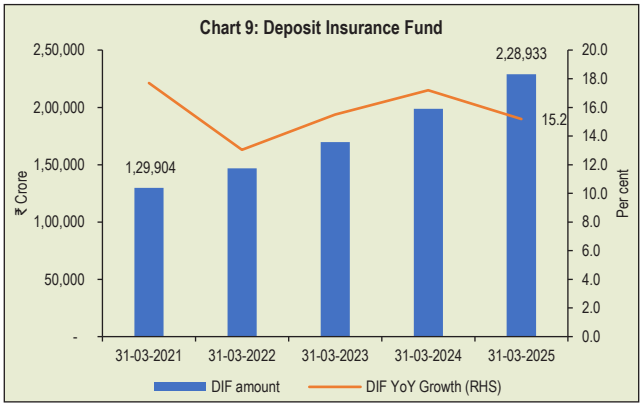

The DIF to insured deposits ratio (i.e., reserve ratio) was 2.29 per cent as on March 31, 2025 (2.21 per cent as on September 30, 2024 and 2.11 per cent as on March 31, 2024). After a decline in March 2020 due to the increase in coverage limit from ₹1,00,000 to ₹5,00,000 effective from February 2020, the reserve ratio has shown improvement (Chart 10). The median fund size around the globe has remained around 2 per cent of the covered deposit in the past decade and recorded 2.16 per cent as at end-March 2024[5].

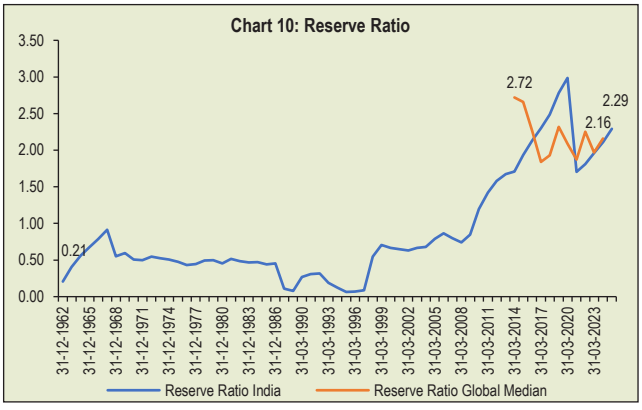

6. Reimbursement

During the year, the Corporation settled claims amounting to ₹476 crore to insured depositors. The entire claim was from co-operative banks: ₹331 crore pertained to banks under AID and ₹145 crore pertained to claims of liquidated and merged banks (Chart 11).

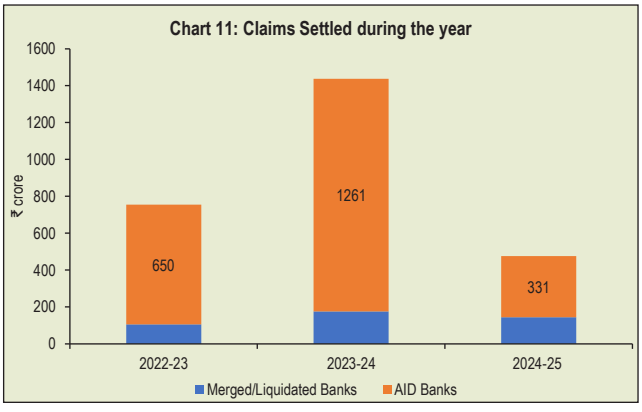

The total claims settled by DICGC since inception was ₹16,940.7 crore. The ratio of total cumulative claims settled since inception to DIF, as at end-March, declined in the last 3 years to reach 7.4 per cent as at end-March 2025 and reflect resilience of the fund size (Chart 12).

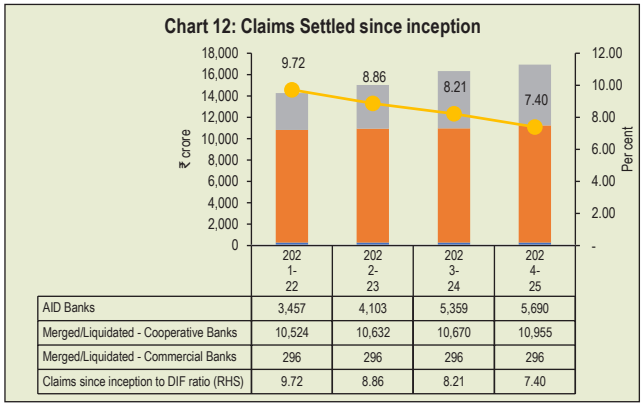

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
AID Banks	3,457	4,103	5,359	5,690
Merged/Liquidated - Cooperative Banks	10,524	10,632	10,670	10,955
Merged/Liquidated - Commercial Banks	296	296	296	296
Claims since inception to DIF ratio (RHS)	9.72	8.86	8.21	7.40

Average Number of Days for Reimbursement

As regards settlement of claims under section 16 of DICGC Act, 1961, the corporation has taken an average of 7 days in 2024-25 (14 days last year) for sanction from the date of receipt of the claim from the liquidator. Further, as regards the banks under AID, the Corporation has adhered to the statutory timeline of 90 days for settlement of deposit insurance claim from the date of issue of AID to such banks. Factors that usually impede fast reimbursement include data quality issues, identification of insured depositors, depositors lacking an alternative bank account and delayed appointment of liquidators by the State Governments in some cases.

Single Customer View Application-Benchmarking with global best practices

As part of its strategy to fine tune its internal processes in line with technological development and international best practices, DICGC has developed a Single Customer View (SCV) application to ensure claim data readiness for claim settlement. This application would enable banks to

5 Source: IADI 2024 Annual Survey Data.

aggregate account level information to depositor level and facilitate the preparation of depositor list. The application would aggregate accounts held 'in the same right and same capacity' and set-off loan amounts if any to arrive at the insured amount. Data from SCV application shall enable expeditious payment to depositors. The application is being rolled out to the banks in phases for implementation. Familiarization session on SCV application was conducted in multiple centres across the Country.

7. Recoveries

Deposit insurers are mandated by statute to recover the claims payout made to the depositors. This also forms part of the IADI's Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014. The Core Principle 16 on Recoveries states that 'The deposit insurer should have, by law, the right to recover its claims in accordance with the statutory creditor hierarchy.' The two essential criteria under this Core Principle require that 'The deposit insurer's role in the recovery process is clearly defined in law and DI is clearly recognised as a creditor of the failed bank by subrogation and 'The DI has at least the same creditor rights or status as a depositor in the treatment in law of the estate of the failed bank.

During the year, the Corporation received repayments from liquidated/transferee and AID co-operative banks amounting to ₹1,309.08 crore (₹900.73 crore during FY 2023-24) (Chart 13). This includes repayments received from (i) liquidated co-operative banks/co-operative banks under liquidation of ₹1,069.73 crore, (ii) AID banks of ₹236.18 crore and (iii) one liquidated commercial bank of ₹3.17 crore.

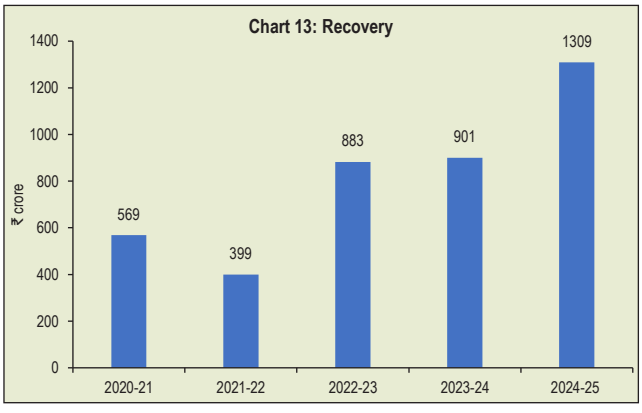

8. Strengthening Public Awareness campaign

The Corporation public awareness campaigns aim towards continuous and real time engagement with stakeholders especially depositors. In this regard all insured banks were advised to display DICGC Logo and QR code linked with DICGC website, on their website and internet banking portal, with effect from September 01, 2023. The initiative aims to enable depositors to ascertain whether their deposits are protected by DICGC and other real time information on deposit insurance related activities. As on date, of the 1,119 banks having their own website, 1008 banks have displayed DICGC Logo and QR code. This has resulted in steady increase in the number of new visitors to DICGC web page. Bilingual public awareness materials were *inter alia*, displayed at Financial Literacy Camps set up by Reserve Bank including at Maha Kumbh festival at Prayagraj.

New Website and Mascot

The new official website was inaugurated on website November 05, 2024 by Dr. Michael D. Patra, then Deputy Governor of the Reserve Bank of India and Chairman of DICGC. This milestone marks a significant enhancement in the Corporation's efforts to improve communication and outreach to the public. The website has been equipped with a vibrant design and features aimed to enhance the user experience. The website provides an intuitive interface with simplified navigation, improved search powered by AI based virtual assistant and informational videos on DICGC and its activities. Statistics are also available in USD to cater to international audience. This site is mobile friendly

and includes accessibility features aimed to assist users with special requirements. Consequent to the displaying of DICGC's QR Code and Logo on insured banks website, traffic to DICGC website has increased manifold. Along with the website launch, DICGC unveiled its new mascot, DIA, the wise owl. The 'DI' in DIA stands for DICGC, while the 'A' stands for Assistant, highlighting DIA's primary role of guiding its stakeholders.

Claim Status Tracker

As part of DICGC's ongoing commitment to improve the services provided for depositors, a user-friendly claim status tracker (Daava Soochak) was launched. Depositors of banks placed under 'All Inclusive Directions' (AID) post April 01, 2024 and liquidated banks, can now track the status of their claims by entering their mobile number (registered with their bank) on DICGC website.

Newsletter- Safety Net

Two issues of DICGC newsletter- Safety Net, giving an overview of the activities of the Corporation, inputs from IADI research papers, etc. were released with both domestic and international audience

Social Media Presence

DICGC has expanded its digital presence by creating an Instagram account under the username 'dicgc.india' and a YouTube channel with the handle @dicgcindia. Bilingual public awareness videos are being uploaded on Instagram, Public App and YouTube Channel.

9. Risk Management and Internal Control Systems

A Deposit Insurer, like any other organisation, is exposed to different types of risk while performing its mandated functions. Typically, a DI is exposed to risks such as market risk (interest rate risk, reinvestment risk, concentration risk, and foreign exchange/currency risk), liquidity risk (Asset-Liability Management risk, and funding risk), operational risk (including IT and information security risk, legal risk etc) and reputational risk. DIs generally do not face credit risk as they mostly invest in sovereign bonds. The risk of bank failure is the exogenous risk faced by DIs.

Risk Monitoring Framework

The 2023 banking failures in the US and Europe emphasised the need to reexamine the risk monitoring structure in DIs (Box 2.2).

Box 2.2: Risk Monitoring by Deposit Insurers

Global Banking Turmoil

In March 2023, the Silicon Valley Bank collapsed following a $42 billion deposit outflow in a single day, primarily driven by its tech-focused depositor base and significant unrealized losses on long-term securities. Shortly thereafter, Signature Bank also failed under similar pressures. In response, the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) guaranteed all deposits, including those exceeding the standard insurance limit of $250,000, to maintain public confidence and prevent contagion. The FDIC's swift action to protect all depositors at SVB and Signature Bank highlighted the importance of flexibility within deposit insurance systems to address systemic risks.

Facing a crisis of confidence, Credit Suisse was acquired by UBS in a government-brokered deal to avert a broader financial crisis. The Swiss authorities facilitated this merger without triggering a full resolution process, leading to discussions about the effectiveness and preparedness of existing resolution frameworks. In Europe, discussions emerged about increasing deposit insurance limits and enhancing resolution planning to better manage future bank failures.

The global banking turmoil highlights how sudden financial shocks in one part of the world can create ripples across markets. These events underline the importance of early detection and preparedness. For DIs across the globe, they serve as a timely reminder to strengthen its internal monitoring capabilities.

Risk Monitoring Framework of DICGC

DICGC, like any other DI, is exposed to both exogenous risks and endogenous risks. For the identification, assessment and management of these risks, DICGC is guided by the Enterprise-wide Risk Management (EWRM) Framework of the Reserve Bank. DICGC is wholly owned subsidiary of the Reserve Bank. The EWRM Framework aims at identifying, assessing, and managing risks within the articulated risk tolerance limits, to provide reasonable assurance regarding the achievement of the Corporation's objectives. To strengthen its risk management function, DICGC adopted its own Risk Management Framework in 2023-24. Under the framework, the risk governance structure comprised of the DICGC's Board of Directors, the Risk Management Committee of the Board (RMCB) established in 2023-24, the Executive level Investment and Risk Management Committee (IRMC) and the Risk Management Cell (RiMC).

The IRMC was established as directed by the Board of Directors on March 21, 2003 with one of the mandates is to generally oversee the risk management function and perform such other related functions as the Board of the Corporation may entrust to it. The functions of the Committee include periodic monitoring of risks faced by the Corporation; issue directions to the departments for effective risk management; prescribe and review the Limit of Liquidity Adequacy Ratio (earlier LCR) for DICGC's portfolio; prescribe the parameters and frequency of stress testing; and review the result of back testing and stress testing.

The Risk Management Cell (RMC) was established in 2023-24 with the mandate to provide analytical support to the RMCB. The functions of the Cell is to monitor, measure, mitigate and report to Risk Monitoring Department (RMD) of RBI under EWRM and to the RMCB.

The risk monitoring framework of DICGC incorporates the standard lines of defence. The first line of defence is the frontline or the Business Area (BA) which is primarily responsible for the identification, assessment and management of the risks emanating from its functional area, with compliance forming the second line of defence and internal audit being the third line.

Operational risk reserve

Operational risk refers to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems, or external events. An organisation's operational risk depends on its operations and its reliance on people, systems, and processes. DI like any other organisation is exposed to operations risk. A study of the operational risk frameworks of deposit insurers in major jurisdictions revealed that while measures have been taken to assess and manage operational risks, no specific operational risk reserves had been maintained (Box 2.3).

Box 2.3: Operational Risk Reserve for Deposit Insurance

The major sources of operational risk include: (a) Internal Processes: Inefficiencies in workflows, such as claim processing, fund disbursement, or risk assessment. Deficiencies in control structures or the design of policies and procedures; (b) Human Errors: Mistakes in data entry, reporting, or decision-making due to insufficient training, lack of skills, bad judgment, unauthorised actions, or fraudulent conduct; (c) Information Technology (IT) risks: System outages, cyberattacks, or vulnerabilities in IT infrastructure, inadequate data security measures leading to breaches or loss of sensitive information., failures in automated systems used for deposit guarantee calculations or fund management; and (d) External Disruptions: Natural disasters, pandemics, or geopolitical events impacting operations, third-party failures, such as vendor disruptions or service provider

(Contd...)

issues, legal changes requiring rapid adjustments to systems or procedures.

Need for Reserves

- **Operational Resilience and Ensuring Financial Stability**: Operational risks are unpredictable and can lead to significant financial losses. Dedicated reserves provide a safety net to absorb these shocks without disrupting the organisation's core functions, ensuring operational resilience and sustainability.
- **Protecting Public Confidence**: Operational failures that delay payouts can undermine public trust in the deposit insurance system. Dedicated reserves help ensure the continuity of depositor protection, reinforcing confidence in the financial safety net.
- **Alignment with Regulatory and Risk Management Standards**: International regulatory frameworks, such as the Basel III guidelines, emphasize the need for buffers to cover operational risks. Dedicated reserves align DIs with best practices in risk management.
- **Supporting Business Continuity Planning**: Dedicated reserves can enable the DIs to implement robust business continuity and disaster recovery plans.

Quantifying Operational Risk Reserve

One methodology available for estimating the Operational Risk Reserve (ORR) requirements for banks which can be considered for DI going forward is the Basel III Standardized Approach (SA). The SA methodology is based on the following components: (i) The Business Indicator (BI) is a financial statement-based proxy for operational risk, comprising three components, namely interest, leases, and dividends component (ILDC), services component (SC), and financial component (FC); (ii) The Business Indicator Component (BIC) is derived by multiplying the BI by marginal coefficients that increase with the size of the BI, creating a progressive measure of income; and (iii) The Internal Loss Multiplier (ILM) adjusts the baseline capital requirement based on a bank's average historical losses over the past 10 years and the BIC. Until comprehensive, high-quality operational risk loss data is collected, the ORR is estimated based on the Business Indicator Component (BIC). Once sufficient high-quality loss data is available, the reserve estimation can consider Internal Loss Multiplier (ILM) model. Quantifying the OR reserve for DI is yet to capture attention of DI presently but going forward this is an area worth considering.

References:

1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2017). *Basel III: Finalising post-crisis reforms* (https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf)
2. International Association of Deposit Insurers (IADI). (2014). *Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems* (https://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf)
3. --- (2021), "Risk Management and Internal Control System of DIs", IADI's Guidance Paper, November 2020.
4. Reserve Bank of India (RBI). (2023). *Master Direction on Minimum Capital Requirements for Operational Risk* (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12520&Mode=0)
5. Reserve Bank of India (RBI). (2024). *Master Circular – Basel III Capital Regulations* (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/08MC01042024_A.pdf)

Operation Risk Monitoring in DICGC

Currently, DICGC assesses and manages its operational risks guided by its Risk Management Framework and Enterprise-wide Risk Management (ERM) Framework of the Reserve Bank of India. Under ERM framework, operational risk areas under each operational vertical are identified (updated yearly) and control effectiveness validated to arrive at operational risk score. The Risk dashboard is placed to Risk Committee of the Board for information and guidance. Unlike market risk, DICGC presently do not specifically quantify Operational Risk Reserve. Market risk calculated by standardised duration method is reflected as investment fluctuation reserve in the balance sheet.

10. Business Process Reengineering-Automaton of Work Process

Process automation of all operations of the Corporation are underway with a focus on data management, process optimisation, business analytics and cyber security with best-in-class market technologies. Straight through processing without manual intervention and seamless integration of various modules (bank registration, premium collection, claim settlement, recovery management, legal and audit etc) are in various stages of implementation. Bank registration and Premium collection module has since been implemented. Enabling real time premium collection via payment gateway is expected to obviate reconciliation related issues at DICGC. Corporation shall also be leveraging use of data analytics and artificial intelligence in its activities. An in-house recovery dashboard has been developed to track payments from AID/liquidated banks. Furthermore, Corporation has developed a standalone single customer view (SCV) application which reside in banks' systems and aid in reducing time lags in the event of claim processing. This application is under phase wise implementation with effect from April 1, 2025. Internally, a Board meeting management solution Application has been enabled for paperless meeting.

11. Engagement with IADI and Other Deposit Insurers

The Corporation is a member of the International Association of Deposit Insurers (IADI) since 2005. The IADI established in 2002 as an international forum for the cross-fertilisation of information and country experiences on practices and techniques relating to deposit insurance. It has been a global standard-setter for deposit insurance systems. In 2024, the Corporation actively engaged with other deposit insurers and IADI through meetings/conferences/workshops organised by the IADI as well as participated in various surveys including IADI Annual Survey 2024.

The Corporation hosted the IADI – APRC International Conference on August 12-14, 2024 in Jaipur, India, under the theme "Navigating the evolving Financial Landscape: Emerging Challenges for Deposit Insurers and the Significance of Crisis Preparedness," (Box 2.4).

Box 2.4: IADI-APRC International Conference in Jaipur, India, August 12-14, 2024

"***Navigating the evolving Financial Landscape: Emerging Challenges for Deposit Insurers and the Significance of Crisis Preparedness***,"

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), India hosted the International Association of Deposit Insurers (IADI) – Asia Pacific Regional Committee (APRC) International Conference on August 12-14, 2024 in Jaipur, India. Held under the theme "*Navigating the evolving Financial Landscape: Emerging Challenges for Deposit Insurers and the Significance of Crisis Preparedness*," the principal objective of the Conference was to deliberate on the challenges, implications and outlook for deposit insurance and the financial safety net framework in the context of evolving financial landscape and climate-related financial risks, and the overarching significance of crisis preparedness and management policy.

The Conference was attended by distinguished representatives of the IADI and the APRC Secretariat, CEOs and officials of deposit insurance agencies/ deposit insurance department in the central bank from 12 countries, eminent speakers, panellists and panel moderators from India and abroad, senior invitees from select major banks in India, senior officials from the Reserve Bank of India (RBI) and DICGC.

Dr. Michael D. Patra, then Deputy Governor, RBI and Chairman, DICGC gave his keynote speech on 'Navigating Emerging Challenges for Deposit Insurers and Fortifying Crisis Preparedness'. Shri Swaminathan

(Contd...)

J, Deputy Governor, RBI addressed the participants on 'Financial Stability in the Emerging Financial Technology Landscape'. The valedictory address of Shri M Rajeshwar Rao, Deputy Governor, dwelt on 'Deposit Insurance: Keeping Pace with the Changing Time' . Mr. Alejandro Lopez, President and Chair of the Executive Council, IADI, Mr. Hidenori Mitsui, Chairperson, IADI APRC and Governor, Deposit Insurance Corporation of Japan and Ms Eva Hüpkes, Secretary General, IADI addressed the delegates on the topic, 'Digital transformation – the future of deposits in a tokenised world'.

The Conference had four panel discussions. The first Panel on 'Deposit Insurance in the Digital Currency Era' explored the benefits and challenges of digital innovation, particularly CBDCs, in the context of deposit insurance and financial stability. Second Panel on 'Tokenised Deposits' examined how the unique characteristics of tokenized deposits may require adaptations in the existing deposit insurance frameworks. Third Panel on 'Deposit Insurers and Climate Change-Related Financial Risks' deliberated on ongoing efforts to understand the impact of climate-related financial risks on financial stability and deposit insurance. Fourth Panel on 'Enhancements in Crisis Preparedness and Management Policies for Deposit Insurance: Case Studies from Deposit Insurers" presented case studies from deposit insurers and RBI. Two eminent speakers gave their talks on the topics 'Futuristic Developments in Fintech and its impact on deposit insurance' and 'The 'Finternet' - a set-up of multiple interconnected financial ecosystems - as the future financial system'. The 21st meeting of the APRC Joint Task Force on Strategic Priorities and Action Plans (JTF) was also held on the side-lines of the Conference.

12. Conclusion and Way Forward

As at end-March 2025, the insured deposit ratio and the fully protected accounts ratio under the extant coverage limit declined marginally to 41.5 per cent (43.1 per cent last year) and 97.6 per cent (97.8 per cent last year), respectively. The deposit insurance fund size as a ratio to insured deposit (i.e., reserve ratio) increased to 2.29 per cent (2.11 per cent). These ratios were lower than the global medians of 48 per cent, 98 per cent and 2.38 per cent respectively, as at end-December 2024. However, they are above Asia Pacific median ratios. The decline in coverage is in line with that observed in Asian and Latin American economies. It is however at par with upper middle-income jurisdictions and above low-income economies.

Going forward, to effectively navigate the evolving financial landscape, DICGC is actively engaged in enhancing its capabilities through a range of initiatives. DICGC is consistently exploring

the use of emerging technologies to improve operational efficiency in areas like claim settlement (usage of single customer view application) real time premium collection and deposit data monitoring via business analytics. Further, the Corporation is increasing public awareness through targeted communication campaigns, maintaining a presence on social media platforms, display of informative videos and revamped customer friendly website. DICGC will remain engaged with all stakeholders domestically and continue to collaborate with deposit insurers internationally on important topics/ developments of mutual interests via MOUs and other international fora. By embracing innovation in its business processes, strengthening risk management framework, through focussed public awareness campaigns and by staying attuned to global trends, DICGC will continue to play a crucial role in maintaining depositor confidence in support of the stability of India's banking system.

3. GLOBAL DEVELOPMENTS IN DEPOSIT INSURANCE

Introduction

Deposit insurance serves as a cornerstone of financial stability, safeguarding depositors and maintaining confidence in the banking system. The global financial landscape is undergoing significant transformations, prompting a paradigm shift in the realm of deposit insurance. As economies evolve and new challenges emerge, deposit insurance systems worldwide are adapting to protect depositors' interests and maintain financial stability. This Chapter provides an overview of the latest trends and emerging challenges in global deposit insurance, highlighting the evolving mandates, technological advancements, and strategic choices of deposit insurers[1].

Mandate

Over the past decade, Deposit Insurers (DIs) have undergone a significant shift, evolving from traditional "Paybox" mandates[2], which solely focused on reimbursing deposits in case of bank failures, to additional roles encompassing bank resolution and financial stability measures. The mandate of DIs has been expanding continuously over the past decade with DIs increasingly involved in resolution. The share of DIs with additional responsibilities in resolution beyond reimbursement has grown from 75 per cent in 2014 to 89 per cent in 2024 led by increase in Paybox plus mandate from 36 per cent to 51 per cent and risk minimizers from 14 per cent to 17 per cent. The share of DIs with Paybox mandate has fallen from 25 per cent to 11 per cent which is at its lowest (IADI, 2025).

Considerable variance in DIs' mandates persist across regions and state of economic development. Share of DIs with pure Paybox mandate in Asia and Africa is as high as 24 per cent and 33 per cent whereas in America and Europe, it is as low as 5 per cent and 3 per cent, respectively. Data shows that DIs' mandates are generally related to the state of economic development in their jurisdictions; advanced economies have enabled DIs with a broader mandate.[3] The share of DIs with loss and risk minimising mandate in high income jurisdictions (45 per cent) is more than double the share in lower middle-income jurisdictions (22 per cent). DICGC has a Paybox Plus mandate.

Coverage of Deposit Insurance

The adequacy of deposit insurance coverage, both in terms of level and scope, plays a crucial role in safeguarding depositor confidence, ensuring financial stability, and mitigating systemic risk. While excessive coverage can create moral hazard, inadequate protection may precipitate depositor panic, particularly in periods of stress.

Globally, coverage ratios on a by-account or by-depositor basis have been consistently very high in the past decade at around 98 per cent. On the other hand, coverage ratio by value after declining

1 The overview is prepared based on data from the IADI's Annual Survey, 2024 and drawing insights from the International Association of Deposit Insurers' (IADI) report on "Deposit Insurance in 2025: Global Trends and Key Issues".

2 Mandate" of the deposit insurer refers to the set of official instructions describing its roles and responsibilities. These can be broadly classified into four categories: (i) A "pay box" mandate, where the deposit insurer is only responsible for the reimbursement of insured deposits; (ii) A "pay box plus" mandate, where the deposit insurer has additional responsibilities. This includes the case where the deposit insurer is not the (sole) resolution authority, but where it participates in the resolution decision-making process, supports the resolution authority in carrying out its functions, or authorises the use of its funds to support resolution measures; (iii) A "loss minimiser" mandate, where the insurer actively engages in the selection and implementation of a range of resolution strategies for the benefit of insured depositors and in a manner that minimises costs or losses; and (iv) A "risk minimiser" mandate, where the insurer has comprehensive risk minimisation functions that include risk assessment/management, a full suite of early intervention and resolution powers, and in some cases prudential oversight responsibilities. Source: IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014.

3 As per World Bank country classifications by income.

over the years has stabilized in recent years, at around 48 per cent in 2024 likely influenced by depositor behaviour rather than changes in nominal coverage levels (52 per cent in 2014). By income category high-income jurisdictions offers the highest coverage by value at 56 per cent followed by upper middle-income jurisdiction at 42.3 per cent and lower-middle income jurisdiction at 30.4 per cent. The recent trend reversal is not uniform across regions. While Asia and Latin America continue to experience declining coverage ratios by value (43 per cent and 41 per cent, respectively), North America and Europe have seen stable or moderately increasing ratios (56 per cent and 59 per cent, respectively).

Deposit insurance coverage level is typically assessed using three main indicators, namely: (i) Insured Deposits Ratio (IDR) - the ratio of insured deposits to total deposits; (ii) Fully Protected Accounts Ratio (FPAR) - the proportion of depositor accounts fully protected under the coverage limit; and (iii) Reserve Ratio (RR) - the ratio of deposit insurance fund to insured deposits. A comparative position with respect to these indicators is summarised in Table 1.

The IDR for India, at 41.5 per cent, is near to the global median and exceeds the median for the Africa, Asia-Pacific and Caribbean regions (Table 2). This implies that a larger portion of total deposits in India are covered under DICGC scheme relative to regional APRC members.

As regards the Fully Protected Accounts Ratio (FPAR), India is on par with the global peers and relatively better than the DIs in the Asia Pacific regions. India's FPAR of 97.6 per cent is almost

Table 1: Comparative Indicators of Deposit Insurance Coverage (as on December 2023)

Indicator	India (March 2025)	Asia-Pacific Region (Median)	Global (Median)
Insured Deposits Ratio (IDR)	41.5%	28.8%	43.1%
Fully Protected Accounts Ratio (FPAR)	97.6%	95.3%	97.9%
Reserve Ratio (RR)	2.29%	1.64%	2.38%

Source: IADI Annual Survey 2024 and DICGC staff calculations.

Table 2: IADI Region wise Insured Deposits Ratio (IDR)

(Per cent)

IADI Region	Min of IDR	Median of IDR	Max of IDR
Africa Regional Committee (ARC)	6.4	8.9	100.0
Asia-Pacific Regional Committee (APRC)	7.5	28.8	68.2
Caribbean Regional Committee (CRC)	14.0	30.1	31.3
Eurasia Regional Committee (EARC)	16.3	53.1	100.0
Europe Regional Committee (ERC)	0.5	58.9	100.0
Latin America Regional Committee (LARC)	16.4	35.7	55.2
Middle East and North Africa Regional Committee (MENA)	10.8	20.4	100.0
Regional Committee of North America (RCNA)	36.0	100.0	100.0
Global Value	**0.5**	**43.1**	**100.0**
India		**41.5** (43.1)	

Source: 2024 IADI Annual Survey and DICGC Staff Calculations.
Note:
1) IADI data are as of December 31, 2023. For India, data are as of March 31, 2025 and March 31, 2024 (in parenthesis).
2) IDR - Insured Deposits Ratio.

Table 3: IADI Region wise Fully Protected Accounts Ratio (FPAR)

(Per cent)

IADI Region	Min of FPDR	Median of FPDR	Max of FPDR
Africa Regional Committee	6.6	90.7	99.7
Asia-Pacific Regional Committee	88.7	95.3	99.9
Caribbean Regional Committee	23.2	87.0	96.8
Eurasia Regional Committee	98.4	99.0	100.0
Europe Regional Committee	0.0	92.8	100.0
Latin America Regional Committee	70.0	98.5	99.9
Middle East and North Africa Regional Committee	90.0	95.2	100.0
Regional Committee of North America	95.9	100.0	100.0
Global Value	**0.0**	**97.9**	**100.0**
D India		**97.6**	
		(97.8)	

Source: 2024 IADI Annual Survey and DICGC Staff Calculations.
Note:
1) IADI data are as of December 31, 2023. For India, data are as of March 31, 2025 and March 31, 2024 (in parenthesis).

identical to the global median of 97.9 per cent, indicating that the overwhelming majority of deposit accounts fall fully within the prescribed coverage limit of ₹5 lakh (Table 3). This level of protection is consistent with the IADI's Core Principle 8, which recommends limited yet credible coverage that protects the majority of depositors and leave remaining to market discipline.

Sources of funds

Premium

Globally, DIs continue to be funded mostly ex-ante (98 per cent of DIs). DICGC has an ex-ante deposit insurance fund primarily funded by a flat rate premium system.

Public Backstop Funding

Deposit Insurers' (DIs) backup funding sources are diversified. IADI Core Principle 9 advocates backstop liquidity support from government, central bank, member banks, and/or market. Globally, according to IADI's 2024 Annual Survey Data, Deposit Insurers' backup funding arrangements in 2024 continue to consist of both private and public backup funding options. Nearly 76 per cent of the DIs can obtain backup funding from the member institutions, around 75 per cent of the DIs have access to public backup funding from either the Government or Central Bank, 33 per cent have access to private markets (e.g., through borrowing), and 27 per cent to development banks or international organisations.

Uses of Funds

Deposit Insurance Fund

The Deposit Insurance Fund size as a ratio to the insured deposits, also referred to as the reserve ratio (RR) in some jurisdictions, is another metric to compare deposit insurers. Globally, the median fund size has remained around 2 per cent of the covered deposit, 2.38 per cent as per the 2024 IADI Survey data. However, there are regional variations: Africa (more than 10 per cent), Asian funds (around 2.5 per cent) and Europe (0.8 per cent). As a global median, DIs hold funds that are close to 80 per cent of their target fund levels.

India's reserve ratio of 2.29 per cent as at end March 2025 compares favourably to the Asia-Pacific median of 1.64 per cent, although it is marginally lower than the global median of 2.38 per cent (Table 4).

Table 4: IADI Region wise Reserve Ratio (RR)

(Per cent)

IADI Region	Minimum RR	Median of RR	Maximum RR
Africa Regional Committee	0.34	18.50	100.00
Asia-Pacific Regional Committee	0.23	1.64	14.91
Caribbean Regional Committee	3.30	6.40	16.04
Eurasia Regional Committee	2.80	4.86	8.30
Europe Regional Committee	0.00	1.00	8.08
Latin America Regional Committee	1.61	12.87	32.08
Middle East and North Africa Regional Committee	1.21	9.73	27.71
Regional Committee of North America	0.86	1.26	75.00
Global Value	**0.00**	**2.38**	**100.00**
India		**2.29**	
		(2.11)	

Source: 2024 IADI Annual Survey and DICGC Staff Calculations.
Note:
1) IADI data are as of December 31, 2023. For India, data are as of March 31, 2025 and March 31, 2024 (in parenthesis).

Reimbursement

The speed of reimbursing depositors after a bank failure is critical to maintaining trust in the banking system. Significant progress has been made in reducing the time required to commence reimbursements. Technological advancements have enabled deposit insurers to initiate payouts more swiftly, thereby enhancing depositor confidence and contributing to financial stability.

Despite the ongoing challenge of meeting the standard of reimbursing the depositors within the 7 days as stipulated in IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, there has been a significant increase in the efficiency of DIs globally in reimbursement over the last decade. The global average period for reimbursement to depositors has been reduced from 27 to 12 days and the proportion of DIs starting reimbursement within seven days has more than doubled to around 70 per cent (from just over 30 per cent in 2013). However, this efficiency varies by region, with 82 per cent of Americas DIs beginning payouts within seven days compared to 46 per cent of Asian DIs.

The speed of deposit insurers' reimbursements can be influenced by several factors, including data quality/access, regular testing of reimbursement operations, appointment of liquidators and leveraging technological advancements. A 2023 IADI study of 32 real-life cases (2016-2021) revealed promising reimbursement timelines: in 41 per cent of cases, over 75 per cent of insured depositors were reimbursed within 7 working days, and in 51 per cent of cases, more than 75 per cent of insured deposit values were accessible within the same timeframe. Reimbursement in India is guided by statutory timelines. However, the current initiative to improve data quality via rolling out of Single Customer View application, it is expected that claim processing timeline will be significantly reduced.

Representation of Financials by Select Deposit Insurers – Comparison

The Corporation undertook a study to compare how the financial statements of some major DIs are represented, accounting methodology that are followed for preparation of such statements, permissible borrowing, disclosure standards, etc. Some of the major findings are presented in Box 3.1.

Box 3.1: Representation of Financial Statements

The Corporation studied the Annual Reports of selected deposit insurers (DIs), namely the Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PDIM), Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) and Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) of United States to understand the accounting and disclosure standards adopted and how this translates into the representation of their financial statements.

The deposit insurance system is Government legislated and administered in India, Malaysia, Nigeria and the United States, while it is Government legislated and privately administered in Canada. The agencies are, however, independent legal entities. The mandate of the DIs is loss minimiser in Canada, paybox plus in India, and risk minimiser in Malaysia, Nigeria and the United States. Except for India, the other DIs have the additional key power as a resolution authority.

While India levies a flat rate premium, others levied a risk based premium. FDIC has the discretion for any special assessment to recover the losses to the DIF as a result of the systemic risk determination. All the fives DIs levied premium in advance to build an *ex ante* deposit insurance fund. In addition, FDIC maintained a Federal Reserve Fund and NDIC had a General Reserve Fund (retained earnings in financials). While the DIFs of all the five DIs comprised mainly of government securities, other assets include cash, corporate debt, and deposit with the Central Bank. All the DIs had the powers for the recovery of claim payout. Allthe five DIs have some form of backstop funding facility.

The selected deposit insurers prepared their financial statements as per the respective prevailing legislation. India and the US adopted their domestic Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), while the others assumed International Financial Reporting Standards (IFRS Accounting Standards). India and Canada had April to March as the accounting period, others had January to December. All DIs prepared their financial statements in their domestic currency. Finally, as regards Taxation, CDIC - Premium is not taxable. The Corporation is subject to federal income tax on interest income net of expenditures; DICGC - All taxes applicable; PDIM - is exempted from income tax pursuant to Section 127(3A) of the Income Tax Act, 1967; NDIC - The Corporation is not liable to Income Tax as per section 86 of the NDIC Act 2023; and FDIC - Exempt from state and local taxes, except ad valorem property taxes.

Conclusion

The survey of selected countries mostly reflects the trends observed worldwide. Globally, deposit insurance institutions (DIs) function under specific Acts and maintain separate funds or schemes for deposit insurance, ensuring adequate resources (such as borrowing or emergency funds) to protect depositors in the event of bank failures. As per the 2024 survey of the International Association of Deposit Insurers (IADI): (i) 98 per cent of DIs worldwide maintain an ex ante deposit insurance fund (DIF), i.e., the DIF is funded by levying premiums on member institutions; (ii) nearly 54 per cent levy risk based premium; (iii) nearly 65 per cent of DIs have access to public backup funding sources, government and/or central bank; (iv) some DIs do have the right to recover its claims payout with the DI recognised as a creditor of the failed bank by subrogation. DIs mostly invest the DI fund in treasury securities keeping in view safety and liquidity. As regards accounting standards, DIs adopt either the IFRS or the domestic GAAP. On the taxation front, unlike DICGC in India, some DIs worldwide benefit from tax exemptions, while others are only taxed on income excluding premiums. To conclude, despite varying regulatory environments and financial systems, all DIs share the common goal of enhancing depositor confidence and maintaining financial stability.

Deposit Insurance: Emerging Trends

As the global financial landscape continues to evolve, deposit insurers are confronted with a range of challenges that require proactive and strategic responses. As per the IADI's Emerging Trends Survey 2025, Technology (44 per cent) and Resolution (28 per cent) have emerged as the leading priorities among the key trends impacting deposit insurance (IADI, 2025). Under Technology, innovation (e.g., FinTech, artificial intelligence) and social media are expected to significantly impact deposit insurance (85 per cent). AI is seen as key for enhancing

public awareness, risk assessment, and resolution efficiency, while social media is viewed as a source of information influencing depositor behaviour and a tool for monitoring public confidence. Additionally, 75 per cent of deposit insurers anticipate significant resolution trends, including enhanced coordination with financial safety-net participants, shortened reimbursement periods, and evolving non-payout resolution scenarios.

Use of Technology/AI for Deposit Data monitoring

As technology continues to rapidly advance, financial institutions and regulators around the world are turning to Artificial Intelligence (AI), Blockchain, and Cloud Computing to improve efficiency and accuracy in their operations. Deposit insurers (DI), who play a vital role in protecting depositors, maintaining public confidence, and promoting financial stability, will also benefit significantly from these tools. One of the core responsibilities of deposit insurers is to closely monitor deposit data, assess risk exposure, and ensure fast and fair settlement of claims.

How AI and advanced technologies can transform the way DIs monitor deposit data, and how any DI can make use of such technologies are explored in Box 3.2.

Box 3.2: Leveraging Technology and AI for Deposit Data Monitoring and Risk Assessment

Three key technological advancements – *AI-powered tools, blockchain, and cloud-based solutions* – offer significant benefits for the oversight and analysis of bank deposit data by deposit insurers (DIs).

AI-Powered Solutions

AI has the potential to transform how DIs manage deposit data monitoring framework. Using AI-powered tools, DIs can automate the collection and verification of deposit information from various banks, reducing manual work and minimizing errors. Machine learning algorithms can detect unusual patterns in data that might signal fraud, misreporting, or early signs of financial trouble in a bank. These systems can also analyse past financial trends, economic conditions, and liquidity indicators to predict which institutions may be at risk in the future. Furthermore, AI can be used to review financial statements for signs of non-compliance and to generate dashboards that provide a real-time view of deposit trends, risk exposure, and bank health. These dashboards can display risk scores of banks and send automatic alerts when something looks unusual—allowing bank regulator/supervisor and DI to act before problems grow.

Blockchain Technology

Blockchain offers a simple yet powerful way to improve deposit data monitoring and claim settlements. It stores data in a secure, unchangeable format, which helps prevent any kind of tampering or misreporting. Since the system is decentralized, all authorized parties, such as banks, regulator/supervisor and DIs, can access the same data in real time, improving transparency and trust. This also reduces the need for manual checks and reconciliations. Additionally, smart contracts on blockchain can use pre-stored information to automatically verify and settle deposit insurance claims. This can speed up the entire process, reduce paperwork, and ensure that depositors receive timely payouts without delays.

Cloud-Based Solutions

Cloud-based systems provide a flexible and scalable way to manage large volumes of deposit data from various banks without slowing down performance. By bringing data from different banking platforms into one centralized system, reporting becomes quicker and more accurate, and coordination across banks improves. These systems also support AI-as-a-Service (AIaaS), which gives institutions easy access to advanced AI tools through the cloud. This means banks and insurers can monitor data continuously and detect issues early, without needing to invest in costly hardware or in-house AI infrastructure.

Conclusion and Way Forward

Globally, as per IADI's survey data, the mandate of DIs has been expanding over the past decade with DIs increasingly involved in resolution. Coverage ratio by value after declining over the years has stabilized in recent years, at around 48 per cent in 2024 likely influenced by depositor behaviour rather than changes in nominal coverage levels. DICGC continues to play a crucial role in maintaining depositor confidence and supporting the stability of India's financial system. Going forward, DICGC will continue to monitor international developments, assess domestic depositor protection metrics, and consult stakeholders to ensure that the coverage level and scope remain appropriate and credible. DICGC will continue to actively monitor the changes being envisaged in the IADI's Core Principles after the current review which is in progress. DICGC would regularly assess India's deposit insurance systems and move towards compliance with IADI's CPs.

4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

The number of insured banks registered with the Corporation stood at 1,982 as on March 31, 2025 (as compared to 1,997 banks as on March 31, 2024), comprising 139 commercial banks [including six Payment Banks (PBs), 11 Small Finance Banks (SFBs), 43 Regional Rural Banks (RRBs) and 2 Local Area Banks (LABs)] and 1,843 cooperative banks (*Appendix Table 2A*). 17 banks were deregistered during the year, out of which 15 were cooperative banks and 2 (Credit Suisse AG and Fincare Small Finance Bank) were commercial banks. (*Appendix Table 3 B*). During the year, 2 new banks, The Daman & Diu State Co-operative Bank and UBS AG, were registered as insured banks (*Appendix Table 3 A*).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, deposit insurance covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all States and Union Territories (UTs) of the country.

I.1.1 INSURED DEPOSITS

The number of fully protected accounts stood at 286.5 crore (i.e., accounts with deposit balance up to ₹5 lakh) as at end-March 2025 and constituted 97.6 per cent of the total number of accounts (i.e., 293.7 crore) in the banking system. The amount of insured deposits at ₹1,00,04,919 crore constituted 41.5 per cent of assessable deposits of ₹2,40,95,727 crore (Table 1, Chart 1 and Appendix Table 4). Payment Banks account for the highest share at 99.4 per cent followed by RRBs at 79.4 per cent, LABs, at 72.3 per cent, cooperative banks at 61.9 per cent, Public Sector Banks at 47.2 per cent, SFBs at 39.8 per cent, Private Sector Banks at 31.4 per cent and foreign banks at 4.8 per cent. (*Appendix Table* 5). The table below gives a comparative position vis-à-vis March 31, 2024:

Table 1: Insured Deposits

	Particulars	As at the end of	
		March 31, 2024	(P) March 31, 2025
1	Number of Registered Banks	1,997	1,982
2	Total No. of Accounts (crore)	289.7	293.7
3	Fully Protected Accounts (crore)	283.3	286.5
4	Share of Fully protected accounts to Total no. of accounts	97.8	97.6
5	Assessable Deposits (₹ crore)	2,18,52,160	2,40,95,727
6	Insured Deposits (₹ crore)	94,12,705	1,00,04,919
7	Share of Insured Deposits to Assessable Deposits	43.1	41.5

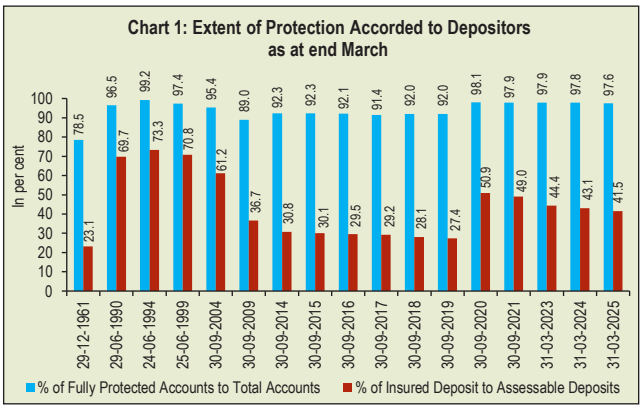

I.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

The total premium received by the Corporation during 2024-25 stood at ₹26,764 crore (₹23,879 crore for FY 2023-24), with commercial banks contributing 94.72 per cent and cooperative banks accounting for the remaining 5.28 per cent (Table 2).

Table 2: Premium Received

(₹ crore)

Year	Commercial Banks including RRBs & LABs	Co-operative Banks	Total
2024-25	25,352	1,412	26,764
2023-24	22,543	1,336	23,879
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517

I.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961 any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation an interest for the period of such default at a rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed (Table 3). For 2024-25, the Corporation recovered ₹ 2.47 crore as penalty from banks.

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(Per cent)

From	To	Bank Rate %	Penal Interest Rate %	Interest Rate payable by Defaulting Banks %
01.04.2024	06.02.2025	6.75	8	14.75
07.02.2025	31.03.2025	6.50	8	14.50

1.2 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities[1]. The DIF also gets inflows from recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The Fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹2,28,933 crore as on March 31, 2025 yielding a reserve ratio of 2.29 as compared to ₹1,98,753 crore as on March 31, 2024 yielding a reserve ratio of 2.11 (Chart 2)

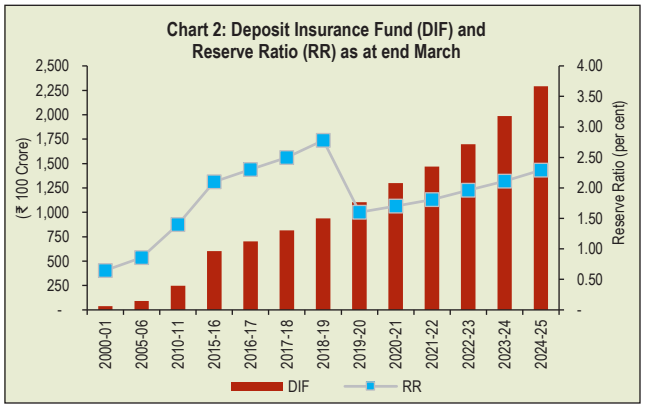

[1] The Corporation increased the premium rate to 12 paise per ₹100 of assessable deposits with effect from April 1, 2020 from the earlier rate of 10 paise.

I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During 2024-25, the Corporation settled claims amounting to ₹475.91 crore (as compared to ₹1,436.92 crore for FY 2023-24) to insured depositors of liquidated banks and merged banks (₹145.09 crore) and banks under AID (₹330.82 crore) (Appendix Table 6 and Chart 3) (Appendix Table 6A and Chart 3A). There were no claims from commercial banks.

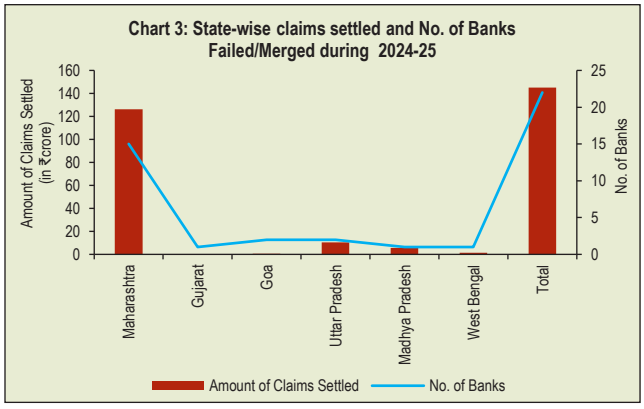

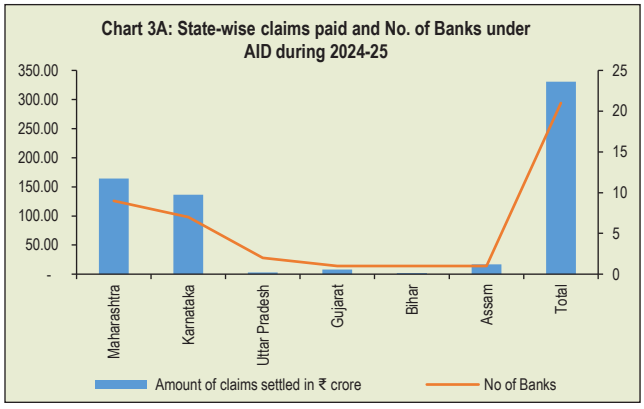

The Corporation holds a provision (for banks under AID & Liquidation) of ₹ 45.44 crore, reflecting the amount refunded by liquidators on account of untraceable depositors (claims sanctioned but depositors not traceable) and a provision of ₹663.99 crore towards unidentifiable depositors for servicing future claims, if any. The licenses of seven UCBs and one DCCB were cancelled during FY 2024-25. Contingent liability amounting to ₹174.05 crore has been booked for 10 banks. (Appendix Table 7 and Appendix Table 7A).

As regards settlement of claims under section 16 of the DICGC Act, 1961, the Corporation has taken an average of 7 days for sanction from the date of receipt of the claim from the liquidator. Further, as regards the banks under AID, the Corporation has adhered to the statutory timeline of 90 days for settlement of deposit insurance claim from the date of issue of AID to such banks.

I.4 CLAIMS AND REPAYMENTS

I.4.1 CLAIMS SETTLED

Since the inception of deposit insurance, a cumulative amount of ₹ 295.85 crore has been paid up to March 31, 2025 towards claims of 27 commercial banks, ₹10,954.75 crore[2] towards claims of 389 liquidated cooperative banks (including ₹145.09 crore settled during the year) *(Chart 4, Appendix Table 8 and 8B)* and ₹ 5,690.09 crore (in respect of 4,04,148 depositors) towards claims of 64 cooperative banks placed under AID (*Appendix Table 8A).* Thus, total claims of ₹16,940.70 crore have been settled since inception.

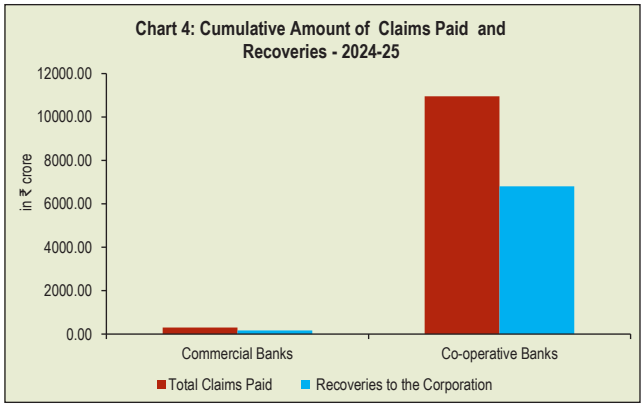

[2] Includes ₹128.27 crore settled for 11 UCBs under expeditious policy.

I.4.2 REPAYMENTS RECEIVED

The total repayments received by the Corporation during FY 2024-25 amount to ₹1,309.08 crore (as compared to ₹900.73 crore during FY 2023-24). Out of these, the repayments received from liquidated cooperative banks / cooperative banks under liquidation was ₹1,069.73 crore during the year 2024-25. In case of AID banks, total repayments received during the year 2024-25 stood at ₹236.18 crore. Recovery of ₹3.17 crore was received during FY 2024-25 from one liquidated commercial bank (Benares State Co-Op. Bank Ltd.) following the realization of assets by the liquidator of the respective bank.

Cumulative repayments received, since inception, from the liquidators/transferee of banks aggregated to ₹6,970.15 crore as on March 31, 2025. Out of these, cumulative repayments from liquidators/transferee commercial banks aggregated to ₹160.70 crore, since inception. In the case of cooperative banks, including liquidated, merged as well as AID banks, cumulative repayments, since inception, from the liquidators/ transferee banks aggregated to ₹6,809.45 crore till March 31, 2025.

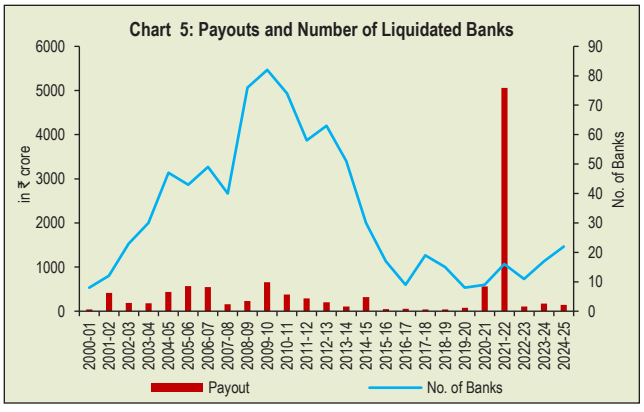

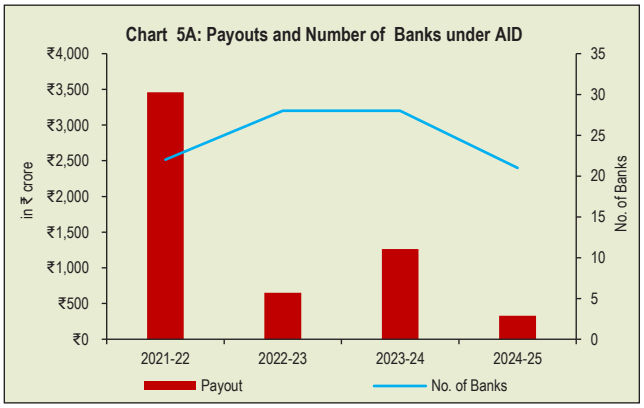

I.5 COURT CASES

As on March 31, 2025, the number of pending Court cases relating to deposit insurance activity stand at 58 as compared to 61 as on March 31, 2024. During the year, 16 cases were closed, while 13 new cases were filed. The Corporation is a Respondent/opposite party/defendant in all the 13 newly filed cases.

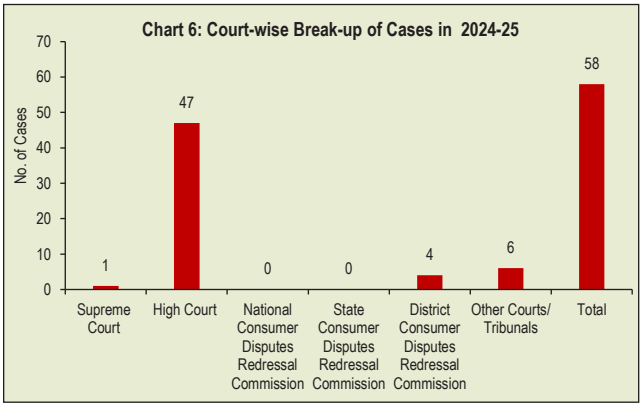

I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, no recoveries and repayments were received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2024-25.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

II.1 MEASURES RELATED TO RECOVERY MANAGEMENT

Repayments from liquidated banks are received following the realization of assets (liquidation), with deductions made for expenses payable for these realizations. The Corporation maintains ongoing coordination with the liquidators to expedite the asset realization process and facilitate timely repayments. In pursuit of this objective, the

Corporation consistently communicates with various stakeholders through TAFCUB sub-committee meetings Standing Advisory Committee meetings, Co-ordination Committee and RCS conference, one-on-one meetings with the liquidators and RCS of various states, participating in Capacity Building Program arranged by Regional offices of Lucknow and Nagpur offices, attended through virtual mode and in person. Cell has also developed an Excel VBA-based dashboard to monitor the liquidation and resolution progress of erstwhile banks, providing real-time insights, identifying outliers, and enabling data-driven decision-making. To consolidate all requests made to CRCS/RCS, relevant provisions, and judicial interpretations into a single document, the Corporation has revised its Guidelines for Liquidators of Urban Cooperative Banks. These guidelines, *inter alia*, aim to improve clarity, enhance compliance, and facilitate a better understanding of recovery requirements among liquidators.

II.2 PUBLIC AWARENESS / COMMUNICATION POLICY AND STRATEGY

The new DICGC website was launched on November 05, 2024. Two issues of the DICGC newsletter- Safety Net, giving an overview of the activities of the Corporation, inputs from IADI research papers, etc. were released. Leaflet containing overview of DICGC and its functions along with statistics from the Annual Report was hosted on the website during the year. Bilingual public awareness videos were uploaded on Instagram, Public App and YouTube Channel.

Daava Soochak – Claim Status Tracker for depositors: As part of DICGC's ongoing commitment to improve the services provided for depositors, a user-friendly claim status tracker was launched. Depositors of banks placed under 'All Inclusive Directions' (AID) post April 01, 2024 and liquidated banks, can now track the status of their claims by entering their mobile number (registered with their bank) on the DICGC website.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The financial statements of the Corporation comprising its balance sheet, revenue account, and cash flow for the year and main operations for the year ended March 31, 2025 have been prepared in the form mentioned in Sec 28 of the DICGC Act for each of the three funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of the Sec 29 of the Act have been audited by the Statutory Auditors and are appended separately to be approved by the Board.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

(a) The Corporation processed claims amounting to ₹1,987.90 crore during 2024-25. An amount of ₹475.43 crore (₹1,431.54 crore)[3] was paid towards insurance claims during 2024-25 while ₹18.90 crore were paid during 2024-25 from the liability crystalized in the previous year.

(b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) of the Corporation as estimated by the actuary stood at ₹17,566.72 crore (₹16,887.42 crore) at the end of the year registering an increase of 4.02 per cent over the corresponding period of the previous year.

(c) There is no claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

(a) The surplus in the Deposit Insurance Fund (DIF) during the period under review was ₹41,301.84 crore (CPPY ₹34,278.30 crore) showing an increase of ₹7,023.54 crore (20.49 per cent) mainly on account of increase in premium income (₹2,884.42 crore), increase in income from investment (₹1,867.18 crore), increase in recoveries of claims paid (₹408.35 crore), interest received on Income Tax refund

[3] The figures in parentheses adjacent to the current years data indicate the corresponding position in the previous year.

(₹82 crore) during the period. The increase in income was partially offset by increase in Net Claims by ₹401.60 crore.

(b) The surplus in the Credit Guarantee Fund (CGF) for the period under review was ₹53.39 crore as against ₹50.47 crore in CPPY. The increase in surplus was mainly due to increase in income from investments (₹2.58 crore).

(c) The deficit (before adjusting deferred tax liability of ₹0.19 crore) in General Fund (GF) for the period under review stood at ₹0.32 crore as against a surplus of ₹11.53 crore in CPPY. The deficit is due to income on investments (₹0.53) and increase in staff cost (₹2.66 crore); increase in Service contract/ Maintenance (₹5.92 crore; increase in the expenses related to international conferences/ workshops (₹2.15 crore) etc.; and it is partially offset by decrease in provision for depreciation in value of investment reserve and auditor's fees (₹0.93 crore). Due to excess of expense over income, ₹0.51 crore (after adjusting ₹0.19 crore as provision for deferred tax liability which increased by ₹0.15 crore from CPPY) booked as deficit for the year.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2025 the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹2,11,366 crore (₹1,81,866 crore), ₹690 crore (₹650 crore) and ₹727 crore (₹728 crore) respectively.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, viz., DIF, CGF and GF, stood at ₹2,35,063 crore (₹2,03,171 crore), ₹716 crore (₹678 crore) and ₹783 crore (₹774 crore) respectively, at the end of 2024-25. All the funds recorded appreciation and the market value of investments in all the three funds stood at ₹2,41,859 crore (DIF), ₹740 crore (CGF) and ₹803 crore (GF).

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2025, the accumulated balance (outstanding) in the Advance Income Tax (AIT) account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹10,495 crore (₹8,215 crore), ₹12 crore (₹10 crore) and ₹3 crore (₹10 crore) respectively. The accumulated balance in provision for taxation stood at ₹10,395 crore (₹8,184 crore), ₹14 crores (₹13 crore) and Nil (₹3 crore) respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks. It has discharged the GST liability in compliance thereof to the order of ₹4,817.69 crore during the year. The same was collected from insured banks.

PART IV: TREASURY OPERATION

IV.I In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961 the Corporation invests its surplus in Central Government securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹2,36,561 crore as on March 31, 2025 as compared with ₹2,04,623 crore as on March 31, 2024 representing an increase of 15.61 per cent over the previous year. The market value of the portfolio stood at ₹2,43,402 crore as on March 31, 2025 as compared with ₹2,05,523 crore as on March 31, 2024, registering an increase of 18.43 per cent and 1.03 times of book value *vis-à-vis* 1.00 times as on March 31, 2024. The portfolio return[4] during the year was 12.74 per cent as compared with 9.00 per cent in 2023-24, as the portfolio gained from softening in yields during the year. The market value of existing and fresh investments during the year appreciated as yields declined during the year.

[4] Total weighted return is calculated using the Dietz Method, viz. TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)], where MVE/B = Market value at End/Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.

IV.2 Central Government securities are valued at model prices published by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of the accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised while net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2025, General Fund, Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund recorded net appreciation. Further, the Corporation maintains an Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2025, IFR of ₹9,586.88 crore calculated by the Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹8,157.08 crore as on March 31, 2024.

IV.3 Yields on securities softened during the year (yield on 10-year benchmark security was 7.06 per cent as on March 31, 2024 *vis-à-vis* 6.58 per cent as on March 31, 2025[5]). Multiple factors led to moderation in yields viz. easing of monetary policy on account of waning inflationary pressures, persistent liquidity infusion measures by RBI, fiscal consolidation in Union Budget and robust demand from FPIs on account of inclusion of Indian government bonds in global indices. As inflationary pressure eased during second half of the financial year, Monetary Policy Committee changed its stance to neutral in its October 2024 meeting and cut the repo rate by 25 bps in its February 2025 meeting. RBI infused liquidity into the system through various measures such as Open Market Operation purchases, Buy/Sell swaps, cut in Cash Reserve Ratio, and daily and long-term Variable Rate Repo Operations. In Union Budget for FY 2025-26, the Government continued on its fiscal consolidation path by pegging FY 2025-26 fiscal deficit at 4.4 per cent of GDP, lower than 4.8 per cent of GDP in previous year, which boosted market sentiments. Indian governments bond market received sustained foreign inflows on account of inclusion into bond indices of JP Morgan and Bloomberg. Decline in crude oil prices on concerns of global growth slowdown also aided in softening of yields. US treasury yields saw two-way movements during FY 2024-25 with increased volatility. Since November 2024, US Presidential election results and policies of Trump administration were keenly watched by market participants. US Federal Reserve cut policy rate by 100 bps during September to December 2024, and kept the rates unchanged in January and March 2025 meetings. Escalating trade war heightened economic uncertainty and raised fears of growth slowdown and worsening inflation. In view of the policy easing, the Corporation sought to increase portfolio duration by investing in long-term securities. The deployment of incoming premium and coupon/principal inflows was undertaken in liquid securities, primarily 10 and 15 years, which helped in building the holdings of on the run liquid securities. Claims payments during the year were discharged successfully using the cash inflows in timely manner. Corporation also participated in auctions selectively while cash inflows including T-bills were utilized to meet tax payment obligations like Income Tax and GST during the year.

V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Board Meetings covering four quarters were held during the year ended March 31, 2025.

[5] 7.18 per cent GS 2033 was the 10-year benchmark security as on March 31, 2024 and 6.79 per cent GS 2034 was the benchmark security as on March 31, 2025.

V.1.1 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Dr. M.D.Patra Deputy Governor, Reserve Bank of India, appointed under section 6 (1) (a) of the DICGC Act, 1961 ceased to be a Chairman on the Board of the Corporation with effect from January 14, 2025 on account of superannuation. Consequently Shri Swaminathan J, Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as Chairman of the Board of Directors of DICGC w.e.f. January 15, 2025 by the Committee of the Central Board of RBI.

Shri Arnab Kumar Chowdhury was nominated by the RBI under 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 as the Executive Director of the Corporation with effect from July 1, 2024. Dr. Tarun Agarwal and Shri Partha Ray, Director National Institute of Bank Management were nominated as Director on the Board of the Corporation by the Government of India under 6 (1) (d) and (e) of the DICGC Act, 1961 w.e.f., July 10, 2024.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2025, the Audit Committee of Board was as under:

1. Shri Shaji K.V.	Chairperson
2. Shri Pankaj Sharma	GoI Nominee Director
3. Dr. Arnab Kumar Chowdhury	Director
4. Dr. Tarun Agarwal	Director

Meetings of the Audit Committee of the Board, covering four quarters, were held during the year ended March 31, 2025.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds viz., DIF, CGF and GF, through quarterly periodic reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, viz., liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of IT vendor; legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments. It is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure, based on the position as at the end of each half year, is placed before the Board.

V.3.1 CONCURRENT AUDIT

M/s M S K A & Associates were appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2024-25.

V.3.2 CONTROL & SELF-ASSESSMENT AUDIT

Under Control and Self-Assessment Audit (CSAA), a system has been put in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas with which they are not functionally associated on a half-yearly basis. Reports for corrective actions, if any, are submitted by them.

V.3.3 RISK BASED INTERNAL AUDIT

Risk Based Internal Audit (RBIA) of the DICGC was conducted by the Inspection Department of RBI from January 20 to 29, 2025. Out of the 75 paragraphs identified for compliance, 34 have been complied so far and compliance for remaining 41 paragraphs is under progress.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade skills. These programmes are conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, the International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2024-25, 19 officers (25 officers in FY 2023-24) and 10 Assistants were nominated to participate in RBI training establishments and external training institutes, including 2 officers and 3 Assistants in online mode (5 officers and 3 class III in FY 2023-

24). Besides 12 officers (15 officers in FY 2023-24) were nominated for participating in various programmes conducted by IADI, including 3 officers in online mode (4 officers in FY 2023-24).

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from the RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2025 stood at 68. There is no change in staff strength as on March 31, 2025 vis-à-vis as on March 31, 2024 (Table 4).

Table 4: Category wise Staff Strength as on March 31, 2025

Category	Number	Of which		Per cent	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	*40	8	3	20	7.50
Class III	24	2	2	8.33	8.33
Class IV	4	0	1	0	25
Total	**68	10	6	14.71	8.82

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes.
*Excluding ED
**This is inclusive of 3 consultants hired by DICGC on contract basis, through RBI.

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right to Information Act (RTI). During 2024-25, a total of 78 RTI requests (55 RTIs in FY 2023-24) and three appeals (five appeals in FY 2023-24) were received and the Appellate Authority Order was issued by the Corporation within the prescribed timeframe. The RTI queries primarily pertained to role of RBI and DICGC in protecting depositors, information on claim settlement, queries on enhancement of deposit insurance cover, information on failed banks and banks under AID, and amount disbursed.

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Language Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Language Implementation Committee met on quarterly basis to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 98.68 per cent as on March 31, 2025, as compared to 98.03 per cent as on March 31, 2024. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held on October 9, 2024.

V.8 COMPLAINT REDRESSAL CELL IN THE CORPORATION

The Corporation formed a Complaint Redressal Cell (CRC) for prompt redressal of complaints received from the members of public. A total number of 1,417 complaints (1,410 complaints in FY 2023-24) including 36 CPGRAMS complaints (52 CPGRAMS complaints in FY 2023-24) were attended during the period from April 01, 2024 to March 31, 2025. The complaints were primarily related to claim settlement, non-receipt of insurance amount, non-acceptance of willingness form by the concerned bank, request for amount exceeding the maximum deposit insurance coverage limit, etc. The disposal of complaints is being made in a timebound manner in co-ordination with the liquidators/nodal officers of the AID banks, regulatory and supervisory departments of RBI. Specific issues relating to complaints are also taken up with the Sub-Committee of Task Force on Urban Cooperative Banks (TAFCUB) for disposal.

V.9 INTERNATIONAL RELATIONS

IADI Meetings, Survey and other matters

The Corporation is a member of the International Association of Deposit Insurers (IADI) and its various committees. IADI was setup with a view to contribute to the enhancement of deposit insurance systems by promoting guidance and international cooperation. As a member, officials of the Corporation engaged proactively in a wide range of IADI-organised events, contributing as both speakers and participants. These engagements encompassed eight in-person meetings (seven in-person meetings in FY 2023-24), as well as multiple

virtual meetings, conferences, and training sessions, thereby enabling DICGC officials to remain abreast of evolving global trends and challenges in deposit insurance as well as providing a platform to share the Corporation's expertise and experiences with fellow deposit insurers worldwide.

Inputs were provided for these meetings as well as other surveys and reports. DICGC has further strengthened its international collaboration and knowledge sharing by nominating its officials in various committees and working groups of IADI spanning financial cooperatives, communication, emerging trends, fintech, reimbursement, resolution, capacity building, and core principle reviews.

International Conference

The Corporation had successfully organised and hosted the IADI-APRC International Conference in Jaipur in August 12-14, 2024 under the theme "Navigating the evolving Financial Landscape: Emerging Challenges for Deposit Insurers and the Significance of Crisis Preparedness,". The principal objective of the Conference was to deliberate on the challenges, implications and outlook for deposit insurance and the financial safety net framework in the context of evolving financial landscape and climate-related financial risks, and the overarching significance of crisis preparedness and management policy. The event was attended by Top management/Senior Executives from RBI, IADI President, Secretary General, Senior Executives from Central Banks, Deposit Insurers, Ministry of Finance (DFS), Government of India and Banks including Co-operative Banks. On the side-lines of the conference the meeting of Joint Task Force of Asia Pacific Regional Committee of IADI was also organised and a Bilateral meeting was held between the officials of the corporation and the officials of Philippine Deposit Insurance Corporation.

Visit by Deposit Insurance Corporation of Japan

Senior Executives from the Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) undertook a visit to the Corporation for a structured bilateral meeting on August 16, 2024. The primary objective of this engagement was to facilitate a comprehensive exchange of experiences, best practices, and insights into the operational frameworks, governance structures, and strategic initiatives of both organisations.

V.10 AUDITORS

In terms of Section 29 (1) of the DICGC Act, 1961, M/s Jain Chowdhary & Co., Chartered Accountants were re-appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2024-25.

For and on behalf of Board of Directors

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Mumbai
May 15, 2025

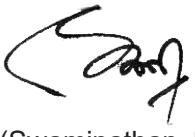

(Swaminathan J)
Chairman

APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE - PROGRESS SINCE INCEPTION

Year/Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2025	1,997	2	8	9	17	1,982
31-03-2024	2,026	1	24	6	30	1,997
31-03-2023	2,040	0	9	5	14	2,026
31-03-2022	2,058	3	11	10	21	2,040
31-03-2021	2,067	2	6	5	11	2,058
31-03-2020	2,098	6	0	37	37	2,067
31-03-2019	2,109	8	4	15	19	2,098
31-03-2018	2,125	8	7	17	24	2,109
31-03-2017	2,127	13	5	10	15	2,125
31-03-2016	2,129	6	3	5	8	2,127
31-03-2015	2,145	5	14	7	21	2,129
31-03-2014	2,167	7	16	13	29	2,145
31-03-2013	2,199	12	12	32	44	2,167
31-03-2012	2,217	7	11	14	25	2,199
31-03-2011	2,249	3	22	13	35	2,217
31-03-2010	2,307	10	26	42	68	2,249
31-03-2009	2,356	13	33	29	62	2,307
31-03-2008	2,392	10	18	28	46	2,356
31-03-2007	2,531	46	24	161	185	2,392
31-03-2006	2,547	3	17	2	19	2,531
31-03-2005	2,595	3	47	4	51	2,547
31-03-2004	2,629	9	39	4	43	2,595
31-03-2003	2,715	10	29	7	36	*2,629
31-03-2002	2,728	15	18	10	28	2,715
31-03-2001	2,676	62	9	1	10	2,728
31-03-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
31-03-1999	2,438	149	4	0	4	2,583
31-03-1998	2,296	145	1	2	3	2,438
31-03-1997	2,122	176	1	1	2	2,296
31-03-1996	2,025	99	1	1	2	2,122
31-03-1995	1,990	36	0	1	1	2,025
31-03-1994	1,931	63	1	3	4	1,990
31-03-1993	1,931	3	2	1	3	1,931
31-03-1992	1,922	14	2	3	5	1,931

APPENDIX TABLE 1: *(Contd.)*

Year/Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-1991	1,921	8	5	2	7	1,922
31-03-1990	1,903	19	1	0	1	1,921
31-03-1989	1,898	14	2	7	9	1,903
31-12-1987	1,859	42	3	0	3	1,898
31-12-1986	1,837	27	2	3	5	1,859
31-12-1985	1,805	41	5	4	9	1,837
31-12-1984	1,736	71	1	1	2	1,805
31-12-1983	1,683	55	0	2	2	1,736
31-12-1982	1,647	44	1	7	8	1,683
31-12-1981	1,582	69	1	3	4	1,647
31-12-1980	1,392	191	0	1	1	1,582
31-12-1979	1,021	375	0	4	4	1,392
31-12-1978	975	51	4	1	5	1,021
31-12-1977	757	223	2	3	5	975
31-12-1976	611	155	3	6	9	757
31-12-1975	526	88	0	3	3	611
31-12-1974	492	37	0	3	3	526
31-12-1973	476	18	0	2	2	492
31-12-1972	465	16	0	5	5	476
31-12-1971	83	385	0	3	3	465
31-12-1970	85	0	1	1	2	83
31-12-1969	88	0	2	1	3	85
31-12-1968	91	0	0	3	3	88
31-12-1967	100	0	0	9	9	91
31-12-1966	109	1	2	8	10	100
31-12-1965	157	0	0	48	48	109
31-12-1964	250	1	6	88	94	157
31-12-1963	276	0	1	25	26	250
31-12-1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS – BANK GROUP-WISE

Year	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
31-03-2025	94	43	2	1,843	1,982
31-03-2024	95	43	2	1,857	1,997
31-03-2023	94	43	2	1,887	2,026
31-03-2022	96	43	2	1,899	2,040
31-03-2021	94	43	2	1,919	2,058

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS – STATE-WISE
(as at end March 2025)

Sr. No.	States / Union Territories	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	22	44	67
2.	Assam	1	-	7	8
3.	Arunachal Pradesh	1	-	-	1
4.	Bihar	1	23	3	27
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	-	3	4
7.	Gujarat	1	18	210	229
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jharkhand	1	1	1	3
11.	Karnataka	1	21	250	272
12.	Kerala	1	1	58	60
13.	Madhya Pradesh	1	38	47	86
14.	Maharashtra	1	31	459	491
15.	Manipur	1	-	3	4
16.	Meghalaya	1	-	3	4
17.	Mizoram	1	-	1	2
18.	Nagaland	1	-	-	1
19.	Orissa	1	17	9	27
20.	Punjab	1	20	4	25
21.	Rajasthan	1	29	34	64
22.	Sikkim	1	-	1	2
23.	Tamil Nadu	1	24	127	152
24.	Telangana	1	-	48	49
25.	Tripura	1	-	1	2
26.	Uttar Pradesh	1	50	54	105
27.	Uttarakhand	1	10	5	16
28.	West Bengal	1	17	42	60
All States		**28**	**349**	**1,438**	**1,815**
	Union Territories				
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	-	-	1
2.	Chandigarh	1	-	-	1
3.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1	-	-	1
4.	Delhi (National Capital Territory)	1	-	14	15
5.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
6.	Ladakh	-	-	-	-
7.	Lakshadweep	-	-	-	-
8.	Puducherry	1	-	1	2
All Union Territories		**6**	**3**	**19**	**8**
All India		**34**	**352**	**1,457**	**1,843**

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2024-25

A. REGISTERED (2)

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Bank (1)	Foreign Bank (1)	1	UBS AG
Co-operative Bank (1)	State Co-Operative Bank (1)	1	The Daman & Diu State Co-operative Bank

B. DE-REGISTERED (17)

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Bank (2)	Karnataka (1)	1	Fincare Small Finance Bank (merged)
	Maharashtra (1)	2	Credit Suisse AG (merged)
Co-operative Banks (15)	Andhra Pradesh (2)	1	Uravakonda Cooperative Town Bank Ltd
		2	Durga Co-operative Urban Bank Ltd
	Assam (1)	3	Mahabhairab Co-op Urban Bank Ltd.
	Bihar (1)	4	The Vaishali Shahari Vikas Co-op Bank Ltd.
	Goa (1)	5	CITIZEN CO-OP. BANK LTD. (merged)
	Karnataka (1)	6	NATIONAL CO-OPERATIVE BANK LTD BLORE (merged)
	Maharashtra (5)	7	City Cooperative Bank Ltd
		8	Rajapur Sahakari Bank Ltd. (merged)
		9	Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank ltd. (merged)
		10	PUNE COMMERCIAL CO-OP BANK LTD (merged)
		11	JAWAHAR SAHAKARI BANK LTD. (merged)
	Tamil Nadu (1)	12	CUDDALORE & VILLIPURAM D. C CO-OP. BANK
	Telangana (1)	13	Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Co-operative Urban Bank Ltd (merged)
	Uttar Pradesh (2)	14	Purvanchal Cooperative Bank
		15	Banaras Mercantile Cooperative Bank

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

As on	Fully Protected Accounts (In Lakh)*	Total Accounts (In Lakh)	Fully Protected Accounts to Total Accounts (%)	Insured Deposits* (In ₹ Crore)	Assessable Deposits (In ₹ Crore)	Insured Deposits to Assessable Deposits (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(P) 31-03-2025	28,650	29,366	97.6	1,00,04,919	2,40,95,727	41.5
30-09-2024	28,690	29,370	97.7	96,74,623	2,27,26,914	42.6
31-03-2024	28,331	28,975	97.8	94,12,705	2,18,52,160	43.1
30-09-2023	28,179	28,794	97.9	90,32,340	2,04,18,707	44.2
31-03-2023	27,050	27,630	97.9	86,31,259	1,94,58,915	44.4
30-09-2022	26,746	27,311	97.9	83,89,470	1,81,14,550	46.3
30-09-2021	25,667	26,219	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
30-09-2020	24,780	25,260	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
30-09-2019	21,610	23,500	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
30-09-2018	20,000	21,740	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
30-09-2017	17,750	19,410	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
30-09-2016	17,370	18,850	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
30-09-2015	15,530	16,810	92.4	28,26,400	94,05,300	30.1
30-09-2014	13,450	14,560	92.4	26,06,794	84,75,154	30.8
30-09-2013	12,670	13,700	92.5	23,79,152	76,16,640	31.2
30-09-2012	13,930	14,820	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
30-09-2011	9,960	10,730	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
30-09-2010	9,769	10,516	92.9	17,35,800	49,52,427	35.0
30-09-2009	12,669	14,239	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
30-09-2008	12,040	13,489	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
30-09-2007	9,617	10,389	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
30-09-2006	6,829	7,169	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
30-09-2005	5,055	5,374	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
30-09-2004	6,195	6,495	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
27-06-2003	5,189	5,440	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
28-06-2002	5,782	6,002	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
29-06-2001	4,645	4,817	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
30-06-2000	4,324	4,462	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
25-06-1999	4,302	4,417	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
26-06-1998	4,544	4,642	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
27-06-1997	3,713	4,109	90.4	3,70,531	4,92,380	75.3
28-06-1996	4,273	4,351	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
30-06-1995	4,819	4,868	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
24-06-1994	4,956	4,993	99.3	2,66,747	3,64,058	73.3
25-06-1993	3,497	3,529	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
26-06-1992	3,395	3,543	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3

APPENDIX TABLE 4: *(Contd.)*

As on	Fully Protected Accounts (In Lakh)*	Total Accounts (In Lakh)	Fully Protected Accounts to Total Accounts (%)	Insured Deposits* (In ₹ Crore)	Assessable Deposits (In ₹ Crore)	Insured Deposits to Assessable Deposits (%)
28-06-1991	3,169	3,287	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
29-06-1990	2,983	3,089	96.6	1,09,316	1,56,892	69.7
30-06-1989	3,059	3,142	97.4	1,01,682	1,40,746	72.2
24-06-1988	2,705	2,781	97.3	90,192	1,26,864	71.1
26-06-1987	2,518	2,569	98.0	75,511	1,03,044	73.3
27-06-1986	2,320	2,360	98.3	62,878	86,214	72.9
28-06-1985	2,145	2,238	95.8	56,211	76,517	73.5
29-06-1984	2,001	2,026	98.8	46,340	61,880	74.9
24-06-1983	1,785	1,816	98.3	37,746	50,797	74.3
25-06-1982	1,581	1,598	98.9	31,774	42,360	75.0
26-06-1981	1,365	1,377	99.1	25,859	35,004	73.9
01-07-1980	1,274	1,285	99.1	24,234	32,570	74.4
29-06-1979	1,067	1,085	98.3	18,582	26,743	69.5
22-09-1978	915	931	98.3	15,369	21,659	71.0
23-09-1977	840	855	98.2	14,155	19,892	71.2
24-09-1976	718	730	98.4	11,827	16,588	71.3
26-09-1975	576	603	95.5	8,832	13,494	65.5
27-09-1974	457	476	96.0	6,801	10,624	64.0
28-09-1973	399	415	96.1	5,852	9,152	63.9
22-09-1972	328	340	96.5	4,655	7,458	62.4
24-09-1971	299	310	96.5	4,224	6,801	62.1
25-09-1970	230	240	95.8	3,411	5,448	62.6
26-09-1969	186	205	90.7	2,374	4,670	50.8
27-09-1968	160	175	91.4	2,023	4,012	50.4
22-09-1967	119	155	76.8	943	3,603	26.2
23-09-1966	103	136	75.7	824	3,236	25.5
24-09-1965	89	116	76.7	691	2,744	25.2
25-09-1964	76	98	77.6	574	2,437	23.6
27-09-1963	66	86	76.7	500	2,107	23.7
28-09-1962	60	77	77.9	448	1,895	23.6
29-12-1961	55	71	77.5	392	1,694	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from February 4, 2020 onwards.

Note: Data from 2009-10 as per new reporting format.

APPENDIX TABLE 5: BANK GROUP-WISE INSURED DEPOSITS *(Contd.)*
(Financial Year 2024-25)

Bank Groups	No. of Insured Banks	Insured Deposits (₹ Crore)	Assessable Deposits (₹ Crore)	Insured Deposits to Assessable Deposits (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
As on March 31, 2025 (P)				
I. Commercial Banks (i to vii)	**139**	**92,32,113**	**2,28,46,847**	**40.4**
i) Public Sector Banks	12	59,53,830	1,26,11,152	47.2
ii) Private Sector Banks	21	25,70,617	81,89,779	31.4
iii) Foreign Banks	44	52,084	10,91,743	4.8
iv) Small Finance Banks	11	1,07,719	2,70,601	39.8
v) Payment Banks	6	26,142	26,294	99.4
vi) Regional Rural Banks	43	5,20,703	6,55,870	79.4
vii) Local Area Banks	2	1,018	1,409	72.3
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,843**	**7,72,806**	**12,48,879**	**61.9**
i) Urban Co-operative Banks	1,457	3,80,261	5,84,539	65.1
ii) State Co-operative Banks	34	66,285	1,57,076	42.2
iii) District Central Co-operative Banks	352	3,26,260	5,07,264	64.3
Total (I+II)	**1,982**	**1,00,04,919**	**2,40,95,727**	**41.5**
As on September 30, 2024				
I. Commercial Banks (i to vii)	**139**	**89,34,151**	**2,15,53,399**	**41.5**
i) Public Sector Banks	12	57,93,657	1,19,84,450	48.3
ii) Private Sector Banks	21	24,76,339	75,95,372	32.6
iii) Foreign Banks	44	49,158	10,86,877	4.5
iv) Small Finance Banks	11	98,498	2,41,745	40.7
v) Payment Banks	6	18,375	18,470	99.5
vi) Regional Rural Banks	43	4,97,161	6,25,151	79.5
vii) Local Area Banks	2	962	1,334	72.1
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,850**	**7,40,472**	**11,73,515**	**63.1**
i) Urban Co-operative Banks	1,465	3,73,715	5,56,862	67.1
ii) State Co-operative Banks	33	63,262	1,47,586	42.9
iii) District Central Co-operative Banks	352	3,03,496	4,69,067	64.7
Total (I+II)	**1,989**	**96,74,623**	**2,27,26,914**	**42.6**

Note: The insured deposits to assessable deposits ratio may not tally due to rounding off.

APPENDIX TABLE 5: BANK GROUP-WISE INSURED DEPOSITS *(Concld.)*
(Financial Year 2024-25)

Bank Groups	No. of Insured Banks	Insured Deposits (₹ Crore)	Assessable Deposits (₹ Crore)	Insured Deposits to Assessable Deposits (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
As on March 31, 2024				
I. Commercial Banks (i to vii)	**140**	**86,66,416**	**2,06,73,077**	**41.9**
i) Public Sector Banks	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8
ii) Private Sector Banks	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) Foreign Banks	44	50,568	10,08,506	5.0
iv) Small Finance Banks	12	89,532	2,15,426	41.6
v) Payment Banks	6	16,794	16,937	99.2
vi) Regional Rural Banks	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) Local Area Banks	2	937.0539	1,295	72.4
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,857**	**7,46,290**	**11,79,084**	**63.3**
i) Urban Co-operative Banks	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8
ii) State Co-operative Banks	33	64,202	1,48,080	43.4
iii) District Central Co-operative Banks	352	3,10,242	4,74,041	65.4
Total (I+II)	**1,997**	**94,12,705**	**2,18,52,160**	**43.1**
As on September 30, 2023				
I. Commercial Banks (i to vii)	**140**	**83,18,604**	**1,93,02,931**	**43.1**
i) Public Sector Banks	12	54,50,402	1,09,87,647	49.6
ii) Private Sector Banks	21	22,59,204	66,08,656	34.2
iii) Foreign Banks	44	51,562	9,31,135	5.5
iv) Small Finance Banks	12	77,667	1,84,714	42.0
v) Payment Banks	6	14,252	14,321	99.5
vi) Regional Rural Banks	43	4,64,626	5,75,228	80.8
vii) Local Area Banks	2	891	1,229	72.4
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,869**	**7,13,736**	**11,15,776**	**64.0**
i) Urban Co-operative Banks	1,484	3,64,679	5,33,396	68.4
ii) State Co-operative Banks	33	65,375	1,49,476	43.7
iii) District Central Co-operative Banks	352	2,83,682	4,32,905	65.5
Total (I+II)	**2,009**	**90,32,340**	**2,04,18,707**	**44.2**

Note: The insured deposits to assessable deposits ratio may not tally due to rounding off.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS OF LIQUIDATED/ MERGED BANKS SETTLED DURING 2024-25

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Claim amount (₹ crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Co-operative Banks				
Maharashtra Claims (15)				
1	Laxmi CBL	Main	16,259	4.43
2	Nagar UCBL	Main	86,249	85.80
3	Harihareshwar SBL	Main	11,756	2.65
4	Shankarrao Pujari Nutan NSBL	Main	1,912	8.59
5	Faiz Mercantile CBL	Main	7,059	1.72
6	Nashik Zilla Girna SBL	Main	2,761	1.19
7	Seva Vikas CBL	Supplementary	555	1.85
8	Sarjeraodada Naaik Shirala SBL	Supplementary	1,101	1.00
9	Navodaya UCBL	Supplementary	2	0.02
10	Mantha UCBL	Supplementary	1,655	2.68
11	PMCBL	Supplementary	126	0.75
12	Rupee CBL	Supplementary	1,102	10.19
13	CKP CBL	Supplementary	682	4.91
14	Karnala NSBL	Supplementary	20	0.44
15	Shivam SBL	Supplementary	87	0.13
A. Total (Maharashtra - 15 claims)			**1,31,326**	**126.34**
Gujarat (1)				
1	Gujarat Industrial CBL	Supplementary	359	0.40
B. Total (Gujarat- 1 claims)			**359**	**0.40**
Goa (2)				
1	Madgaum Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	42	0.30
2	Mapusa Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	78	0.36
C. Total (Goa- 2 claims)			**120**	**0.66**
Uttar Pradesh (2)				
1	Lucknow UCBL	Main	3,169	9.48
2	Lucknow UCBL	Supplementary	80	1.04
D. Total (Uttar Pradesh- 2 claims)			**3,249**	**10.52**
Madhya Pradesh (1)				
	Garha CBL	Main	2,243	5.74
E. Total (Madhya Pradesh- 1 claim)			**2,243**	**5.74**
West Bengal (1)				
1	United CBL, Bagnan	Main	632	1.43
F. Total (West Bengal- 1 claim)			**632**	**1.43**
Total (A+B+C+D+E+F)- 22 claims			**1,37,929**	**145.09**

APPENDIX TABLE 6A: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2024-25 (Banks under AID)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim / Supplementary Claim	No. of depositors	Amount of Claims (₹ crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Co-operative Banks				
Maharashtra				
1	Rajapur SBL	Supplementary	143	1.69
2	Sawantwadi UCBL	Supplementary	1,041	1.04
3	The Shirpur MCBL	Main	3,807	43.36
4	Sarvodaya CBL	Main	1,500	23.27
5	The Konark UBCL	Main	1,167	8.46
6	The Konark UBCL	Supplementary	771	4.18
7	Pune SBL	Supplementary	2	0.05
8	Shankarrao Mohite Patil SBL	Supplementary	236	1.63
9	Ajantha UCBL	Supplementary	3,622	80.68
Total (Maharashtra - 09 claims)			**12,289**	**164.35**
Karnataka				
1	National CBL Bangalore	Supplementary	288	6.08
2	Sri Gururaghavendra SBN	Supplementary	5	0.22
3	The Amanath CBL	Main	324	5.22
4	Karwar UCBL	Main	1,588	37.79
5	The Amanath CBL	Supplementary	48	0.70
6	Shree Mahalaxmi UCCBL Gokak	Main	8,983	86.22
7	Shree Mahalaxmi UCCBL Gokak	Supplementary	552	0.48
Total (Karnataka - 7 claims)			**11,788**	**136.72**
Uttar Pradesh				
1	National UCBL, Pratapgarh	Main	144	2.47
2	National MCBL, Lucknow	Supplementary	44	0.62
Total (Uttar Pradesh - 2 claims)			**188**	**3.08**
Gujarat				
1	Colour Merchants CBL	Supplementary	406	7.68
Total (Gujarat - 1 claim)			**406**	**7.68**
Bihar				
1	Vaishali Shahari Vikas CBL	Supplementary	877	2.04
Total (Bihar - 1 claim)			**877**	**2.04**
Assam				
1	Mahabhairab CBL	Supplementary	1,939	16.94
Total (Assam - 1 claim)			**1,939**	**16.94**
Total all states (21 claim)			**27,487**	**330.82**

Note: The Corporation has received a refund of ₹ 0.50 crore which was sanctioned in terms of provisions of section 18A of the DICGC Act and was lying undisbursed at the time of deregistration of such banks consequent to cancellation of the license by RBI.

APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY
(As on March 31, 2025)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (in ₹ crore)
A	**10 Years and above**		
	-	-	-
	Total (A)	**-**	**-**
B	**5 Years and less than 10 Years**		
	-	-	-
	Total (B)	**-**	**-**
C	**1 Year and less than 5 Years**		
	1 Dec 24, 2020	Subhadra Local Area Bank (U/L) #	7.75
	2 Feb 03, 2022	Independence CBL (U/L)	2.70
	3 Jun 08, 2022	Mudhol CBL	5.20
	4 Jun 18, 2022	Millath CBL	3.54
	5 Jul 07, 2022	Shri Anand CBL	5.45
	6 Aug 18, 2022	Deccan UCBL	3.13
	7 Oct 04, 2023	Kapol Co-operative Bank Ltd	96.71
	Total (C)	**(6 Banks)**	**124.48**
D	**Less than 1 year**		
	1 Jan 12, 2024	Shree Mahalaxmi Mercantile CBL	18.58
	2 Jun 19, 2024	The City Co-operative Bank Ltd.	24.95
	3 Jul 19, 2024	Uravakonda Cooperative Town Bank Ltd.	6.04
	Total (D)	**(4 Banks)**	**49.57**
Grand Total (A+B+C+D)		**(10 Banks)**	**174.05**

#Claim list is yet to be received from the liquidator. Matter sub judice.

Note: Apart from the banks mentioned above, there are 18 such banks whose license has been cancelled however the contingent liability has not been booked for want of deposit return as on the cut-off date.

APPENDIX TABLE 7A: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY - BANKS UNDER AID
(As on March 31, 2025)

Sr. No.	Name of the Bank	Amount (in ₹ crore)
1	NIL	-
Total		**-**

The provision has been booked in case of banks whose claim list has been received hence no outstanding contingent liability available

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED/AMALGMATED/RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2025

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	**COMMERCIAL BANKS**					
	i) Full repayment received (A)					
1	Bank of China, Kolkata (1963)			925.00	925.00	-
2	Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*			704.06	704.06	-
3	Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*			208.50	208.50	-
4	Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*			11.51	11.51	-
5	Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*			4,631.66	4,631.66	-
6	National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*			968.92	968.92	-
7	Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*			1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
8	Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*			14,659.08	14,659.08	-
9	Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)			3,70,000.00	3,70,000.00	-
	TOTAL 'A'			**5,08,386.80**	**5,08,387.18**	**(0.38)**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)					
10	Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*			253.35	137.79 (115.56)	-
11	Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*			27.60	18.07 (9.53)	-
12	Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*			108.08	31.32 (76.76)	-
13	Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*			880.08	441.55 (438.53)	-
14	Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*			734.28	372.93 (361.35)	-
15	Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*			1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
16	National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*			99.26	88.12 (11.13)	-
17	Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*			18.28	14.55 (3.74)	-
18	Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*			3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
19	Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*			26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	20 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*			3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
	21 Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*			30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
	22 Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*			72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	TOTAL 'B'			**8,17,291.74**	**1,91,403.91 (6,25,887.83)**	-
	iii) Part repayment received (C)					
	23 Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*			2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
	24 Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*			1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
	25 Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*			76,449.75	75,897.32	552.43
	26 Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*			1,72,956.25	-	1,72,956.25
	27 Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*			10,56,442.08	6,22,212.71	4,65,884.94
	TOTAL 'C'			**16,32,851.19**	**9,07,240.97**	**7,57,265.80**
	TOTAL (A+B+C)			**29,58,529.73**	**16,07,032.06 (6,25,887.83)**	**7,57,265.42**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**					
	i) Full repayment received (D)					
	1 Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)			573.33	573.33	-
	2 Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)			184.00	184.00	-
	3 Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)			1,072.00	1,072.00	-
	4 Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)			218.99	244.99	(26.00)
	5 Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)			1,837.46	1,837.46	-
	6 Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*			484.89	484.89	-
	7 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)			12,500.00	12,500.00	-
	8 Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)			121.97	121.97	-
	9 Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)			2,413.42	2,413.43	(0.00)
	10 Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^			915.79	915.79	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	11 Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)			28,556.47	28,556.47	-
	12 Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)			5,068.09	5,068.09	-
	13 Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	02-05-2013	40,15,185.54	40,15,185.54	-
	14 Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)			7,821.24	7,821.24	-
	15 The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)			26,553.64	26,553.64	-
	16 Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)			11,289.66	11,289.66	-
	17 Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)			47,432.57	47,432.57	-
	18 Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			34,033.48	34,033.48	-
	19 Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)			33,329.35	33,331.32	(1.97)
	20 Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)			33,177.94	33,177.94	-
	21 Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)			37,343.88	37,343.88	-
	22 The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)			41,281.62	41,281.62	-
	23 Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			7,697.97	7,697.97	-
	24 Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)			22,952.19	22,952.19	-
	25 Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)			20,65,143.58	20,65,143.58	-
	26 Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)			30,697.47	30,697.47	-
	27 Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)			629.80	629.80	-
	28 Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^			4,787.55	4,787.55	(0.00)
	29 Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,725.86	5,725.86	-
	30 Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			30,892.41	30,901.60	(9.20)

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	31 Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^			6,06,403.31	6,06,403.31	-
	32 Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			1,30,437.03	1,30,437.03	-
	33 Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)			15,706.37	15,706.37	-
	34 Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)			18,999.84	18,999.84	-
	35 Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			24,741.48	24,741.48	-
	36 Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		20-06-2006	3,04,703.46	3,04,703.46	-
	37 Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		01-08-2006	2,57,956.99	2,57,956.99	-
	38 Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		23-10-2006	4,846.70	4,846.70	-
	39 Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		06-11-2006	12,825.48	12,825.48	-
	40 Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		18-12-2006	58,798.44	58,811.81	(13.36)
	41 Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		22-01-2007	7,55,959.06	7,55,959.06	-
	42 Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		24-04-2007	3,23,215.02	3,23,215.02	-
	43 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		11-05-2007	5,938.96	5,938.96	-
	44 Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)			11,238.00	11,238.00	-
	45 Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	22-01-2008	1,84,558.65	1,84,558.65	-
	46 Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	17-04-2008	7,442.90	7,442.90	-
	47 Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	01-09-2008	1,85,521.69	1,85,521.69	-
	48 Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	27-10-2008	24,167.12	24,167.12	-
	49 Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467		1,242.00	1,242.00	-
	50 Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	09-03-2009	79,008.26	79,008.26	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	51 Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	02-07-2009	51,821.99	51,821.99	-
	52 Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	24-09-2009	20,818.79	20,818.79	-
	53 Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	03-11-2009	3,00,915.66	3,00,915.66	-
	54 The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	10-12-2009	43,375.25	43,375.25	-
	55 Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	17-12-2009	33,463.64	33,463.64	-
	56 Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	09-04-2010	70,182.85	70,182.85	-
	57 Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123		2,32,261.93	2,32,261.93	-
	58 Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	24-11-2010	1,14,105.43	1,14,105.43	-
	59 Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	09-12-2010	1,67,648.97	1,67,648.97	-
	60 Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	14-03-2011	179.27	179.27	-
	61 Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	10-02-2012	71,269.83	71,269.83	-
	62 Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)^	927	08-06-2012	9,476.72	9,476.72	-
	63 Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990		2,37,520.12	2,37,520.12	-
	64 Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,203	23-11-2012	1,01,677.83	1,01,677.83	-
	65 Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	04-02-2013	16,993.25	16,993.25	-
	66 Abhinav Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2013)	12,452	16-09-2013	25,343.98	25,343.98	-
	67 Veershaiva Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	40,373		7,27,615.26	7,27,615.26	-
	68 Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	20,401	28-10-2014	1,57,616.06	1,57,616.06	-
	69 The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2015)&	28,759	12-02-2015	3,01,759.34	3,01,759.34	-
	70 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	25-05-2015	1,19,188.84	1,19,188.84	-
	71 Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2015)&	29,343	25-05-2015	1,56,382.66	1,56,382.66	-
	72 Vaishali Urban Co-operative Bank, Rajasthan (2015)	3,191	12-10-2015	41,382.47	41,382.47	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	73 The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	26-12-2016	55,921.12	55,921.12	-
	74 Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	08-08-2017	21,888.06	21,888.60	(0.54)
	75 Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	04-09-2017	39,755.90	39,774.48	(18.59)
	76 Jamkhed Merchants CBL, Maharshtra (2020)	6,119	24-08-2018	52,055.23	52,572.52	(517.29)
	77 Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	23-05-2018	71,639.96	71,639.96	-
	78 The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018) &	6,446	15-04-2018	1,51,659.37	1,51,659.37	-
	TOTAL 'D'			**1,29,17,552.73**	**1,29,18,139.67**	**(586.95)**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)					
	79 Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)			276.50	- (276.50)	-
	80 Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)			60.31	- (60.31)	-
	81 Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*			4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	82 Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)			26.10	- (26.10)	-
	83 Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)			5,398.65	1,100.00 (4,298.65)	-
	84 Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)			27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	
	85 Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)			1,696.09	0.24 (1,695.85)	-
	86 Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)			3,048.95	302.00 (2,746.95)	-
	87 Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)			708.44	527.64 (180.80)	-
	88 The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	89 Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	27-02-2008	666.32	- (666.32)	-
	TOTAL 'E'			**46,133.20**	**21,336.01 (24,797.18)**	**-**

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	iii) Part repayment received (F)					
	90 Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			1,156.70	604.14	552.56
	91 Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			701.51	412.14	289.37
	92 Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			1,317.25	335.53	981.72
	93 Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*			9,130.83	1,294.66	7,836.17
	94 Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)			1,395.93	707.86	688.08
	95 Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)			274.30	65.50	208.80
	96 Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)			2,285.04	1,341.05	943.99
	97 Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)			961.85	948.37	13.49
	98 Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P. (1988)			1,095.23	-	1,095.23
	99 Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)			436.10	51.62	384.48
	100 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)			388.82	48.56	340.26
	101 Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)			1,736.62	963.02	773.59
	102 Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)			1,744.13	1,139.44	604.69
	103 Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)			7,485.62	1,944.01	5,541.60
	104 Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*			3,710.54	273.78	3,436.76
	105 Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)			1,983.68	103.04	1,880.64
	106 Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)			22,020.57	2,227.77	19,792.80
	107 Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)			87,548.52	758.00	86,790.52
	108 Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)			36,545.52	29,279.79	7,265.73

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	109 Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)			22,662.97	7,300.00	15,362.97
	110 Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)			80,117.45	-	80,117.45
	111 Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)			51,803.37	49,313.08	2,490.29
	112 Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)			18,067.90	14,148.71	3,919.19
	113 Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			46,239.88	5,500.00	40,739.88
	114 Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			62,293.89	260.58	62,033.31
	115 Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)			6,736.99	964.46	5,772.53
	116 Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)			2,447.07	137.15	2,309.92
	117 Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
	118 Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)			2,242.01	-	2,242.01
	119 The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)			2,017.30	-	2,017.30
	120 Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)			7,013.59	1,000.00	6,013.59
	121 Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)			21,862.77	465.72	21,397.05
	122 Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P. (2001)			26,135.83	15,704.50	10,431.33
	123 Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)			3,946.61	3,939.70	6.91
	124 Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)			2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
	125 Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			30,168.26	12,765.43	17,402.83
	126 Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)			19,486.49	15,071.90	4,414.59
	127 Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			1,40,667.57	67,046.41	73,621.16

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	128 Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)			37,959.73	0.01	37,959.73
	129 Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)			48,456.66	147.03	48,309.63
	130 Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)			9,697.12	9,363.83	333.30
	131 Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)			7,032.61	3.32	7,029.29
	132 Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)			25,866.18	8,400.00	17,466.18
	133 Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)			74,426.82	2,421.29	72,005.53
	134 Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			14,779.44	427.30	14,352.14
	135 Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)			22,448.41	4.16	22,444.25
	136 Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)			47,507.25	342.72	47,164.53
	137 Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)			46,368.34	1,028.84	45,339.50
	138 Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)			71,741.71	68,141.14	3,600.57
	139 The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			16,197.58	14,678.15	1,519.43
	140 Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)			30,046.64	3,099.50	26,947.14
	141 Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			9,254.48	8,614.31	640.17
	142 Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#			14,32,344.30	9,56,695.05	4,75,649.26
	143 Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)			16,345.12	7,910.00	8,435.12
	144 Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			46,781.03	43,649.54	3,131.50
	145 The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			12,873.23	11,243.66	1,629.57
	146 Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)			48,880.14	47.91	48,832.23
	147 The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)			1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
	148 Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)			57,245.59	9,702.80	47,542.79

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	149 Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			23,855.34	-	23,855.34
	150 The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			2,626.79	-	2,626.79
	151 Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			21,677.67	17,300.00	4,377.67
	152 Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			35,508.21	19,426.44	16,081.77
	153 Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)			22,272.99	3,038.47	19,234.52
	154 Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)			42,971.17	40,768.78	2,202.39
	155 Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
	156 Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)			25,531.20	-	25,531.20
	157 General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)			7,15,200.69	5,05,756.90	2,09,443.79
	158 Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)			44,086.21	82.94	44,003.27
	159 Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)			34,192.33	28,248.87	5,943.46
	160 Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)			38,46,162.46	33,70,419.04	4,75,743.42
	161 Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)			1,794.45	164.60	1,629.85
	162 Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)			9,799.51	-	9,799.51
	163 The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)			10,170.18	9,470.18	700.00
	164 The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)			13,509.83	4,423.72	9,086.10
	165 Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			19,306.12	6,600.08	12,706.04
	166 Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)			25,441.21	3,343.11	22,098.10
	167 Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			12,224.74	11,904.01	320.73
	168 Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)			7,387.17	2,007.17	5,380.00
	169 Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)			3,741.01	4.74	3,736.27
	170 Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)			41,999.65	394.91	41,604.74
	171 Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)			13,351.57	4,512.55	8,839.02

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	172 Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)			15,836.61	519.61	15,317.00
	173 Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)			1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
	174 Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,84,048.60	4,45,291.88	1,38,756.72
	175 The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)			49,437.88	34,002.75	15,435.13
	176 Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			86,530.52	84,206.52	2,324.00
	177 Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
	178 Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			74,035.72	66,870.29	7,165.43
	179 Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			2,99,340.86	76,849.32	2,22,491.54
	180 Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			2,23,150.28	82,682.52	1,40,467.76
	181 Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			53,755.25	51,542.09	2,213.16
	182 Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			17,573.42	729.55	16,843.88
	183 Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)			3,031.51	0.24	3,031.27
	184 Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)			8,501.09	3.72	8,497.37
	185 Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			7,503.14	1,022.80	6,480.34
	186 Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			80,214.81	21,649.74	58,565.07
	187 Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
	188 Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			10,898.73	190.09	10,708.63
	188 Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)			1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
	190 Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)			29,932.80	14,588.49	15,344.31
	191 Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)			16,479.04	3,414.34	13,064.69
	192 Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			40,828.18	10,038.93	30,789.25

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	193 The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		08-05-2006	67,739.63	26,933.48	40,806.15
	194 Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		15-05-2006	1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
	195 Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		16-05-2006	65,053.51	0.38	65,053.14
	196 Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		16-05-2006	3,01,592.15	2,14,352.62	87,239.53
	197 Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		08-06-2006	2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.28
	198 Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		20-06-2006	1,45,661.51	1,38,913.27	6,748.24
	199 Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		21-07-2006	82,529.98	3.29	82,526.70
	200 Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		17-08-2006	92,989.37	1,791.86	91,197.50
	201 Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		17-08-2006	4,34,251.94	3,52,993.29	81,258.66
	202 Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		17-08-2006	3,23,292.67	2,34,629.70	88,662.97
	203 Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		17-08-2006	5,52,716.70	2,50,866.92	3,01,849.78
	204 Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		17-08-2006	1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
	205 The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		31-08-2006	91,577.38	1,216.11	90,361.26
	206 Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		02-08-2006	1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
	207 Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		21-09-2006	29,757.64	6,157.56	23,600.09
	208 Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		11-09-2006	3,71,586.77	2,36,086.25	1,35,500.52
	209 Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		11-09-2006	25,021.00	12,796.46	12,224.54
	210 The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		16-10-2006	11,614.90	4,767.09	6,847.81
	211 Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		26-09-2006	1,65,896.38	1,34,183.34	31,713.04
	212 Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		27-12-2006	1,16,051.52	26,444.24	89,607.27

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	213 Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		25-01-2007	6,606.11	1,702.99	4,903.12
	214 Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		12-02-2007	20,393.50	21.68	20,371.83
	215 Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		23-04-2007	1,03,903.73	61,949.78	41,953.95
	216 Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		27-04-2007	3,67,807.52	2,27,893.79	1,39,913.73
	217 Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		09-05-2007	47,576.03	17,844.29	29,731.74
	218 The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		21-05-2007	29,749.48	3,086.43	26,663.05
	219 Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		25-05-2007	4,305.77	447.10	3,858.67
	220 Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		28-05-2007	1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
	221 Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		06-06-2007	31,232.28	4,165.30	27,066.99
	222 Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		13-06-2007	27,287.76	579.65	26,708.11
	223 Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		23-07-2007	2,304.21	5.61	2,298.60
	224 Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		24-07-2007	5,937.89	2.88	5,935.01
	225 Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		13-08-2007	1,486.00	0.67	1,485.33
	226 Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		23-08-2007	12,974.81	6,446.71	6,528.11
	227 Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		04-09-2007	22,078.93	3,562.98	18,515.95
	228 Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		11-09-2007	1,60,286.13	75,518.98	84,767.15
	229 Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		25-09-2007	2,476.52	78.08	2,398.43
	230 Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		19-10-2007	54,847.11	4,189.25	50,657.86
	231 The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		27-12-2007	10,262.36	7,842.79	2,419.57

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	232 Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	05-02-2008	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	233 Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	03-04-2008	6,130.96	2.24	6,128.72
	234 Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	09-04-2008	8,391.32	1,413.55	6,977.77
	235 Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	29-04-2008	2,673.13	182.42	2,490.71
	236 Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	09-05-2008	38,553.70	330.02	38,223.67
	237 Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	29-05-2008	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	238 Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	16-06-2008	32,641.34	355.91	32,285.43
	239 Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	09-07-2008	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	240 Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	25-08-2008	4,54,367.84	86,303.66	3,68,064.18
	241 Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	01-09-2008	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	242 Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	01-09-2008	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
	243 Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	09-09-2008	1,64,573.59	44,173.51	1,20,400.08
	244 Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	10-11-2008	22,849.90	10,946.41	11,903.49
	245 Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	12-11-2008	99,668.73	70,922.95	28,745.78
	246 Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	04-02-2009	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
	247 Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	22-09-2008	2,68,254.02	2,37,271.10	30,982.92
	248 Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	13-01-2009	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	249 Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	28-01-2009	25,242.02	13,395.14	11,846.88
	250 Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	24-02-2009	1,12,933.28	56,563.28	56,370.00

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	251 Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole-Alur, Karnataka (2009)	3,256	23-03-2009	25,288.48	18,367.44	6,921.04
	252 The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	23-03-2009	67,660.45	66,092.12	1,568.33
	253 Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	23-03-2009	65,792.83	36,584.83	29,208.00
	254 Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	25-03-2009	3,625.81	1,401.20	2,224.61
	255 Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	31-03-2009	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	256 Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	31-03-2009	4,015.07	7.16	4,007.91
	257 Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	27-05-2009	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	258 Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	08-06-2009	1,28,916.02	69,076.93	59,839.09
	259 Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	24-06-2009	3,74,582.84	3,23,503.72	51,079.12
	260 Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	26-06-2009	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
	261 Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	26-06-2009	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
	262 Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	09-07-2009	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	263 Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	22-07-2009	53,127.98	32,959.23	20,168.75
	264 Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	14-08-2009	3,70,674.45	74,541.14	2,96,133.31
	265 South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	21-08-2009	3,59,787.81	82,713.99	2,77,073.82
	266 Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	25-08-2009	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
	267 Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	22-10-2009	2,92,978.03	1,42,336.14	1,50,641.88
	268 Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	22-10-2009	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33
	269 Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	26-10-2009	5,66,073.61	36,015.99	5,30,057.62

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	270 Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	12-11-2009	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	271 Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	24-11-2009	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	272 Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	1,41,317	25-11-2009	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
	273 Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	16-09-2009	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
	274 Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	07-01-2010	93,927.24	102.33	93,824.91
	275 Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	28-01-2010	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
	276 The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	03-02-2010	1,44,067.26	1,07,944.96	36,122.30
	277 Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	19-02-2010	4,36,184.64	1,11,422.59	3,24,762.05
	278 Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	24-02-2010	8,748.57	16.32	8,732.25
	279 Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	19-03-2010	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
	280 Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	13-04-2010	4,87,115.50	2,89,932.12	1,97,183.38
	281 Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	23-04-2010	58.72	0.74	57.98
	282 Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	19-05-2010	51,243.07	15,784.83	35,458.24
	283 Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	17-06-2010	15,629.02	7,315.61	8,313.41
	284 Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	25-06-2010	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	285 Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	05-07-2010	54,165.54	174.81	53,990.73
	286 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	11-05-2007	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
	287 Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	22-07-2010	4,314.54	10.00	4,304.54

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
288	Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	09-08-2010	4,48,117.96	3,45,556.71	1,02,561.25
289	Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	13-08-2010	2,60,370.86	1,14,147.10	1,46,223.76
290	Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	30-08-2010	1,46,202.60	69,528.48	76,674.12
291	Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	09-09-2010	4,03,741.10	3,68,859.76	34,881.34
292	Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	15-09-2010	4,76,606.19	3,10,031.48	1,66,574.71
293	Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	27-09-2010	25,845.79	20,063.13	5,782.66
294	Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	08-10-2010	49,312.44	36,252.04	13,060.39
295	Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	15-10-2010	49,352.46	769.25	48,583.21
296	Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	22-10-2010	71,482.68	63,759.22	7,723.46
297	Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	16-11-2010	23,839.86	4,377.14	19,462.72
298	Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	22-11-2010	27,996.78	11,425.28	16,571.50
299	Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	27-12-2010	14,769.68	-	14,769.68
300	Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	18-02-2011	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
301	Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	07-03-2011	84,041.98	69,438.22	14,603.76
302	Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	11-03-2011	1,33,960.02	1,22,786.45	11,173.57
303	Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	15-06-2011	5,91,664.24	3,19,188.50	2,72,475.74
304	Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	29-09-2011	86,764.47	9,683.40	77,081.07
305	Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	11-05-2011	67,393.38	50,469.42	16,923.96
306	Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	29-07-2011	2,569.75	17.08	2,552.67

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	307 The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	6,075	15-07-2011	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	308 The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	15-12-2011	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
	309 Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	17-06-2011	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
	310 Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	07-10-2011	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
	311 Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	19-07-2011	35,973.20	32,567.23	3,405.97
	312 Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	12-10-2011	1,99,311.58	60,533.76	1,38,777.83
	313 Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	23-05-2011	1,60,023.77	87,271.28	72,752.49
	314 Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	06-04-2011	5,57,696.70	4,72,870.71	84,825.99
	315 Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	03-11-2011	12,287.99	11,775.25	512.74
	316 Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	23-08-2011	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	317 Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	17-01-2012	22,002.44	3,545.78	18,456.66
	318 Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	01-02-2012	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	319 The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	27-03-2012	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	320 Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (2012)	18,516	08-07-2012	2,43,635.93	7,140.89	2,36,495.04
	321 Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	20-07-2012	45,494.11	42,836.70	2,657.41
	322 National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	13-09-2012	4,317.79	766.79	3,551.00
	323 Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	26-09-2012	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
	324 Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	26-09-2012	20,904.79	7,614.16	13,290.63
	325 Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	27-09-2012	32,042.29	24,042.29	8,000.00
	326 Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,599	05-10-2012	45,780.63	43,405.89	2,374.74

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	327 Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	29-10-2012	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	328 Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	02-11-2012	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	329 Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	23-11-2012	4,59,890.08	4,59,890.08	-
	330 Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672		72,219.38	23,096.86	49,122.52
	331 Agrasen Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)*	19,631	27-12-2013	52,967.42	7,208.00	45,759.42
	332 Swami Samarth Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	11,501	02-01-2014	92,475.42	92,472.06	3.36
	333 Arjun Urban Co-op.Bank Ltd., Maharashtra (2014)	3,530		61,654.61	44,719.27	16,935.34
	334 Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Mydt., Maharashtra (2014)	6,134		42,156.92	14,924.01	27,232.91
	335 Silchar Urban Co-operative Bank Ltd., Assam (2014)	2,707	30-04-2014	6,999.75	-	6,999.75
	336 Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2014)	1,30,997	30-04-2014	29,37,759.86	28,88,931.17	48,828.69
	337 The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd., Andhra Pradesh (2014)	7,078	04-08-2014	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	338 Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,190	12-02-2016	77,816.31	39,211.72	38,604.59
	339 Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,137	20-05-2016	1,52,079.54	59,789.24	92,290.30
	340 Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	15-12-2016	4,308.27	1,581.57	2,726.70
	341 Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	29-05-2017	20,783.40	18,450.09	2,333.31
	342 Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	09-08-2017	12,879.52	9,711.11	3,168.41
	343 Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	12-12-2017	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
	344 Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	03-10-2017	2,46,373.71	1,67,801.58	78,572.13
	345 Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	24-10-2017	261.65	0.00	261.65
	346 Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	27-10-2017	10,385.18	8,537.44	1,847.74
	347 Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	06-11-2017	4,591.16	877.53	3,713.63
	348 Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	05-03-2019	68,559.47	65,277.18	3,282.29

APPENDIX TABLE 8: *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	349 United Commercial Co-op Bank Ltd, Kanpur, UP (2019)	24,684	26-12-2019	2,47,534.55	1,66,659.06	80,875.49
	350 Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	16-01-2020	27,434.83	11,956.74	15,478.09
	351 Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,556	14-02-2020	1,08,351.46	34,757.83	73,593.63
	352 Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	27-03-2020	3,01,398.79	20,865.84	2,80,532.95
	353 C K P Cooperative Bank Ltd, Maharashtra (2020)	55,145	30-12-2020	33,35,991.77	26,60,734.15	6,75,257.63
	354 Navodaya UCBL, Nagpur (2020)	2,920	06-01-2021	1,90,777.95	10,163.98	1,80,613.97
	355 Shree Sai UCBL, Mukhed (2020)	449	27-12-2020	9,372.57	1,692.52	7,680.05
	356 Bhilwara Mahila Urban Co-operative Bank Ltd, Rajasthan (2020)	13,278	07-07-2020	2,99,987.52	2,36,756.72	63,230.80
	357 Mapusa UCBL, Goa (2021)	67,754	01-02-2021	25,82,562.01	25,41,601.01	40,961.00
	358 Karad Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	48,868	07-04-2021	37,26,815.72	13,16,867.13	24,09,948.59
	359 Shivam Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	3,736	30-09-2021	31,399.78	-	31,399.78
	360 Shivajirao Bhosale SBL, Maharashtra (2021)	61,117	12-10-2021	29,02,721.64	5,15,863.01	23,86,858.62
	361 Karnala NSBL, Maharashtra (2022)	39,293	04-02-2022	37,97,227.38	-	37,97,227.38
	362 Madgaum UCBL, Goa (2022)	32,686	11-03-2022	13,91,918.59	13,91,918.59	-
	363 PMC CBL, Maharashtra (2022) *	8,68,855	31-03-2022	3,85,48,782.45	-	3,85,48,782.45
	364 Lucknow UCBL (2025) &	3,249	14-05-2024	1,05,206.83	10,900.00	94,306.83
	365 United CBL, Bagnan (2025)	632	08-01-2025	14,332.15		
	TOTAL 'F'			**9,26,50,537.43**	**3,07,14,192.77**	**6,19,22,012.51**
TOTAL (D+E+F)				**10,56,14,223.35**	**4,36,53,668.46 (24,797.18)**	**6,19,21,425.56**
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)				**10,85,72,753.08**	**4,52,60,700.51 (6,50,685.01)**	**6,26,78,690.99**

* Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

Notes: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31,

3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims

4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.

5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

APPENDIX TABLE 8A: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - BANKS PLACED UNDER ALL-INCLUSIVE DIRCTIONS (AID) UPTO MARCH 31, 2025

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	AID Imposition Date	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date	Claims Settled	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date under Liqiuidation	Claims Settled after liquidation of AID Bank	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 6 + Col. 7 - Col. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1	Mudhol CBL $	08-04-2019	1,155	23-11-2021	1,66,937.15				1,66,937.21	-0.06
2	Garha CBL $	23-02-2021	643	23-11-2021	1,23,488.73	2,243	10-10-2024	57,365.27	62,725.52	1,18,128.48
3	Mantha UCBL $	17-11-2020	28,946	25-11-2021	4,48,883.72	4,775	13-06-2023	1,27,763.51	6,682.15	5,69,965.09
4	Independence CBL $	09-02-2021	269	25-11-2021	23,570.22				1,317.02	22,253.20
5	Deccan UCBL $	19-02-2021	1,759	24-11-2021	1,29,816.98				1,29,816.98	-
6	Sikar UCBL	09-11-2018	1,186	24-11-2021	1,82,361.28				1,09,416.77	72,944.51
7	Peoples CBL $	11-06-2020	872	26-11-2021	71,998.85	90	27-03-2024	2,412.16	2,473.72	71,937.29
8	Shri Anand CBL $	25-06-2019	10,971	25-11-2021	90,568.55				98,960.52	-8,391.97
9	Maratha SBL &	31-08-2016	8,925	25-11-2021	13,99,208.06				8,40,686.03	5,58,522.03
10	City CBL $	17-04-2018	12,563	24-11-2021	23,09,917.07				10,39,000.00	12,70,917.07
11	Millath CBL $	08-05-2019	2,460	26-11-2021	1,08,929.25				25,580.72	83,348.53
12	Sarjeraodada Naik Shirala SBL $	03-02-2021	10,888	25-11-2021	6,81,071.31	21,258	03-04-2023	1,13,617.07	3,83,597.58	4,11,090.80
13	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	19-05-2018	290	25-11-2021	42,799.01				25,679.80	17,119.21
14	Kapol CBL $	30-03-2017	21,573	26-11-2021	23,01,186.44				12,60,316.15	10,40,870.29
15	Shri Gururaghavendra SBN	10-01-2020	22,324	27-11-2021	71,56,982.07				-	71,56,982.07
16	Adoor CBL #	09-11-2018	252	26-11-2021	62,934.00				62,934.00	-
17	Seva Vikas CBL $	12-10-2021	13,344	06-01-2022	15,12,751.64	3,819	21-09-2023	1,59,878.83	16,72,630.49	-0.02
18	Babaji Date Mahila SBL $	08-11-2021	18,595	04-02-2022	29,44,731.02	1,381	07-02-2024	77,081.67	15,71,812.68	14,50,000.00
19	Laxmi CBL $	12-11-2021	20,565	08-02-2022	19,36,111.38	16,259	29-08-2024	44,262.80	10,70,385.63	9,09,988.55
20	Malkapur UCBL $	24-11-2021	24,397	20-02-2022	49,66,878.97				29,81,867.30	19,85,011.67
21	Nagar UCBL $	06-12-2021	17,269	28-02-2022	29,33,268.59	86,249	26-09-2024	8,58,018.12	37,91,286.71	0.00
22	Rupee CBL $	22-02-2013	64,024	24-02-2022	69,98,052.69	16,439	19-01-2024	10,68,705.59	60,64,528.48	20,02,229.80
23	The Indian Mercantile UCBL	28-01-2022	136	26-04-2022	29,049.44				11,634.53	17,414.91
24	Dwarkadas Mantri NSBL ^	09-03-2022	2,834	03-06-2022	4,26,037.84				1,73,895.92	2,52,141.92
25	Shushruti Souharda SBN, Bengaluru $	07-04-2022	1,821	01-07-2022	5,36,773.78				-	5,36,773.78
26	Shankar Rao Pujari Nutan SBL $	13-05-2022	4,121	08-08-2022	4,16,052.71	1,912	30-12-2024	85,899.83	-	5,01,952.54
27	Harihareshwar SBL $	31-05-2022	4,208	20-08-2022	5,72,373.06	11,756	27-11-2024	26,546.22	29.38	5,98,889.90
28	Shri Sharada Mahila CBL $	08-07-2022	679	23-09-2022	1,50,555.47				30,000.00	1,20,555.47
29	Sangli SBL ^	08-07-2022	4,097	26-09-2022	6,17,881.69				2,47,152.68	3,70,729.01
30	Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita $	18-07-2022	510	13-10-2022	53,812.92				-	53,812.92
31	Nashik Zilla Girna SBL $	09-09-2015	1,560	11-10-2022	1,69,977.27	2761	21-03-2025	11,900.61	-	1,81,877.88
32	Saibaba Janta SBL ^	22-07-2022	1,019	18-10-2022	1,88,282.97				75,313.19	1,12,969.78
33	Durga Co-operative Urban Bank Ltd., Vijayawada $	29-07-2022	290	20-10-2022	98,423.21				39,369.28	59,053.93

APPENDIX TABLE 8A: *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	AID Imposition Date	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date	Claims Settled	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date under Liqiuidation	Claims Settled after liquidation of AID Bank	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 6 + Col. 7 - Col. 8)
34	Jaiprakash Narayan NSBL, Basmatnagar $	29-07-2022	1,331	20-10-2022	2,38,898.99				47,792.76	1,91,106.23
35	Thodupuzha Urban CBL, Kerala ^	23-08-2022	4,141	18-11-2022	9,39,382.21				3,75,752.88	5,63,629.33
36	Sumerpur Mercantile UCBL, Sumerpur, Pali $	06-12-2022	3,787	03-03-2023	4,64,586.57				-	4,64,586.57
37	Adarsh Mahila Nagari SBL $	23-02-2023	9,177	19-05-2023	18,63,712.60				63,900.00	17,99,812.60
38	Shimsha Sahakara Bank Niyamitha	24-02-2023	2,563	15-05-2023	1,18,489.50				23,697.90	94,791.60
39	Shankerrao Mohite Patil SBL	24-02-2023	2,613	23-05-2023	4,78,881.75				92,521.51	3,86,360.24
40	HCBL CBL	24-02-2023	3,728	24-05-2023	2,12,473.36				42,494.67	1,69,978.69
41	Shree Mahalaxmi Mercantile UCBL $	03-03-2023	1,928	30-05-2023	2,40,723.24				82,358.54	1,58,364.70
42	Banaras Mercantile CBL $	03-03-2023	538	30-05-2023	42,464.52				-	42,464.52
43	National Mercantile CBL	10-03-2023	126	06-06-2023	20,818.67				2,924.74	17,893.93
44	Musiri UCBL $	02-03-2023	125	30-05-2023	13,441.98				7,500.00	5,941.98
45	Pune Sahakari Bank Ltd.	10-03-2023	25	06-06-2023	4,486.71				797.34	3,689.37
46	Defence Accounts CBL ^	10-03-2023	756	08-06-2023	98,504.85				20,210.21	78,294.64
47	Imperial CBL	10-03-2023	330	06-06-2023	54,256.76				10,851.35	43,405.41
48	Hiriyur UCBL $	10-03-2023	379	06-06-2023	21,815.40				-	21,815.40
49	Faiz Mercantile CBL $	02-03-2023	1,143	29-05-2023	79,892.73	7,059	09-01-2025	17,205.90	17,205.90	79,892.73
50	Rajapur Sahakari Bank Ltd. &	14-06-2023	1,180	07-09-2023	1,77,800.86				35,560.17	1,42,240.69
51	Sawantwadi UCBL	14-06-2023	4,912	07-09-2023	2,56,073.86				50,117.18	2,05,956.68
52	Vaishali Shehari Vikas CBL $	14-06-2023	6,196	07-09-2023	5,83,280.05				-	5,83,280.05
53	National CBL, Bangalore &	15-04-2024	19,355	22-10-2023	57,22,721.07				11,44,544.22	45,78,176.85
54	Ajantha UCBM	29-08-2023	12,003	24-11-2023	27,52,211.38				1,10,000.00	26,42,211.38
55	Purvanchal CBL $	29-08-2023	944	24-11-2023	1,26,338.73				-	1,26,338.73
56	Colour Merchants CBL	25-09-2023	1,064	20-12-2023	2,16,220.42				43,244.08	1,72,976.34
57	Mahabhairab CBL $	12-10-2023	2,375	09-01-2023	2,00,260.88				-	2,00,260.88
58	The Shirpur MCBL	08-04-2024	3,807	04-07-2024	4,33,551.58					
59	National UCBL, Pratapgarh	15-04-2024	144	11-07-2024	24,650.03					
60	Sarvodaya CBL	15-04-2024	1,500	10-07-2024	2,32,746.79					
61	The Konark UBCL	23-04-2024	1,938	18-07-2024	1,26,403.35					
62	The Amanath CBL	12-06-2024	372	06-09-2024	59,205.20					
63	Karwar UCBL	12-06-2024	1,588	06-09-2024	3,77,907.66					
64	Shree Mahalaxmi UCCBL Gokak	27-09-2024	9,535	20-12-2024	8,67,038.80					
Total			**4,04,148**		**5,69,00,907.82**	**1,76,001**		**26,50,657.58**	**2,41,17,503.89**	**3,33,12,558.11**

$ The banks have since been liquidated after payment of claims u/s 18(A) of DICGC (Amendment) Act, 2021.

& The bank has amalgamated into another bank.

^ AID imposed on the bank has been lifted.

The bank has been converted to Credit Society

APPENDIX TABLE 8B: INSURANCE CLAIMS SETTLED UNDER EXPEDITIOUS

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	Sanction Date	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 5 - Col 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)	24-10-2016		3,18,602.37	3,18,602.37	0.00
2	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)	12-12-2018		2,946.90	-	2,946.90
3	Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)	14-12-2018		27,601.00	-	27,601.00
4	Gokul UCBL Andra Pradesh/ Telangana (2019)	25-06-2019		13,579.00	-	13,579.00
5	Bhopal Nagarik SBL, MP(2019)	25-06-2019		84,394.67	-	84,394.67
6	Brahmawart Commercial CBL, UP (2021)	05-10-2021	26,425	2,51,000.00	-	2,51,000.00
7	Ghaziabad UCBL, UP (2021)	01-02-2021		1,16,856.00	-	1,16,856.00
8	Hardoi UCBL, UP (2021)	31-03-2021	11,918	42,022.68	-	42,022.68
9	Vasantdada NSBL Osmanabad (2021)	06-05-2021		3,28,300.00	-	3,28,300.00
10	Bhagyodaya Friends UCBL (2021)	25-08-2021		80,463.93	-	80,463.93
11	Dr. Shivajirao Patil Nilangekar UCBL (2021)	16-12-2021		16,885.96	-	16,885.96
Total				**12,82,652.51**	**3,18,602.37**	**9,64,050.14**

5. AUDITORS' REPORT

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Board of Directors of
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Report on the Audit of the Financial Statements

1. Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation")**, which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch, 2025 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the Revenue accounts and Cash Flow Statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as amended by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, 2021 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of –

I. Deposit Insurance Fund as at 31st March, 2025 and its **Surplus**
II. Credit Guarantee Fund as at 31st March, 2025 and its **Surplus**
III. General Fund as at 31st March, 2025 and its **Deficit**

and their respective cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SA's) specified u/s 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's code of ethics.

1

JAIN CHOWDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

3. Emphasis of Matter

a. *We draw your attention to* ***Note-9*** *of the financial statements of the Corporation wherein the Corporation has booked expenditure of Rs. 291.62 Lakhs in 'Revenue Account' of the General Fund on 31st March, 2025 based on clarification received from the Department of Information Technology, Reserve Bank of India. This amount was earlier accounted for as Capital Expenditure up to December, 2024. As a result of this reclassification made, the Revenue Account of the General Fund (GF) reflects a 'DEFICIT' for the year.*

4. Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Corporation's Management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

5. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to

JAIN CHANDHARY & CO. MUMBAI FR No. 3267W CHARTERED ACCOUNTANTS

the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

6. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.

- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going

JAIN CHORDIA & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

7. **We Report that:**

   a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.

   c. The Balance Sheet, the Revenue Account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the financial statements.

   d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
FR No. 113267W

JAIN CHOWDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

Siddharth Jain
Partner
M.No.104709
UDIN: 25104709BMIUIK5530
Place: Mumbai
Date: 15th May, 2025

5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

As on March 31, 2024		LIABILITIES	As on March 31, 2025	
DIF	CGF		DIF	CGF
16,88,742.00	**0.00**	**1. Fund : (Balance at the end of the year)**	**17,56,672.00**	**0.00**
		2. Surplus as per Revenue Account:		
1,57,42,723.02	61,195.92	Balance at the begining of the year	1,81,86,556.10	64,969.30
24,43,833.08	3,773.38	Add: Transferred from Revenue Account	29,50,041.04	3,986.14
1,81,86,556.10	**64,969.30**	Balance at the end of the year	**2,11,36,597.14**	**68,955.44**
		3. (a) Investment Reserve		
1,85,046.39	0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	0.00
(1,85,046.39)	0.00	Add: Transferred from Revenue Account	0.00	0.00
0.00	**0.00**	Balance at the end of the year	**0.00**	**0.00**
		(b) Investment Fluctuation Reserve		
6,89,204.41	3,462.16	Balance at the beginning of the year	8,08,215.44	3,462.16
1,19,011.03	0.00	Transferred from Revenue Account	1,42,979.96	0.00
8,08,215.44	**3,462.16**	Balance at the end of the year	**9,51,195.40**	**3,462.16**
35,999.35	**0.00**	**4. Claims Intimated and Admitted But Not paid**	**66,398.99**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**	**1,21,160.42**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. Advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**7. Advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**8. Advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
2,089.32	**0.00**	**9. Insured Deposits remaining unclaimed**	**4,544.32**	**0.00**
0.00	**0.00**	**10. Insured Deposits in respect of Banks De-registered (banks whose registration has been cancelled)**	**0.00**	**0.00**
		11. Other Liabilities		
106.58	0.00	(i) Sundry Creditors	121.30	0.00
8,18,438.91	1,273.86	(ii) Provision for Income Tax	10,39,458.09	1,353.05
17,299.31	0.00	(iii) Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	92,444.90	0.00
99.17	0.00	(iv) Amount refundable to Banks	0.00	0.00
0.34	0.00	(v) CGST,SGST & IGST Payable	0.03	0.00
0.00	0.00	(vi) Interfund payable/receivable from GF	0.00	0.00
8,35,944.31	**1,273.86**		**11,32,024.32**	**1,353.05**
2,15,57,546.52	**69,705.32**	**Total**	**2,51,68,592.59**	**73,770.65**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

JAIN CHOWDHARY & CO. MUMBAI FR No. 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J
Chairman

Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director

Dr. Tarun Agarwal
Director

Prof. Partha Ray
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2025
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakhs)

As on March 31, 2024		ASSETS	As on March 31, 2025	
DIF	CGF		DIF	CGF
17,350.14	**16.38**	**1. Balance with the Reserve Bank of India**	**706.05**	**0.13**
0.00	**0.00**	**2. Cash in Transit**	**0.00**	**0.00**
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)		
0.00	0.00	Treasury Bills	0.00	0.00
2,03,17,148.53	67,789.49	Dated Securities	2,35,06,287.93	71,580.07
2,03,17,148.53	**67,789.49**		**2,35,06,287.93**	**71,580.07**
1,99,35,522.24	*66,720.22*	***Face Value***	*2,30,89,532.79*	*70,535.08*
2,04,05,767.03	*69,222.14*	***Market Value***	*2,41,85,858.04*	*74,026.01*
3,47,915.97	**949.32**	**4. Interest accrued on investments**	**4,25,061.53**	**1,010.16**
0.00	**0.00**	**5. Advance to the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 25 A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. Advance to the Deposite Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
		7. Other Assets		
0.00	0.00	(i) Sundry Debtors	0.00	0.00
8,21,529.47	950.13	(ii) Advance Income Tax	10,49,506.43	1,180.29
17,313.05	0.00	(iii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	92,520.29	0.00
17,299.31	0.00	(iv) Securities purchased under Reverse Repo	92,444.90	0.00
149.29	0.00	(v) Service Tax/CGST/SGST/IGST receivable	135.79	0.00
18,840.76	0.00	(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	1,929.67	0.00
8,75,131.88	**950.13**		**12,36,537.08**	**1,180.29**
2,15,57,546.52	**69,705.32**	**Total**	**2,51,68,592.59**	**73,770.65**

Pankaj Sharma
Director

Shaji K. V.
Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Mangesh Yadaorao Sorte
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

2023-24		EXPENDITURE	2024-25	
DIF	CGF		DIF	CGF
		1. To Claims:		
1,40,308.22	0.00	(a) Paid during the year	45,653.27	0.00
20,760.04	0.00	(b) Admitted but not paid	32,289.76	0.00
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		
0.00	0.00	At the end of the year	1,21,160.42	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	0.00	(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered	0.00	0.00
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
(2438.52)	0.00	(e) Less provision in r/o untracebale depositers written back	(313.65)	0.00
1,58,629.74	**0.00**	**Net Claims**	**1,98,789.80**	**0.00**
0.00	**0.00**	**2. To Provision for depreciation in the value of investments credited to Investment Reserve**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**3. To Interest on advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**4. To Interest on advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. To Interest on advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
16,88,742.00	**0.00**	**6. To Balance of Fund at the end of the Period (as per Actuarial Valuation)**	**17,56,672.00**	**0.00**
34,27,829.71	**5,047.24**	**To Net Surplus Carried Down**	**41,30,183.52**	**5,339.19**
52,75,201.45	**5,047.24**	**TOTAL**	**60,85,645.32**	**5,339.19**
		To Provision for Taxation		
8,18,438.91	1,273.86	Current Year	10,39,458.09	1,353.05
46546.69	0.00	Earlier Years - Short (Excess)	(2,295.57)	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax	0.00	0.00
1,19,011.03	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)	1,42,979.96	0.00
24,43,833.08	3,773.38	**To Balance Carried to Balance Sheet**	29,50,041.04	3,986.14
34,27,829.71	**5,047.24**		**41,30,183.52**	**5,339.19**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J
Chairman

Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director

Dr. Tarun Agarwal
Director

Prof. Partha Ray
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended March 31, 2025
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakhs)

2023-24		INCOME	2024-25	
DIF	CGF		DIF	CGF
12,17,447.00	**0.00**	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	**16,88,742.00**	**0.00**
23,87,914.26	**0.00**	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	**26,76,355.63**	**0.00**
90,073.20	**0.20**	**3. By recoveries in respect of Deposit Insurance Claims paid settled / Guarantee Claims paid**	**1,30,908.36**	**0.00**
		4. By income from Investments		
13,74,629.86	5,080.88	(a) Interest on Investments	15,80,193.31	5,339.19
8,329.53	(33.84)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	(11,602.62)	0.00
11,761.21	0.00	(c) By Reverse Repo interest income A/c	12,848.65	0.00
13,94,720.60	**5,047.04**		**15,81,439.34**	**5,339.19**
		5. Other Incomes		
1,85,046.39	0.00	(a) By Provision for depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00
0.00	0.00	(b) Interest received on refund of Tax	8,199.99	0.00
52,75,201.45	**5,047.24**	**TOTAL**	**60,85,645.32**	**5,339.19**
34,27,829.71	5,047.24	By Net Surplus Brought Down	41,30,183.52	5,339.19
34,27,829.71	**5,047.24**		**41,30,183.52**	**5,339.19**

Pankaj Sharma
Director

Shaji K. V.
Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Mangesh Yadaorao Sorte
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

As on March 31, 2024	LIABILITIES	As on March 31, 2025
5,000.00	**1. Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**	**5,000.00**
	2. Reserves	
	A) General Reserve	
71,936.79	Balance at the beginning of the year	72,798.77
861.98	Add: Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	(50.82)
72,798.77		**72,747.95**
	B) Investment Reserve	
0.00	Balance at the beginning of the year	39.19
39.19	Add: Amount provided for during the year	(39.19)
39.19		**0.00**
	(C) Investment Fluctuation Reserve	
4,030.06	Balance at the beginning of the year	4,030.06
0.00	Transferred from Revenue Surplus	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. Current Liabilities and Provisions	
577.43	Outstanding Expenses	1,109.18
0.66	Sundry Creditors	62.27
325.12	Provision for Income Tax	8.07
3.76	Deferred Tax	22.51
0.03	CGST & SGST Payable	2.17
907.00		**1,204.20**
82,775.02	**Total**	**82,982.21**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J
Chairman

Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director

Dr. Tarun Agarwal
Director

Prof. Partha Ray
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Form 'A')
of business on March 31, 2025
FUND (GF)

(₹ in Lakhs)

As on March 31, 2024	ASSETS	As on March 31, 2025
	1. CASH	
0.00	(i) In hand	0.00
14.84	(ii) With Reserve Bank of India	15.41
14.84		**15.41**
	2. Investments in Central Government Securities (At Cost)	
0.00	Treasury Bills	0.00
59,207.59	Dated Securities	60,098.32
18,179.04	Dated Securities deposited with CCIL(Face Value ₹18,900)	18,179.04
77,386.63		**78,277.36**
78,435.14	***Face Value***	*79,235.51*
77,347.43	***Market Value***	*80,280.93*
1,967.71	**3. Interest accrued on Investments**	**2,169.61**
	4. Other Assets	
13.34	Project IASS Capitalised	0.00
44.83	Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	36.53
0.00	Stock of Stationery	0.00
6.36	Staff Advances	0.00
2,025.00	Margin Deposit with CCIL	2,035.00
1,020.40	Advance Income Tax / TDS	313.28
257.99	CGST, SGST & IGST receivable	110.99
0.00	Sundry Debtors	7.48
37.92	Project Cost	16.55
3,405.84		**2,519.83**
82,775.02	**Total**	**82,982.21**

Pankaj Sharma
Director

Shaji K. V.
Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Mangesh Yadaorao Sorte
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2025

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in Lakhs)

2023-24	EXPENDITURE	2024-25	2023-24	INCOME	2024-25
2,166.60	**To Payment / Reimbursement of staff cost**	**2,433.09**		**By Income from Investments**	
0.00	**To Directors' and Committee Memebrs' Fees**	**1.50**	5,490.74	(a) Interest on Investments	5,399.33
0.84	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses**	**0.00**	3.58	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	42.34
358.05	**To Rents,Taxes, Insurance , Lightings etc.**	**366.50**	**5,494.32**		**5,441.67**
667.30	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**	**725.74**	**0.00**	**By Interest on Advances to Deposit Insurance Fund / Credit Guarantee Fund**	**0.00**
27.80	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**	**44.60**	**0.00**	**By depreciation on Investments written back**	**39.19**
104.60	**To Postage, telegrams and Telephones**	**136.65**			
107.66	**To Auditors' Fees**	**54.05**		**By Miscellaneous Receipt**	
85.51	**To Legal Charges**	**65.30**	0.00	Interest on advances to staff	0.00
20.91	**To Advertisements**	**3.00**	0.60	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	(0.25)
39.19	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**	**0.00**	0.00	Interest on refund of income tax	0.00
	To Miscellaneous Expenses		23.13	Other misc receipts	0.00
26.33	Professional Charges	24.55	**23.73**		**(0.25)**
495.11	Service Contract / Maintenance	1,087.35			
10.00	Books, News Papers, Periodicals	25.41			
4.91	Book Grants	0.00			
10.26	Repair of Office Property-Dead Stock	0.26			
111.29	Transaction Charges-CCIL	134.78			
75.56	Others	369.92			
733.46		**1,642.27**			
37.09	Depreciation	**26.64**			
16.07	Depreciation on IASS	**13.34**			
1,152.97	**To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down**	**0.00**	**0.00**	**Balance being excess of Expenditure over Income b/d**	**32.07**
5,518.05	**Total**	**5,512.68**	**5,518.05**	**Total**	**5,512.68**
0.00	**To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down**	32.07	**1,152.97**	**By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down**	**0.00**
	To Provision for Income Tax				
287.23	Current Year	0.00			
0.00	Earlier Years - Short (Excess)	0.00			
3.76	Deferred Tax	18.75			
0.00	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**	0.00			
861.98	**To General Reserve Account**			**To General Reserve Account**	**50.82**
1,152.97	**Total**	**50.82**	**1,152.97**	**Total**	**50.82**

As per our report of even date

** The Significant Accounting Policies and Notes on Accounts are an integral part of the Financial Statements*

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J
Chairman

Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director

Pankaj Sharma
Director

Shaji K. V.
Director

Dr. Tarun Agarwal
Director

Prof. Partha Ray
Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Mangesh Yadaorao Sorte
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) & CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2025

(₹ in Lakhs)

2023-24		Particulars		2024-25	
DIF	CGF			DIF	CGF
		Cash Flow from Operating Activities			
34,27,829.71	**5,047.24**	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**41,30,183.52**	**5,339.19**
		Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :			
(13,86,391.07)	(5,080.88)	Interest on Investments		(15,93,041.96)	(5,339.19)
(8,329.53)	33.84	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		11,602.62	0.00
0.00	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		0.00	0.00
(1,85,046.39)	0.00	Transfer to Investment Reserve		0.00	0.00
0.00	0.00	Interest on Refund received		0.00	0.00
0.00	0.00	Taxes		0.00	0.00
4,71,295.00	0.00	Provision in fund balance (as per Actuarial valuation)		67,930.00	0.00
(11,08,471.99)	**(5,047.04)**		**(b)**	**(15,13,509.34)**	**(5,339.19)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease/(Increase) in			
(8,23,126.11)	(931.62)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(10,44,120.31)	(1504.02)
0.00	0.00	Sundry Debtors		0.00	0.00
18.31	0.00	CGST, IGST & SGST receivable		(31.78)	0.00
1,81,852.21	0.00	Other Assets		(1,33,396.46)	0.00
0.00	0.00	Disputed Service Tax/Interest paid account		0.00	0.00
(6,41,255.59)	**(931.62)**		**(c)**	**(11,77,548.55)**	**(1504.02)**
		LIABILITIES :			
		(Decrease)/Increase in			
17,914.43	0.00	Estimated Liability in respect of claims intimated but not paid		1,51,560.07	0.00
(2380.23)	0.00	Unclaimed Deposits		2,455.00	0.00
(24.98)	0.00	Sundry Creditors		14.72	0.00
0.00	0.00	Sundry Deposit Accounts		0.00	0.00
0.00	0.00	Service Tax Payable A/C		(99.17)	0.00
(90922.44)	0.00	Securities deliverable under Reverse Repo A/C		75,145.59	0.00
0.00	0.00	Swachh Bharat Payable		0.00	0.00
(4.48)	0.00	CGST, SGST & IGST Payable		(0.31)	0.00
(75,417.70)	**0.00**		**(d)**	**2,29,075.90**	**0.00**
16,02,684.43	**(931.42)**	**Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)**	**(A)**	**16,68,201.53**	**(1504.02)**
		Cash Flow from Investing Activities			
13,48,044.65	5,041.97	Interest on Investments Received		15,15,896.40	5,278.35
8,329.53	(33.84)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(11602.62)	0.00
0.00	0.00	Transferred to GF		0.00	0.00
		Decrease/(Increase) in			
(29,43,364.98)	(4,076.17)	Increase in Investments in Central Government Securities		(31,89,139.40)	(3,790.58)
(15,86,990.80)	**931.96**	**Net Cash Flow from Investing Activites**	**(B)**	**(16,84,845.62)**	**1487.77**
0.00	**0.00**	**Cash Flow from Financing Activites**	**(C)**	**0.00**	**0.00**
15693.63	**0.54**	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	**(16,644.09)**	**(16.25)**
1,656.51	15.84	Cash Balance at beginning of period		17,350.14	16.38
17350.14	**16.38**	**Cash Balance at the end of year**		**706.05**	**0.13**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J
Chairman

Arnab Kumar Chowdhury
Executive Director

Pankaj Sharma
Director

Shaji K. V.
Director

Dr. Tarun Agarwal
Director

Prof. Partha Ray
Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Mangesh Yadaorao Sorte
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

II. GENERAL FUND (GF)

Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2025

(₹ in Lakhs)

2023-24			2024-25
	Cash Flow from Operating Activities		
1,152.97	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**(32.07)**
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
37.09	Depreciation		26.64
16.07	Depereciation on IASS		13.34
(5,490.74)	Interest on Investments		(5,399.33)
(3.58)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(42.34)
39.19	Transfer to Investment Reserve		(39.19)
0.00	Excess Provision written back		0.00
0.00	Interest on Advances to Staff		0.00
(0.60)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		0.25
23.13	Others -Misc Receipts		0.00
0.00	Income Tax		0.00
(5,379.44)		**(b)**	**(5,440.63)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
0.00	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		0.00
(200.76)	CGST, SGST & IGST receivable		147.00
(0.99)	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		6.36
(1,104.11)	Advance Income Tax		419.90
(200.00)	Margin Deposit with CCIL		(10.00)
0.00	Interest accured on Staff Advances		0.00
0.45	Sundry Debtors		(7.48)
(40.86)	Project Cost		34.71
(1,546.27)		**(c)**	**590.49**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	With Reserve Bank of India		0.00
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
259.39	Outstanding Expenses		531.75
(22.34)	Sundry Creditors		61.61
35.11	Other Deposits/ TDS		(29.82)
(1.25)	CGST & SGST Payable		2.13
270.91		**(d)**	**565.67**
(5,501.83)	**Net Cash Flow from Operating Activities**	**(A)**	**(4,316.54)**
	Cash Flow from Investing Activities		
5,483.42	Interest on Investments Received		5,197.43
3.58	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		42.34
0.00	Interest on Advances to Staff		0.00
0.00	Funds received from DIF		0.00
(23.13)	Others		0.00
	Decrease(Increase) in		
(46.18)	Fixed assets		(31.93)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
1,843.69	Dated Securities		(890.73)
(1817.34)	Dated Securities deposited with CCIL		0.00
5,444.04	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**4,317.11**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
(57.79)	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**0.57**
	Cash Balance at Beginning of Year		
0.00	In Hand		0.00
72.63	With RBI		14.84
14.84	**Cash Balance at the end of year**		**15.41**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner
(M No. 104709)

Mumbai
May 15, 2025
UDIN : 25104709BMIVIK5530

Swaminathan J	**Arnab Kumar Chowdhury**	**Pankaj Sharma**	**Shaji K. V.**
Chairman	Executive Director	Director	Director
Dr. Tarun Agarwal	**Prof. Partha Ray**	**Anup Kumar**	**Mangesh Yadaorao Sorte**
Director	Director	Chief General Manager	General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Introduction:

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is set up under DICGC Act which is an Act of the Parliament and is a wholly owned subsidiary of RBI. It is not a Company under the Companies Act. The entire capital is fully subscribed by RBI as per section 4 of the DICGC Act, 1961. The functions of DICGC are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 50 of the said Act.

2. Basis of Accounting:

The annual accounts have been prepared and set out in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. They comprise of the following:

A. Balance sheet as at the close of business on 31st March -

A.1. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and

A.2. General Fund

B. Revenue Account for the year ended 31st March –

B.1. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund

B.2. General Fund

The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) - the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The financial statements have been prepared on going concern basis. The accounting policies are applied consistently to all the periods presented in the financial statements.

3. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. Recognition of revenue and claims:

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium:

(a) Deposit insurance premium are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premium payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premium income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premium income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premium is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on de-registration of bank. Further, as per DICGC Amendment Act, 2021, the same will also be made for insured banks placed under direction /prohibition by the competent authority.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para 3.(ii) (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into the books of account of the Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process whichever is earlier.

(d) The interim payments made to the insured bank u/s 18A of DICGC Amendment Act, 2021 is recoverable within a period as specified by the Board of Directors. The provision of liability as per the list of depositors submitted by the bank by the 45th day will be held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 18A of the DICGC Act, 2021 or at the end of direction / merger / amalgamation, whichever is earlier.

(e) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018, the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more than 10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is received. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted. The receipts of repayment in respect of the claims paid under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 will depend upon the time frame decided by the Board considering the capacity of the insured banks while taking into account prudential norms and can be deferred (as per Section 21 (3) of DICGC Amendment Act, 2021). In case of delay in repayment beyond the time period prescribed, penal interest at a maximum rate of two percent above the repo rate per annum for the amount to be repaid to the Corporation will be charged by Corporation (as per Section 21 (4) of DICGC Amendment Act, 2021).

(iv) Income from Investment

(a) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(b) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

(v) Other Income

Balances unclaimed and outstanding for more than three clear consecutive accounting years in certain transit accounts including Sundry

Deposit Account and Earnest Money Deposit Account are reviewed and written back to income. Claims, if any, are considered and charged against income in the year of payment.

5. Investments:

(i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.

(ii) Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.

(iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

(iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

(v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

(vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

6. Fixed Assets:

(i) Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use. Intangible assets are recorded at cost less amortization. Cost comprises of consideration paid for acquisition of such assets.

(ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹1 lakh and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	**Rate of depreciation**
Computer, microprocessors, software, *etc.*	33.33% **p.a. (Per annum)** (3 years)
Motor vehicles, Furniture, *etc.*	20% **p. a. (Per annum)** (5 years)

(b) Depreciation is calculated on monthly pro-rata basis and accounted on quarter-end balances of fixed assets. In case of additions/deletions of assets, depreciation is calculated on monthly pro-rata basis including the month of addition/ deletion of such assets.

(iii) Following are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition: a. Easily portable electronic assets, such as laptops, etc. costing more than ₹10,000 b. Individual items of computer software costing less than ₹1 lakh.

c. Fixed Assets, costing less than ₹1 lakh.

Other than the above, are captialised and depreciation is calculated on monthly pro-rata basis at the applicable rate.

(iv) Depreciation on subsequent expenditure:

(a) Subsequent expenditure incurred on an existing fixed asset which has not been fully depreciated in the books of accounts, is depreciated over the remaining useful life of the principal asset.

(b) Subsequent expenditure incurred on modernisation /addition/overhauling of an existing fixed asset, which has already been fully depreciated in the books of accounts, is first capitalised and thereafter depreciated fully in the year in which the expenditure is incurred.

7. Leases:

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

8. Employees' Benefits / Cost:

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

9. Taxation on Income:

The Expenditure comprises of current tax and deferred tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognized, subject to consideration of prudence on timing difference, being tax effect on the difference in taxable income and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at the balance sheet date.

10. Impairment of Assets:

Fixed Assets and intangible assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(i) In conformity with AS 29 issued by ICAI, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent

Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

(v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

12. Related Party:

As per AS-18 issued by ICAI, No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. State-controlled enterprise is an enterprise which is under the control of the Central Government and/or any State Government(s).

NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities not provided:

A. Service Tax:

Explanatory Notes:

October 01, 2006, to September 30, 2011 (₹5,367.42 crore):

The Service Tax Department vide order dated January 10, 2013, raised a service tax demand amounting to ₹5,367.42 crore for the period October 01, 2006, to September 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an appeal on April 8, 2013, at CESTAT against the order. CESTAT vide order dated March 11, 2015, granted relief to the Corporation by setting aside entire demand of ₹5,367.42 crore for the period prior to September 20, 2011. However, CESTAT also held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and the Corporation is liable to pay Service Tax. The Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court for admission of appeal against CESTAT order setting aside the entire demand of ₹5,367.42 crore. The Corporation has filed a counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016, and the matter is yet to come up for hearing. The Corporation also filed an appeal on September 09, 2015, before the Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business".

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Sec 78 for the period April 01, 2011, to September 30, 2011, amounting to ₹283 crore which was also dismissed vide order dated April 27, 2017, on the grounds that the issue has been decided in favour of the Corporation on merit vide order dated March 11, 2015. [Sec 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Sec 78 provides for levy of penalty when the Service Tax had not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression, or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

B. Claims:

(₹ in lakhs)

Contingent liability pertaining to	Accounting Code	March 31, 2025	March 31, 2024
a) Deregistered Banks*	1080002	18,723.81	6,981.69
b) Untraceable depositors	1080006	17,689.59	17,377.69
c) Unidentifiable depositors	1080005	10,147.13	9,156.51
d) Banks under AID	1080003	0.00	51,566.35

**CL created for Botad People's Co-operative Bank Ltd. (₹ 13.20 crores) is not considered as the same was notified as non-banking institution and DICGC liability has not been invoked for the same.*

(₹ in lakhs)

Reversal of provisions in respect of	Accounting Code	During FY 2025	During FY 2024
a) Untraceable depositors	1080006	313.65	2,438.52
b) Unidentifiable depositors	1080005	990.63	391.84

2. Amendment of Section 18 of DICGC Act, 1961:

Apropos the amendment to DICGC Act, 1961 a new section 18A has been inserted in the Act with effect from September 01, 2021, wherein DICGC is liable to pay depositors of such insured banks in respect of which any direction is issued or any

prohibition or order or scheme is made under any of the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and such direction, prohibition, order or scheme provides for restrictions on depositors of such bank from accessing their deposits. Accordingly, DICGC has paid ₹33,082.22 lakhs in respect of 18 banks during the year 2024-25 (₹1,26,121.23 lakhs in respect of 28 banks during the FY 2023-24).

3. Investment Fluctuation Reserve:

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2025, IFR of ₹9,58,687.62 lakhs was maintained (₹8,15,707.66 lakhs as on March 31, 2024).

4. Intra Day Liquidity Arrangement with RBI:

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2,500 crore earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility extended to the Corporation.

5. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

In Face Value Terms (₹ in lakhs)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2025
I. Securities Sold under Repo				
Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
Government Securities	8,706.00	15,80,166.00	2,04,813.99	91,472.00
Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

6. Income Tax:

The Corporation will continue to exercise the option of paying income tax at the rate of 22 per cent as provided in Sec 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 for Financial Year 2024-25 relevant for Assessment Year 2025-26.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

Current Tax:

Current tax is the amount of Income tax determined to be paid (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

Deferred Tax:

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Provisions:

Provision made towards Taxes - Current Tax - ₹10,40,811 lakh

Deferred Tax - ₹18.75 lakh

The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(Amount in ₹)

	As at March 2025	Movement for the year ended March 31, 2025	As at March 2024
Deferred Tax Asset			
Provision for depreciation in the value of investments	-	(9,86,246)	9,86,246
Deferred Tax Liability			
Depreciation on fixed assets	(8,88,667)	4,73,495	(13,62,161)
Provision for depreciation in the value of investments (reversal)	(9,86,246)	9,86,246	
Net Deferred Tax Asset/ (Liability)	(18,74,913)	4,73,495	(3,75,916)

7. Actuarial Valuation:

Risk default probability and loss ratio approach were used for calculating the actuarial valuation as on March 31, 2025.

8. Related Party Disclosure:

Key Management Personnel:

Dr. Deepak Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India, held the charge of the affairs of the Corporation till April 30, 2024. Shri R. Lakshmi Kanth Rao, Executive Director, Reserve Bank of India, held the charge of the affairs of the Corporation from May 10, 2024, to June 30, 2024. As on Date, Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director holds the charge of the affairs of the Corporation. The above-mentioned Key Management Personnel drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India.

9. Capital Work in Progress:

Considering the growing requirements and evolving landscape of deposit insurance, a need was felt for a new integrated accounting system (SAMYAK) for DICGC, with state-of-the-art functionalities to complement the Corporation's vision to align itself with the international best practices. This application, apart from managing the routine operations of the department, shall provide for end-to-end automation of operational tasks, data analytics etc. This technological leap shall streamline our processes drastically and improve efficiency of operations.

The project cost was estimated ₹6.50 Crores. However, based on the clarification provided by DIT, RBI, the capital expenditure has reduced, with corresponding increase in revenue expenditure. The details of ₹6.89 Crores expenditure incurred so far are given as under:

TOTAL COST INCURRED AS ON 31-03-2025

Financial Year	Capital Expenditure (₹)	Revenue Expenditure (₹)	Total
2023-24	37,92,114.70	-	37,92,114.70
2024-25	16,55,000.00	*6,72,48,359.51	6,89,03,359.51

** Based on the clarification provided by DIT, RBI, the expenditure amounting of ₹2,91,62,292.48 booked under capital expenditure, has been reversed, and booked under Revenue Expenditure in FY 2024-25. Out of the same ₹37,92,114.70 pertained to January 2024 to March 2024 and, expenditure amounting of ₹2,53,70,177.78 incurred and capitalised during April 2024 to December 2024 have been reversed and booked under revenue expenditure in March 2025.*

The development and implementation of the new system is likely to be completed by end of FY 2026.

10. Leases:

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals to Reserve Bank of India are charged to the profit and loss account on accrual basis.

11. Depreciation:

Depreciation is calculated on monthly pro-rata basis and accounted on quarter-end balances of fixed assets. In case of additions/deletions of assets, depreciation is calculated on monthly pro-rata basis including the month of addition/deletion of such assets.

(Amount in ₹)

Assets	Opening Balance as on March 31, 2024	Addition	Deletion	Depreciation	Closing Balance as on March 31, 2025
Furniture, Fixtures, and Equipment	4,35,923	-	-	1,33,315	3,02,607
Computer Hardware	40,47,366	19,09,150	74,720	25,31,169	33,50,627
Intangible assets	13,33,580	-	-	13,33,580	0.00
Total	**58,16,869**	**19,09,150**	**74,720**	**39,98,064**	**36,53,234**

12. Segment Reporting:

Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

13. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.